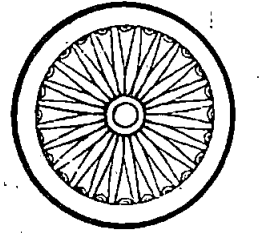


अंक : 124 : वर्ष : 31 जनवरी-मार्च, 2009

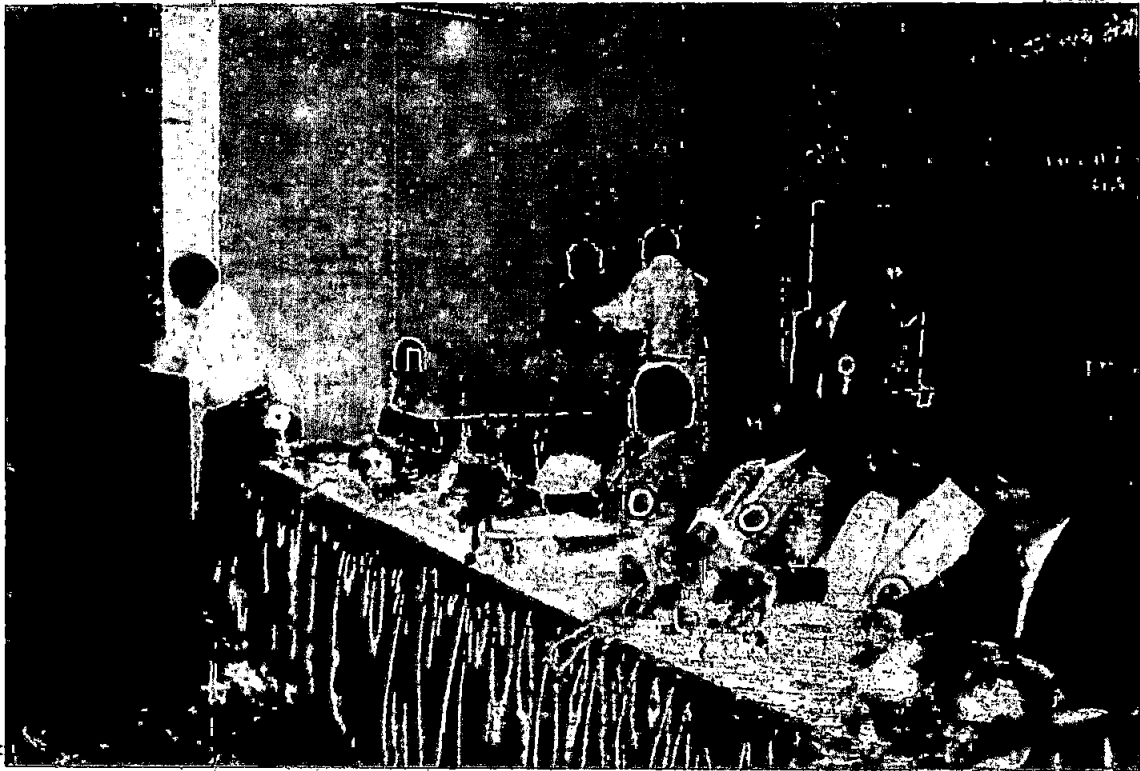
राजभाषा भारती



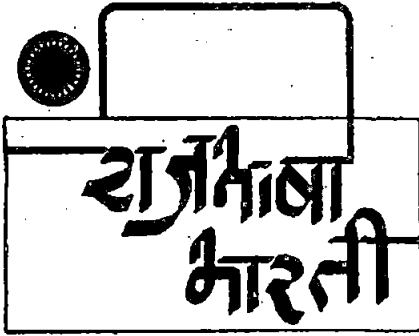
राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली



क-1-गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा बडोदरा में आयोजित पश्चिम तथा मध्य क्षेत्रों का राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं के साथ डॉ. प्रदीप कुमार, सचिव, भारत सरकार, प्रो. रमेश के गोयल, कुलपति सैयाजी राव गायकवाड़, विश्वविद्यालय बडोदरा तथा श्री जी. के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग।



क-2-बडोदरा में आयोजित पश्चिम तथा मध्य क्षेत्रों का राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में वक्तव्य देते हुए श्री डी. के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।



राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 31

अंक : 124

जनवरी-मार्च, 2009

□ संपादक

बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24619521

□ सहायक संपादक

शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

□ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

□ पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल—ru-ol@mha.nic.in

patrika—ol@mha.nic.in

पोर्टल—www.rajbhasha.gov.in.

विषय-सूची

पृष्ठ

□ संपादकीय

(iii)

□ चिंतन

- | | | |
|---|-----------------------------|----|
| 1. हिंदी और हम | —मनोहर धरफले | 1 |
| 2. सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में मूलभूत कठिनाइयाँ और उनका निदान | —डॉ. परमानंद पांचाल | 6 |
| 3. भूमण्डलीकरण के युग में हिंदी | —वीरेन्द्र कुमार यादव | 9 |
| 4. बैंकिंग व्यवसाय पर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का प्रभाव—सच्चाई के दायरे में | —हरिश्चन्द्र सागरमल अग्रवाल | 11 |
| 5. मेरी भाषा में हिंदी | —कैप्टन पबित्र कुमार बरुआ | 16 |

□ साहित्यिकी

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|----|
| 6. कामायनी का सौंदर्य—दर्शन | —डॉ. मुक्ता | 18 |
| 7. ओड़िया काव्य में राष्ट्रीय चेतना | —सुजाता शिवेन | 21 |

□ पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य

- | | | |
|---|---------------------|----|
| 8. तुलसीदास और कंबन के नारी—पात्र: एक तुलनात्मक अध्ययन | —डॉ. एम. शेषन | 24 |
| 9. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी—बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व | —डॉ. रामदास "नादार" | 33 |

□ विश्व हिंदी दर्शन

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|----|
| 10. फीजी में भारतीय जड़ें | —कुमारी श्रद्धा शर्मा | 36 |
|---------------------------|-----------------------|----|

□ पत्रकारिता

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|----|
| 11. आकाशवाणी के समाचारों में हिंदी | —राजेंद्र उपाध्याय | 41 |
|------------------------------------|--------------------|----|

□ विविध

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|----|
| 12. नारी शोषण—एक सामाजिक चिंतन | —डॉ. रुक्मिणी तिवारी | 43 |
|--------------------------------|----------------------|----|

राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ :

- | | |
|--|----|
| (क) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय | 45 |
| (ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक | 47 |

पूर्व रेलवे, कोलकाता; मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर; आयकर आयुक्त, पटियाला; आयकर आयुक्त-II, जालंधर; परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जयपुर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,

होशंगाबाद; केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद; केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर आयुक्त, तिरुचिचिरापल्लि; पूर्व मध्य रेल हाजीपुर; पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर; एन. टी. पी. सी., फरीदाबाद;

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

53

कोट्टयम; शिलचर, तृशूर, सिक्किम, कोयंबतूर, बोगाईगांव, कोलकाता (बैंक), अमृतसर, चण्डीगढ़, नवी मुंबई, पटियाला, भंडारा, बोकारो, बीकानेर, देवास, डलहौजी,

(घ) हिंदी कार्यशालाएं

60

भारी पानी संयंत्र अनगुल, केंद्रीय उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तिरुवनन्तपुरम, भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन, आकाशवाणी-चेन्नई, आकाशवाणी-कडपा, आकाशवाणी-कटक, एन.एच.पी.सी. लि. कोलकाता, परमाणु ऊर्जा विभाग बड़ौदा, नराकास चण्डीगढ़, पश्चिम रेलवे, भारी पानी संयंत्र कोटा, आकाशवाणी-अहमदाबाद, आकाशवाणी-नागपुर, एन. एच. पी. सी. चण्डीगढ़, पोस्टमास्टर जनरल इन्दौर, आर्डनेन्स फैक्टरी मुगदनगर, भा. ति. सी. पु. बल निदेशालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रण नई दिल्ली, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय जयपुर, नराकास बालाघाट, एन. एच. पी. सी. फरीदाबाद, एन. टी. पी. सी. दादरी, एन. एच. पी. सी. चंबा, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र भंडारा, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र बालाघाट

(ङ) हिंदी दिवस

71

प्रधान महालेखाकार चेन्नई, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल शिलांग, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान बेंगलूर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कोयंबतूर, मुख्य आयकर आयुक्त गुवाहाटी, पोस्ट मास्टर जनरल बेंगलूर, आकाशवाणी-तृशूर, आकाशवाणी-डिब्रूगढ़, दूरदर्शन तिरुवनन्तपुरम, आकाशवाणी-विजयवाड़ा, दूरदर्शन केंद्र-गुवाहाटी, आकाशवाणी-विशाखापट्टणम, दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद, आकाशवाणी-कोलकाता, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर, एम. एस. एम. ई. विकास संस्थान तृशूर, राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, सेल इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर, दूरसंचार: आलप्पुषा, कछाड़ पेपर मिल, दूरसंचार विजयवाड़ा, दूरसंचार दावणगेरे, दूरसंचार चेन्नई, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन कोलकाता, हिंदुस्तान लेटेक्स तिरुवनन्तपुरम, एन. एच. पी. सी. कोलकाता, कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम भुवनेश्वर, राज्य बीमा निगम विजयवाड़ा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोयंबतूर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग चण्डीगढ़, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण गोवा, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अहमदाबाद, सीमा सड़क कृत्तिक बल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम गोवा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम धाने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अहमदाबाद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जम्मू, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण गोवा, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास नवी मुंबई, गोवा शिपयार्ड लि. गोवा, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला चण्डीगढ़, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र भंडारा, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नाशिक रोड, आकाशवाणी-धारवाड़, आकाशवाणी-अकोला, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक नई दिल्ली, पोत परिवहन विभाग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा औषध निर्माण विभाग, वित्त मंत्रालय-व्यय विभाग, अंतरिक्ष विभाग, पूर्ति प्रभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली, खान सुरक्षा महानिदेशालय उदयपुर, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली, पोस्ट मास्टर जनरल इन्दौर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, कर्मचारी राज्य बीमा निगम परवाण, एन. टी. पी. सी. दादरी, बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली, बैंक ऑफ बड़ौदा वाराणसी,

च विश्व हिंदी दिवस

90

न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन आफ इंडिया उत्तर कन्नड़, अंतरिक्ष विभाग हासन,

हिंदी के बढ़ते चरण

92

संध प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली शिलवासा,

संगोष्ठी/सम्मेलन

97

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र बड़ौदा, नराकास बोकारो,

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

99

नराकास एलूरु, पश्चिम रेलवे राजकोट, नराकास हैदराबाद, आयकर विभाग चण्डीगढ़, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग महानिदेशालय, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास नवी मुंबई, बैंक आफ बड़ौदा वाराणसी, नराकास दक्षिण गोवा, भिलाई इस्पात संयंत्र,

प्रशिक्षण

102

पाठकों के पत्र

107



दुनिया के विकसित और विकासशील देशों की संख्या सर्वाधिक है जो अपनी मातृभाषा की बदौलत इस ऊँचाई तक पहुंचे हैं। जापान एक आर्थिक और औद्योगिक शक्ति है और इस मुकाम तक वह अपनी भाषा की बदौलत पहुंचा है। वहीं चीन भी आज विश्व पटल पर एक महा शक्ति बन कर उभरा है। उसके भी विकास का इतिहास उसकी मातृभाषा मन्दारिन के इतिहास से अलग नहीं है।

हमारे संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी कि स्वतंत्रता के बाद देश का शासन हमारी अपनी भाषाओं में चले ताकि आम जनता शासन से जुड़ी रहे और समाज में एक सामंजस्य स्थापित हो और सबकी प्रगति हो सके।

हमारा देश तरक्की कर रहा है इसमें शक नहीं लेकिन इस प्रगति का लाभ देश के आम आदमी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अनेक कारणों में से एक यह भी है कि हम शासन को जनता तक उसकी भाषा में पहुंचाने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं। जब तक इस काम में तेजी नहीं आती तब तक किसी भी क्षेत्र में देश की बड़ी से बड़ी उपलब्धि और प्रगति का कोई मूल्य नहीं रह जाता।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भले ही अंग्रेजी के प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता, किन्तु वैश्विक दौड़ में आज हिंदी कहीं भी पीछे नहीं है। हिंदी आज सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, अपितु सामान्य कार्य से लेकर इंटरनेट तक का कार्य हिंदी में बखूबी हो रहा है।

विभिन्न विधाओं और विचार-धाराओं के लेखकों/विद्वानों की साझेदारी से “राजभाषा भारती” के प्रत्येक अंक की रौनक बढ़ाने की “राजभाषा भारती परिवार” की कोशिश रही है।

“राजभाषा भारती परिवार” सदैव की तरह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर रहते हुए प्रस्तुत अंक में “चिंतन” स्तंभ के अंतर्गत “हिंदी और हम” लेख में श्री मनोहर धरफले ने अंग्रेजी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। डॉ. परमानंद पांचाल ने अपने लेख में सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में मूलभूत कठिनाईयों के निदान पर प्रकाश डाला है। श्री वीरेन्द्र कुमार यादव ने “भूमण्डलीकरण के युग में हिंदी” लेख में हिंदी के महत्व को उजागर

किया है। श्री हरिश्चंद्र सागरमल अग्रवाल ने बैंकिंग व्यवसाय पर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रभाव के बारे में चर्चा की है। कैप्टन पवित्र कुमार ने “मेरी भाषा है हिंदी” लेख में टूटते हुए परिवारों को जोड़ने वाले हिंदी भाषा का विस्तार-पूर्वक प्रकाश डालने का प्रयास किया है। “साहित्यिकी” स्तंभ के अंतर्गत “कामयानी का सौंदर्य-दर्शन” और “ओड़िया काव्य में राष्ट्रीय चेतना” पर क्रमशः डॉ. मुक्ता और सुजाता शिवेन ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। “पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य” में डॉ. एम. शेषन ने उत्तर भारत के तुलसीदास और दक्षिण भारत के कंबन के नारी पात्रों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर डॉ. रामदास “नादार” ने प्रकाश डाला है। “विश्व हिंदी दर्शन” स्तंभ के अंतर्गत कुमारी श्रद्धा शर्मा ने “फीजी में भारतीय जड़ें” लेख में एक ऐतिहासिक चर्चा की है। “पत्रकारिता” स्तंभ में हिंदी में आकाशवाणी के समाचारों पर चर्चा की गई है। “विविध” स्तंभ में डॉ. रुक्मिणी तिवारी ने “नारी शोषण” पर समाज में हो रहे अत्याचारों को उजागर करने का प्रयास किया है।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति “राजभाषा भारती” की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य स्तंभ भी सदैव की भांति इस अंक में दिए जा रहे हैं।

आशा है इस अंक को भी पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे। प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।

—संपादक

हिंदी और हम

—मनोहर धरफले*

भारत को आजादी मिले साठ वर्ष हो गए। लेकिन शासकीय व्यवहार में राजभाषा हिंदी के सौ प्रतिशत प्रयोग पर अभी भी प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। कुछ अंगरेजीदा विद्वानों का आक्षेप है कि हिंदी की स्तुति करने वाले हिंदी प्रेमी और राजभाषा वाले अंगरेजी के रूटीन विरोध में संकीर्ण दृष्टिकोण और अव्यावहारिक आदर्शवादिता अपनाते हैं। यह बात समझ में नहीं आती। व्यक्तिगत व्यवहार में अंगरेजी का प्रयोग किए जाने पर राजभाषा अधिनियम या शासन की ओर से कोई रोकटोक नहीं है। आम जनता द्वारा भी बोलचाल या व्यवहार में अंगरेजी के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती। यदि आम जनता अपने व्यवहार में अंगरेजी का ही प्रयोग करेगी और हिंदी का प्रयोग नहीं करेगी तो शासन की ओर से उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। जनता अपनी बोलचाल, अपने व्यवहार में चाहे अंगरेजी का प्रयोग करे, चाहे हिंदी का या हिंदी-अंगरेजी खिचड़ी भाषा का प्रयोग करे। शासन का राजभाषा अधिनियम को कोई आक्षेप नहीं है। हां! यह अपेक्षा अवश्य है कि शासकीय कार्यालयों में समस्त कामकाज हिंदी में हो, अर्थात् 'क' क्षेत्र में 'ख' और 'ग' क्षेत्र में भी निर्धारित प्रतिशत के अनुसार हिंदी का प्रयोग होता रहे। शासन द्वारा जनता के साथ और जनता द्वारा शासन के साथ पत्राचार और व्यवहार हिंदी में होता रहे तभी राजभाषा शब्द की सार्थकता है। अपने देश में हम अपनी भाषा में आपस में, अपनी सरकार के साथ पत्राचार या व्यवहार करें, इसमें कैसी संकीर्णता? यह स्वाभाविक भी है और उचित भी। तभी देश का हर आम नागरिक सरकार से अपनी बात कह सकेगा और सरकार की बात को, नीति-नियमों को समझ सकेगा। चाहे वह अंगरेजी का जानकार हो या नहीं। उसे हिंदी लिखना-पढ़ना न भी आता हो तो भी हिंदी में की गई बोलचाल से मसला हल किया जा सकता है। इसे अव्यवहारिक आदर्शवादिता कैसे कहा जा सकता है?

भारतीय संविधान के अनुसार हमें अपने राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत को उचित सम्मान देना चाहिए। उसी सम्मान की अधिकारिणी हमारी राजभाषा हिंदी भी है। जहां तक संविधान में अंगरेजी के प्रयोग का प्रावधान है वह तो इसलिए किया गया कि तीन सौ वर्ष की अंगरेजों की गुलामी ने अंगरेजी की तुलना में अन्य भारतीय भाषाओं को ऊपर उठने ही नहीं दिया। अंगरेज चूंकि केवल अपनी भाषा अंगरेजी में बोलचाल और व्यवहार कर सकते थे, उन्होंने शासन की भाषा के रूप में अंगरेजी को स्थान दिया। शासन तंत्र उनके हाथ में होने से वहां का आम आदमी/नागरिक जिसे शासन से किसी प्रकार की अपेक्षा होती थी मजबूरन अंगरेजी सीखता रहा। अंगरेजी का जानकार न होने पर उसकी अपेक्षा होती थी। धीरे-धीरे पूरा शासन तंत्र अंगरेजीमय हो गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के साठ वर्ष बाद भी अंगरेजी का वर्चस्व बना रहने दें।

प्रश्न राजभाषा शब्द के अर्थ का है। राजकीय कार्यकलाप हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। परंतु, चूंकि एक लम्बे समय तक शासन का कार्यकलाप अंगरेजी में होता रहा, हम अंगरेजी के आदी हो गए। शासन तंत्र में अंगरेजी पूर्वापार चली आ रही थी, अतः हिंदी की तुलना में अंगरेजी हमें सरल लगती रही। ऐसी स्थिति में आनन-फानन में अंगरेजी को हटा देना अव्यावहारिक था। अतः अंगरेजी चलती रहीं। यहां तक कि संविधान में यह व्यवस्था की गई कि सन् 1965 तक अंगरेजी संघ की राजभाषा बनी रहेगी। फिर हिंदी इसका स्थान लेगी। लेकिन बाद में भी अंगरेजी का वर्चस्व बना रहा। क्योंकि शासन तंत्र के लिए यह आवश्यक हो गया था कि शासकीय कामकाज के लिए अंगरेजी शब्दों के स्थान पर हिंदी के उपयुक्त शब्दों की शब्दावली तैयार कर लें। ताकि देश भर के भाषा-भाषियों के लिए एक सर्वमान्य भाषा के माध्यम से शासकीय कार्य

करने-करवाने में सुविधा हो। एकरूपता हो। ऐसी हिंदी शब्दावली तैयार करने में लगने वाला अत्यधिक समय ही एकमेव कारण बना रहा कि तब तक हिंदी के साथ-साथ अंगरेजी का प्रयोग भी चलता रहे। संयुक्तिक और प्रयोगिक दृष्टिकोण से वह उचित भी था।

किंतु अब ऐसी शब्दावली तैयार कर ली गई है, जिसमें भूगोल, खगोल, भौतिक व रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान, चिकित्सा, गणित आदि तथा अन्य सभी प्रकार के तंत्र ज्ञान के लिए, उसके आकलन के लिए शब्द उपलब्ध हैं। यहां यह कहा जाने लगा कि हिंदी के शब्द अतिव्याकरणिक, क्लिष्ट, संस्कृत प्रचुर हैं और उच्चारण के लिए कठिन भी हैं। इनका सहज प्रयोग संभव नहीं है। ओछी मानसिकता रखने वाले कुछ लोग हिंदी का उपहास करने के उद्देश्य से कतिपय अंगरेजी शब्दों के स्थान पर हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का जानबूझकर प्रयोग करते हुए अनुवाद कर लेते हैं और स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जैसे रेलवे के सिग्नल का हिंदी में अनुवाद वे इस प्रकार से करते हैं—अग्निरथ/वाष्पचलित रथ/विद्युतचलित रथ/वाहन गमनागमन सूचक हरित-रक्त रंग युक्त पट्टिका। या सिगरेट का हिंदी अनुवाद श्वेतपत्रवेष्टित तम्बाकूयुक्त धूम्रपान नलिका। ऐसा करते हुए वे अपनी बाल सुलभ अज्ञानता का परिचय भी देते हैं। क्योंकि वे अनजान ही बने रहते हैं। क्योंकि वे जानते ही नहीं हैं कि बोलचाल और व्यवहार में गत हजारों वर्षों से प्रचलित हजारों शब्द जो अनेक देशी-विदेशी भाषाओं के हैं, हिंदी ने आत्मसात कर लिए हैं। हिंदी में सभी भारतीय भाषाओं के शब्द तो हैं ही अपितु फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, अंगरेजी आदि विदेशी भाषाओं के हजारों शब्द और फ्रेंच, डच, स्पेनिश, जर्मन और जापानी भाषाओं के कुछ शब्द भी हैं जो पूर्णतः हिंदीमय हो गए हैं। हिंदी के शब्द-भंडार के इस रूप को देखने के बाद पता लगता है कि सचमुच हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को पचाकर उन्हें अपना बना लेने का कितना बड़ा गुण है। इसका सम्पूर्ण श्रेय हमारी देवनागरी लिपि को जाता है। जिसके अक्षरों, मात्राओं की रचना मानवीय शरीर में स्थित स्वरयंत्र के आधार पर की गई। यदि उच्चारण स्पष्ट और संध गति से किया जाए तो विश्व की किसी भी भाषा के शब्दों/वाक्यों को देवनागरी में लिपिबद्ध किया जा सकता है। अंगरेजी शब्द Thyroid Gland लें। जिसका उच्चारण थॉयरोयड ग्लैण्ड किया जाता है। इसमें हिंदी के थ, आ, य, र, इ, ड, ग, ल, ण, ऐ, ड अर्थात् देवनागरी लिपि के अक्षर हैं। यह भी कहा

जाता है कि हिंदी शब्दों का उच्चारण क्लिष्ट और कठिन है। यह सोच भी सरासर गलत है। प्रश्न शब्दों के प्रयोग का है। जिस प्रकार अंगरेजी के क्लिष्ट शब्द बार-बार प्रयोग के कारण आसान लगने लगे, उसी प्रकार हिंदी के क्लिष्ट शब्द भी बार-बार प्रयोग के बाद आसान लगने लगते हैं। उदाहरणार्थ: वोरोशिलोव्ह, एक्स्प्रेसर, एडमिनिस्ट्रेशन, कमिशनर, कलेक्टर, सेक्रेटरीएट आदि शब्द बार-बार उच्चारण के कारण आसानी से बोले जाते हैं उसी प्रकार हिंदी के क्लिष्ट शब्द जैसे उच्चायुक्त, ध्वनिप्रक्षेपण, कार्यान्वित, अन्वयार्थ, समायोचित आदि भी बार-बार प्रयोग के बाद आसान लगने लगेंगे। अनपढ़, अंगूठा छाप व्यक्ति उपरोक्त और उन जैसे अन्य अंगरेजी शब्दों को बार-बार सुनकर बोलने, समझने लगता है उसी प्रकार यदि हिंदी क्लिष्ट शब्दों का भी बोलचाल में बार-बार प्रयोग होता रहेगा तो वे भी आसानी से प्रचलन में आ सकते हैं। जिस प्रकार हमने अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी के लिए अपना लिए। उसी प्रकार अंगरेजी ने भी हिंदी के कई शब्द अपना लिए हैं। जैसे लूट, कच्चा-पक्का आदि। लेकिन व्यवहार में अब कोई भी भाषा सौ प्रतिशत उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलना संभव नहीं रहा है। हिंदी की तरह अन्य भाषाओं में भी अन्य भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं। लेकिन बोलने या लिखने का लहजा तो भाषा के अनुरूप रखा जा सकता है। किंतु हमारी युवा पीढ़ी 'कम ना यार', 'सिट ना यार' जैसी हिंगलिश भाषा का ही प्रयोग करने लगी हैं, जो अटपटा लगता है। युवा ही क्यों प्रौढ़ व्यक्ति भी इसके आदी हैं। भाषण की शुरुआत लेडीज एण्ड जेन्टलमेन से की जाती है। बाकी पूरा भाषण हिंदी में या हिंदी-अंग्रेजी की खिचड़ी भाषा में किया जाता है। फोन पर बात शुरू करते समय 'हैलो', कार्यालयों में 'सर' का प्रयोग होता ही है। उसी प्रकार अंग्रेजी बोलते समय अटक गए तो मतलब, और या ऐसे ही अन्य हिंदी शब्दों का प्रयोग होने लगता है। इसीलिए यह नियम बनाया गया है कि शासन के और शासन के साथ व्यवहार हिंदी में हो। अन्यत्र किसी भी भाषा का प्रयोग करते रहें।

प्रश्न मानसिकता का है। अपनी भाषा पर प्रेम करना, गर्व करना आवश्यक है। यदि उच्चशिक्षा का तात्पर्य केवल विदेशों में अध्ययन करने से है तो बेशक अंग्रेजी अनिवार्य है। लेकिन यह भी सही है कि अंग्रेजों के भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में आने के पहले चीनी, जापानी विद्यार्थी और दार्शनिक नालन्दा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आते थे। तब अंग्रेजी कहां थी? संस्कृत भाषा का

ही सर्वत्र बोलवाला था। सहभाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग होता था। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही यदि हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता तो अब तक वैसी ही मानसिकता बन जाती। भले ही बार-बार अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता। लेकिन हिंदी में कार्य करने के प्रति आस्था भी बन जाती। क्योंकि अंग्रेजी की तरह हिंदी सीखनी नहीं पड़ती। वह तो भारत में पहले से ही विद्यमान थी।

दक्षिण के प्राचार्यों ने हिंदी के आदिकाल से ही अनुभव किया था कि इस भाषा के माध्यम से वे सारे देश के जन-जन तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। वल्लभाचार्य, विठ्ठल, रामानुज, रामानंद, आदि महापुरुषों ने हिंदी के महत्व को समझ लिया था और वे उसे प्रयोग में लाते रहे। केरल के तिरुविनांकुर के राजा स्वात्ति तिरुनाल, श्रीराम वर्मा (जन्म 1813 ईसवी) ने और इनके पूर्व तंजावुर के भोसले वंशीय शाहूजी महाराज (शासनकाल 1684 से 1713) ने हिंदी में गीत रचना की। महाराष्ट्र के संत देवराज महाराज (1654 से 1721) ने विदर्भ में हिंदी के माध्यम से भक्तिपूर्ण पद रचे। अठ्ठारहवीं शताब्दी में पेशवा, सिन्धिया तथा होलकर आदि मराठी घराने हिंदी में ही अपना राजकार्य करते थे। महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसी मेहता, राजस्थान के दादू और रज्जब, पंजाब के नानक देव आदि सिखगुरु, असम के शंकरदेव, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु और उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के सूफी-संतों ने हिंदी को ही अपने धर्म, सांस्कृतिक प्रचार और साहित्य का माध्यम बनाया था।

मुस्लिम शासनकाल में भी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वमान्य थी। सिक्कों पर सूचना हिंदी में रहती थी। शाही फरमानों में भी हिंदी का ही प्रयोग होता था। ब्लाखमैन ने अपनी खोज के आधार पर कलकत्ता रिव्यू 1871 में लिखा था कि मुगल बादशाहों के शासनकाल में ही नहीं, इसके पूर्व भी सभी सरकारी कागजात हिंदी में ही रखे जाते थे। साहित्य और शिक्षा का माध्यम भी व्यापक और सार्वदेशिक रूप से हिंदी ही था। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कम्पनी के सिक्के और आदेश हिंदी में छपते थे। मद्रास के लेफ्टिनेंट टॉमस रोबक (1807 ईसवी) ने हिंदी (हिन्दुस्तानी) को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा है।

इतनी पावन एवं उज्ज्वल परम्परा रखने वाली हमारी भाषा, राजभाषा हिंदी को अन्तर्मन से स्वीकार कर अपने सभी कार्यों में उसका पूर्णरूपेण प्रयोग करना ही हमारे राष्ट्रप्रेम का द्योतक होगा। किंतु अधिकांशतः सुशिक्षित

भारतीय जनमानस द्वारा हिंदी को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अपने देश में ही अपनी भाषा लज्जित हो रही है।

हम क्या करें? हम तो बस सितंबर माह को राजभाषा मास के रूप में मनाकर अपना हिंदी प्रेम जता देते हैं। हिंदी में सांस्कृतिक गतिविधियां करवा दी, हिंदी के साहित्यकारों को मुख्य अतिथि के पद पर विभूषित कराकर सम्मानित कर दिया। बस! यही है हमारा हिंदी प्रेम! अक्टूबर माह से सब कुछ पूर्ववत्/यथावत्/अंग्रेजीमय हो जाता है। क्योंकि त्यौहार तो साल भर में एक ही बार मनाया जाता है ना! पूरे साल भर तो नहीं मनाया जाता। हम भी राजभाषा मास नामक त्यौहार ही तो मनाते हैं। मगरमच्छी आंसू बहाकर सितम्बर माह बिता देते हैं और चल पड़ते हैं फिर से अंग्रेजी की बैसाखी पर। आदत जो पड़ी है बैसाखी पर चलने की। फिर अपने पैरों पर वजन क्यों डालें।

राजधानी दिल्ली में 1994 में सितम्बर माह में ही राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच द्वारा एक व्यक्ति की हिंदी में लिखी शिकायत यह कहकर वापस कर दी गई थी कि उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए, तभी उस पर सुनवाई की जा सकेगी। शासकीय अधिकारियों का यह रवैया, वह भी राजभाषा मास में। यह प्रेम है हमारा अपनी राजभाषा के प्रति। मॉरीशस जैसे देश में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं लेकिन हमारे अपने देश में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम रखवाने के लिए आन्दोलन करना पड़ा है। सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ा है। भाषा के इन सत्याग्रहियों को हथकड़ियां भी पहननी पड़ी हैं। इसके विपरीत भारत भ्रमण करने आने वाले विदेशी यात्री भारत के इतिहास को जानने-समझने के लिए भारतीय संस्कृति, हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने के लिए उन भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं और भारत में पढ़े लिखे, सुशिक्षित कहलाने वाले लोग अपनी भाषाओं को, मातृभाषाओं को उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजी की बैसाखी पर चलने वाले ये लोग यदि विदेशों में जाकर देखें तो उन्हें घोर आश्चर्य होगा कि वहां के नागरिक अपने देश की भाषा के प्रति कितना प्रेम, कितना आदर, कितनी आस्था रखते हैं। मैं स्वयं बैंकॉक (थाईलैंड) सिंगापुर, इजिप्त और सियोल (साउथ कोरिया) का भ्रमण कर चुका हूं और पग-पग पर वहां के नागरिकों का अपनी भाषा के प्रति अथाह प्रेम अनुभव कर चुका हूं। उसी प्रकार चीन, जापान, जर्मन में भी अंग्रेजी की तुलना में वहां की राष्ट्रभाषा का ही वर्चस्व है।

ब्रिटेन की गुलामी से मुक्त हुए आधी दुनिया के देश अपनी भाषा को विकसित करने में लगे हैं। लेकिन हम भारतीय अंग्रेजी की बैसाखी पर चलते हुए भी अपने आप को अपंग महसूस नहीं करते। इजराईल दुनिया के नक्शे पर एक बिन्दु समान छोटा सा देश, अपनी मृतप्राय हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है और हमारे शासकीय एवं अन्य कार्यालयों में प्रयोग होने वाले रजिस्ट्रों, फाईलों, खाताबहियों में अंग्रेजी-अंग्रेजी ही प्रस्फुटित होती रहती है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की पाठशालाएं सिमटती जा रही हैं। लगभग नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। पहली कक्षा से ही अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई है। कुकुरमुत्ते की तरह तथा कथित कॉन्वेन्ट स्कूल, अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल खुल रहे हैं, मेंढक की तरह टर्रा रहे हैं। शिक्षकों को अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक दिन, एक सप्ताह, एक माह में अंग्रेजी बोलना, लिखना, सिखाने वाली कक्षाएं, पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मोटी रकम फीस के रूप में वसूली जा रही है और लोग दे रहे हैं। भले ही खिचड़ी अंग्रेजी और खिचड़ी हिंदी पनपती रहे। मंत्रालय से नगरपालिका तक अंग्रेजी का बोलबाला है। कार्यालयों में हिंदी में लिखे गए पत्रों के प्रारूप, प्रस्ताव, टिप्पणियां अधिकारियों की समझ में नहीं आती। उन पर अनुमति, स्वीकृति देने के लिए उनके अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तब तक उन्हें लम्बित ही रखना पड़ता है। वास्तव में भारत का सुशिक्षित समाज अभी भी गुलामी की भावना से ग्रसित है उसकी वही मानसिकता उसे विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है। हिंदी की कहीं-कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा या अवहेलना करने में ही उन्हें गौरव का अनुभव होता है।

अधिकारी बनना हो, पदोन्नति पाना हो, रौब जमाना हो, जेन्टलमेन कहलाना हो, वी.आई.पी. कहलाना हो या सेलेब्रिटी बनना हो तो अंग्रेजी इज ए मस्ट। इनकी रीढ़ की हड्डी में जो जोड़ हैं वे सब अंग्रेजी के हैं। यदि उनमें से एक भी इधर-उधर खिसक जाए तो वे लड़खड़ा जाएंगे।

आजादी के साठ वर्ष बाद भी अंग्रेजी भाषा बोलकर, अंग्रेजों की तरह नाच गाकर, जन्म दिन पर केक काटकर, हाय . . . हैलो . . . गुडमॉर्निंग, गुड नाइट आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए आम भारतीय तथा कथित उच्चवर्ग समाज को गर्व का अनुभव होता है।

अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा बखूबी इस्तेमाल अपनी साम्राज्यशाही को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए किया।

लेकिन देशभक्ति का दावा करते हुए राजभाषा हिंदी के लिए केवल शोर किया जा रहा है। कम से कम पांचवीं कक्षा तक तो देश भर में अपनी-अपनी मातृभाषाएं सीखने-सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी को पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि वह अपने मनपसंद भाषा को अपने अध्ययन और अभ्यास का माध्यम बनाएं। लेकिन देश के करोड़ों मेहनतकशों की पहुंच के बाहर रहने वाली इस अंग्रेजी भाषा को ही अपना हितसाधक मानने वाली केवल दो प्रतिशत जनता ही इस देश को चला रही है। औद्योगिक और सामाजिक परिप्रेक्ष में आज भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पब्लिक स्कूलों में पढ़े लड़के, लड़कियों को ही वरीयता दी जाती है जबकि इन स्कूलों में केवल सुसम्पन्न परिवारों के बच्चे ही शिक्षा पा सकते हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन की लाईन डाली जा रही है। उसके सूचना पटल सड़कों के किनारे लगे हुए हैं। मीटरों दूर तक फैले हैं। सबके सब अंग्रेजी में पुते हुए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर चारों ओर अंग्रेजी के पटल लगे हुए थे। जिनके चित्र समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे।

यदि अंग्रेजी लिपि के 26 (छब्बीस) अक्षरों को घुमाफिराकर, जिनका कोई क्रम निश्चित नहीं है, ध्वनि का विशिष्ट क्रम निश्चित नहीं है, फिर भी शब्दों के ऊटपटांग स्पेलिंग बनाकर जिनमें कई अक्षर अनुच्चारित रहते हैं तो कई अक्षर अनेक उच्चारणों के लिए वहीं रहते हैं तथा कहीं एक ही अक्षर विविध उच्चारण को दर्शाता है—ऐसी स्थिति में नए-नए शब्द बनाए जाते हैं तो क्या हिंदी की देवनागरी लिपि में अंग्रेजी की तुलना में दुगने अक्षर होते हुए भी नए-नए शब्द नहीं बनाए जा सकते? बनाए जा सकते हैं। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय और परिश्रम की।

आज पूंजीपति वर्ग समाज और राजसत्ता पर हावी है जो अंग्रेजी का ही पक्षपाती है। सामान्य श्रेणी के समाज को राजसत्ता में और समाज में प्रमुख भूमिका अदा करने में सहायक होना आज की आवश्यकता है। इसके लिए हिंदी का वर्चस्व होना भी अनिवार्य है। जनभाषा, राजभाषा हिंदी का न केवल प्रावल्य और प्रयोग बल्कि प्रचार-प्रसार भी अनिवार्य रूप से हो। अंग्रेजी केवल दुय्यम (दूसरी) भाषा के रूप में स्वीकार की जाए। हर उस पत्र लेखन, आदेश, नियम और कानून को नकारा जाए जो केवल अंग्रेजी में हो। या तो हिंदी या द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) होने पर ही उस पर अमल किया जाए। शासकीय, अर्द्ध शासकीय

कार्यालय (राज्य व केन्द्र स्तर के सभी) बैंक, बीमा कम्पनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सामाजिक संस्थाएं हर जगह समस्त कार्य केवल हिंदी में अथवा द्विभाषा/त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत ही हो। ऐसा वातावरण बनना अनिवार्य है। अब तो संगणकों में भी हिंदी का प्रयोग आसान हो गया है। जनता और शासन के बीच का व्यवहार भी केवल हिंदी या द्विभाषी हो। केवल अंग्रेजी कदापि न हो। तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाने के अधिकारी हैं।

भाषा का मामला मात्र औपचारिकता नहीं है। भाषा का संबंध हमारी संवेदना और सोचने के ढंग से जुड़ा है। उसमें हमारी आत्मा का संगीत होता है। राजभाषा का विचार करते समय भाषा का प्रश्न भावना तक सीमित नहीं रहा है। बल्कि उसकी उपयोगिता, महत्व और कार्य साधकता को भी दृष्टिगत रखना होगा। राजभाषा अधिनियम में अलंकारिक एवं अति व्याकरणिक शब्दों के प्रयोग पर कोई जोर नहीं दिया गया है। सरल एवं सहज उच्चार हो सकने वाले शब्दों को प्राधान्य दिया गया है, जो मानक शब्दों के रूप में प्रसारित किए गए हैं। ताकि शासन और सामान्य जनता के बीच सहज और सुलभ वार्तालाप और व्यवहार हो सके। जिस प्रकार देश की अन्य भाषाओं के साथ हिंदी का कोई बैर नहीं है उसी प्रकार अंग्रेजी से भी कोई बैर नहीं है। प्रश्न हिंदी के वर्चस्व का है।

कर्नाटक में 15 अगस्त, 1994 से प्रशासन में अंग्रेजी का प्रयोग बन्द कर दिया गया है। जब कि वह 'ग' क्षेत्र में है। तो फिर 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी ऐसा किया ही जा सकता है। प्रशासन के कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग बन्द कर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहकर वैसी मानसिकता बनाना अति आवश्यक है यदि साठ वर्ष बीत जाने पर भी हम भाषाई गुलामी से स्वतंत्र नहीं हो सके तो कब तक हम अंग्रेजी का वर्चस्व सहन करते रहेंगे।

अज्ञान के वशीभूत मनुष्य कई बार कई गलत धारणाएं बना लेता है। ऐसी ही एक धारणा अंग्रेजी भाषा के संबंध में बनी हुई है। अंग्रेजों ने विश्व के अधिकांश भू भाग पर राज्य किया था, इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि उनकी भाषा अंग्रेजी 'विश्वभाषा' कहलाए। हां! अंग्रेजी भाषा में सभी तरह का वैज्ञानिक, खगोलीय, भूगर्भीय और अन्य विधि विषयों का ज्ञान और साहित्य बहुतायत में उपलब्ध है यह बात सही है। किंतु वास्तविकता यह है कि इस पृथ्वी पर ऐसे भी देश हैं जहां अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं चलती। स्वयं ब्रिटेन का अंग समझे जाने वाले वेल्स में पिछले वर्षों से चल रहे

मातृभाषाओं की पुनर्प्रतिष्ठा और नवजागरण के आन्दोलन से पता चलता है कि जिस प्रकार अंग्रेजी को श्रेष्ठ और विश्वस्तरीय भाषा मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं उसी तरह अंग्रेजी को नकारने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। फ्रांस, रशिया, जर्मन, पुर्तगाल, तुर्क जैसे कई भूभागों में अंग्रेजी का कोई मोह नहीं है। ब्रिटिश द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप के पश्चिम में आठ हजार वर्गमील क्षेत्र में बसने वाले सात लाख से अधिक वेल्स वासी अपने क्षेत्र पर अंग्रेजी के लगभग पांच सौ साल पुराने औपनिवेशिक दबदबे के बावजूद अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व की आकांक्षा और उसे प्रेरित करने वाली वेल्स मातृभाषा को अब तक नहीं भूल पाए हैं। उन्होंने वेल्स भाषा को अंग्रेजी के दबदबे को उसके धातक प्रभाव से पूरी तरह बचाए रखा है।

अंग्रेजी से अपनी मातृभाषा और उसकी परंपरा की सुरक्षा के लिए वेल्स वासियों ने कुछ अनुठे तौर-तरीके निकाले हैं। वेल्स में हर साल एक राष्ट्रव्यापी समारोह होता है जिसमें न केवल वहां के नागरिक भाग लेते हैं बल्कि विदेशों में रहने वाले वेल्स के अनेक मूल निवासियों का भी उसमें बहुत अधिक योगदान रहता है। इस महोत्सव में केवल वेल्स भाषा का ही प्रयोग होता है। समारोह में संगीत, काव्य और निबंध जैसी विधाओं की प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन होता है।

कुछ वर्ष पूर्व जब विदेशों से आए कुछ वेल्स प्रतिनिधियों ने समारोह में वेल्स भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी को भी चलाने की मांग की तो आयोजकों ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि यदि उनसे उनकी मातृभाषा भी छीन ली गई तो उनके पास अपना आखिर बचेगा क्या? इधर हम भारतवासी अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा, अपनी हिंदी पर अंग्रेजी थोपने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। वर्षभर अंग्रेजी की गुलामी करते हैं और एक माह में, पंद्रह दिन में यह हफ्ते भर में अपना हिंदी प्रेम उजागर कर देते हैं, राजभाषा मास, पंखवाड़ा या सप्ताह मनाकर। यह है हमारी भाषा के प्रति हमारी आस्था और लगन।

यदि आज ही यह संकल्प लिया जाए कि आगामी स्वतंत्रता दिवस से प्रशासन के कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग बन्द किया जाएगा। तो हम अपनी मानसिकता हिंदी के अनुरूप बना सकेंगे और यदि ऐसा हुआ तो एक किरण प्रस्फुटित होगी जिसका प्रकाश कालान्तर में देश भर में फैलेगा और देश में सर्वत्र हिंदी का बोलबाला होगा। हम तभी भाषाई स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। हमें उस दिन की प्रतीक्षा है। ■

सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में मूलभूत कठिनाईयां और उनका निदान

—डॉ. परमानन्द पांचाल*

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। सरकारी कार्यालयों में सारा कार्य अंग्रेजी में ही होता था। आम जनता की भाषा न उस समय अंग्रेजी थी और न आज है। अंग्रेजी साम्राज्य का अंग होने के कारण अंग्रेजी रोजगार के साथ जुड़ी थी। शासन पर अंग्रेजी का वर्चस्व था और समाज में अंग्रेजी जानने वालों को प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे उन्हें निम्न स्तर का माना जाता था। खेद है कि स्वतन्त्रता के बाद भी यह मनोवृत्ति नहीं बदल पाई है। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का समुचित रूप में प्रयोग न होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। हमें इस मनोवृत्ति को बदलना होगा। सामान्यतः आज भी यही धारणा पाई जाती है कि उच्च अधिकारी यदि अंग्रेजी में लिखते हैं तो उनका रोब-ताब निचले स्तर के कर्मचारियों पर रहता है। इसलिए अंग्रेजी बोलना और लिखना शान की बात मानी जाती है। इसे रोकने के लिए कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों में राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान की भावना का वातावरण बनाया जाए। हिंदी से सम्बंधित बैठकों के अतिरिक्त अन्य बैठकों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाए। विभागाध्यक्ष समय-समय पर कर्मचारियों को सम्बंधित करें तथा उन्हें हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें और उनका मनोबल बढ़ाएं।

प्रकृति का नियम है कि पानी ऊपर से नीचे को आता है, नीचे से ऊपर को नहीं। यदि हम चाहते हैं कि सरकार में हिंदी का प्रयोग बढ़े तो सबसे पहले उच्च अधिकारियों को ही पहल करनी होगी। उसी से नीचे के कर्मचारियों को भी हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इसी से कर्मचारियों में हिंदी के प्रति हीनता की भावना कम होगी। यदि ऊपर का अधिकारी एक भी पंक्ति हिंदी में लिखता है तो नीचे का कर्मचारी 10 लाईन हिंदी में लिखेगा और गौरव का अनुभव करेगा तथा हिंदी लोकप्रिय होती चली जाएगी। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन में भी इसकी सिफारिश की गई है।

कार्यालयों में हिंदी का अपेक्षित प्रयोग न बढ़ने का एक कारण यह है कि सभी कर्मचारियों को हिंदी का समुचित ज्ञान नहीं होता। भारत एक विशाल देश है और देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग केंद्रीय सरकार की सेवा में आते हैं। केंद्रीय सरकार की सेवा में भर्ती के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य नहीं है हाँ, किसी स्तर पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अवश्य अनिवार्य है। फिर भी उसे सेवाकाल में हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस ज्ञान का समुचित लाभ नहीं उठाया जाता। यह देखने में आया है कि हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त करना मात्र औपचारिकता और प्रलोभन रह गया है। व्यावहारिक रूप में उसके हिंदी ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। हमें इस ओर ध्यान देना होगा, जिससे उनका अभ्यास बना रहे। केवल पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि के लिए ही हिंदी का प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को इन पदों और स्थानों पर तैनात किया जाए जहाँ हिंदी में काम होता हो। होता क्या है कि बहुधा ऐसे नव प्रशिक्षित आशुलिपिकों और टंककों को ऐसे अधिकारियों के साथ लगा दिया जाता है, जहाँ हिंदी में काम ही नहीं हो रहा होता है। इससे उसका अभ्यास रुक जाता है और प्रशिक्षण का कोई लाभ नहीं होता। यह भी देखने में आया है कि जो अधिकारी हिंदी में काम करना चाहते हैं, उसे हिंदी आशुलिपिक ही नहीं मिल पाता। इसके लिए प्रबंधन में कुशलता की बड़ी आवश्यकता है। हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन योजना के साथ-साथ प्राप्त ज्ञान के समुचित उपयोग की भी आवश्यकता है।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों और निगमों आदि में व्यावसायिक प्रशिक्षण का माध्यम मुख्यतः हिंदी ही होना चाहिए। इससे प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में अधिक सुविधा होगी। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री और कार्यविधि साहित्य भी हिंदी में ही तैयार किया जाए। समय-समय पर उनके ज्ञान को नवीनतम करने के लिए हिंदी के पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम भी चलाए जाएं। इसके साथ ही संबंधित कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले मानक मसौदों

*232 ए, पॉकेट-1, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091

के हिंदी रूपांतर भी प्रत्येक अनुभाग में उपलब्ध कराए जाएं ताकि इनके आधार पर मूल रूप से हिंदी में मसौदा तैयार करने में सहायता मिले और अनुवाद का सहारा न लेना पड़े।

सरकारी कार्यालयों में हिंदी के लोकप्रिय न होने का एक प्रमुख कारण हिंदी का स्वरूप भी है। हिंदी को राजभाषा बनाने समय हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी के स्वाभाविक गुणों पर गम्भीरता से विचार किया था। हिंदी को राजभाषा इसलिए नहीं बनाया गया था कि वह देश की सबसे प्राचीन या समृद्ध भाषा है बल्कि इसलिए बनाया गया था कि यह भाषा देश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। भारत की कोई अन्य भाषा चाहे वह कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, यह कार्य नहीं कर सकती। इसलिए हिंदी सम्पर्क की दृष्टि से सबसे उपयुक्त भाषा है। सदियों से भारत संतों, सूफियों, महात्माओं और विचारकों ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए इसका प्रयोग किया है। गांधी जी ने कहा था, 'भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जन समूह आसानी से समझ लें'। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता में सहायक बताते हुए 'राष्ट्रभाषा' का नाम दिया था। संविधान में इसे ही भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

अब प्रश्न उठता है कि क्या हमने हिंदी को राजभाषा बनाने के बाद इसके स्वाभाविक गुणों को अक्षुण्ण रखते हुए सही कदम उठाए हैं? क्या कारण है कि आज केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर भी हिंदी में काम नहीं हो पा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में यही कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की 'राजभाषा' होगी।

पहले सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए थे कि भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए जटिल और बोझिल नहीं। बहुत दिनों बाद राजभाषा विभाग का ध्यान इस ओर गया और 17 मार्च, 1976 को जारी परिपत्र सं. 7/76 में निर्देश दिए गए कि सरकारी कार्यालयों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए। इस परिपत्र द्वारा सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए, लोगों के मन से इस भ्रम को दूर करने का प्रयत्न किया गया कि क्या सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी होती है।

इस परिपत्र में सरल भाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि लिखते वक्त हिंदी लिखने की कोशिश करें, न तो संस्कृत और न देवनागरी लिपि में अंग्रेजी ही। यह ठीक नहीं होगा कि यह संस्कृत के दुरुह समस्त पदों की लड़ी हो या अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद मात्र। अंग्रेजी

में मसौदा लिखकर उसका हिंदी में अनुवाद करने के बजाय मसौदा मूल रूप से हिंदी में तैयार किया जाए और वह भी हिंदी की प्रकृति के अनुसार। जहाँ तक तकनीकी शब्दों का संबंध है, आधुनिक यंत्रों, तरह-तरह के पुर्जों के जो अंग्रेजी नाम प्रचलित हैं उनका कृत्रिम अनुवाद करने की बजाय मूलरूप में देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में होगा। हमें समास युक्त शब्दों से बचना चाहिए।

कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि हिंदी परिपत्रों और फार्मों की भाषा समझ में नहीं आती और अंग्रेजी पाठ को पढ़ना पड़ता है। फिर ये हिंदी में जारी आदेश किसके लिए हैं? होना यह चाहिए कि जिसे अंग्रेजी न समझ आए उसे हिंदी में पढ़ लें। आज हिंदी अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है जो सामान्य पाठकों के लिए दुरूह और क्लिष्ट होती जा रही है, इससे हिंदी की सार्थकता और उसका उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है।

संक्षेप में, हमें सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सभी हिंदी की ओर आकृष्ट हों और इसकी लोकप्रियता बढ़े। कई बार हम चाहते हुए भी हिंदी टिप्पणी लिखने में इसलिए संकोच करते हैं कि कहीं शब्दों की वर्तनी गलत न हो जाए और उससे हीनता का शिकार होना पड़े। इसलिए परिचित और सरल शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। लिखने में झिझक न करें। प्रयोग से स्वतः ही अभ्यास हो जाएगा।

सामान्यतः सरकारी कार्यालयों में हिंदी के अपेक्षित रूप में न बढ़ने का यह भी एक कारण है कि हम समझते हैं कि हिंदी में काम करना तो हिंदी अनुभाग का काम है। यह एक भ्रांति है। इसीलिए तो हिंदी अनुवाद की भाषा बनी हुई है। जब तब प्रत्येक अधिकारी अपने को हिंदी अधिकारी नहीं समझेगा, हिंदी में मूल लेखन नहीं होगा। हिंदी अनुभाग तो केवल सहायता के लिए हैं, मूल रूप से टिप्पणियाँ और आलेखन तो संबंधित अनुभागों और अधिकारियों को ही करना है। अतः जब तक फाइलों पर मूल लेखन हिंदी में नहीं होगा, हिंदी सही अर्थों में राजभाषा नहीं बन सकेगी। यह जिम्मेदारी सभी को उठानी पड़ेगी क्योंकि हिंदी का प्रयोग हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है।

सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी कार्य-विधि साहित्य, मैनुअल, कोड और नियमावलियाँ द्विभाषिक रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। यह नहीं कि ये नियमावलियाँ आदि हिंदी और अंग्रेजी में अलग-अलग प्रतियों में प्रकाशित हों, बल्कि diglot रूप (अंग्रेजी हिंदी

साथ-साथ) में हों। नहीं तो हिंदी में टिप्पणियां लिखने में सहायता नहीं मिलेगी। देखने में आया है कि कुछ प्राइवेट प्रकाशन केवल अंग्रेजी में ही विभिन्न नियमावलियां प्रकाशित कर देते हैं, जो सरकारी कार्यालयों और पुस्तकालयों में खरीद ली जाती हैं। इससे हिंदी में कार्य करने में कोई सहायता नहीं मिलती। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी हिंदी में कार्य करना भी चाहता है वह भी नहीं कर सकता। अतः कार्य-विधि साहित्य केवल अंग्रेजी में ही नहीं खरीदा जाए। इस प्रकार के आदेश सरकार की ओर से जारी किए जाने चाहिए।

केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जांच (Check Points) बिंदुओं की व्यवस्था है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्य के प्रशासनिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा नियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जिससे कि सामान्य आदेश आदि द्विभाषिक रूप में जारी होना और 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के राज्यों को हिंदी में पत्र भेजा जाना, रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट और साइन बोर्ड आदि द्विभाषिक रूप में बनाया जाना सुनिश्चित हो सके। पत्रों को राजभाषा नियमों के अनुसार भेजे जाने की जिम्मेदारी पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है। यदि इस बारे में कोई चूक हो जाए तो उपर्युक्त जांच बिंदु का जिम्मेदार व्यक्ति उक्त अधिकारी का ध्यान उस चूक की ओर आकर्षित करे।

जिन कर्मचारियों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित किया जा चुका है, वहाँ नियम 8 (4) के अधीन कुछ अनुभागों को पूर्णतः हिंदी में काम करने के लिए चुना जाए। धीरे-धीरे ऐसे अनुभागों की संख्या बढ़ाते रहना चाहिए जिससे कि सम्पूर्ण कार्यालय को ही कालान्तर में हिंदी में काम करने के लिए सक्षम कार्यालय बनाया जा सके। सभी कार्यालयों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना चाहिए। केवल हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों के आंकड़े उपलब्ध कराने मात्र से काम नहीं चलेगा। हिंदी तो निरन्तर उसका प्रयोग बढ़ाने से ही बढ़ेगी।

हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करते रहना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम अधिकारी वर्ग की कार्यशालाएं चलाई जाएं, जिससे कि वे हिंदी के महत्व को समझें और यह समझ सकें कि हिंदी में काम करना कितना सरल है। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों

को प्रोत्साहन मिलेगा। जिन अनुभागों को पूर्णतया हिंदी में काम करने के लिए चुना गया है, वहाँ यह कार्यशाला उसी अनुभाग में लगाई जाए और अनुभाग में कर्मचारियों को अपना-अपना काम हिंदी में करने को कहा जाए और वहीं पर उनकी कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न किया जाए। यह एक सफल विधि है जिस पर पुस्तक के लेखक द्वारा प्रयोग करके देखा जा चुका है।

अंतिम बात यह है कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं वह सूचना और कंप्यूटर का युग है। प्रगति की इस दौड़ में हिंदी भी पीछे क्यों रहे? आमतौर से यह भ्रम फैलाया जाता है कि अब कंप्यूटर के आने से हिंदी बेमायने हो गई है। सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती। उससे जिस भाषा में चाहो काम ले सकते हो। यह भ्रम इसलिए अधिक है क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर का पदार्पण अंग्रेजी के माध्यम से हुआ। आज हिंदी में कार्य करने के लिए कंप्यूटर पर प्रायः सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 'शब्द संसाधन' और 'डाटा संसाधन' की सुविधाएं मौजूद हैं, जिनसे द्विभाषिक रूप में कार्य किया जा सकता है। हिंदी में ई-मेल की सुविधा भी उपलब्ध है। 'सी-डेक' और 'सॉफ्टेक लि.' के सहयोग से इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा नई इंटरनेट वेबसाइट लांच की गई है। 'वर्ड-प्रोसेसिंग' प्रकाशन और संदेश तैयार करने के अलावा मल्टीपल-फांट्स की-बोर्ड ड्राइवर्स जैसे प्रयोग भी हो रहे हैं। एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सेवा उपलब्ध कराने वाला द्विभाषी इंटरनेट भी विकसित कर लिया है। इस प्रकार नवीनतम इलैक्ट्रॉनिकी दौड़ में हिंदी पीछे नहीं है। यदि पीछे है तो इनके प्रयोग की हमारी मनोवृत्ति, जिसे बदलना होगा। जब उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिकी यांत्रिक सुविधाओं का उपयोग ही नहीं होगा, तो इनका हिंदी के लिए विकास ही कैसे हो सकेगा? कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर कंपनियां तो अपनी वाणिज्यिक संभावनाओं के आकलन से ही तो उत्पाद बढ़ाती हैं। हमें इनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हिंदी विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की राजभाषा है और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा है।

अतः हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी में उपलब्ध कंप्यूटर तथा नवीनतम यांत्रिक सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए जिससे कि हिंदी प्रगति की दौड़ में पीछे न रह जाए और उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाए।

भूमण्डलीकरण के युग में हिंदी

—वीरेन्द्र कुमार यादव*

सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, विदेश मंत्रालय

भाषा मनुष्य की भावात्मक अभिव्यक्ति का साधन है और क्योंकि इसका संबंध भावना से है तो यह एक संवेदनशील मुद्दा भी है। भाषा की नियति उसके बोलने वालों के साथ जुड़ी होती है। जहां तक हिंदी भाषा की नियति और विकास का सवाल है तो यह एक विडम्बना ही है कि यद्यपि विश्व में इसके बोलने वालों की संख्या 70 करोड़ है फिर भी शायद किसी भी देश में भाषा को लेकर इतना विवाद नहीं होगा जितना कि भारत में हिंदी को लेकर। लेकिन इतने विवादों के बावजूद भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति कभी रुकी नहीं। कारण यह हमारी जन भाषा रही है।

हिंदी को यदि हम भौगोलिक सीमाओं से निकाल कर, विश्व पटल पर रख कर देखें तो पाएंगे कि समस्त विवादों से घिरे होने के बावजूद हिंदी आज विश्व की प्रधान महत्वपूर्ण भाषाओं में है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भूमण्डलीकरण के इस युग में विश्व की कई भाषाओं पर निरंतर दबाव पड़ रहा है और इसमें से कई धीरे-धीरे लुप्त भी होती जा रही हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। पर इस संदर्भ में हिंदी का अस्तित्व संकट में नहीं है। इस बात की पुष्टि हाल ही में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित ATLAS OF LANGUAGE IN DANGER OF DISAPPEARING में लेखक स्टीफन वूर्म ने भी इन शब्दों में की है—“In the Indian sub-continent, relatively few languages are in danger of disappearing in spite of the multiplicity of languages there. The reason for their active maintenance is the presence of very wide spread egalitarian bi-and multi lingualism there. The languages which do appear to be in danger of disappearing are tribal and rather relatively small languages which are losing speakers to the various large lingua franca in the Indian sub-continent” (भारतीय उपमहाद्वीप में कई भाषाओं की मौजूदगी के बावजूद अपेक्षाकृत कुछ ही भाषाओं के लुप्त होने की

आशंका है। इसका कारण यहां भाषाओं के प्रति समानतावादी दृष्टिकोण रखने वाले द्विभाषीय और बहुभाषीय लोगों की उपस्थिति है। जिन भाषाओं के लुप्त होने की आशंका है वे जनजातीय और दूसरी अन्य बोलियां हैं, जिनको बोलने वाले लोगों का रुझान भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी बड़ी और प्रमुख बोलियों की ओर होता जा रहा है।)

हिंदी के अस्तित्व के प्रति इस आश्वस्तता के बावजूद इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हिंदी भाषा पर निरंतर एक दबाव बना हुआ है और दिन-प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ रही हैं। हिंदी भाषा और लक्षित इस संकट से उबरने के लिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में जरूरी कदम उठाए जाएं। व्यापारी जगत की भाषा के रूप में हिंदी का विस्तार हो और सूचना क्रांति में वह अन्य भाषाओं के समकक्ष खड़ी हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हिंदी की संभावनाओं को आधुनातन परिप्रेक्ष्य में विकसित किया जाए और हिंदी के विश्वव्यापी प्रसार और प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का हल खोजा जाए।

हिंदी के विषय में एक रोचक तथ्य यह है कि हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सबसे पहले विदेशी विद्वानों ने ही किया। इसी प्रकार हिंदी भाषा के अध्ययन और व्याकरण लेखन की परंपरा भी विदेशी विद्वानों द्वारा ही शुरू की गई। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जान जोशुओं केटलियर ने लिखा, जो डच दूत बनकर भारत आए थे। हिंदी भाषा, साहित्य तथा व्याकरण के बारे में विस्तृत सूचनाएं देने वाला प्रथम ग्रंथ 1773 में लंदन से प्रकाशित हुआ। यह जान फर्गुसन की हिंदुस्तानी डिक्शनरी थी। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी को देश की सर्व प्रचलित भाषा बताया है, जिसे शिक्षित, अशिक्षित, हिंदी, मुसलमान, शहरी तथा ग्रामीण सभी बोलते हैं तथा जो विदेशियों के लिए भी उपयोग संपर्क भाषा है।

*153, एम आई जी, लाहिया नगर, कंकड़ बाग, पटना-800020

विदेशों में हिंदी शिक्षण का कार्य सबसे पहले मिशनरियों द्वारा शुरू किया गया था, जिनका उद्देश्य भारतीयों का धर्म परिवर्तन था। मिशनरियों ने इन प्रवासी भारतीयों को हिंदी सिखाई और हिंदी में अनुदित बाइबल पढ़ना सिखाया। इनके द्वारा ऐसी पाठ्य पुस्तकें और तैयार की गईं, जिनका उद्देश्य भाषा के प्रचार के साथ धर्म का प्रसार भी था। यद्यपि आर्य समाज और सनातन धर्म सभा ने इसके विरोध में सनातनी शिक्षक नियुक्त किए तथापि विदेशों में हिंदी के प्रचार और प्रसार में इन मिशनरियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश में हिंदी शिक्षण का काम सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त आर्य समाज जैसी संस्थाएं आज भी बड़े स्तर पर चला रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत ने निश्चित रूप से अपना एक स्थान बनाया है और उसकी इस विश्व प्रतिष्ठा में, विश्व में फैले प्रवासी भारतीयों की एक अहम भूमिका है। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों की एक अहम भूमिका है। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज विदेशों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन वहां के प्रमुख विश्वविद्यालयों में हो रहा है। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान में हिंदी का अध्ययन प्रारंभिक स्तर से लेकर शोध स्तर तक होता रहा है और विदेशों में भी आज हिंदी का स्तरीय साहित्य रचा जा रहा है। फीजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका में हिंदी केवल भारतीयों के बीच ही नहीं बल्कि इन देशों के मूल निवासियों के बीच भी समझी और बोली जाती है। फीजी में तो हिंदी को संवैधानिक संसदीय मान्यता भी प्राप्त है। विदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं का अध्ययन अठारहवीं शती के उत्तरार्ध में ही प्रारंभ हो गया था। किंतु यह मुख्यतः संस्कृत में था। विलियम जॉस, श्लेगल, मैक्समूलर आदि जैसे विद्वानों ने विश्व को संस्कृत भाषा के साहित्य से परिचित कराया। आज विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा उच्च अध्ययन संस्थानों में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान की व्यवस्था है। मॉरिशस और फीजी के अतिरिक्त अमेरिका तथा कनाडा में आज हिंदी का अध्ययन और अध्यापन सबसे व्यापक स्तर पर हो रहा है। विश्व के सभी महाद्वीपों और लगभग सभी देशों में हिंदी का प्रसार हो चुका है। इसका भूविस्तार सबसे अधिक है और यह अंग्रेजी के समकक्ष ही भारत की प्रधान भाषाओं में से एक है। भारत के बाहर नेपाल, सूरीनाम, बर्मा, पाकिस्तान,

फीजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे लाखों प्रवासी भारतीय मातृभाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं।

विश्व की भाषाओं के सर्वेक्षण यह बताते हैं कि प्रधान यूरोपीय भाषाओं में अंग्रेजी, जर्मनी तथा फ्रांसीसी भाषाओं के बोलने वाले लोगों के प्रतिशत में पिछले तीन दशकों में निरंतर गिरावट आई है और अरबी तथा हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत बढ़ा है। यह सही है कि आज भी अंग्रेजी भारत में प्रतिष्ठित वर्ग के मध्य देश की संपर्क भाषा है किंतु जन भाषा और व्यापक उपभोक्ता जगत तक पहुंचने का एकमात्र साधन हिंदी ही है।

विश्व भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण राष्ट्रीय महत्व का विषय है इसलिए यह जरूरी है कि विदेश में हिंदी शिक्षण का मूल्यांकन समय-समय पर होता रहे और विदेशियों के लिए हिंदी भाषा के ऐसे पाठ्यक्रम उपलब्ध हों जिससे वे चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग को समझने और व्यवहारिकता में लाने की अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर सकें। अध्ययन और अनुसंधान की दिशा में प्रगति के लिए अधुनातन संदर्भ ग्रंथों का निर्माण समय की मांग है। हिंदी आज निश्चित रूप से जन-भाषा के रूप में लोकप्रिय है लेकिन इसके विश्वव्यापी प्रसार के लिए यह भी जरूरी है कि हम भाषा वैज्ञानिकों, भाषा शास्त्रियों आदि की मदद से द्विभाषी कोष ग्रंथ और तकनीकी साहित्य का निर्माण कर हिंदी को साहित्यिक भाषा के दायरे से बाहर निकालें और इसे विश्व भाषा के रूप में जीवित रखें।

भूमण्डलीकरण के इस युग में जब देशों की भौगोलिक दूरियां मिटती जा रही हैं समय और गति महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, बाजार भाषा, व्यापार जगत का मापदण्ड होता जा रहा है तो ऐसे में हिंदी को इन चुनौतियों का सामना करके वास्तविकता से जूझना है और केवल जनभाषा के रूप में ही नहीं बल्कि बाजार भाषा के रूप में भी अपने को स्थापित और सिद्ध करना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी आज विश्व की प्रधान भाषाओं में से एक है और इसका भूमण्डलीकरण भी हो चुका है पर बावजूद इसके वह जरूरी है कि वह अपनी कमियों को समझे, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सार्थक योजनाएं बनाएं और भूमण्डलीकरण के वर्तमान परिवेश में अपनी संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहें।

बैंकिंग व्यवसाय पर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का प्रभाव—“सच्चाई के दायरे में”

—हरिश्चन्द्र सागरमल अग्रवाल*

समूचे विश्व में आबादी की दृष्टि से द्वितीय क्रमांक के विशालकाय जनतंत्रीय भूखण्ड हिंदुस्तान में विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाओं में से एक देवनागरी बोली/भाषा को राजभाषा सर्वसम्मति से मनोनीत करके वैश्विक वित्तीय क्षितिज में मुक्त अर्थव्यवस्था/मुक्त ब्याज दर व्यवस्था के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित व आमंत्रित करके विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी की प्रयुक्तता से ओतप्रोत वर्तमान घड़ी में बैंकिंग व्यवसाय में उत्पादकता, कार्यक्षमता और लाभप्रदता सर्वोपरि हो गई है।

अधिकांश भारतीयों की जुबाँ पर स्वमेव बोलने में सरल तथा सीधी देवनागरी बोली को राजभाषा मनोनीत करने से क्या प्रतीत होता है? यही कि यह भाषा अन्य सभी भाषाओं पर राज कर रही है या सभी भाषाओं में राजा बोली है किंतु देश तो बहुभाषी है; एक भाषा समूचे देश में प्रयोग में लाना कठिन और मुश्किल था इसलिए राजभाषा अधिनियम 1963 के पश्चात् अनेक विवादों का उद्भव हुआ जिनके निवारणार्थ केंद्र सरकार द्वारा उस अधिनियम की धारा 8 में दिए अधिकार का प्रयोग करते हुए 1976 में राजभाषा नियमों का चयन हुआ जो तामिलनाडु को छोड़कर सारे देश में लागू किए गए। नियम 2 में केंद्र सरकार के कार्यालयों, कर्मचारी आदि पदों की व्याख्या की गई है। 1976 के नियमों के चयन, उन्नयन व क्रियान्वयन के बाद बैंकों की गणना सरकार के कार्यालयों में होने लगी है और बैंकों के कर्मचारी इस प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार के कर्मचारी मान लिए गए हैं। इस नियम से सारे देश को तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है। क्षेत्र 'क' को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन स्थानों पर हिंदी अधिकांशतः बोली और समझी जाती है। 'ग' क्षेत्र में वे सभी राज्य और सब-राज्य आते हैं जो 'क' और 'ख' क्षेत्र

में नहीं आते। साथ ही आगे नियम 5 में स्पष्ट किया है कि किसी भी क्षेत्र में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिये जाएंगे।

राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्ति पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है और 'ख' क्षेत्र के सभी कार्यालयों एवम् शाखाओं में 50 प्रतिशत पत्र व्यवहार अपनी ओर से हिंदी में ही करना परमावश्यक है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्व. श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “भविष्य में अगर हम भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। यह अपेक्षाकृत आसान लिपि है और इसके होने से आदिम जनजातियाँ भी देश के निकट सम्पर्क में रहेगी” हिंदी के द्वारा ही सारे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। आज पहले से अधिक प्रमाण में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। बैंकों में भी पत्रव्यवहार हिंदी में बढ़ते पैमाने में करने के यथासम्भव प्रयास जारी हैं।

वर्तमान समाज संगठन में बैंके एक ऐसी संस्था के रूप में उभरकर सामने आई हैं जिसके बिना हम आधुनिक समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रत्येक देश की बैंकिंग प्रणाली उस देश की अर्थव्यवस्था के मार्ग दर्शन में बड़ी अहम् भूमिका अदा कर रही है लेकिन बैंकिंग प्रणाली की सफलता में भाषा का योगदान अति महत्वपूर्ण होना अपरिहार्य है क्योंकि तत्पर, उत्कृष्ट तथा सौहार्दपूर्ण ग्राहक सेवा का संपादन आज वांछित है क्योंकि बैंकिंग उद्योग में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भयंकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा व्याप्त हो चुकी है। प्रत्येक पहलू पर बैंकों में ग्राहकोन्मुखी सहज भाषा की प्रयुक्तता अत्यावश्यक बिंदु है जिसके बिना अपेक्षित लक्ष्य की लाभप्रदता/उत्पादकता कायम रखना कदापि सम्भव

*शिव कृपा भवन, शून खेड़े नगर, अबकी रोड, आकोला (विदर्भ) महाराष्ट्र-444002।

नहीं। भारतीय बैंकों में विशेषतया हिंदी का ही आग्रह है जिसे एक अनपढ़ लिख तो नहीं सकता परंतु सुनकर समझने में समर्थ होता है क्योंकि बैंकिंग सात लाख गांवों वाले विशालकाय हिंदुस्तान में वित्तीय समावेशन की विधा की सफलता का बीड़ा लिए हुए सर्वत्र फैलाई जा चुकी है। प्रत्येक समाज/संप्रदाय का प्रत्येक परिवार और व्यक्ति विशेष एवं महिला अब बैंकिंग से जुड़ चुका है एवं जुड़ना जारी है। अपनी आर्थिक गतिविधि में स्वावलम्बिता और स्वर्भरता का महत्व परिस्थितिवश हर एक जनमानस अब समझने लगा है एवम् इस दृष्टिकोण से बैंकिंग व्यवसाय पर निर्भरता उजागर कर रहा है। उसे यथोचित वित्तीय क्रियाकलापों का अनन्य स्रोत समझ रहा है। बैंक भी समाज के प्रत्येक घटक से सम्बंध सम्पर्क निर्माण करके अपने सामाजिक दायित्व को यथायोग्य निभा रही हैं। ग्रामीण व्यवसाय समूह, महिला बचत गट समूह, महिला गृहोद्योग संगठन, स्वयं सहायता समूह, लघु व मध्यम उद्योगकर्ताओं आदि का उन्नयन, क्रियान्वयन राष्ट्रीय भाषा में प्रेषित हेण्डआउटों/पाम्पलेटों द्वारा विज्ञापित एवम् प्रसारित करना बैंकों की गतिविधि का खास अंग बन गया है। संयोगवश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों के माध्यम से लगभग सभी स्तर की जनता अवगत होकर बैंकिंग व्यवसाय को प्रमुखा धरातल/मुख्य जीवनाधार की नींव मानती है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के निकट ऐतिहासिक पटल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 20वीं सदी के नौवें दशक तक तो अधिकांशतः केवल अंग्रेजी ही हावी रही। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी शक्ति, अपना आयाम तथा अपनी भाषा होती है। जो देश अपनी राष्ट्रभाषा नहीं रखे वह तो एक प्रकार से भाषायी गुलाम ही कहा जाए। यदि बैंक अपने कामकाज हिंदी में न करें तो बैंक भी भाषा के दृष्टिकोण से गुलाम कहे जाएँ। आजादी से पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था कि, “अंग्रेजी राजभाषा होने वाली हो तो मुठ्ठीभर लोगों का ही राज्य होगा।” यदि गांधीजी के इस कथन को बैंकों पर लागू किया जाए तो यह कहना असत्य न होगा कि बैंकों में यदि अंग्रेजी अपनाई जाए तो उसका कारोबार उतने अधिक लोगों के साथ नहीं होगा जितने अधिक लोगों के साथ हिंदी के कारोबार करने पर होगा। बैंकों में हिंदी का प्रयोग व काम दो स्तरों पर किया जाता है :-

(1) ग्राहकों के साथ बैंकों के अपने दैनिक व्यवहार।

(2) आंतरिक कामकाज में यद्यपि गत शताब्दी के नववें दशक तक बैंकों में पूर्णतः अंग्रेजी ही हावी रही लेकिन जैसे ही सदी के अंतिम दशक का प्रारम्भ हुआ अर्थात् 1991 में निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ व बैंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय माहौल का हुआ वैसे ही बैंकों में प्रतिस्पर्धा का स्तर अति भयंकर तथा व्यापक पैमाने का होने लगा। नए-नए आयामों/उत्पादों का विनिर्माण करके कुशल विपणन करना बैंकों में चुनौतिपूर्ण हो गया। व्याजाधारित आय के अतिरिक्त शुल्काधारित आय के स्रोतों पर विशेष ध्यान देना शुरू हो गया। मुक्त अर्थव्यवस्था में ग्राहक सम्पर्क/सम्बंध अधिक दृढ़ और स्थायी स्वरूप के बनाए रखना अपरिहार्य हो गया क्योंकि उसके पूर्व के 2 दशकों में अर्थात् राष्ट्रीयकरण 1969 से 1991 तक की व्यावसायिक यात्रा में सभी बैंकों की शाखाओं का विस्तार बेमिसाल हुआ। शाखाओं के साथ-साथ ग्राहक संख्या बढ़ना स्वयंसिद्ध है। वित्तीय समावेशनार्थ दूर-दराज के ऐसे दुर्लक्षित तथा सर्वतोमुखी पिछड़े ग्रामों में बैंक शाखाओं की शुरुआत होकर ग्रामीणों के सर्वांगीण विकासार्थ राष्ट्रीय नियोजनों/प्रयोजनों के ज़रिए उन्हें बैंकिंग सेवाओं की उनकी अपनी बोली व देवनागरी में यथायोग्य जानकारी उपलब्ध करवाना अत्यावश्यक हुआ। अतएव बैंकों में जनता के व्यवहार में आने वाले प्रायः सभी कार्य-विज्ञापन सामग्री, प्रकाशन, साईनबोर्ड, नामपट्ट, रबड़ मोहरें, आदि द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में उपलब्ध की गईं। आंतरिक कामकाज में हिंदी में प्रयोग के सम्बंध में बैंकों में पूर्ण-रूपेण जागरूकता पनपने लगी। पत्र व्यवहारों में हिंदी के प्रयोग के प्रयास शब्दकोषों के सहारे शनैः शनैः शुरू हुए।

राजभाषा के इस प्रकार के प्रगामी प्रयोग से बैंक व्यवसाय में अंग्रेलिखित स्वरूपों में प्रगति हुई :-

(1) निक्षेपों में वृद्धि-आम जनता द्वारा समझी जा सकने वाली बोली में बैंकों द्वारा छपवाए हुए पाम्पलेटों, सूचीकाडों, सूचना फलकों में भी प्रदर्शित जानकारी के आधार पर जनता स्वयंस्फूर्त होकर बैंकों में निक्षेप करने हेतु आतुर होती देखी गई। देश के सभी क्षेत्रों/राज्यों में अंशतः ऐसी जनता रही जो भाषायी कठिनाईयों और क्लिष्टता के कारण बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ने से वंचित रह गई थी। महाराष्ट्र में मराठवाडा विभाग एक ऐसा क्षेत्र देखने में आया

जहाँ की स्वानुभवकी घटित घटना का स्मरण होता है जिसका उल्लेख करना संयोगवश प्रासंगिक प्रतीत होता है। भारतीय स्टेट बैंक की एक ऐसे गाँव में स्थित शाखा जिसकी तहसील की जनसंख्या कम और गाँव की अधिक अर्थात् सात हजार जो कि इतना पिछड़ा हुआ कि उसमें डाकघर तथा प्रथमोपचार हेतु अस्पताल भी नहीं। एक दिन एक प्रौढ़ व्यक्ति सपत्नीकि बैंक शाखा में सिरपर एक गठरी लिए प्रविष्ट होकर प्रश्न करता है—हेच सरकारी मोठी बैंक होय काय ? प्रत्युत्तर में हाँ कहने पर उसने जिज्ञासा भरी निगाहों से दूसरा प्रश्न किया—आमुचे पैसे पोहोच देऊन तुम्हीं कोडे ठेवत असता ? वस्तुस्थिति समझकर उससे प्रतिप्रश्न किया कि—वह क्या चाहता है तथा कहाँ रहता है ? प्रत्युत्तर में उसने कहा कि आमुच्या कडे डाकेजनी व्हायची भिती असते और कुछ वर्षों पूर्व आपबीती डाकेजनी का उल्लेख भी रुंधेगले से किया। इसी तरह की कुछ बातें होने पर उन्हें भीतर ले जाकर बैंक शाखा के सुरक्षित कमरे में रखी सेफ दिखाई और सुरक्षा गार्ड से साक्षात्कार करवाया तो तत्काल ही उन दोनों ने अपनी गठरी में कई कपड़ों में लपेटे हुए 100 व 50 प्रतिवर्ग के नोटों के धागे से बंधे 20 रोल निकाले और भीतर बैठकर गिनवाए जो कि कुल 80000 रुपये थे। बैंक में फोटोग्राफर बुलवाकर जरूरी समूची कार्यवाई करके खाता खोलकर कुछ बचत खाते में और मियादी जमा में पैसा रखकर रसीद देवनागरी में लिख कर समझाकर दे दी। उसका व्यवसाय पशुपालन तथा पशुओं की खरीद-बिक्री का व्यापार था। (वह धनगर था) उसने केवल 3 महिने में अपने अन्य अनेक संबंधियों तथा सम्प्रदाय के लोगों के 11 खाते खुलवाकर आठ लाख सावधी जमा करवाए। यह सब भाषायी करामात थी। वित्तीय समावेशन के तहत इसी प्रकार से आर्थिक दशा में पिछड़े ग्रामीणों का बैंक से जुड़ना अन्य अनेक कार्यों तथा उद्देश्यों से सम्भव हुआ लेकिन उनकी अपनी भाषा में और हिंदी में कार्य करने के आश्वासन से ही।

(2) अग्रिमों में वृद्धि—बैंकों के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने से सापेक्षतया बैंकें अधिक अग्रिम देने में समर्थ हो सकी हैं। अग्रिमों का अधिकांश भाग ग्रामवासियों को अपने व्यवसाय वृद्धि व सिंचाई हेतु मिला है। “राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन” ने अपने एन.एस.एस. 59वे दौर के प्रतिवेदन में बताया है कि देश के 89.35 मिलीयन कृषक

परिवारों में से 43.42 मिलीयन ही (48.6 प्रतिशत) ही कर्जदार के रूप में प्रतिसूचित हैं। समग्र कृषि परिवारों में से एक हेक्टर या उससे भी कम खेती योग्य भूमि के स्वामी अर्थात् मुख्यतया सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या 66 प्रतिशत है। बैंकों में क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा में व्यवहार करने से आज भी विद्यमान जन सं. का जो बहुत बड़ा भाग संस्थागत क्षेत्र से बाहर है तथा सूदखोरों, महाजनों से ऊँची ब्याज दरों और शर्तों पर कर्ज लेकर अपने कृषि संबंधी उद्यमों का संचालन करते हुए शोषित होने को बाध्य है, मुक्त कराया जाना सम्भव हो रहा है। अतएव ग्राहकों को उचित मार्गदर्शन हिंदी में करवाना दोहरा लाभदायक है। बैंकों और देश दोनों के लिये।

(3) एन.पी.ए. में कमी—अंग्रेजी में एन.पी.ए. शब्द को अलाभकारी अस्तियाँ, अनुपयोग्य अस्तियाँ आदि कई नामों से परिभाषित किया जाता है। ऋणों की वसूली के संबंधों में बैंकों द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब एक निर्धारित समयावधि के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों से ब्याज राशि की कोई वसूली नहीं हो पाती है तो वे ऋण गैरनिष्पादक अस्तियों की श्रेणी में घोषित किए जाते हैं जिनके दुष्परिणामों की विश्लेषण चर्चा-परिचर्चा ग्राहकों की अपनी भाषा या देवनागरी में करने से परिणाम सापेक्षतया अनुकूल प्राप्त हुए और बैंक तथा ग्राहक दोनों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक दूरगामी अपेक्षित लाभ दृढ़ हुए। यह एकमात्र भाषा का ही चमत्कार साबित हुआ।

अनर्जक अस्तियाँ फिलहाल बैंकों की प्रमुख ज्वलन्त समस्या हैं जिसका घटते पैमाने का होना भी कुछ हद तक भाषाई परिवर्तन से साकार हुआ। ग्राहक की मानसिकता में इस प्रकार परिवर्तन लाया गया जिससे उन्हें अपने भूतकाल के आर्थिक कष्टों से बरी होकर ओर वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ी तक का बैंक का पक्का आधार मिलते रहने हेतु आत्मविश्वास दृढ़ हो गया। यह खड़ी बोली में समझाने से ही पूर्णतः सम्भव हुआ और हानि दर्शानेवाली बैंक शाखा लाभ दर्शाने में सक्षम हो सकी। जो अशोध्य ऋण राईट-ऑफ हो चुके थे वह भी वसूल होने लग गए। यह भाषाई जादू कारगर सिद्ध हुआ। स्वानुभव की एक घटना—भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा जो कि अत्यंत पिछड़े जिले (विदर्भ में) की रही, 5.92 लाख की हानि 31-3-95 को

समाप्त वर्ष में दर्शा रही थी। ऋणी लघुउद्यमी, एकात्मिक ग्रामीण विकास के लाभार्थी और कृषक तथा दुकानदार थे जो कि सब परिस्थितियों के दास थे। लाचार से थे, हताश भी। बैंक शाखा की अनर्जक अस्तियों को घटाने की मुहिम के मद्देनजर सभी से व्यक्तिगत भेंट करना दिनचर्या हो चुकी थी। जून 1995 से दिसम्बर 1995 तक। यह सत्य स्वानुभव है कि वे सभी ऋणी, उन्हें टूटी फूटी हिंदी में समझाने से कथित ऋण को अदा करने को उद्यत हुए और 31 मार्च, 1996 तक शाखा के अनर्जक ऋण 6 लाख रुपयों से कम हो गए। यह निस्संदेह भाषा का ही चमत्कार रहा। सभी ऋणी बैंक में इस बात से आश्वस्त किए गए कि उन्हें पुनर्वित्तीय सहायता दी जाएगी और दरअसल में वैसा किया भी गया किंतु वे सब लोग भाषा परिवर्तन से राजी किए गए। यथायोग्य ढंग से समझाए गए हिंदी में।

4. हिंदी में पत्र व्यवहार—वर्तमान घड़ी में बैंक ग्राहकों को सभी पत्र हिंदी में भेज रहा है जिससे वे पत्रों को स्वयं भलीभांति पढ़ व समझ सकते हैं। वे उनका उत्तर देने में भी अब समर्थ हैं। संक्षेप में निःसंदेह हिंदी के प्रयोग से बैंकों के कामकाज में एक अविस्मरणीय परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। हिंदी में संवाद-संप्रेषण अत्यंत अनुकूल फलदायी होता है।

5. ग्राहकों के लिए सर्वदृष्टि सहायक—हिंदी को कामकाज की भाषा बनाने से बैंकों के व्यवसाय में एक सुखकारी परिवर्तन हुआ है। ग्राहकों में अब अंग्रेजी भाषा न आने की भावना समाप्त होती जा रही है। वे अब बैंक कर्मियों को अच्छी तरह समझने में समर्थ हो सके हैं। बैंक से स्वयं को अतिनिकट सहायक, हितैषी और स्थायी स्वरूप के मददगार पा रहे हैं। यह सब सम्पर्क रूपी भाषा के परिवर्तन का ही चमत्कार है।

6. जनता का बैंक द्वारा आयोजित सामयिक सभाओं में सक्रिय भाग लेना—हिंदी का प्रगामी प्रयोग शुरू करने से ग्राहकों की मानसिकता बैंकों के प्रति परिवर्तित हो गई है। अब वे बैंक कर्मियों को विदेशी-भाषी के रूप में अलग न रखकर स्वयं के समान एक ही आईने में देखते हैं। ग्राहक उत्साहपूर्वक बैंक द्वारा आयोजित मासिक/त्रैमासिक समारोहों में भाग लेते हैं। उन्हें अब अभिव्यक्ति के लिए भाषा संबंधी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। वे अब

सच्चे अर्थों में बैंक को स्वयं का मित्र समझने लगे हैं। यह सब हिंदी भाषा के व्यापक प्रयोग से ही सम्भव हो रहा है।

7. ग्राहकों की संख्या में वृद्धि—बैंकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से ग्राहक संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। विशेषतः ग्रामों के ग्राहक बैंक से अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। भूतकाल में खास तौर पर राष्ट्रीयकरण के पूर्व तो बैंकों को केवल शहरी एवम् धनाढ्य व्यक्तियों की सुविधा हेतु ही समझा जाता था। किंतु वर्तमान में बैंकों के कुल ग्राहकों का एक बड़ा भाग ग्रामों से संबद्ध है। सभी ग्रामवासी किसी न किसी रूप से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे अब अपनी एकत्रित धनराशि को अधिक लाभप्रद योजनाओं में निवेश करना जान रहे हैं। यह सब सम्भव हो सका है भाषा परिवर्तन के कारण।

आज उदारीकरण, वैश्वीकरण के दौर में बैंक गलाकाट प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में चहुंमुखी प्रगति की दौड़ में अग्रणी रहना चाहते हैं। यथाशक्ति बढ़ते पैमाने की लाभप्रदता के मद्देनजर प्रौद्योगिकी अपनाने लग रहे हैं। लेकिन बैंकों जो गत दो दशकों से मशीनीकरण के जरिए स्वचालितता अपनाए हुए हैं हिंदी के प्रगामी प्रयोग से इस दशा में भी अछूती नहीं हैं। कंप्यूटरीकरण से आज वर्तमान घड़ी में कोर बैंकिंग, इंटरनेट बैंक जनित सेवाएं दे रहे हैं पर उनमें भी सॉफ्टवेयर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषी हैं। विशेषतया देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक जिसने प्रौद्योगिकी को सर्वप्रथम अपनाया था आज हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए अग्रणी है और कोर बैंकिंग में हिंदी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शुरू से ही प्रयासरत रहा है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में शुरू में तो अंग्रेजी भाषा को समझने की ही सुविधा थी। वह एक समस्या ही थी, जिसके समाधानार्थ सीडैक पुणे की सहायता से कंप्यूटर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो हिंदी में प्राप्त निर्देश अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित करता है और वांछित जानकारी अंग्रेजी भाषा में प्राप्त कर प्रयोगकर्ता को हिंदी में उपलब्ध करा देता है। इस सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण अंग है शब्कोश, जो हिंदी शब्द को अंग्रेजी में और अंग्रेजी शब्द को हिंदी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। बोर्ड द्वारा दिए गए हिंदी शब्दों को स्क्रीन पर परिवर्तित करने तथा प्राप्त हिंदी शब्दों को देखने, रिपोर्टों को हिंदी से परिवर्तित कर छापने के लिए इसकी फॉन्ट का प्रयोग किया

गया है। मेमोरी की समस्या डाटा-संग्रहण एक ही भाषा में करके हल की गई। कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वह तो सिर्फ एक तथा शून्य अर्थात् पॉजिटिव और निगेटिव क्रंट की भाषा समझता है।

बैंकिंग उद्योग में आंतरिक कामकाज में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की सफलता से प्रयोगिकता बढ़ाने हेतु प्रयासरत भारतीय स्टेट बैंक ने 2004 में अपनी चर्चगेट, मुंबई स्थित शाखा में कोर बैंकिंग समाधान में हिंदी की सुविधा का सफलतापूर्वक परीक्षण कर ही लिया। इस सुविधा में ग्राहक और कर्मचारी, शाखाओं में कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्यरत हैं और स्क्रीन पर हिंदी में काम स्पष्टतः कर रहे हैं इतना ही नहीं पास बुक तथा खाता विवरण हिंदी में मुद्रित कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक का यह अपनी तरह का अकेला और युगान्तरकारी कदम घोषित हुआ है दस हजार से भी अधिक शाखाओं वाले इस विशाल बैंक में ए.टी.एम. जिनकी संख्या भी पंद्रह हजार के लगभग है हिंदी का प्रयोग निर्बाधता से जारी है और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का सापेक्षिक परिणाम यह है कि प्रत्येक पहलू पर बैंक अग्रणी हैं। बढ़ते

पैमाने की ही पहल सभी चरणों पर है। अनर्जक अस्तियों का प्रमाण मात्र भारतीय स्टेट बैंक का 3.04 प्रतिशत ही 31-3-2008 का रहा है। एक समय था जब यह माना जा रहा था कि बैंकों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के चलते हिंदी पिछड़ जाएगी। पर प्रौद्योगिकी की चाल से चाल मिलाते हुए अधिकांश बैंकों ने वेबसाईट, ए.टी.एम. इंटरनेट, टेलीबैंकिंग जैसी सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में हिंदी माध्यम की सुविधा उपलब्ध करवा दी है।

बैंक में हिंदी माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्यों में उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करने की आजादी प्रदान करना है। प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के चलते अपने ग्राहकों से दूर होने के खतरे से बचाने और मशीन और मानव के बीच स्वस्थ संतुलन स्थापित करने में हिंदी और अन्य भाषाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। वह दिन ऐतिहासिक था जब भारत स्वतंत्र हुआ था, वह दिन महत्वपूर्ण था जब भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई, वह गौरवपूर्ण दिन होगा जब समूचे देश का सारा काम राजभाषा में ही होगा। ■

लेखक कृपया ध्यान दें

‘राजभाषा भारती’ में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख ए-4 आकार के कागज पर टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः तीन हजार शब्दों से अधिक का न हो। कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें।

कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें :—

संपादक/उप संपादक

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

कमरा सं. ए-4, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

मेरी भाषा है हिंदी

—कैप्टन पबित्र कुमार बरूआ*

पिछले एक दशक में कुछ अधिक अवधि में हिंदी भाषा के प्रयोग में बहुत उन्नति हुई है। आज भाषा के रूप में हिंदी की बहुत अधिक मांग है। हम किसी भी कार्य-क्षेत्र को देखें, चाहे वो Electronic Media हो या Print Media लगभग 15 वर्ष पूर्व हिंदी एक ऐसी भाषा मानी जाती थी जो आमतौर पर लोग बोलते थे या मध्य वर्ग के लोग बोलते थे परन्तु आज हिंदी 'कुल' भारत की Preferred भाषा है। पिछले 15 वर्षों में हिंदी भाषा का आत्मविश्वास का स्तर (Confidence Graph) बहुत बढ़ गया। एक वो भी समय था जब दिल्ली अथवा मुंबई के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा आम व्यक्ति हिंदी बोलते हुए हिचकिचाता था। उस समय हिंदी एक ऐसी भाषा मानी जाती थी जो केवल घर की नौकरानी के साथ अथवा बाजार में सब्जी खरीदते समय बोली जाती थी। कैसी विडम्बना अपनी मातृभाषा का प्रयोग कब और किसके साथ करते थे। आज इसी भाषा की इतनी मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी में स्नातक की पढ़ाई हेतु प्रति वर्ष दाखिले के लिए अंक का स्तर ऊपर जा रहा है। ये हिंदी की लोकप्रियता का प्रतीक है। आज हिंदी के विकास का श्रेय सर्वाधिक Electronic Media को जाता है।

कुछ वर्ष पूर्व तक टेलिविजन पर गिने-चुने चैनल दिखाई देते थे जिनमें अधिकतर अंग्रेजी के होते थे और अब देखिए, हिंदी के चैनल कितने अधिक हैं और जल्दी से बढ़ भी रहे हैं और इसी के साथ उन लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है जो हिंदी में बोल सकते हैं अथवा प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मांग हिंदी में समाचार पढ़ने के लिए, हिंदी संवाददाता के रूप में समाचार भेजने के लिए तथा टी.वी. पर दिखाई जाने वाली हिंदी के विभिन्न धारावाहिकों में अभिनय करने के लिए हो रही है। मीडिया के इस विस्फोट से पहले

एक और घटना घटी थी जिसने हिंदी के उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया। यह था पिछले दशक में आरम्भ हुआ आर्थिक स्वतंत्रता जो छोटे शहरों को बहुत जल्दी और अधिक छू गया। छोटे शहरों में रहने वाले मध्य-वर्गी परिवारों में खुशहाली का बहाव बहुत तेजी से हुआ। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे सामने एक बहुत 'बड़ा बाजार' है और जब 'बाजार' बड़ा होता है तो उस 'बाजार' हेतु एक ऐसी कड़ी की आवश्यकता होती है जो उस 'बाजार' के सभी लोगों को आपस में बांधे और वो कड़ी होती है भाषा। ऐसी स्थिति में मांग होती है कि "अगर आप मुझे कुछ बेचना चाहते हैं तो उसे मेरी भाषा में ही बेचें और यहां मेरी भाषा है हिंदी। इसका नतीजा यह हुआ कि जो मध्यवर्गी लोग छोटे शहरों में रहते हैं, उनकी पहचान होने लगी हिंदी भाषा के माध्यम से। इसके चलते इन हिंदी भाषी लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई, उनमें एक आत्मविश्वास जागा। ऐसी स्थिति में हर किसी को अपनी भाषा पर गर्व होता है। अपनी भाषा पर गर्व करने का अर्थ है अपनी संस्कृति पर गर्व। इस बदलती स्थिति में हिंदी ने अपनी पहचान को बनाए रखते हुए अपने को इस बदले हुए ढांचे में ढाल दिया। अभूतपूर्व।

प्रत्येक समाज में अपनी भाषा के दो रूप प्रचलित होते हैं—पहला जो साहित्य में पाया जाता है तथा दूसरा जनसाधारण की बोलचाल वाला। साहित्य की भाषा केवल शिक्षितों तक सीमित रहने के कारण समाज के जनसाधारण की भाषा नहीं होती। परन्तु हिंदी भाषा का कमाल देखें—अपने आप को हिंदी साहित्य में भी पिरोया और जनसाधारण की भाषा भी बनी रही। क्षेत्रीय साहित्य में जब कभी भी हिंदी का प्रयोग किया गया, वहां हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा का संगम तो हुआ परन्तु हिंदी भाषा ने अपनी पहचान बनाई रखी।

*उपनिदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, 5, मीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, होज खास, नई दिल्ली-110016

जैसे-जैसे मानव सभ्यता उन्नति तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर होती गई, विश्व सिमटता गया। विश्व के सभी छोटे और बड़े देशों ने प्रगति की दौड़ में अग्रसर होते हुए भी अपनी पहचान को बनाए रखा। विकास के लिए उन्होंने अन्य देशों के साथ संपर्क बनाए रखा। इस प्रक्रिया में उनकी भाषाओं का क्षेत्र भी बढ़ता गया। अब इस बढ़ते क्षेत्रफल को अपने देश को ध्यान में रखते हुए देखें तो हिंदी भाषा का फैलाव बहुत अधिक नजर आएगा। हमारे देश में पिछले दो दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में इतनी तरक्की हुई है कि अब हमारे देश में विभिन्न प्रांत, राज्यों का समूह एक संयुक्त परिवार सा लगता है। अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में अगल-अलग कार्य हेतु आ-जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? वे एक ही भाषा बोल रहे हैं और वो है हिंदी भाषा। हिंदी हमारे देश के विभिन्न समाज तथा भाषाओं की कड़ियों को जोड़ रही है। मैं यहां अपने ही परिवार का उदाहरण देना चाहूंगा। हम असम राज्य के असमिया हैं। मेरे स्वर्गीय पिताश्री अपने विवाह के बाद मेरी माताश्री को लेकर, जीवन निर्वाह के लिए मुंबई आए। मेरी माताश्री एक संयुक्त परिवार से थी जिन्होंने अधिक शिक्षा ग्रहण नहीं की और ना ही अपने घर के दहलीज के बाहर पैर रखा। अब ऐसी एक महिला की मुंबई जैसे शहर में अपने आपको पाकर क्या स्थिति हुई होगी? हिंदी भाषा (बोलचाल वाली) सीखनी पड़ी जिसमें थोड़ी मराठी भाषा का मिश्रण भी था। मुंबई में मेरा और मेरे भाई का जन्म हुआ। कुछ वर्षों के बाद हम दिल्ली आ गए। यहां वातावरण एकदम अलग था। होनी को कौन टाल सकता था। दिल्ली में हमारे निकटतम पड़ोसी एक तमिल परिवार था। क्या स्थिति थी—एक असमिया परिवार मुंबई से दिल्ली आता है और रहने लगता है एक तमिल परिवार का पड़ोसी बनकर। दो परिवारों के बीच तीन भाषाएँ—असमिया, मराठी तथा तमिल। ये दोनों परिवार एक साथ कम से कम दस साल दिल्ली में रहे और दोनों परिवारों को जोड़ा हिंदी ने। मेरी माताश्री ने, जो शायद ही स्कूल गई थी, बच्चों की मशहूर हिंदी पत्रिका 'चन्दामामा' पढ़कर हिंदी लिखना और बोलना सीखा। आज भी अपने बेटों के साथ वे हिंदी में ही पत्र-व्यवहार करती हैं।

अंग्रेजों ने भारत में अपने शासनकाल में हिंदी तथा मुसलमानों के बीच फूट डालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना को दबाने के लिए 'उर्दू' को 'हिंदुस्तानी' कहकर प्रोत्साहित किया। फोर्ट विलियम कालेज के हिंदुस्तानी विभाग में नियुक्त मुंशियों से तथाकथित हिंदोस्तानी में पुस्तकें लिखवाई गई। अंग्रेजों की इस दुर्नीती के फलस्वरूप काशी नागरी प्रचारिणी सभा तथा प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। इससे हिंदी और उर्दू में विरोध होने लगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी ने हिंदी और उर्दू के बीच की भाषा को 'हिंदुस्तानी' कहकर प्रयोग के लिए संयुक्त किया। इस पर भी हिंदी भाषा ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। 'हिंदी' शब्द फारसी भाषा का माना जाता है, जिसका अर्थ होता है 'भारतीय'। हिंदी को भाषा के रूप में पहले "जवान-ए-हिंद" कहा जाता था। बाद में हिंदी कहलाने लगी। हिंदी के वर्तमान रूप के विकास का एक कारण यह भी रहा कि भारत में कई भाषाएं और बोलियां प्रयुक्त होती हैं। इन भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले जब दूर शहरों में नौकरी करने लगे, तो संयुक्त परिवार टूटकर अलग-अलग होकर बसने लगे। ऐसी स्थिति में आपस की बोलचाल तथा सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित हिंदी ही काम आई। ऐसे परिवारों ने हिंदी को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि समृद्ध भी किया। हिंदी किसी स्थान या क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि सारे भारत की भाषा है। भारत की मौलिक एकता बनाए रखने वाली जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हिंदी को प्राप्त थी, वह और किसी भाषा को प्राप्त नहीं थी। अन्य भाषा-भाषी के लोगों ने दुःख-सुख में साथ देने वाले अपने पड़ोसी भाइयों की बोली (हिंदी) में साथ दिया और इस प्रकार हिंदी की व्यापकता बढ़ती गई। इस प्रकार हिंदी अपने मूल अर्थ के निकट पहुंचती गई और अंत में नियमित रूप से सन् 1949 ई. में, वह गणतन्त्र भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई।

कामायनी का सौंदर्य-दर्शन

—डॉ. मुक्ता*

पूर्व प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, भिवानी

प्रायः मानव मात्र के हृदय में सौंदर्यानुभूति होती है, परन्तु सहृदय कलाकार के हृदय में अनुभूति का प्रबल वेग हुआ करता है। चित्रकार इस अनुभूति को चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो कवि सुन्दर रसात्मक वाक्यों द्वारा, जिसे काव्य की संज्ञा दी जाती है। कलाकारों की इस अभियोजना पद्धति को सौंदर्य-विधान कहते हैं।

इस आधार पर नारी सौंदर्य के लिए शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, विलास, धैर्य, प्रगल्भता, औदार्य आदि गुणों को आवश्यक तत्वों के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार पुरुष के सौंदर्य विधान में शोभा, विलास, गांभीर्य, धैर्य, तेज, लालित्य, औदार्य आदि गुणों को परिगमित किया जाता है। काव्य में सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं—आंतरिक और बाह्य। काव्य के मूल में उसके अंगों का संगठन, थोड़े में बहुत आदि को लिया जाता है। आंतरिक सौंदर्य-विधान में भावचित्रण पर बल देते हुए नवरसों की सिद्धि की गई है तथा बाह्य सौंदर्य-विधान में अन्विति, सामंजस्य, सुडौलपन, अंगों का व्यवस्थित अनुपात, वर्णदीप्ति मूलतः आदि से लेकर विशिष्टता, कल्पना, अभिव्यञ्जना आदि को लिया जाता है।

सामान्यतः सौंदर्य-विधान के तीन रूप हैं—1. रूप-सौंदर्य विधान 2. भाव-सौंदर्य विधान 3. कर्म-सौंदर्य विधान। रूप-सौंदर्य विधान में कवि का ध्यान शारीरिक सौंदर्य, भाव सौंदर्य में आंतरिक सौंदर्य और कर्म सौंदर्य में उसके उदात्त कर्मों की ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसमें शारीरिक सौंदर्य के व्यापारों का भी उल्लेख रहता है।

सौंदर्य चित्रण के आधार पर जब हम कामायनी का अनुशीलन करते हैं तो स्पष्टतः पता चलता है कि सौंदर्य प्रेमी जयशंकर प्रसाद ने उक्त उपकरणों के आधार पर ही नूतन शैली में अद्वितीय सौंदर्य चित्रण किया है जिसे अनिन्द्य कहा जा सकता है।

प्रसाद जी ने कामायनी में नारी और पुरुष के सौंदर्य का वर्णन किया है तथा नारी को पुरुष से श्रेष्ठ बताया है। इसी कारण नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण करने में उन्होंने कला-कुशलता का परिचय दिया है। कामायनी की श्रद्धा का रूप सौंदर्य अलौकिक है :

“हृदय की अनुकृति बाह्य उदार
एक लम्बी काया उन्मुक्त
मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल
सुशोभित हो सौरभ संयुक्त।”

हृदय की बाह्य अनुकृति जैसी उसकी उन्मुक्त लम्बी काया अत्यन्त सुडौल तथा दैदीप्यमान है और उसे नील रोमों वाले मेघों के कोमल चर्म से ढके हुए हैं। उसका वर्ण शुभ्र और गौर है। उसके समस्त अंग मृदुल और सुकुमार हैं। नील परिधान में से उसका अधखुला अंग अपनी प्रखर दीप्ति के कारण ऐसा जान पड़ता है मानों मेघवन के मध्य में बिजली का गुलाबी फूल खिला हो। उसका मुख वह तेजपुंज है जो संध्याकालीन बादलों से घिरे हुए सूर्य एवं माधव रजनी के इन्द्र नीलमणि के लघुश्रृंग को फोड़कर निकला जान पड़ता है। उसके कोमल मुख के पास पड़े हुए

*342, हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी (हरियाणा)

“अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जास्वित् तथा वीर्य अपार स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार।”

इसी प्रकार मनुपुत्र मानव के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी कवि ने उसके शरीर के अंगों का बढ़ना केहरि की भांति बताया है । मानव सौंदर्य के अंतर्गत प्रकृति चित्रण भी अत्यंत नूतन उद्भावनाओं के साथ किया गया है । प्रकृति के सुन्दर व भयावह दोनों रूपों का चित्रण हमें कामायनी में देखने को मिलता है । प्रकृति कहीं भी शिथिल रूप में दृष्टिगोचर नहीं होती । उसमें सर्वत्र एक चेतना है, विलास है। प्रलयोपरान्त समस्त मेदिनी जल-आप्लावित हो गई थी, कहीं भी थल दिखाई नहीं देता था । सागर से उठती काल उगलती लहरें सपों के समान दिखाई देती थीं । ऊपर हिम जमा था और नीचे जल था, परन्तु प्रसाद जी ने उनमें मूल तत्त्व एकता को ही माना था ।

“नीचे जल था ऊप हिम था
एक तरल था एक सघन
एक तत्व की ही माया थी
कहीं उसमें जड या चेतन।”

हिमालय का चित्रण करते हुए कवि ने उसे अबला की आशा के समान बतलाया है । वह मणि रत्नों का आगार है । लताओं से परिवेष्टित वह गिरिराज सम्राट है जिसका स्वतंत्र वायु झूम-झूम कर शैलश्रृंगों से टकराती हुई चारणों की भांति वंदन कर रही है । आसपास की चोटियां उसकी रानियों जैसी लगती हैं । संध्या का मानवीकरण करते हुए कवि ने उसे आकाश से उतरते हुए दिखाया है मानों कोई सुन्दरी अपने सरोवर रूपी घर से आ गई हो और पक्षियों का कलरव उसके बच्चों का शोर हो । संध्या रूपी नायिका कदम्ब फूलों की करदानी पहने, तारों से टंकी चुनरिया ओढ़े धरती पर आई हो । प्रसाद जी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों में उसमें अंगिध सौंदर्य देखने की सतत चेष्टा की है ।

पराग की मणियों से गठित शरीर ही अलौकिक दीप्ति से परिपूर्ण हो सकता है। इसी प्रकार इसका सौंदर्य-वर्णन भी उच्च धरातल पर हुआ है और उसका मानवीकरण बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है :

नारी का ही नहीं प्रसादजी ने पुरुष के सौंदर्य का भी मनोरम चित्रण किया है। मनु के शरीर का गठन ऊर्जास्वित और दृढ़ मांस पेशियों द्वारा हुआ है और उसमें स्वस्थ रक्त का प्रवाह होता है तथा वीर्य की पुष्टता से वह बलवान होने के साथ-साथ निखर भी आया है।

सौंदर्य विधान में भाव सौंदर्य वर्णन का अप्रतिम स्थान है परन्तु यह एक कठिन व्यापार है। प्रसाद जी ने अमूर्त भावों का बड़ सुन्दर मूर्तिकरण किया है, जो अत्यन्त दुर्लभ है। उन्होंने चिन्ता, वासना, लज्जा का मानवीकरण किया है जो

बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है। मनु के चिंताग्रस्त होने पर चिंता का स्पष्टीकरण किया है। चिंता एक भीषण विस्फोट के समान है। वह हरी भरी सी दौड़ धूप, अभाव की चंचल बालिका, ललाट की खल लेखा, मन की व्याधि व विश्व वन की थाली है। चिंता के उदित होते ही मानव अपनी वास्तविक स्थिति भूलकर विविध विचारों में खो जाता है। यह किसी वस्तु के अभाव का परिणाम है।

“हे अभाव की चपल बालिके
हे ललाट की खल लेखा
हरी भरी सी दौड़ धूप ओ
ढाल माया की चल रेखा।”

इसी प्रकार वासना के मन में उदित होते ही ऐसा प्रतीत होता है मानों चन्द्रमा मधु बरसा रहा हो। पवन उस मधु का सुरक्षित पुलक शरीर से टकराकर उसे रोमांचित कर देता है। ब्राव में विचित्र सी मादकता का आभास होता है। सांसों वेग से चलने लगती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी प्रियतमा रूठी हो और वह उसे मनाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हो। वासना का सांगोपांग चित्र कवि ने इतना सुन्दर खींचा है कि उसके इतर कहने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता।

प्रसाद जी ने चिंता और वासना के अतिरिक्त लज्जा मनोभाव का भी बड़ा सुन्दर चित्रण किया है जो कदाचित् सर्वश्रेष्ठ बन पड़ा है। लज्जा के मन में उदित होते ही चेहरे पर एक विचित्र सी रक्तिम आभा फैल जाती है। आंखें अपने आप झुकने लगती हैं। होंठों पर आई बात भी नहीं कही जा सकती।

‘लाली बन मृदुल कपोलों में
आंखों में अंजन सी लगती
कुंचित अलकों सी घुंघराली
मन की मरोर बनकर जगती।’

प्रसाद जी ने लज्जा का मानवीकरण कर उसे भोले भाले सौंदर्य की रक्षक कहा है।

कर्म सौंदर्य का वर्णन करने में भी प्रसाद जी को विशेष सफलता मिली है। कामायनी का कथानक अधिक विस्तृत न होने के कारण कर्म की विपुल व्याख्या कर सकने का

अवकाश कवि को प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु मनु तो वासना का पुजारी है। उसकी कर्म में कदापि रुचि नहीं है। ‘जीवन के दो कूलों में बहे जीव वासना धारा’ यही उसका लक्ष्य है। परन्तु श्रद्धा के गर्भवती होने के पश्चात् प्रसव की मधुर पीड़ा को झेलते हुए भी अपने नवागत शिशु के लिए हम उसे चिंतित पाते हैं। वह उसके लिए तकली कातती, घर बनाती, झूला डालती दीख पड़ती है। वहीं पर कवि ने सर्वप्रथम कर्म का संदेश दिया है। इसके पश्चात् दूसरा स्थल हमें वहां दिखाई पड़ता है जब स्वपन में वह मनु को भुभुर्षु देखती है। वह रात्रि में ही योगिनी की भांति घर से निकल पड़ती है। वहां जाकर वह मनु को मधुर आलेपन और अपने दृढ़ प्रेम की स्निग्धता द्वारा ठीक करके मना लेती है तथा इसके पश्चात् वह इच्छा, ज्ञान और कर्म लोक आदि के भ्रमण द्वारा समरसता की भित्ति तक पहुंचाती है।

‘समरस थे जड़ या चेतन
सुन्दर साकार बना था
चेतनता एक विलसती
आनंद अखंड घना था।’

अंत में मनु भी सारस्वत प्रदेश में वहां के राज्य का भार संभाल उसकी व्यवस्था करता दिखाई पड़ता है जिसमें एक अन्य रूप में कर्म की निष्ठा हुई है।

प्रसाद जी ने कामायनी में मानव सौंदर्य, प्रकृति, भाव और कर्म सौंदर्य का नवीन धरातल पर नवीन उपमानों और नूतन उद्भावनाओं के रूप का चित्रण किया है जो अद्वितीय है, अतुलनीय है तथा समस्त विश्व साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कामायनी को आधुनिक युग का रामचरित मानस कहा गया है जो इसकी युग सापेक्षता, सबल कथानक, मंगलकारी संदेश, पात्रों के मनोहारी सौंदर्य चित्रण को दर्शाता है। कामायनी गीता की भांति मानव को कर्मशीलता का संदेश देती है। कर्म ज्ञानयुक्त होना चाहिए तभी इंसान की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है अन्यथा इंसान भवसागर में हिचकोले खाता रहेगा। समन्वय और सामंजस्यता ही मानव के जीवन में समरसता ला सकते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कामायनी का अपना सौंदर्य दर्शन है, जीवन दर्शन है जो भटके हुए मानव समाज का पथ प्रदर्शन कर सकता है।

ओड़िया काव्य में राष्ट्रीय चेतना

—सुजाता शिवेन*

कभी उड़, उत्कल और कलिंग नाम से जाना जाने वाला ओड़िशा राज्य का विस्तार गंगा से गोदावरी तक था। गंगवंशी, सूर्यवंशी, सोमवंशी राजाओं ने उत्कल पर शासन किया और उत्कल को उन्नति के पथ पर ले गए, यह समय उत्कल के उत्थान का समय था । पर 1568 में ओड़िशा के आखिरी स्वाधीन राजा गणपति मुकुंद देव विश्वासघातकों के शिकार हुए । उनकी मौत के बाद ओड़िशा में स्वाधीनता का सूरज डूब गया और उसके पैरों में पराधीनता की बेड़ी पड़ गई ।

अफगान, मुगल और मराठों के हाथों होते हुए ओड़िशा 1803 में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। पराधीनता के इन सालों में ओड़िशा की संस्कृति जैसे जड़ बन गई थी। पर स्वाधीनता प्रेमी ओड़िशावासी कभी चुप नहीं बैठे। उस समय के शासकों के अत्याचार, अन्याय के विरोध में वे कदम उठाते रहे जो पाइक विद्रोह, घुमसुर विद्रोह, कंध विद्रोह, शबर विद्रोह, विशोई विद्रोह, अनुगुल और बौद्ध विद्रोह के रूप में उभर कर आया। लेकिन अंग्रेज इन सभी विद्रोह का निर्ममता से दमन करने में सफल रहे। 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुए सैनिक विद्रोह ने पूरे देश को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी।

ओड़िशा के बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, शिक्षकों के सामने जहां राष्ट्र की स्वाधीनता एक सवाल बनकर खड़ी थी, वहीं उनके सामने मातृभूमि और मातृभाषा के विलय की समस्या भी एक बड़े रूप में उभरी थी। अपनी जन्म भूमि को सदियों से इन्सान ने मां की जगह दी है। और मातृभाषा वह है जिसमें कोई भी बच्चा अपनी तोतली जबान से अपनी बात व्यक्त करना सीखता है। तो पहले मातृभूमि और

मातृभाषा की रक्षा करना जरूरी है, यह बात तब के ओड़िया मनीषियों ने ख़ूबी समझी थी। उस समय प्रशासन की ग़लत नीतियों के कारण ओड़िशा टुकड़ों में बटकर बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, और मद्रास में मिला दिया गया था। इन सभी प्रांतीय भाषाओं के तले दबकर ओड़िया भाषा सांस भी नहीं ले पा रही थी। भाषा को बचाने के लिए एक अलग प्रांत की ज़रूरत थी। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए 1903 में मधुसूदन ने उत्कल सम्मेलन की प्रतिष्ठा की। उत्कल गौरव मधुसूदन ने ओड़िशावासियों का आह्वान करते हुए तब कहा था,

एहि सम्मिलनी जाति प्राणबिंदु
कोटि प्राणबिंदु घरे
तोरे प्राणबिंदु मिशाइ रे
भाई डेइं पडि सिंधु नीरे ।

यानि यह सम्मेलन जाति प्राणबिंदु है जिसमें करोड़ों प्राणबिंदु का समावेश है। इस महासागर के नीर में कूदकर तू भी अपना प्राणबिंदु मिला दे।

उत्कल सम्मेलन मंडप से जिस उग्र जातीय भाव का अभ्युदय हुआ उसका गणनात्मक परि प्रकाश सत्यवादी बंन विद्यालय के रूप में आया । उत्कल मणि गोपबंधु दास जो पेशे से वकील थे के नेतृत्व में 1909 में सत्यावादी वन विद्यालय की स्थापना हुई जिसमें पंडित गोदावरीश मिश्र और पंडित नीलकंठ दास जैसी विभक्तियों ने शिरकत की ।

ओड़िशा में स्वतंत्रता संग्राम की धारा में दो और धाराएं भी शामिल हो गई थीं, वह भी स्वतंत्र एक राज्य का गठन यानी मातृभूमि के अस्तित्व और मातृभाषा के बचाव की।

*23-सी, शिवालिका अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 32, सैक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली-75

स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ने अपनी कविता में उत्कलवासियों को अपनी भाषा समृद्ध करने के लिए आह्वान देते हुए लिखा :

उच्च हेबा पाई कर जेबे आशा
उच्च कर आगे निज मातृभाषा

वह आगे भी कहते हैं कि अपनी मातृभूमि, मातृभाषा के लिए जिसके हृदय में ममता नहीं जन्मी है उसे अगर ज्ञानियों में गिना जाए तो अज्ञानी किसे कहेंगे ?

भक्तकवि मधुसूदन ने मातृभाषा, मातृभूमि के महत्व को अपनी कविता में व्यक्त करते हुए लिखा :

मातृभूमि मातृभाषा दोनों है जननी
सेवा करूँ भक्ति भाव से दिवस रजनी
मानव जीवन हो सफल मेरा
प्रभु परमेश्वर करें पूर्ण विनती मेरा ।

सत्यवादी के साधक गोदावरीश मिश्र बहुमुखी प्रतिभा के अधिकारी थे । पराधीन उत्कलवासियों के मन में जातीय चेतना जागृत करने के लिए पुरुषोत्तम देव और मुकुंद देव नामक दो खंड नाटक लिखे । अपनी जन्मभूमि के प्रति उनका प्रेम कविता में कुछ यूँ छलका :-

बालि धुलि माटी पंके सिना गढ़ा
सरगु बड़ ए जनम भूईं
किपरि देखिबि हरिनेब पर
ए पिंडे बाबुरे पराण थाइ ।

अर्थात् धूल मिट्टी बालू कीचड़ से भले ही बना हो, पर स्वर्ग से बढ़कर है यह जन्मभूमि । मेरे पिंड में प्राण के रहते कैसे किसी पराए को इसे ले जाते हुए देख सकता हूँ ।

सत्यवादी साधकों में से अन्यतम मनीषी पंडित नीलकण्ठ दास का व्यक्तित्व अप्रतिम था । सत्यवादी वन विद्यालय के प्रधान शिक्षक के रूप में उनका व्यक्तित्व सीमाबद्ध नहीं था । उनके द्वारा रचित 'कोणार्क' और

'खारवेल' में जातीयतावादी का स्वर स्पष्ट पहचान में आता है ।

अपनी जन्मभूमि की सुन्दरता और उसकी कोमलता को कांत कवि लक्ष्मीकांत ने अपनी मर्मस्पर्शी कविता में कुछ यूँ व्यक्त किया :-

वंदे उत्कल जननी
चारूहासमयी, चारूभाषमयी जननी, जननी, जननी
पूत-पयौधि विद्यौत शरीरा
शुभ्रवदिनीकूल शीकर समीर
जननी, जननी, जननी ।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिष्ठा हुई तो देश के बुद्धिजीवियों ने इसमें सक्रिय भाग लिया । पराधीन देशवासियों के मन में घिरे निराशा, अवसाद, कसक, दुःख, तकलीफ को मानो आशा की एक किरण नजर आई । साधारण जनता के मन में सुनहरे भविष्य के सपने को साकार रूप देने के उनके आशा-विश्वास को और भी बढ़ावा देने के लिए, उसमें और भी ओज भरने के लिए पूरे देश के कवियों ने अपनी कलम उठा ली, ओड़िशा के कवि भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहे । लोगों को निराशा के अंधकार से जगाने के लिए स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ने लिखा :-

चारों तरफ सुनाई पड़ रहा है जागो-जागो
कमर कसकर अपने काम में जुटो-जुटो

पंडित गोपबन्धु दास ने देशवासियों को जागृत करते हुए कहा, चाहे घर जल जाए, चाहे कारावास मिले या फिर मिले लाठीप्रहार, पर कहीं भी रूको नहीं, क्योंकि :-

स्वाधीनता मानवर जन्म अधिकार
स्वाधीनता भाषण और स्वाधीन विहार
स्वाधीन जीवन पुणि स्वाधीन समिति
चारि स्तंभे मानवर समाज संस्थिति ।

अतीत गौरव को याद करते हुए आगे भविष्य के लिए आशा-विश्वास को उद्जीवित करने के लिए कवि पद्म चरण ने त्रिवेणी तट कविता में लिखा :-

अतीत को साक्षी रख गढ़ते जाओ वर्तमान
अनंत ययाति का देश नहीं है छोटा ना ही है नीच ।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओड़िशा में भी दूसरे प्रांतों की तरह स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ । विदेशी वस्तुएं जलाई गईं, असहयोग आंदोलन में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया । क्रांतिकारियों के साथ-साथ महात्मा गांधी के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती गई । भारत माता की प्रशंसा में राष्ट्रीय कवि राधानाथ ने लिखा :-

सर्वेषां नो जननी भारत
धरणी कल्पलतेचं
जननी वत्सल तनयगणैस्तत
सम्यक् शर्म विधेयं ।

स्वाधीन येता कवि गंगाधर ने प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान तो नहीं दिया, पर भारत के वीरों के प्रति उनके शौर्य के प्रति उनका विश्वास अटूट था । वह कहते हैं कि भारतीय वीर हमेशा पृथ्वी के वक्ष पर कीर्ति का विस्तार करते रहे हैं । गर्भ से ही शिक्षित, दीक्षित होते हैं । युद्ध में मरना उन्हें प्रिय होता है । जीत जाते हैं तो इस पृथ्वी का उपभोग करते हैं । मौत होने पर स्वर्ग पाते हैं । ऐसे होते हैं भारत के वीर ।

उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावंत की कविता में उस समय के देश की दुर्दशा का वर्णन मिलता है । उन्होंने देशवासियों को क्रांति में भाग लेकर अपना खून गंगा की धारा में मिला देने का आह्वान किया है । सिर कटवाने के लिए तैयार हो तो दुःख, अत्याचार का अंत एक दिन जरूर होगा, यह उनकी कविता में मुखरता से उभरकर आया है ।

उत्कल मणि गोपबंधु दास की 'कारा कविता' और 'बंदीर आत्मकथा' देश के लिए एक जातीय आह्वान था ।

जातीय ममता विश्वजन प्रीति
उत्कलवासियों की हो यह नीति
नीरव निश्चल बैठकर कारागार में
करता हूं विनती प्रभु श्रीचरण में

जेल में बंद वह देशवासियों से यही प्रार्थना करते रहे कि असहयोग आंदोलन में हमेशा अपने चित्त को बनाए रखो । स्वराज की साधना में अपने प्राण उड़ेल, मुझे इस निर्वासन में आश्वस्त करो ।

गोपबंधु दास का जन्मभूमि प्रेम पहले देश प्रेम में ढला और फिर यह देश प्रेम, विश्व प्रेम में बदल गया । उन्होंने उत्कल सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा, "याद रखना होगा पहले हम मनुष्य हैं, फिर भारतीय और आखिरी में ओड़िआ ।" उन्होंने लिखा :-

मेरा प्राण प्रेमधारा में मिल जाएगा धरा
होगा यह विश्व मेरा प्रेम भंडारा ।

वस्तुतः ओड़िशा में स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद ही वहां की लोक कविताओं पर टिकी थी । पूरा उत्कल प्रभु जगन्नाथ व विराट समुद्र के विस्तार के बीच राष्ट्रीय भावना से इस कदर ओतप्रोत था कि उसने समूचे देश को एक दिशा दी । आलम यह था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक ने उत्कल मणि गोपबंधु दास से प्रेरणा ग्रहण की थी । और ऐसा होता भी क्यों न ? खुद अपनी एक कविता में उत्कल मणि गोपबंधु दास ने स्वराज के लिए अपने संपूर्ण रूप से उत्सर्ग करते हुए लिखा था :-

मिल जाए मेरा तन इस देश की मिट्टी में
देशवासी बढ़चलें पीठ पर मेरे
देश के स्वराज्य के पथ पर जितने हैं गड़ढे
हाड़-मांस से मेरे भर जाएं सारे

तो ऐसा था राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में ओड़िआ साहित्य का योगदान ।

पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य

तुलसीदास और कंबन के नारी-पात्र : एक तुलनात्मक अध्ययन

—डॉ. एम. शेषन*

पृष्ठभूमि :

भारतीय वाङ्मय में नारी का महत्व

शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति जीवन के उद्भव और विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में माने जाते हैं। ब्रह्माण्ड भर में जो जीवन सत्ता है उसकी संचालक शक्ति के रूप में हमारे भारतीय दर्शन में इनको माना गया है। दार्शनिक दृष्टि से ही नहीं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी नारी और पुरुष का योग ही मानव-जीवन का आधार है। आद्याशक्ति के रूप में भारतीय वाङ्मय में, नारी को महोन्नत स्थान दिया गया है। सामाजिक जीवन में परिवार एवं समाज के केंद्र एवं सृष्टिधारिणी के रूप में उसे महत्व मिला है। बाइबिल में भी आदम की प्रेरकशक्ति के रूप में हव्वा को स्थान दिया गया है। इस तरह जीवन में अतुल स्थान रखने वाली नारी को, विश्व भर के साहित्यों में एवं अन्य कलाओं में प्रमुख स्थान मिला है। विश्वसाहित्य का आधे से अधिक अंश नारी अथवा नारी समस्याओं पर केंद्रित है। हार्दिक भावनाओं के आधार एवं सौंदर्य की मूर्ति के रूप में और बाहरी मानवीय संवेदनाओं के प्रतिनिधि के रूप में उसे स्थान दिया गया है।

आदिकवि बाल्मीकि ने नारीत्व के चरमादर्श के रूप में सीता जी का जो चित्रण किया है वह आज तक भारतीय नारी के लिए अनुकरणीय आदर्श माना जाता है। रामचरित्र निस्संदेह श्रेष्ठ है, लेकिन परवर्ती समाज और संस्कृति को प्रभावित करने में शायद सीता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। “सीतायाः चरित्रं महत्” जैसी उक्ति भविष्यवाणी की

भांति आज भी सार्थक बनी हुई है। ऐसे महान् चरित्र सीता को भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं के साहित्यकारों ने अपने रामायण काव्य में विशेष ध्यान देकर और अपूर्व श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया है। इनमें हिंदी में तुलसीदास और तमिल में कंबन का स्थान अनुपम है।

सीता के चरित्र के साथ-साथ इन कवियों ने अन्य नारी पात्रों का भी जो चित्रण किया है उनसे भारतीय संस्कृति के सामान्य जीवन-मूल्यों का तथा प्रादेशिक संस्कृतियों के विशिष्ट मूल्यों का ज्ञान होता है। दोनों कवियों की सृजन-प्रतिभा और व्यक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करना तथा दो संस्कृतियों के द्वारा स्वीकृत जीवन मूल्यों का निर्णय करके उनके भारतीय तत्वों को खोज निकालना इस तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य है।

हिंदी साहित्य के रामभक्ति काव्यों में चित्रित नारी का स्वरूप मर्यादावादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित होने के कारण मानव मन की कलुषित प्रेरणाओं से परे है एवं पवित्र है। इस मार्ग के प्रतिनिधि, कवि संत तुलसीदास की नारी-निंदा भी अंशतः नारी के प्रति अपनाई हुई दोहरी दृष्टि का द्योतक है।

तुलसीदास के काल तक पहुँचते-पहुँचते प्राचीन साहित्य में चित्रित नारी को कई परिवर्तनों से होकर गुजरना पड़ा था। सामाजिक जीवनगत वस्तुस्थितियों में परिवर्तन इसका प्रमुख कारण रहा है। वैदिक युग की आत्मनिर्भर नारी को मध्ययुग में कैसे घर की चारदीवारी की बंदिनी बनना पड़ा था, यह उसके जीवन की विषमताओं की कहानी है; जिनका थोड़ा बहुत आभास विभिन्न युगों के साहित्य में मिल जाता है।

*गुरु कृपा, 790, रामास्वामी सलाई, के. के. नगर, चैन्नई-600078

धार्मिक साहित्य की उत्तरोत्तर जटिलता के कारण शिक्षा का द्वार बंद होना, विवाह की आयु का उत्तरोत्तर कम होना, सन्यास की प्रवृत्ति के समर्थक विभिन्न कालों में प्रचलित धार्मिक संप्रदाय, समय-समय पर देश पर हुए विदेशी आक्रमण इत्यादि मध्ययुग के जीवन एवं साहित्य में नारी की पिछड़ी हुई दशा के प्रमुख कारण रहे हैं।

परिवर्तन की गतिशीलता सदा एक सी नहीं रही। अक्सर यह देखा जाता है कि जब-जब समाज के नैतिक बंधन ढीले पड़े थे तब-तब नारी को छूट अधिक मिल पाई, फिर से विलास के अत्यधिक प्रसार के फलस्वरूप समाज को नारी के प्रति कट्टर बनना पड़ा। बारी-बारी से होने वाली सामाजिक दृष्टि की ढिलाई एवं कसावट का अधिक प्रभाव नारी जीवन पर पड़ना स्वाभाविक था।

दूसरी स्मरणीय बात है नारी के प्रति अपनाई गई दृष्टि का दोहरापन। यह लगभग सभी कालों में चलता आया है। निंदा सतुतिपरक इस दृष्टिकोण के दो कारण हो सकते हैं। जीवन में नारी का संग एवं सहयोग की अनिवार्यता के कारण व्यवहारपरक बुद्धि मानव मन को नारी की महत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है। दूसरी ओर कामिनी रूप में नारी को अपने आत्मिक उत्थान के पथ का बाधक मानने की प्रवृत्ति, परंपरा से उस मन में जम गई है। तुलसीदास की नारी विषयक दृष्टि का भी इन पारंपरिक तत्वों से प्रेरित होना स्वाभाविक है।

तमिल साहित्य में संघकाल से लेकर लगभग बारहवीं शताब्दी तक के साहित्य में चित्रित नारी जीवन से स्पष्ट विदित है कि आरंभ काल में उसे विवाह, विचरण, शिक्षा, धार्मिक अनुसरण आदि संबंधी जो अधिकार प्राप्त थे, उनमें कालान्तर से विशेष परिवर्तन नहीं आ पाया है। उत्तरकाल में बिरले स्थानों पर नारी संबंधी कुछ टिप्पणियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।

देश के अन्य भागों की अपेक्षा दक्षिण में परिवर्तन की मंदगति के कुछ संभाव्य कारण हो सकते हैं—नारी जीवन के विकास पर प्रतिरोध लगाने वाले कट्टर हिंदू धर्म शास्त्रों की स्रोतभूमि से इस प्रदेश का दूर स्थित होना।

यहाँ के लोकजीवन की परिस्थितियाँ कुछ भिन्न थीं। राजनीतिक विपत्तियों का विपरीत प्रभाव यहाँ के नारी-जीवन पर कम पड़ा था। सती प्रथा, पर्दा आदि प्रथाओं का कट्टर अनुसरण इस काल में यहाँ न होना भी इस दृष्टि से विचारणीय है।

तुलसीदास से पूर्व के हिंदी साहित्य एवं कंबन से पूर्व के तमिल की काल सीमा एवं क्षेत्र सीमा विचारणीय है। तुलसीदास से पूर्व वैदिक काल से चलने वाले समस्त उत्तर भारत में व्याप्त एक विशाल परंपरा थी। उतने दीर्घ समय से बृहत्तर क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं का लोकमानस पर गहरा प्रभाव स्वाभाविक है। नारी विषयक टिप्पणियों की बहुलता इस दृष्टि से स्वाभाविक है। इसकी तुलना में सीमित भाषा-क्षेत्र के तमिल साहित्य में इनका स्वल्प-संख्यक होना भी स्वाभाविक है।

कंबन एवं तुलसी के नारी-पात्र

राम कथा के नारी पात्र मानव-स्वभाव की विविधताओं एवं जीवन की वास्तविकताओं तथा आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले हैं। इनमें कुछ पात्र कथा में स्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कुछ अपने चरित्र-बल के आधार पर, किसी विशेष आदर्श की स्थापना करने से अथवा किसी गहरी तत्त्व की अवांछनीयता का प्रतिपादन करने से महत्व रखते हैं। कथा में स्थान, चारित्रिक बल इन दोनों दृष्टियों से रामायण के नारी पात्रों में सीता का चरित्र सर्वाधिक महत्व का है। सीता के पश्चात् कथा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नारी पात्र शूर्पणखा तथा कैकेई हैं। अपने चरित्र बल के आधार पर व्यक्तिगत महत्व रखने वाले नारी-पात्र कौशल्या, सुमित्रा, मंथरा, तारा, मंदोदरी अनसूया, शबरी, स्वयंप्रभा, त्रिजटा, अहल्या, ताटका आदि हैं।

दोनों कवियों की पात्र रचना की मूल प्रेरणा वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण से होने के कारण पृष्ठभूमि के रूप में उन काव्यों में चित्रित इन पात्रों का भी स्पर्श किया गया है।

दोनों के नारी पात्रों का सांस्कृतिक अध्ययन

भारतीय संस्कृति के उन्नायक गौरव ग्रंथों में रामायण का प्रमुख स्थान है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के कारण राम

कथा में यहाँ के जनजीवन के लिए, नित्य प्रति जीवन के एक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके अनेक सद्गुणसंपन्न नारी-पात्र भारत की नारियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण हैं। दुष्पात्रों के रूप में चित्रित नारियाँ एक चेतावनी के रूप में आती हैं। रामायण के मूल पात्रों को कंबन और तुलसीदास ने जो रूप दिए हैं, उनमें भारतीय संस्कृति के सामान्य तत्त्व भी मिलते हैं। और दोनों कवियों की अपनी अपनी परंपराओं के द्वारा अनुमोदित सांस्कृतिक मूल्यों का भी प्रतिष्ठापन हुआ है। ऐसे सामान्य एवं प्रादेशिक संस्कृतियों के आदर्श तथा मूल्यों का समावेश पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के संदर्भ में देखा जा सकता है।

विविध पारिवारिक संबंधों द्वारा कंबरामायण तथा तुलसी रामायण में नारी के सुदृढ़ स्थान का प्रकाशन हुआ है। इससे प्रकट है कि पारिवारिक आदर्शों की स्थापना में नारी पात्रों का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। इन दोनों कवियों के द्वारा अभिव्यक्त पारिवारिक आदर्श प्रमुखतः भारतीय संस्कृति की तद्विषयक प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है जिनका प्रकाशन अंशतः मूल रामकथा के द्वारा भी हुआ है। कंबन तथा तुलसीदास दोनों कवियों के चित्रण में सांस्कृतिक आदर्शों के प्रति इन कवियों का आग्रह परिलक्षित है। मर्यादावादी भक्त कवि तुलसीदास के चित्रण में पाबन्दियों का निर्वाह, तथा कवि की भक्ति संबंधी मान्यताओं का प्रतिपादन अधिक हुआ है।

सामाजिक दशा :

कंबन तथा तुलसीदास के समकालीन समाज की दशा का तुलनात्मक अध्ययन हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक होगा।

कंबन के युग में तमिल प्रदेश की सामाजिक स्थिति :

कंबन के युग में तमिल प्रदेश का समाज हर दृष्टि से संपन्न एवं समुन्नत था। चोल राजाओं के उत्थानकाल में राज्य आर्थिक दृष्टि से स्वनिर्भर था। उस समाज में अन्न से लेकर आभूषणों तक के लिए दरिद्रता नहीं थी। विशेषकर कंबन की खास जन्मभूमि तंजाऊर जिला 'अन्नमंडित चोलनाडु' (चोलनाडु चोरुडैतु) कहलाता था। राजकोष स्वर्ण

से भरा हुआ था और जन सामान्य के लिए भी स्वर्ण सहज प्राप्य रहा। आभूषण गढ़ने की कला सर्वोन्नति पर थी। राज्य में स्वर्ण जाँचने के निगम बने हुए थे।¹

विविध कलाओं का अभ्यास प्रचुर मात्रा में देशभर में चलता था। संगीत, नृत्यकला, चित्रकारिता, कढ़ाई, प्रसाधन कला आदि ललित कलाएं, तथा बड़ईगिरी, लोहारी, बुनाई आदि हस्तकलाएं विकासोन्मुख थी। वर्णाश्रम प्रथा के अनुसार जातीय कर्मों का अनुसरण स्वतः चल रहा था तथा समाज में पूर्ण सामंजस्य था।²

राजा-प्रजा के पास मनोरंजन के लिए अवकाश था। मद्यपान, वेश्याएं, नृत्य, नाटक, खेलकूद आदि सबके आयोजन थे। संपन्नता के फलस्वरूप विलासिता समाज में व्याप्त एवं सहज मान्य थी। पेशेवर धंधे, शिक्षा आदि का भी प्रबंध था।

कंबन चोल राजवंश के उत्थानकाल के कवि थे। उनका समय तृती कुलोत्तुंग चोल के युग के प्रारंभिक दशकों का माना जाता है। उस युग में समाज का ढाँचा सुदृढ़ था। युद्ध भी कभी-कभी होते थे। उनमें विजय बहुधा चोलों के पक्ष में रही। साम्राज्य की श्रीवृद्धि का फल सीधे प्रजा तक पहुँच पाता था। प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। (आधार पिल्लै: के. के. 1972: 296, 297) चोलों के शासन काल को तमिल संस्कृति का स्वर्ण-युग भी बताया गया है।³

तुलसीदास के युग की सामाजिक स्थिति :

तुलसीदास के युग में देश परतंत्र था और वह सामाजिक विघटन का युग था। प्रजा का एक वर्ग जो राज्याश्रित था, वह सुखी एवं संपन्न रहा। परंतु अधिकांश जनता की दशा शोचनीय थी। उस युग के समाज के जटिल ढाँचे की स्पष्ट झलक प्रेमशंकर (1977: 68-70) के निम्न शब्दों में मिल जाती है।

“तुलसी जिस मध्यकालीन समाज की उपज है, उसकी पहचान बहुत आसान नहीं, क्योंकि उसमें जिन्दगी कई परतों में चलती दिखाई देती है।”

“कला, स्थापत्य रचना को ऊँचाइयाँ सामन्तवादी व्यवस्था में स्वाभाविक रूप में देखी जाती हैं, क्योंकि शासक इनमें अपनी तुष्टि पाते हैं पर जहाँ तक सामान्य जन की

जिन्दगी का प्रश्न है, वह सुखी कदापि नहीं कही जा सकती।”

“हिंदू मुसलमान के अपने धर्म थे, पर सामाजिक, राजनीतिक ऐक्य नहीं था – इस दृष्टि से एक बिखरा देश, असंगठित समाज”। तुलसीदास का समकालीन समाज भौतिकता एवं विलासिता का शिकार था परंतु, यह संपन्न स्वर्निभर राष्ट्र के स्वस्थ वातावरण में पनपी हुई भोग शक्ति नहीं थी, वरन् विलासी शासक वर्ग के प्रभाव से, लाचार जनता में व्याप्त विलासिता थी। धनी एवं स्वार्थान्ध शासक वर्ग असाधारण लिप्सा एवं शक्ति के कुरूपयोग योग के कारण, जनता में आत्मविश्वास की कमी थी, दरिद्रता, दुश्चार इत्यादि का प्रचार था।

दोनों कवियों के समकालीन समाज में नारी :

कंबन के युग में स्त्रियों की सामाजिक सुरक्षा की समस्या उतनी अधिक नहीं थी। उस काल में दक्षिण का भूभाग स्वतंत्र था, स्त्रियों को ललित कलाओं की शिक्षा की सुविधा थी। विशेषतः राजवंश एवं उच्चवर्ग की कन्याएं नृत्य, संगीत आदि ललित कलाओं में निपुणता हासिल करती थीं। उन्हें संपत्ति का अधिकार था। राजमहिषियाँ तथा कुमारियाँ मंदिरों के लिए अनुदान देती थीं। राजभवन के रनिवास, पाकशाला, स्नान कक्ष आदि में नारियाँ नियुक्त की जाती थीं। उन्हें साजसज्जा, घुड़सवारी, जलविहार आदि के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त थे।

तुलसीदास के युग में नारी की दशा अधिक सुरक्षित नहीं थी। उसका अपहरण तथा आग्रहपूर्वक रचे जाने वाले विवाह समाज में साधारण से थे। “मुसलमान प्रजा को, चाहे किसी भी हिंदू स्त्री से शादी करने का और उसे शादी के लिए मजबूर करने का अधिकार प्राप्त था।” (रामप्रतिपाल सिंह 1976:127) “कामुक एवं नृशंस यवनों के कारण हिंदू स्त्रियों का सतीत्व सुरक्षित नहीं था, इसलिए नारी स्वातंत्र्य पर अंकुश लगाना पड़ा” (रामेश्वरदयालु अग्रवाल:1973:63) इतिहासकारों के आधार से विदित है कि किस प्रकार उस मध्यकालीन समाज में नारी के प्रति विलासिता की दृष्टि रही, तथा वह बालविवाह, सती, पर्दा आदि सामाजिक कुप्रथाओं का शिकार बनी थी।

परिवार में उसकी दशा संतोषजनक नहीं थी। भगीरथ मिश्र (1954:6) के शब्दों में “स्त्री को परिवार में बंधन अनेक थे भय अनेक थे। पर स्वच्छन्दता और अधिकार कम। नारी आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आश्रित थी। मुगलों और पठानों की क्रूर सौन्दर्य लिप्सा ने उसे वासनात्मक आकर्षण एवं विलासात्मक महत्त्व ही दे रखा था”। सार यह कि तुलसीदास के युग में देश की वस्तु स्थितियाँ इस योग्य नहीं रही कि नारी को विचरण आदि की निर्बाध सामाजिक स्वतंत्रता दी जा सके।

नारी की सामाजिक दशा की अभिव्यक्ति :

समकालीन नारी जीवन की वस्तुस्थितियाँ या तो प्रत्यक्षतः काव्यों में चित्रित होती हैं या कवियों के नारी विषयक मान्यताओं एवं आदर्शों का आधार बनकर कवि की समग्र नारी भावना को प्रभावित करती हैं। कंबरामायण तथा तुलसी रामायण के नारी पात्र पूर्णतः कवि-कल्पित नहीं हैं। आदिकवि ने पहले ही अपने ऐतिहासिक महाकाव्य में इन पात्रों के रूप गढ़ रखे थे। ये पात्र इन कवियों के काल के नहीं वरन् एक अन्य कवि के थे। कंबन तथा तुलसीदास ने अपने काव्यों में नारी पात्रों के चित्रण में इस मूल ढाँचे को प्रमुखतः ग्रहण किया है। इन कवियों के द्वारा नारी पात्रों के चित्रण में अन्य तत्त्वों का समावेश कम हुआ है। अस्तु, इन दोनों काव्यों के नारी-पात्रों के माध्यम से कवियों के काल की सामाजिक वास्तविकताओं के प्रकाशन के लिए अवकाश कम है। परन्तु फिर भी कवि की अपने साथ वाले समाज का अभिन्न अंग होना एवं उससे प्रेरणा ग्रहण करना स्वाभाविक है। इस नाते कंबन तथा तुलसीदास के द्वारा राम कथा के नारी पात्रों के चित्रण में भी अपने अपने समय के लोक जीवन के कुछ तत्त्व उभरकर आए हैं।

आधृत काव्यों में मूल काव्य से होने वाली भिन्नताएं अथवा व्यतिमान बहुधा सोद्देश्य होते हैं। पात्रों में होने वाले व्यतिमान कवि की कुछ विशेष मान्यताओं एवं उन मान्यताओं को प्रभावित करने वाली उनके देशकाल की संस्कृति अथवा परिस्थिति के कारण भी होते हैं। इस प्रकार के व्यतिमान एक भिन्न युगीन संस्कृति के परोक्ष तथा आंशिक प्रतिपादक बन जाते हैं। नारी पात्रों के चित्रण में अपनाये हुए परिवर्तन इस दृष्टि से विचारणीय हैं।

कंबन तथा तुलसीदास के युग में नारी की धार्मिक दशा :

कंबन के समकालीन समाज में हिंदू राज्य धर्म पर स्थापित था। राजाश्रित धर्म के रूप में शैव धर्म की प्रबलता थी। परन्तु वैष्णव धर्म भी उपेक्षित नहीं था। दोनों में सामंजस्य का अभाव नहीं रहा।¹⁶ उस युग में राजवंश की महिलाएँ मंदिरों में जाकर देवोपासना करती थीं और वे अक्सर मंदिरों के निर्वाह के लिए अनुदान भी दिया करती थीं। राजकुमारियाँ एवं महिषियाँ ही नहीं, वरन् कभी-कभी वेश्याएँ भी अनुदान देती थीं। (आधार : पिल्लै के. के. 1972 : 316)

तुलसीदास के युग में हिंदू धर्म राज्याश्रित नहीं रहा और उसकी स्थिति भी उतनी दृढ़ नहीं थी। वह अनेक छोटे बड़े संप्रदायों में विभक्त था। धार्मिक दशा दुर्बल ही नहीं अपितु दूषित भी हो उठी थी अतः शोचनीय अवस्था में थी। हिंदू समाज में धर्माचार के नाम पर अनेक पाखंडों एवं अंधविश्वासों का पोषण हो रहा था।¹⁷ अक्सर नारी को भी इन अंधविश्वासों का शिकार बनना पड़ता था। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में हिंदू महिलाएँ एक ओर मुगलों की लिप्सा का शिकार बनीं, तो दूसरी ओर धर्म के नाम पर उनका सतीत्व अरक्षित था। अक्सर धर्म के रक्षक ब्राह्मण पुजारी ही एकान्त में धर्म के बहाने उसका सतीत्व हर लेता था और अगले दिन उस स्त्री को रथ पर जगन्नाथ जी की प्रतिमा के साथ बिठाकर सड़कों में घुमाया जाता था। (राजपति दीक्षित : 1952, 5, 6)

कंबन तथा तुलसीदास के नारी पात्रों के द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक आदर्शों का मूल आधार पारंपरिक भारतीय संस्कृति है। दोनों कवियों ने वाल्मीकि रामायण से गृहीत पात्रों के मूल प्रारूप का परिष्करण एवं आदर्शीकरण करके इन पात्रों द्वारा पारिवारिक संबंधों का अधिक ग्राह्य एवं उज्ज्वल चित्र उपस्थित किया है। कंबन रामायण में नारी-पात्रों के सामाजिक जीवन का जो रूप उभर आया है उससे उनके समकालीन समाज में सुखी संपन्न जीवन के लिए नारी को प्राप्त अवकाश एवं उसकी स्वतंत्रता के लक्षण परिलक्षित हैं। तुलसीदास द्वारा सीता के चित्रण में उनके युग की वस्तुस्थितियों का परोक्ष प्रभाव है। संभवतः नारी के प्रति प्रदर्शित तुलसीदास की तथाकथित कटुता का आंशिक कारण

उनके समकालीन समाज की वास्तविकताएँ हो सकती हैं। शास्त्रोक्त संस्कारों का अधिक प्रकाशन तुलसीदास के नारी पात्रों के द्वारा हुआ है।

कथावस्तु की परिसीमाओं से आवद्ध होने के कारण कंबन तथा तुलसीदास के नारी पात्रों के चित्रण में, इन कवियों को अपने क्षेत्रीय अथवा युगीन संस्कृति विशेष के प्रतिपादन के लिए गुंजाइश कम है। किन्तु फिर भी उनके नारी पात्रों के इस पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन संबंधी अध्ययन से विदित है कि इनके समकालीन जीवन में प्रचलित भारतीय संस्कृति की नारी-विषयक सामान्य मान्यताएँ एवं इनकी स्थानीय संस्कृति की कतिपय विशेषताएँ इनके काव्यों में उभर आई हैं जिनको हम उनकी मौलिक विशेषतायें मान सकते हैं।

स्वभावतः नारी पात्रों के चित्रण में भी प्रभाव एवं वैयक्तिक दृष्टि से कुछ समानताएँ हैं। नारी पात्रों में कुछ समानताएँ और कुछ भिन्नताएँ दृष्टिगत होती हैं। ऐसी समानताएँ तथा भिन्नताएँ नारी के प्रति कवियों की दृष्टि उनके व्यक्तिगत तथा मौलिक चिन्तन को समझने में सहायक हैं।

वाल्मीकि की तुलना में देखा जाए तो कंबन तथा तुलसीदास में पात्रों के आदर्शीकरण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। आदर्श के प्रति कंबन की दृष्टि से तुलसीदास की दृष्टि भिन्न है। व्यक्तिगत रूप में कंबन भक्त अवश्य थे किन्तु उन्होंने उसे अपने चरित्र चित्रण का एक आधार नहीं माना। सामान्यतः लौकिक जीवन की दृष्टि से जो गुण उत्कृष्ट माने जाते हैं उनकी समष्टि को उन्होंने आदर्श माना है। इस दृष्टि से नारी के उत्कृष्ट आदर्श-पातिव्रत्य की प्रतिष्ठा उन्होंने अपने नारी पात्रों के माध्यम से की है तुलसीदास के सम्मुख भक्ति एवं चरित्र निष्ठा के आदर्शों का स्थापना की तथा एक विघटित समाज को संगठित करने का दायित्व था। राम भक्ति उनकी आदर्शवादिता का अभिन्न अंग थी। उनके नारी-पात्रों पर भी इस दृष्टि का प्रभाव स्वाभाविक है। तुलसीदास की पात्र-प्रस्तुति पर अध्यात्मरामायण का भक्तिपरक प्रभाव दृष्टिगम्य है।

कंबन तथा तुलसीदास ने आधार काव्य के अनुसार नारी के पातिव्रत्य के आदर्श की सृद्ध प्रतिष्ठा की है, दोनों

कवियों ने साथ-साथ पुरुष के संयम पर भी जोर दिया है। कंबन ने व्यक्तिगत एवं वर्गीय पात्रों के अतिरिक्त मानवेतर प्राणिजगत के द्वारा भी पातिव्रत्य दाम्पत्य विषयक आदर्शों की स्थापना की है। सदसंस्कारों से हीन राक्षसियों में इसकी प्रतिष्ठा की है। तुलसीदास ने पात्रों के अतिरिक्त, उपदेश, सैद्धान्तिक विवेचन आदि अन्य माध्यमों द्वारा इसकी पुष्टि की है। भारतीय नारी जीवन का सांस्कृतिक आधार है—उसका पातिव्रत्य। कंबन और तुलसीदास ने उक्त प्रकार अपने काव्य में इसकी महत्ता स्वीकार की है।

कंबन रामायण और तुलसीरामायण में चित्रित राम कथा के मूल पात्रों पर इनके समकालीन स्थानीय संस्कृति की भी परोक्ष छाप दृष्टिगोचर होती है। कंबन के चित्रण का आधार तमिल प्रदेश की लोक बाला है जिसे विचरण, कलाओं का अभ्यास आदि के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त थे। नारी पात्रों की साजसज्जा आचार आदि के वर्णन में स्थानीय रंग शहरा है। कंबन ने अपने बहतर महाकाव्य में लोकजीवन के विशद चित्रण के अन्तर्गत अपने समकालीन नारी जीवन के वैविध्य एवं विचार को उतारा है। विभिन्न भू-भागों की लोक बालाओं के कार्य, मनोरंजन आदि के वर्णनों के द्वारा उनके वर्गीय पात्रों के व्यापार क्षेत्र में विस्तार आ गया है। तुलसीदास के द्वारा नारी-पात्रों के चित्रण में अभिव्यक्त पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादायें परोक्षतः उनके समकालीन समाज में नारी की वस्तुस्थितियों की वयंजना करती हैं। उन्होंने भी राजपरिवार के शुभाशुभ के साथ अपने वर्गीय पात्रों के घनिष्ठ संबंध पर स्वल्प प्रकाश डाला है। रामायण की मुख्य कथा राजपरिवार की है और उसके पात्रों का ढाँचा पूर्व निश्चित है। इस कारण कंबन तथा तुलसीदास की अपने समकालीन नारी जीवन की वास्तविक दशाओं के प्रकाशन के लिए कम अवकाश प्राप्त है। फिर भी उस सीमा के अन्तर्गत कंबन ने जिन संपन्न स्थितियों को, जीवन में प्रत्यक्ष देखा था, उनको अंकित करने की चेष्टा की है। तुलसीदास ने अपने समकालीन जीवन में (अनुभूत) नारी की अरक्षित दशा के लिए एक निवारण के रूप में नारी पर बंधन की आवश्यकता प्रकट की है।

तुलसीदास शास्त्रोक्त धर्म के कट्टर अनुयाई थे। उन्होंने नारी के विवाह आदि अवसरों पर नारी पात्रों द्वारा संपन्न होने वाले लौकिक तथा धार्मिक संस्कारों, प्रथाओं

आदि पर आलोक डाला है। ऐसे प्रसंगों पर कंबन की दृष्टि उनके सामूहिक व्यापारों पर अधिक जमी हुई है।

कथाप्रसंगों की व्याप्ति एवं संक्षिप्ति कंबन तथा तुलसीदास के चित्रण में दृष्टिगम्य एक मुख्य अन्तर है। कंबन ने कहीं-कहीं भूल से भी अधिक विस्तार से काम लिया है। नारी पात्रों से संबंधित कथा-प्रसंगों के प्रति तुलसीदास की दृष्टि अधिक राम-साप्रेक्षित रही है। राम-महिमा के प्रकाशन को दृष्टि में रखकर उन्होंने अपने नारी पात्रों का विकास किया है। शूर्पणखा, अहल्या, तारा, ताटका आदि नारीपात्रों के चित्रण में तुलसीदास की संक्षिप्तता इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

कंबन के द्वारा अपने व्यक्तिगत एवं वर्गीय नारी पात्रों के विरह, प्रेम आदि का चित्रण (तमिल प्रदेश के पंच भूभागी जीवन व्यापारों की परंपरा के अनुरूप) 'अहम्' अर्न्तगत के चित्रण की तमिल की प्रचलित प्राचीन साहित्यिक परंपरा से अंशतः प्रभावित है। भक्त एवं संत कवि तुलसीदास की प्रवृत्ति ऐसे वर्णनों की ओर उन्मुख नहीं हुई है।

कंबरामायण और तुलसी रामायण के नारी पात्रों के मानसिक व्यापार तथा स्थितियों का चित्रण (वाल्मीकि रामायण के नारी पात्रों की भांति) भारतीय संस्कृति की नारी विषयक सामान्य मान्यताओं से आबद्ध है। लोकानुभव सिद्ध मनोवैज्ञानिक तत्वों के आधार पर दोनों कवियों ने नारी हृदय की सहज गति को गहराई के साथ उभारा है। दोनों का चित्रण समान रूप से सशक्त है।

मौलिक उपलब्धियाँ :

सीता के चरित्र में वाल्मीकि के मूल आधार पर अधिक आदर्श एवं दैवीपन की प्रतिष्ठा करके कंबन ने उसे एक आदर्श मानवी के रूप में प्रस्तुत किया है तथा लोकमाता के रूप में उसके दैवी अंश पर अधिक प्रकाश डाला है। तुलसीदास की सीता, अलौकिक सिद्धियों से संपन्न राम रूपी परम को चालित करने वाली आद्या शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। उसमें कवि के समकालीन युगीन संस्कारों की भी प्रतिच्छाया है। दोनों कवियों के द्वारा सीता के पूर्व राम का नाटकात्मक चित्रण उनकी मौलिक नाटकात्मक कवि प्रतिभा का प्रकाशक है। कंबन तथा तुलसीदास ने आधार

काव्यों में अभिव्यक्त कौशल्या की कतिपय मानव सहज दुर्बलताओं का प्रकाशन नहीं करके एक प्रकार से पात्र का नव संस्कृतिकरण सा कर दिया है। कंबन की प्रस्तुति अधिक सांकेतिक है। तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण के आधार पर ब्रह्मज्ञानी के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। दोनों कवियों ने कैकेई को परिस्थिति के शिकार के रूप में अधिक उभारा है। तुलसीदास ने उसकी बौद्धिक योग्यताओं पर भी अधिक प्रकाश डाला है। अपनी भूल के लिए उसके पश्चाताप एवं अपराध बोध की ओर कवि ने संकेत किया है। कंबन ने राम के साथ सुमित्रा के स्नेहस्निग्ध संबंध का प्रकाशन एक दो मौलिक प्रसंगों पर किया है। तुलसीदास ने उसकी कलाकारी योग्यताओं पर प्रकाश डाला है।

मंथरा के मानसिक कौशल को विशेषरूप से तुलसीदास ने उभारा है। शूर्पणखा में कंबन तथा तुलसीदास ने रूप चेतना की प्रतिष्ठा की है। अहल्या के प्रति कंबन की दृष्टि अधिक उदार है। तुलसीदास की दृष्टि में उसका उद्धार अन्यत्र उल्लेखनीय, राम की कृपा का प्रकाशक एक प्रसंग है। कंबन के द्वारा तारा तथा मंदोदरी की पात्र-परिणति पातिव्रत्य के सांस्कृतिक मूल्यों का सुदृढ़ स्थापक है। तारा का वैधव्य तथा मंदोदरी का सहमरण पातिव्रत्य के बल में कवि की अटल निष्ठा को प्रकट करते हैं। तुलसी रामायण में परिणति भी राम महिमा के प्रकाशक के रूप में है। (अध्यात्म रामायण के श्री आधार पर) मंदोदरी की मानसिक योग्यताओं का उद्धारन तुलसीदास की मौलिक विशेषता है। धान्य मालिनी तथा मंदोदरी के वात्सल्य का मार्मिक प्रकाशन कंबरामायण में हुआ है। तुलसीरामायण में सुनयना एवं मैनावती आदि के वात्सल्य का चित्रण कवि की अपनी उद्भावना है। (अंशतः अध्यात्म रामायण के आधार पर) ताड़का, त्रिजटा, स्वयंप्रभा आदि पात्रों में राम भक्ति अथवा रामकृपा से विवेक के जागरण की प्रतिष्ठा में उनकी निजी कवि-दृष्टि परिलक्षित है।

सती तथा पार्वती पातिव्रत्य के प्रतिष्ठापन की दृष्टि से महत्व रखने वाले ऐसे नारी पात्र हैं जिनके द्वारा तुलसीदास ने नारी हृदय के मर्म की भव्य झाँकियाँ उपस्थित की हैं। वर्गगत नारी पात्रों के सामूहिक एवं मानसिक आचरण कवियों की निजी कल्पना से निःसृत है। कंबन ने इन वर्गगत पात्रों

के द्वारा भी पातिव्रत्य का प्रतिष्ठान किया है। सामान्यतः कुलीन संस्कारों से हीन मानी जाने वाली राक्षसियों में भी इसे स्थापित किया है।

कंबन तथा तुलसीदास के द्वारा नारी पात्रों के उद्घाटन में आदर्श की ओर उनकी उन्मुखता एवं उनकी परिष्कृत अभिरूचि अभिव्यंजित है। तुलसीदास का चित्रण उनकी भक्ति भावना से प्रेरित है। मूल से पाए जाने वाले कुछ व्यतिमान उनके अपने-अपने क्षेत्रीय संस्कृति के भेदों के कारण है; कुछ उनके व्यक्तिगत स्वभाव के अन्तर के कारण हैं।

नारी के प्रति दोनों कवियों की दृष्टि:

नारी के प्रति कंबन तथा तुलसीदास के दृष्टिकोण की भूमिका में उनका व्यक्तिगत स्वभाव, परिस्थितियाँ पूर्ववर्ती मान्यताएं आदि तत्व निहित हैं। इस विषय में इन दोनों की सामान्य दृष्टि भारतीय जनजीवन में प्रचलित पातिव्रत्य संबंधी विचारों से प्रेरित है। पातिव्रत्य की उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता के आधार पर नारी, कवियों की दृष्टि में व्यक्तिगत रूप से सम्माननीय अथवा निन्दनीय हैं। कंबन तथा तुलसीदास नारी के पातिव्रत्य को समाज-सापेक्षित धर्म के रूप से माना है — अर्थात् सतियों के बल पर समाज टिकता है अथवा उजड़ता है। कंबन का कथन है कि (1.2.59) “स्त्रियों के पातिव्रत्य पर काल-वृष्टि भी टिकी हुई है”। उनकी दृष्टि में पातिव्रत्य तपोबल से भी उत्कृष्ट है। तुलसीदास का कहना है कि (3-5-7) “सहज आपवनि नारि पति सेवत सुभ गति लहई। जस गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय”।

केवल जिस स्वतंत्र एवं स्वावलंबी समाज के वासी थे उसके समक्ष नारी की सुरक्षा एक विकट समस्या नहीं थी। स्वभाव से वे सौन्दर्य चेतना एवं लौकिक रूचि से संपन्न थे तथा एक विलासमयी सामग्री जीवन के द्रष्टा (अभ्यस्त) थे। नारी के प्रति उनकी दृष्टि सामान्यतः सम्मानपरक ही नहीं वरन कुछ सीमा तक विलासितापरक भी है। साथ यह भी स्मरणीय है कि कंबन काम को जीव मात्र की एक सहजवृत्ति के रूप में मानते हैं। वे नारी में उद्दामकाम के विकास का डटकर वर्णन करते हैं। उनकी दृष्टि में काम के साधन-रूप

में नारी निन्दनीय नहीं है। नारी-सौन्दर्य के प्रति कंबन की चेतना विशेष उल्लेखनीय है। सन्त एवं साधक तुलसीदास की दृष्टि इससे एकदम भिन्न थी। काम के पोषक के रूप में उन्हें नारी से चिढ़ थी। कंबनरामायण में दशरथ (2-3-17) तथा राम (3-5-44) के द्वारा दशरथ (2-3-17) नारी को विश्वास के अयोग्य बताते हुए, कहे हुए उद्गार तथा इस प्रकार के कुछ अन्य कथन मिलते हैं जो कि स्वल्प संख्यक हैं। ये एक प्रकार से कविमानस पर पारंपरिक प्रभावों को प्रकट करते हैं। प्रसंग सापेक्षिकता के कारण इनका स्वर मंद है। दूसरी बात यह है कि ऐसी टिप्पणियाँ कवियों की नारी विषयक दृष्टि का पूर्ण प्रतिपादन नहीं कर सकती हैं।

कंबनरामायण में अहल्या जैसे पात्र की कवि के द्वारा प्रदत्त उदात्तता में उनकी उदारता की एक झांकी मिल जाती है। राम उसकी निर्दोषता मानकर उसे उसके पति के पास ले जाकर सौंपते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि नारी के प्रति सामान्यतः सम्मान एवं सहानुभूतिपरक थी एवं उस के बाह्य सौन्दर्य के प्रति भी सचेत रही है।

तुलसीदास उस विशाल क्षेत्र के निवासी थे जो सांप्रदायिक हिन्दू धर्म के शास्त्रीय विधानों की विकास भूमि थी। कालान्तर में बदलती हुई युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप इन विधानों ने नारी जीवन पर जो प्रतिबंध लगाये थे; उनसे संबंधित पारंपरिक मान्यताओं का प्रभाव उनके कवि मानस पर पड़ना स्वाभाविक था। तुलसीदास साधक, भक्त एवं कवि थे। साधक के रूप में नारी को एक अवरोधक तत्व मानने की वृत्ति स्वाभाविक है। उनकी समकालीन परिस्थितियाँ चारित्रिक ह्रास की थीं, एवं इस योग्य नहीं कि नारी को अधिक स्वतंत्रता दी जाए। स्वभाव से वे सन्त पुरुष थे। भक्ति के प्रचारक के रूप में वे स्त्री, पुरुष का अन्तर नहीं मानने वाले थे। इस प्रकार तुलसीदास की नारी संबंधी धारणा के मूल में विविध शक्तियाँ हैं।

तुलसीदास की नारी पर की गई (3-36-4) "राखिअ नारि जदपि उर माहीं ॥ जुवति शास्त्र नृपति बस नाहिं" (3-44) "अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा मन दुख खानि" (14-4) "जिमि सुतंत्र भयें विगरहिं नारी" (5-503)

"ढोल गवार सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी"॥ आदि उक्तियाँ उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विचारणीय हैं। ये तथा इस प्रकार के कुछ अन्य कथन तुलसीदास की नारी विषयक दृष्टि का पूर्ण प्रतिनिधि नहीं है। इनमें भी कुछ प्रसंग सापेक्षित है कुछ पारंपरिक उद्गारों के अनुवाद हैं। इस आदर्श स्पष्ट को अपनी समकालीन स्थिति को देखकर कभी उग्र होना पड़ता है।

नारी के प्रति तुलसीदास की दार्शनिक दृष्टि भी उल्लेखनीय है। एक रूप में वह 'उद्भव स्थिति संहारकारिणी' आदि शक्ति है तो दूसरे रूप में वह डुबाने वाली माया रूपिनी है। विद्या अथवा अविद्या की व्याप्ति के अनुरूप नारी कवि की श्रद्धा एवं सहृदयता का स्वल्पा भास (1-250) "डगि न संभु सरासुनु कैसे, कामी वचनु सतीमन जैसे सहज एका किन्ह के भवनु कबहुँ कि नारि सप्याहिं।" (1-101-2) "कतविधि सृजी नारी जगमाहीं। पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं।" (4-8-4) "मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिलावन करसि न काना।" आदि कथनों में मिल जाता है। उनके द्वारा नारी पात्रों के चित्रण से विदित है कि दुराचार के कारण नारी उनकी निंदा एवं घृणा की पात्री हैं तथा सदाचार से प्रशंसा का पात्र। रामोन्मुख होना उनके आदर्श नारी की एक योग्यता है।

कंबन तथा तुलसीदास की नारी विषयक दृष्टि, पातिव्रत्य से सापेक्षित है। दोनों कवि पारंपरिक भारतीय मान्यता के अनुरूप, इस आधार पर नारी की श्लाघा करते हैं। नारी सौन्दर्य के प्रति कंबन की दृष्टि रसिकतापरक है जबकि तुलसीदास की दृष्टि शील संयम की मर्यादाओं से आबद्ध है। कंबन की कविदृष्टि कट्टरता की चर्चा से दूर है। तुलसीदास की दृष्टि भी कट्टर नहीं है, दर्शक की दृष्टि भेद से उसके सही रूप पर संदेह पड़ने की संभावना है।

कंबन और तुलसीदास भी सामान्यतः काव्यों में चित्रित नारी के प्रति पारंपरिक निंदा स्तुतिपरक दृष्टिकोणों से प्रभावित हैं। इन दोनों कवियों की नारी पात्रों की प्रस्तुति अंशतः दो भिन्न युग एवं क्षेत्रों के जीवन मूल्यों पर आधारित हैं: इनसे दोनों कवि प्रभावित हैं। आशा है कि कवियों के नारी पात्रों का यह तुलनात्मक अध्ययन उन मूल्यों को एवं कवियों के व्यक्तित्वों को समझने में सहायक होगा।

सहायक ग्रंथ :

हिंदी

हनुमान प्रसाद पोद्दार	(1963)	श्री रामचरित मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर	
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	(19..)	तुलसीरामायण (काशीराज संस्करण)	
तमिल : गोपाल कृष्णमाचारी, वै.मु.	(1993)	कंबरामायण, चेन्नै	
कामिल बुल्के :	1950	रामकथा, प्रयाग	
कृष्णदत्त अवस्थी	1974	भारतीय वाङ्मय में सीता का स्वरूप	इलाहाबाद
गजानन शर्मा	1972	भक्तिकालीन काव्य में नारी	इलाहाबाद
ज्ञानवती द्विवेदी	1970	गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि में नारी और मानव जीवन में उसका महत्त्व	
डॉ. नरेन्द्र	1974	रामचरित मानस-तुलनात्मक अध्ययन	दिल्ली
प्रेमशंकर	1977	रामकाव्य और तुलसी	दिल्ली
बलदेव प्रसाद मिश्र	1952	भारतीय संस्कृति को गोस्वामी तुलसीदास की देन नागपुर वि.वि.	
भागीरथ मिश्र	1954	तुलसी रामायण	इलाहाबाद
मलिक मुहम्मद	1971	वैष्णव भक्ति आन्दोलन का अध्ययन	दिल्ली
राजपति दीक्षित	1952	तुलसीदास और उनका युग	काशी
राधाकुमुध मुखर्जी	1975	हिंदू सभ्यता	दिल्ली
रामेश्वर दयालु अग्रवाल	1973	कंबरामायण और रामचरित मानस	मेरठ
रामचंद्र शुक्ल	1943	गोस्वामी तुलसीदास	काशी
रामधारी सिंह दिनकर	1956	संस्कृति के चार अध्याय	दिल्ली
श्यामसुन्दर व्यास	1963	हिंदी महाकाव्यों में नारी चित्रण	मथुरा
तमिल:			
इस्माइल मु.मु.	1982	कंबन कंड रामन्	मद्रास
कमला शंकरन्		कंबन कैवण्णम्,	मद्रास
चाण्डिल्यन्	1985	कंबन कंड पेण्कल	मद्रास
के.के. पिल्लै	1972	तमिलग वरलारु मक्कलुम् पण्पाडुम्	मद्रास
रामकृष्णन्. एस.	1965	करपिन कनलि	मद्रास
रामचन्द्र दीक्षितर	1941	मून्ड्राम् कुलोटुंगन	मद्रास
वरदराजनार	1980	तमिल इलक्किय वरलारु	दिल्ली

English :

Altekar A.S.	1956	The Position of Women in Hindu Civilization	Banaras
Arokiya Swamy	1972	The Classical Age of the Tamils	University of Madras
Ashirbadilal Shrivastav		The Mogul Empier	Agra
Balasubramaniam. C.		The status of women in Tamilnadu during Sangam Age, Madras	
N. Subramanian (Thesis)	1970	A critical study of the women characters in Kamba Ramayanam	University of Madras
Indra	1955	The Status of Women in Ancient India	Banaras
Iyer V.V.S.	1970	Kambaramayana A study	Bombay
Madhvand & Majumdar R.C.	1953	Great Women of India	Almora
Mary Martin B.R.	1964	Women in Ancient India	Varanasi
Nilakanta Shastri K.A.	1975	The Cholas	University of Madras
Nilakanta Shastri K.A.	1976	A History of South India	University of Madras
Padmini Sen Gupta		Women in India	
Paramasivanandam	1960	Tamilnadu through Ages	
Prasannalakshmi M.J.	1973	The Position of Women in Tamilnadu from Sangam age to (Thesis) Nineth Century University of Madras	
Srinivasa Iyer V.S.	1952	Lectures on Ramayana,	University of Madras
V. Raghavan	(1980)	The Ramayana Traditions in Asia	Delhi
Hari Rao V.N.		History of India	Madras

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी—बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व

—डॉ. राम दास 'नादार'*

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक दिग्गज विद्वान, प्रकाण्ड पंडित, उच्च कोटि के शिक्षक तथा महान साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी, विलक्षण एवं विशिष्ट थी। वह महामानव थे। हिंदी-साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है।

भारतीय मनीषा के प्रतीक और साहित्य एवं संस्कृति के विशिष्ट व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव आरत-दुबे का छपरा, ओझवलिया, जिला बलिया में 19 अगस्त, 1907 को हुआ था। बचपन में इन्हें बैजनाथ द्विवेदी कहकर पुकारा जाता था। प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव में हुई। तत्पश्चात् संस्कृत महाविद्यालय काशी से उन्होंने शास्त्री एवं ज्योतिष में शास्त्राचार्य की उपाधियाँ प्राप्त कीं। 1930 में शान्तिनिकेतन में हिंदी और संस्कृत के शिक्षक नियुक्त हुए। यहाँ उन्हें महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और पं. क्षिति मोहन सेन जैसे मनीषियों का सान्निध्य मिला। यहाँ उन्हें पत्रकारिता का भी अनुभव प्राप्त हुआ। वह विश्वभारती पत्रिका के संपादक रहे और अभिनव भारती ग्रन्थमाला कलकत्ता का संपादन भी किया।

इसके बाद 1950 में वह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय चले गए। यहाँ उन्होंने आचार्य तथा हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। तदोपरान्त 1960-67 तक पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे।

इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। नागरी प्रचारिणी सभा, विश्व भारती, राजभाषा आयोग, साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आदि की गतिविधियों में सदैव भाग लेते रहे और इन संस्थाओं को अपना भरपूर योगदान दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें 1951 में डी. लिट्ट की मानद उपाधि प्रदान की। इन्हें 1957 में 'पद्मभूषण' से भी अलंकृत किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से रवीन्द्र पुरस्कार मिला। 1973 से आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी वह सम्मानित किए गए।

शुक्लोत्तर युग में हिंदी निबंध साहित्य का बहुमुखी तथा सर्वांगीन विकास हुआ। इस युग के लेखकों में आचार्य जी का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने उच्च कोटि के साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा आलोचनात्मक निबंध लिखकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। उनका निबंध साहित्य अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह उच्च कोटि का है।

एक सफल निबंधकार के अतिरिक्त वह एक महान उपन्यासकार भी थे। उनका उपन्यास साहित्य वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचन्द्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा अपना विलक्षण स्थान रखते हैं। उनके उपन्यासों की विशेषता है इतिहास। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सदा स्मरणीय रहेगा। आचार्य जी ने अपने समस्त साहित्य में शुक्ल जी के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी मौलिक चिन्तन का परिचय दिया।

द्विवेदी जी हिंदी के प्रौढ़ निबंधकार हैं। उन्होंने शो, आलोचना तथा अनेक इतिहास ग्रन्थों की रचना की जो निम्नलिखित हैं।

1. सूर साहित्य
2. हिंदी साहित्य की भूमिका
3. कबीर
4. हिंदी साहित्य का आदिकाल
5. हिंदी साहित्य—उसका उद्भव और विकास
6. मध्यकालीन धर्म साधना
7. नाथ संप्रदाय
8. कालिदास की लालित्य योजना
9. मध्यकालीन बोध का स्वरूप
10. सहज साधना
11. सिक्ख गुरुओं का पुण्य स्मरण
12. मेघदूत—एक पुरानी कहानी
13. प्राचीन काल के कलात्मक विनोद
14. संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो
15. हमारी साहित्यिक समस्याएं
16. साहित्य का साथी
17. सभ्यता और संस्कृति तथा अन्य निबंध
18. साहित्य सहचर
19. साहित्य धर्म
20. संदेश रासक

8. द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में एक उपन्यासकार के रूप में उच्च स्थान है। उनके उपन्यास 'वाण भट्ट की

*20/30 मोती नगर नई दिल्ली-110015

आत्मक कथा' की एक अनूठी कृति है। उसका उल्लेख न हो, ऐसा होना संभव नहीं। इस उपन्यास का हिंदी के उपन्यासों में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वह हिंदी का एक मात्र उपन्यास है जो शिल्प, कथा-सौष्ठव, भाषा सभी दृष्टियों से अप्रतिम है। हिंदी संसार भले ही किसी और रूप में द्विवेदी जी उपेक्षा का दोषी बने किन्तु 'वाण भट्ट की आत्मकथा' को एक कलासिक रचना के रूप में सदैव स्मरण रखेगा।

द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों की नवीनता तथा पूर्णता दोनों ही विद्यमान हैं। इनमें चिन्तनशीलता का प्रधान है। वह किसी बात को समझने और फिर उसे विस्तार से कहने में सक्षम हैं। शुष्क से शुष्क विषय को अपनी बुद्धि तथा हृदय का स्पर्श देकर सरल तथा रोचक बना देने में उन्हें महारत हासिल है। वह पाठक को उलझन में नहीं डालते। उनकी शैली स्पष्ट, सजीव तथा सरस है। उनके कल्पना-प्रसूत निबंध हिंदी में बेजोड़ हैं।

द्विवेदी जी का आलोचना साहित्य दो प्रकार का है :-

1. सैद्धांतिक जैसे साहित्य का मर्मआदि
2. व्यावहारिक जैसे कबीर और सूर।

इन दोनों रूपों में उनकी आलोचना अत्यंत प्रौढ़ और व्यापक है। 'हिंदी साहित्य की भूमिका' एक उच्चकोटि का ग्रन्थ है। द्विवेदी जी व्यावहारिक आलोचना में न तो व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं और न ही वाद-विवादों को जगाते हैं। उनका प्रयास रहता है कि आलोचना में स्पष्टता तथा प्रमाणिकता हो। आलोचना में उनकी दृष्टि समन्वयवादी है। यद्यपि इस प्रकार की आलोचना का प्रारम्भ शुक्ल जी ने ही कर दिया था किन्तु बाबू गुलाबराय और डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे परवान चढ़ाया। वे ही इस पद्धति के प्रतिनिधि आलोचक हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का स्वस्थ समन्वय करना ही इनका लक्ष्य रहा। साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न समीक्षा पद्धतियों का भी समन्वय किया। वह अतिवादी दृष्टिकोण का त्याग कर बीच का मार्ग अपनाते हैं। उन्हें जहां भी स्वस्थ एवं शुभ प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसे अपनाने में हिचकते नहीं, बल्कि उसे सहर्ष अपना लेते हैं। सैद्धांतिक स्थापनाओं को सामने रखते हुए भी स्वयं को उनसे बांधते नहीं। आज इस प्रकार की समीक्षा पद्धति ही हिंदी जगत में स्वीकार्य है। किन्तु इसका एक हानिकारक परिणाम यह हुआ है कि वे

किसी स्वस्थ निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। प्रगतिवाद बुरा भी है, अच्छा भी है। 'प्रयोगवाद ग्राह्य भी है, अग्राह्य भी' जैसी उक्तियाँ भ्रम की सृष्टि करती हैं। फिर भी आचार्य जैसे आलोचकों के प्रयासों से हिंदी साहित्य में ऐसी समालोचना पद्धति ने जन्म लिया जिसमें कटुता से दूर रहना संभव हो पाया। निःसंदेह यह एक स्तुत्य एवं प्रशंसनीय कार्य था। इसके लिए हिंदी संसार उनका आभारी रहेगा।

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व और अधिक गहन अध्ययन की अपेक्षा करता है। अतः इस सीमित लेख की परिधि में रहकर हम इस संबंध में कुछ और बातों पर प्रकाश डालने का यत्न करेंगे :-

आचार्य द्विवेदी की इतिहास-दृष्टि तीन आयामों में संलक्षित होती है। (क) चारूलेख (ललित निबंध) (ख) शोध या साहित्य लेखन (ग) गल्प (उपन्यास) इन सब में साहित्य, आलोचना और इतिहास परस्पर गुंथा हुआ है। इतिहास-आलेखकारी के चार घटक माने जा सकते हैं (1) विचार (2) संस्थाएं (3) लोकजन तथा (4) संस्कृति। अतः धार्मिक आंदोलन, सामाजिक परिवेश और आर्थिक संरचना सभी प्रासंगिक बन जाते हैं। लौकिक भौतिक तथा मौखिक भाषा के उद्भव, विकास आदि का महत्व बढ़ जाता है। साहित्य-लेखन का कालचक्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। द्विवेदी का जीवनकाल 1907-1979 है। इतिहास तथा साहित्येतिहास दोनों विचारधारा (दर्शन, मत, सिद्धांत) के बल पर वह अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इनका लक्ष्य यह भी है कि शक्ति (प्रतिभा, आंदोलन) तथा परिवर्तन से पर्दा हटाया जाए। ताहम कोई भी साहित्येतिहास पूर्ण एवं अंतिम नहीं माना जा सकता।

इतिहासकार किसी एक सर्वश्रेष्ठ कृति को धुरी बना लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर और नाथ-सिद्धों को केन्द्र में रखकर 'हिंदी साहित्य--उद्भव और विकास' की रचना की। सभी इतिहासकारों ने अपने-अपने आदर्श माडल और नमूने चुने जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास और नंददुलारे बाजपेयी ने प्रसाद को चुना। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहां इतिहास-लेखन के क्षेत्र में समानता प्रकट होती है। आचार्य शुक्ल ने काल एवं प्रवृत्ति सापेक्ष मानदंड अपनाए और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक-सांस्कृतिक दृष्टि को अपने लक्ष्य में रखा। साथ ही मानवतावादी ज्ञानवृत्ति का मानदंड ग्रहण किया। इस

तरह हमें वर्तमान समय और राष्ट्रीय चेतना तक ला खड़ा किया। आचार्य शुक्ल ने सूफियों की काव्यधारा की नई दिशाएं तलाश कीं और डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी-साहित्य के आदिकाल, संतों की सहज-साधना और सिक्ख गुरुओं की विरासत का मंथन किया। आचार्य शुक्ल ने शिक्षित पाठकों को सम्मुख रखा जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साधारण लोकजन को। इसीलिए उनकी दृष्टि में भक्ति-साहित्य और प्रगतिवादी आंदोलन समानधर्ती हैं। उनके लिए तुलसी और कबीर एक ही धरातल या पायदान पर खड़े हैं। उनके लिए कालिदास और निराला की समान महत्ता है। दोनों आचार्य कार्य-कारण संबंधता के अनुशासन को स्वीकार करते हैं। दोनों की आधारभूत परम्परा एक ही है। आचार्य द्विवेदी अपने उपन्यासों में नारी शक्ति की अन्तः सत्ता को मान्यता देते हैं जैसे चन्द्रलेखा में भट्टिनी। वह उसमें ललिता तथा मैत्रेयी और दुर्ग का सामंजस्य करते हैं। वह कालखण्डों का अतिक्रमण कर उन्हें महाकाल या कालदेवता से अभिहित करते हैं। वह 'नारी' और 'काल' दोनों की शक्तियों को संयुक्त कर डालते हैं।

नाथों, सिद्धों की क्रान्तिकारिता के साथ-साथ वह अपभ्रंश-धारा के स्रोतों को भी शामिल कर लेते हैं। (हिंदी साहित्य का आदिकाल) वह भगवती महामाया तथा सिद्ध योगिनियों की परिकल्पना कर यह सिद्ध करते हैं कि उनकी नदियाँ इतिहास और शक्ति का पुंज हैं। वह नारी को केवल कामिनी रूप में स्वीकार नहीं करते न ही उन्हें अपावन मानते हैं। दलितों और पिछड़ों को गैर-बराबर मानने से भी उन्हें परहेज है। उनका शोषण या अपमान उन्हें स्वीकार्य नहीं। उनके समीप सभी सम्मानित जन हैं और एक समान हैं। इसका कारण यह है कि उनके माडल कबीर, सिद्ध और नाथ थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी मानस-भूमि पर रवीन्द्र नाथ ठाकुर के मानवतावाद और कालीदास की लालित्य-योजना का भी संयोजन किया है। वहीं उनके आदर्श, प्रादर्श और प्रतिदर्श थे। यह त्रयी ही उनका दर्शन था। उनका यह दृष्टिकोण शान्ति निकेतन में दीर्घ आवास तथा वहां के सहयोगियों के साथ विचारों के आदान-प्रदान का परिणाम था। इसीलिए उन्होंने मनुष्य को सबसे ऊंचा माना और मानवतावाद को ही साहित्य और संस्कृति का केंद्र-बिंदु समझा। शोषण, उत्पीड़न एवं विषमता से मुक्ति राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया। 1940 में 'हिंदी

साहित्य की भूमिका' लिखी और 'प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद' के माध्यम से ऐतिहासिक-सांस्कृतिक सामग्री जुटाई और तत्पश्चात् 1946 में 'वाणभट्ट की आत्मकथा' का सर्जन किया। ऐसे ही 'मध्यकालीन धर्मसाधना' (1952) नाथ सम्प्रदाय (1950) संदेश रासक (1960) से प्रासंगिक सामग्री लेकर 'चारू चन्द्रलेख' नामक उपन्यास 1963 में लिखा। 'कालिदास' की लालित्य-योजना (1964) 'मध्यकालीन बोध का स्वरूप' (1970) आदि 'पुनर्नुवा' उपन्यास की सृष्टि के कारण बने। 'हिंदी साहित्य-उद्भव और विकास' (1952) 'कल्पलता (1951)' विचार प्रवाह (1956) की झलक 'अनामदास का पोथा' (1976) में परिलक्षित होती है। यही साहित्य-इतिहास-संस्कृति की त्रयी ही उनकी संपूर्णता की द्योतक है। इसी दृष्टि का विस्तार उनके ललित निबंध 'चारूलेख' में दिखाई देता है। सभ्यता और संस्कृति इतिहास तथा साहित्य का विचारधारात्मक रूप चिरंतन सत्य है।

आचार्य द्विवेदी मानते थे कि साहित्य मनुष्य की जययात्रा का आलेख है और इसके द्वारा इतिहास-दर्शन में प्रवेश सम्भव हो पाता है। आचार्य द्विवेदी नारी सशक्तिकरण और दलित-हित के प्रबल पक्षधर थे।

आचार्य द्विवेदी की 'लालित्य व कला' की अवधारणा और आलोचना-कर्म एवं शिल्प पर विचार करने के लिए दो स्वतंत्र वृहद् लेखों की आवश्यकता है। यहां दरिया को कूजे में बंद करना संभव नहीं। आचार्य जी की विराटता अप्रतिम तथा अनुपम है। आचार्य द्विवेदी ने भारतीय बैशिष्ट्य का अपनी रचनाओं में सुंदर प्रकटीकरण किया है। उन्होंने इतिहास, संस्कृति, समाज-शास्त्र, काव्य-शास्त्र, नैतिकता, दर्शन सभी को आत्मसात किया है। जब जनसाधारण की चर्चा करते हैं, तो प्रगतिवादी बन जाते हैं। जब धर्म की बात पर आते हैं तो कोई ऋषि, साधु, संत महात्मा प्रतीत होते हैं। यही उनके साहित्य की श्रेष्ठता, मौलिकता एवं विराटता है और यही उनके व्यक्तित्व की गरिमा तथा विशिष्टता भी। वह दिव्य-पुरुष थे। उन्हें सरस्वती का वरद पुत्र कहा जाए तो समीचीन ही होगा। वह साहित्य के उन शिखरों को छूते हैं जिससे वह एक महान् साहित्येतिहासकार, समीक्षक, उपन्यासकार, आलोचक, ललित निबंधकार और संस्कृति के व्याख्याता के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं।

फ़ीजी में भारतीय जड़ें

—कुमारी श्रद्धा शर्मा*

भारतीयों की यह विडम्बना रही है कि जब उनके श्रम, निष्ठा एवं योग्यता की जरूरत होती है, उनको बहला-फुसला कर घर छोड़ने को प्रेरित किया जाता है। और जब उनके अथक परिश्रम से कार्य पूरा हो जाता है तो उस देश के लिए फिर वे भारी पड़ जाते हैं। त्रिनिदाद, सूरीनाम, नेपाल, लंका, गयाना, दक्षिणी अफ्रीका, जमैका एवं मारिशस आदि देश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ऐसा ही एक अन्य देश है फ़ीजी जिसकी समृद्धता ने न केवल न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, चीन एवं इंग्लैंड आदि को इस देश में अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया बल्कि भारतीयों को भी उधर पहुँचने को विवश किया। वी. टी., विही, फ़ीजी और वीती इसके नाम रहे हैं। यहाँ के आदिवासी अपने द्वीप समूह को वीती और निवासियों को काई वीती कहते हैं जबकि प्रवासियों और विदेशियों द्वारा इसे फ़ीजी के नाम से पुकारा जाता है।

अपनी चन्दन की बहुमूल्य लकड़ी, सोना, हीरा, मूँगा, ज्वेल मछलियों और नारियल उत्पादन के लिए प्रख्यात स्वयं कई वीतियों (फ़ीजी निवासी) को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि सोना और हीरा उगलने वाली उनकी भूमि ही वास्तव में पृथ्वी का स्वर्ग है। आस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित फ़ीजी देश सिडनी और ब्रिस्बेन नगरों से 1700 मील दूर है। इसके 844 द्वीपों से केवल 100 द्वीपों में लोग रहते हैं जबकि शेष द्वीपों में केवल मूँगे की चट्टानें हैं। यहाँ लगभग हर प्रकार के फल-फूल पाए जाते हैं। मैना और बुलबुल पक्षी यहाँ पर भारत से लाए गए थे जबकि आम के पेड़ भी भारत से ही लाकर लगाए गए थे। यहाँ के नकाऊबान्द्रा शिखर के नीचे मात्र 4 फुट नाले के एक ओर की हवा अत्यन्त गर्म है जबकि दूसरे किनारे की

अत्यन्त शीतल। प्रायः हर समय बरसात होने के कारण यहाँ के जंगल हरे-भरे हैं और जंगलों में कंदमूल सदैव पाए जाते हैं जबकि बिच्छू, सर्प, शेर, चीता, भालू और भेड़िया आदि दुःखदायी जीव-जन्तु नहीं हैं। नदियों में भी मछलियों को छोड़कर मगरमच्छ और घड़ियाल आदि नहीं हैं। पक्षियों में कौवा भी नहीं है। जंगल में बाँस की ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई टहनियाँ पूरे वृक्ष को चारों ओर से ढक कर ऐसा प्राकृतिक घर बना देती हैं कि बरसात और धूप में ये यहाँ की आदिम जातियों और जानवरों के विश्राम गृह बन जाते हैं। अरणि, सरपत, नईबी, चन्दन, नारियल और साल आदि उपयोगी पेड़ों की संख्या अत्यधिक है। लहरदार प्रपात, सीपों भरे समुद्री तट, मूँगों युक्त चट्टानें निःसन्देह यहाँ के वातावरण को और भी रमणीय बना देती हैं।

हॉलैंड के तास्मान नामक नाविक के 1643 ई. में आस्ट्रेलिया के एक द्वीप पर उतरने से उस द्वीप का नाम तस्मानिया पड़ा था। अपनी उसी यात्रा में तास्मान ने फ़ीजी द्वीपों को भी देखा था किन्तु किसी कारणवश वहाँ नहीं उतरा। उसके बाद तो अनेक नाविक वहाँ से गुजरे पर इस क्षेत्र की आदिम नरभक्षी जातियों की बर्बरता के कारण कोई भी वहाँ उतरने का साहस न कर सका। आखिर रूसी अन्वेषक बालिंग शोसन अपने शिष्टमंडल के साथ 18 अगस्त, 1820 को फ़ीजी में रुका। तत्पश्चात् वहाँ की मार्को की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चीन, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आदि के लोग वहाँ आकर बस गए और वहाँ के असभ्य लोगों को शराब की बोतलें और दियासलाई की डिब्बियाँ दे-देकर बन्दूकों के दम पर उनसे कई-कई एकड़ भूमि हड़प ली। दियासलाई प्राप्त होने से पूर्व ये आदिवासी उक्त वर्णित अरणि नामक पेड़ की सूखी

*मार्फत श्री आर.डी. गुप्ता, ब्लाक-48, फ्लैट-515, प्रथम तल, टाइप-4, सेक्टर-2, सी.जी.एस. कालोनी (अन्टाप हिल), मुंबई-400037 (महा.)

लकड़ियों को आपस में रगड़कर अग्नि तैयार करते थे जबकि सरपत की तुम्बियाँ बर्तनों का काम करती थीं ।

10 अक्टूबर, 1874 को फीजी ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के कब्जे में आ गया और क्योंकि वहाँ की भूमि में गन्ना उगाने की पर्याप्त क्षमता थी, तो सभी प्रकार से भू-सर्वेक्षण करने पर यही निर्णय लिया गया कि इस प्रयोजनार्थ भारतीय मजदूरों को बुलाया जाए क्योंकि एक तो वे कम वेतन पर कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं, साथ ही कृषि कार्य में भी वे दक्ष हैं और हर मौसम में काम कर सकते हैं । अंग्रेज जानते थे कि श्रीलंका, वर्मा, त्रिनिदाद, और मारिशस आदि में भारतीय मजदूरों के कारण ही खेती अपने चरमोत्कर्ष पर है तत्पश्चात् भारत से ही मजदूर भेजने के लिए लिख दिया गया ।

भारत के बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के 481 मजदूरों को भेड़-बकरियों की तरह भरकर लिओनीडास नामक पहला जहाज 5 मार्च, 1879 को कलकत्ता से चला और सिंगापुर और बॉर्नियो होता हुआ 72 दिन में वह 15 मई, 1879 को फीजी पहुँचा । और तब उसमें से यात्रा की थकान से पस्त 463 यात्रियों का पहला जत्था फीजी में उतरा । उस खेप में 481 भारतीय इस लम्बी यात्रा पर निकलते थे किन्तु मार्ग में महामारी का शिकार हो जाने से 463 व्यक्ति ही इस भूमि पर उतर सके । 1916 तक जबकि गिरमिट प्रथा (शर्तबद्ध मजदूर प्रथा) बंद होने तक भारतीय मजदूरों का दल फीजी में बराबर आता-जाता रहा । अन्तिम दल जिसमें 888 पुरुष एवं महिलाएं थी, सतलुज-5 नामक जहाज में यहाँ 11 नवम्बर, 1916 को पहुँचा था । 1916 तक वहाँ लगभग 70 हजार शर्तबद्ध मजदूर जिन्हें कि वहाँ ईस्ट इंडियन कुली और बीचकोम्बर (समुद्री तटों पर झाड़ू लगाने वाले) कहा जाता था, पहुँच चुके थे जबकि आज वहाँ की कुल आबादी की आधी जनसंख्या भारतीयों की ही है । इस दौरान (1879 ई. से 1916 ई. तक) कुल मिलाकर 87 बार पूरे भारत से गिरमिटियों को विभिन्न जहाजों में फीजी में लाया गया था । पंजाब, बम्बई, मद्रास नगरों में भी बाद में मजदूर भेजने के केंद्र बना दिए गए थे । पंजाब (आधुनिक हरियाणा को मिलाकर) से अधिकांश मजदूर स्वेच्छापूर्वक अपने खर्चे से प्रतिवर्ष इधर-उधर अर्थात् फीजी, कीनिया, मलाया, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका आदि में आते-जाते रहे । पंजाब से रोहतक, पानीपत, फगवाड़ा, जालन्धर और अमृतसर नगरों के ही कृषक अधिक संख्या में थे । ये अपनी

जमीन को गिरवी रख देते थे और जो भी पैसा मिलता उसमें से जहाज का भाड़ा देकर चले जाते और वहाँ से धन कमाकर लाते तो गिरवी रखे अपने खेत छोड़ा लेते थे । भारतीय लोक मानस में चेतना आने पर यह निर्णय लिया गया कि गिरमिट प्रथा के कलंक को मिटा देने में ही भलाई है, इसलिये भारतीय नेताओं और समाज सुधारकों के प्रयास से सभी उपनिवेशों में शर्तबद्ध मजदूरों का जाना जनवरी, 1920 से कानूनन रोक दिया गया ।

स्वेच्छा से तो कम ही व्यक्ति वहाँ जाते थे, इसलिये आरकाटी (दलाल) प्रायः स्टेशनों या मथुरा, संगम, कांशी, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम् बद्रीनाथ एवं हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों की भीड़ में अपने परिवार एवं पति से बिछुड़े हुए पुरुषों और महिलाओं को बहका लेते थे । अनेक ऐसे भी युवक थे जिन पर कि अभियोग चल रहे थे और वे पुलिस की तथा जेल की सजा से बचने के लिए तैयार हो गए । काफी संख्या में युवा विद्यार्थियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी यह लालच देकर आरकाटियों ने छला कि फीजी में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी । कई निर्धन व्यक्ति अपने साहुकारों का ऋण चुकाने के बचाव से भी जाने को तैयार हो गए थे । इस प्रकार भारत से फीजी गए व्यक्ति किसी एक प्रान्त के न होकर लगभग पूरे भारत के थे ।

आरकाटी प्रायः “चौबा” और “पंडा” बनकर तीर्थों और भाड़ भरे स्थानों पर घूम-घूम कर अपने परिवार से बिछुड़े लोगों को विशेषकर अशिक्षित महिलाओं को बहकाते कि हम सामाजिक कार्य करती हैं और तुम्हारे पति या परिवार के पास सकुशल और निशुल्क पहुँचा देंगे, इस प्रकार उनको धोखे से लेकर जाकर डिपो में बंद कर देते थे । कई महिला आरकाटी गाँव की ही किसी औरत को पैसे देकर उसके माध्यम से गाँव की ही युवतियों और महिलाओं को डिपो में पहुँचा देती थी । उनके चंगुल में फंस जाने पर घर लौट पाना अत्यन्त कठिन था । इसके अतिरिक्त महिलाएं प्रायः इसलिए भी घर लौटने से कतराती थी कि अजनबी लोगों के साथ रहने से उन्हें न तो वह पहले वाला सम्मान ही प्राप्त होगा और न ही शायद समाज उन्हें अपनाए भले ही वे एक दम दूध की धुली क्यों न हों । महिलाओं और युवतियों को उड़ाया भी जाता था । इसलिए आरकाटी पतियों और परिवारों से असन्तुष्ट औरतों और लड़कियों की बराबर टोह में रहते थे और उन्हें बहला-फुसलाकर डिपो पहुँचा देते थे उनसे वैश्या होने की बात जबरन लिखवा कर कि हम

स्वेच्छा से जा रही हैं क्योंकि वैश्या होने के कारण न तो हमें सर्विस ही दी जाती और न ही कोई यहाँ हमसे विवाह करने को तैयार है। समाज में भी हमें घृणित नजरों से देखा जाता है। फीजी में रोजगार करने के लिए हम स्वयं तैयार हैं—उनसे ऐसा लिखवाकर जहाज में चढ़ा दिया जाता था इन फर्जी वैश्याओं की कोई विशेष जाँच भी नहीं होती थी। किसी महिला या युवती को डिपो में पहुँचाने में क्योंकि अधिक कठिनाई होती थी, इसलिए आरकाटियों को इन्हें भेजने का अधिक कमीशन मिलता था। ये कहकर लोगों को ललचाते थे कि फीजी से तुम इतना अधिक कमाकर ला सकते हो कि सात पीढ़ियों तक भी किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे खाओगे। वे इन मजदूरों को पहले ही यह सिखा देते थे कि जहाज में चढ़ने से पूर्व तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा और वे साहेब तुम से जो भी कहें तुम “हाँ” कह देना क्योंकि साहेब तुम से यहाँ पूछेंगे कि क्या तुम स्वेच्छा से जा रहे हो? तत्पश्चात् इम्मीग्रेशन अधिकारी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहता था कि फीजी में तुम्हें रोज 12 आने के बराबर मजदूरी मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा की, चिकित्सा की, खान-पान एवं आवास और भारत लौटने की निशुल्क सुविधा मिलेगी। हीरे-मोती और सोने का असीमित भंडार होने के कारण वहाँ की ऊपरी कमाई बहुत अधिक है। नाममात्र डाक्टरी होने के बाद जलयान में चढ़ाने हेतु उन्हें नौका से ले जाया जाता था।

उनके पैसे और अच्छे कपड़े भी आरकाटी यह कह-कर ले लेते थे कि ये तुम्हें बाद में मिलेंगे और तब पहनने के लिए उन्हें दे दिया जाता। कैदियों जैसा एक कुर्ता-पाजामा, पानी के लिए टीन का लोटा, टीन की थाली और एक छोटा सा कपड़े का झोला। चमार, मेहतर और ब्राह्मण आदि सभी को उन्हीं बर्तनों में भोजन करना पड़ता था। हरिजन के साथ या उसके झूठे बर्तन में न खाने की या निम्न स्तरीय भोजन होने की यदि कोई बात करता था तो उसे समुद्र में फेंक देने की धमकी दी जाती थी। निम्न जाति के लोगों के साथ भोजन न करने की जिद करने पर और फीजी न जाने की जिद करने पर जब उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई तो तीनों यात्रियों ने जहाज के डेक से समुद्र में कूद कर स्वयं अपनी जान गँवा ली थी। जीवित रहना ही जब एकमात्र एजेंडा हो तो जात-पात के सभी बंधन बेमानी हो जाते हैं, अतः युवाओं

के सागर में डूब जाने की घटना के बाद से तो जहाज में सवार सभी मजदूर चाहे वे किसी भी रंग, जाति या वर्ण के थे, अब जहाजी भाई हो गए थे और सभी ने अपनी जातीयता और प्रान्तीयता को भुला कर यही बात याद रखी थी कि सबसे पहले वे भारतीय हैं।

जहाज में प्रत्येक को प्रतिदिन 4-4 डॉग बिस्कुट और आधी छटाँक चीनी दी गई। बिस्कुट इतने घटिया थे कि उन्हें अंग्रेज अपने कुत्तों को खिलाते थे। सख्त भी ऐसे थे कि घूँसे मार-मार कर तोड़े गए और पानी में भिगोकर खाए गए। प्रातः और सायं केवल एक-एक कप चावल और दाल मिलती थी जबकि पीने के लिए दिन में केवल दो बोतल पानी मिलता था। मजदूरों से जहाज का शौचालय एवं मूत्रालय भी साफ कराया जाता और कूड़ा-कचरा भी उठवाया जाता था। जहाज में महामारी फैल जाने से 15 यात्री काल के गाल में चले गए जिन्हें कि समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया गया। मार्ग में उन्हें एक नहीं बल्कि अनेक सागर और महासागर पार करने पड़े थे। इन्हें ले जाने वाले जहाजों को कुली जहाज कहा जाता था। इनमें गर्मी-ठण्डी से बचने की और रोशनी और हवा की भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। जहाज से उतरने के बाद उन्हें खेतों पर ले जाया जाता था जहाँ पर कि इनके रहने के वे बाड़े होते थे जिन्हें कि कुली लेन कहा जाता था।

कुली लेन की झोंपड़ियाँ बाँस और घास-फूस की थीं जिनकी छतों से बरसात में पानी टपकता था। जरा सी असावधानी होते ही अर्थात् जरा सी छिटकी हुई चिंगारी इन्हें राख के ढेर में परिवर्तित कर डालने की क्षमता रखती थी। इनमें बिजली, पानी और शौचालय आदि की भी व्यवस्था नहीं थी और इनका आकार भी केवल 8 × 7 फुट तथा ऊँचाई भी 7 फुट की ही थी। फर्श कच्चे थे जिनमें कि चूहे कबड्डी खेलते थे। हाँ, चारों ओर मच्छरों ने भले ही आतंक फैला रखा था, पर मलेरिया का प्रकोप नहीं था। लेन के बाहर गज भर ऊँची घास जहरीले कीड़ों और जीव जन्तुओं का अड्डा बनी हुई थी। अपने परिवार सहित इन लोगों को इसी सीमित जगह में सोना पड़ता था जबकि स्नान और रसोई संबंधी व्यवस्था भी इसी में करनी होती थी। जिन लोगों ने बकरी, कुत्ते, मुर्गे और बिल्ली आदि पाल रखी थी, उनके लिए भी उसी में स्थान निकालना होता था। धुँआ, धूल और असहनीय दुर्गन्ध से दम निकलने को हो जाता था। खेतों में

बीड़ी पीने वालों के लिए और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए 9-9 फुट के हंटर तैयार रहते थे । खुदकुशी करने को भी भारतीय धर्म इजाजत नहीं देता था । कभी-कभी तो छाती भर पानी में गन्ना काटकर, लादकर उसे पेलना भी पड़ता था । बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी । गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक तथा पौष्टिक दूध आदि की भी व्यवस्था नहीं थी और नवजात शिशुओं को भी माँ के दूध पर ही आश्रित रहना होता था । चारों ओर भिनभिनाती हुई मक्खियों के कारण भोजन करना मुश्किल हो जाता था ।

पुरुषों को प्रतिदिन पाँच पैसे मजदूरी मिलती थी जबकि महिलाओं को 2½-3 पैसे के बची की ही मजदूरी मिलती । इतनी अल्प कमाई से उन्हें प्रायः एक समय भूखा ही सोना पड़ता था । इस प्रकार उनका भोजन तो अपराधियों से भी गया-गुजरा था । यद्यपि उनका जीवन भारत के काले पानी की सजा से भी कहीं अधिक बदतर था तथापि वे सदैव यही सोचते रहे कि 5 वर्ष का समय तो उनके जीवन का एक छोटा सा वनवास ही सही; क्योंकि भगवान राम भी तो उनसे भी कठिनतम 14 वर्षों का वनवास काटकर सकुशल घर वापस लौट आए थे । उन्हीं के समान वे भी 5 वर्ष बाद अवश्य ही अपने-अपने घरों को पहुँच ही जाएंगे ।

अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करने वाले इन मजदूरों को निःसन्देह वहाँ नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ा । कोलम्बर (ओवरसियर) काम पूरा न करने वालों की कोड़ों से खाल उधेड़ देते थे और काम करने के घन्टे भी निश्चित नहीं थे । प्रातः 3.00 बजे ही भोजन खा-पीकर गन्ना काटने और लादने निकल जाते थे और देर रात में ही घर लौटते थे । पूरा काम न होने पर मजदूरी भी काट ली जाती थी । बिना सूचित किए घर बदल लेना भी ऐसा अपराध था जिसके लिए कि उन्हें जेल भी भेजा जा सकता था उन्हें बाहरी दुनिया से भी सम्पर्क करने की पूर्णतया पाबन्दी थी। कई बार तो कोलम्बर ही इन महिलाओं के जिस्म से खिलवाड़ करते पाए गए । जो महिला कोलम्बर की बात नहीं मानती या उसकी शिकायत करती तो उसकी ड्यूटी किसी दूरस्थ स्थान पर ऐसी जगह लगा दी जाती जहाँ तक कि पैदल आने-जाने में उसकी टाँगें एक दम जबाब दे जाती थीं । जबकि विलम्ब से पहुँचने पर या तो उसे वापस भेज दिया जाता या उस दिन का आधा वेतन मिलता था । विदेशी भ्रमण और वहाँ से असीम धन-राशि बटोर लाने की प्रबल चाह ने ही इन भारतीयों को उस देहरी पर ला पटका

था जिसका कि इन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उसका द्वार कहां खुलता है । अपना भाग्य आजमाने को यद्यपि ये कहीं भी जाने को तैयार थे, तथापि दुर्भाग्य वहाँ भी इनका साया बनकर सदैव इनके साथ रहा । कठिन परिस्थितियों में जीवित कैसे रहा जाता है, यह सबक तो इन्होंने फीजी की कुली लेन के नारकीय जीवन में ही पढ़ा जो कि भारत में शायद नहीं पढ़ पाते ।

1916 में गिरमिट प्रथा के समाप्त हो जाने पर वहाँ से जो लोग भारत लौट कर आए उनमें से अनेकों को यहाँ रोजगार नहीं मिला । कईयों के फीजी में जन्में बच्चों के अनुकूल यहाँ की जलवायु नहीं थी । फीजी में मलेरिया नहीं था जबकि कलकत्ता में मच्छरों के काटने से उन्हें जबरदस्त मलेरिया हो गया । जो लोग वहाँ से कुछ कमाकर लाए थे उनका पैसा ड्राफ्ट भुनाने से लेकर अपने गाँव पहुँचने तक विभिन्न नफाखोरों और बिचौलियों के चँगुल में फँस जाने से प्रायः समाप्त ही हो गया था । कलकत्ता में वे ठगे भी गए क्योंकि यहाँ के ठग और चोर तो इसी ताक में थे कि जो कुछ भी वे कमा कर लाए हैं, उसे हड़प या चुरा लिया जाए । कुछेक ने वैश्यागिरी एवं जुआ खोरी में भी अपना धन लुटा दिया । कुछ व्यक्ति तो फीजी से ही न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एवं आस्ट्रेलिया में चले गए थे । जो व्यक्ति अपनी जाति से बाहर की लड़की से या विदेशी लड़की से विवाह कर भारत लौटे थे, उनमें से अधिकांश ने औरतों को कलकत्ता में ही या तो बेच दिया या वहीं पर इस विचार से छोड़ दिया कि गाँव के लोग इसे स्वीकारेंगे नहीं । इन्हें यदि हम रखना भी चाहेंगे तो गाँव के लोग हमें जात से या बिरादरी से गिराकर शायद हमारा हुक्का-पानी भी बंद कर दे और यहाँ तक कि गाँव के कुएँ से पानी भी न भरने दें । अपना पेट भरने के लिए ऐसी अनेक महिलाओं को गन्दी बस्तियों के वैश्यालयों की शरण लेनी पड़ी । सैकड़ों व्यक्ति अपने खर्चे पर “गैंगेज” नामक जहाज से अपने बीमार बच्चों सहित पुनः फीजी चले गये । यहाँ की सरकार ने भी उनके लिए रोजगार और पुनर्वास आदि की कोई व्यवस्था नहीं की थी ।

गिरमिट प्रथा की समाप्ति तक यहाँ के भारतीय फीजी में 6 दिन कठोर परिश्रम करने, गाली खाने और अमानुषिक यातनाएँ सहने के बाद रविवार को रामायण पाठ, भजन और हरिनाम धुन में लिप्त हो सत्संग करते थे । निःसन्देह रविवार का दिन उनका अपना होता था । कबीर, मीरा और तुलसी के भजन गाए जाते थे जबकि कभी-कभी आल्हा की

ओजस्वी कथा भी होती थी। ढोल और मजीरे की ताल पर श्रोता झूम उठते थे। क्योंकि अनेक लोग रामायण, गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहेब आदि पुस्तकें वहाँ साथ ले गए थे, इनके घरों और मन्दिरों आदि धार्मिक स्थानों में ये पुस्तकें और देवी-देवताओं के चित्र आज भी बड़े ही जतन से सहेज कर रखे हुए हैं। कभी-कभी फाग रांग, बसंत पंचमी एवं होलिका दहन आदि से संबंधित घटनाओं के भी कार्यक्रम होते थे। कई पंडितों और महन्तों ने भारतीय संस्कृति और हिंदी जानने पर भी जोर दिया। रामलीला और कृष्णलीला के आयोजन से प्राप्त हुए धन से एक धर्मशाला बनाई गई जिसमें हिंदी पढ़ाई जाने लगी। बाद में आर्य समाज और सनातन धर्म नामक दो हाई स्कूल भी खुल गए। अब वहाँ अनेक मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे हैं। अब यहाँ के कई गाँव और स्टेशनों के नाम भारतीय नगरों वाले ही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन भी अनेक हिंदी कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। यहाँ रामायण, महाभारत और हिंदी फिल्मों के कैसेट भी खूब सुने जाते हैं। हिन्दू, मुस्लिम, सिख और इसाईयों में आपसी विवाह हो रहे हैं तथा अमीर और गरीब के बीच छुआछात और धन-दौलत की कोई खाई नहीं है। जो लोग भारत नहीं लौटे, मजदूरी करने से मुक्त हो जमीन खरीद कर खेती करनी शुरू कर दी। स्वतन्त्र किसानों का जीवन आरम्भ करके अपनी बचत की बदौलत वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने लगे जो कि पढ़-लिखकर राजनीति एवं सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं। दीपावली, होली और ईद एवं मुहर्रम को यहाँ सार्वजनिक अवकाश

रहता है। फीजी भूमि विदेशियों की पूँजी और भारतीयों के श्रम से सभी प्रकार से समृद्ध और सम्पन्न है।

1970 में फीजी स्वतंत्र हुआ। उसका अपना संविधान बना और नीतियाँ कार्यान्वित हुईं। वहाँ की संसद की भाषा तो अंग्रेजी है, पर कोई भी सांसद अपने विचार फीजियन या हिंदी में भी प्रकट कर सकता है। इस प्रकार हिंदी की वहाँ बराबर मान्यता है। यहाँ अनेक पत्र-पत्रिकाएँ हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। भारत पत्र, वृद्धि और वृद्ध वाणी आदि हिंदी पत्र तथा ज्ञान, तारा, प्रवासिनी, प्रकाश, सनातन प्रकाश आवाज और झंकार आदि हिंदी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। कुँवर सिंह की शान्तिदूत, सुखदेवसिंह की शान्तिव्रत, कमला प्रसाद मिश्र का ताज मेरा अतीत, तोता राम की भूत लेन की कथा और इतिहास, रामचन्द्र शर्मा का फीजी दिग्दर्शन, प्रेम नारायण अग्रवाल का प्रवासी तथा जोगिन्द्र सिंह का करवट और मेरा देश-मेरे लोग नामक रचनाओं ने वहाँ हिंदी के प्रचार-प्रसार में पर्याप्त योगदान दिया है।

तत्कालीन यातना और अवसाद अब अतीत की चीज हो गई है। यदि शेष कुछ बची भी हैं तो वे उनके अदम्य संघर्ष की धुंधली सी यादें ही हैं जो आज भी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपनी जड़ों को न भूलने का संकल्प करवाती रहती हैं। यह उचित भी है, क्योंकि अतीत से प्रेरणा लेकर तथा भविष्य के प्रति आशावान होकर ही मौजूदा चुनौतियों से संघर्ष किया जा सकता है। ■

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।

—महात्मा गांधी

राष्ट्रभाषा के प्रचार को मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ।

—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

आकाशवाणी के समाचारों में हिंदी

—राजेन्द्र उपाध्याय*

अन्य श्रव्य माध्यमों में हिंदी का प्रयोग दिन पर दिन विकृत होता जा रहा है। एफ.एम. आदि पर खिचड़ी इंग्लिश का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी मुहावरों के गलत-सलत प्रयोग से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरह की उत्तेजक और गंदे-संदे चुटकुलों से भरी भाषा के प्रयोग से लोगों के कान पकते जा रहे हैं। समुदाय विशेष की, महिलाओं की, दलित वर्गों की भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि दार्जिलिंग में दंगे भड़क गए थे, क्योंकि एफ एम कार्यक्रम में एक एंकर ने 'इंडियन आईडल' के विजेता गोरखा समुदाय का मजाक उड़ाया था।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज भी छछ को फूंक-फूंक कर पीता है। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें चौबीस घंटे चलने वाले टी वी चैनलों का मुकाबला भी करना है, समय पर समाचार भी देना है और भाषा का संस्कार भी बनाए रखना है। सरकारी आचार संहिता का भी पालन करना है और सामाजिक, सांस्कृतिक आचार संहिता का भी। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमें हिन्दू-मुसलमान आतंकवादी कहने की आजादी नहीं है जैसी अन्य चैनलों को है। हम युवा कांग्रेस या भाजपा में चले 'चाकू-छुरे' की घटना की भी कथित या "तथाकथित हिंसा" कहकर काम चलाना पड़ता है। पूरे देश की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी में मुहावरों, शब्दों का अर्थ भौगोलिक दूरियों के बाद बदल जाता है। कुछ समय पहले तक आकाशवाणी में 'निधन' शब्द पर प्रतिबंध था—केवल देहांत से काम चलाना पड़ता था—लेकिन क्या वे केवल 'देह' थे? अन्य चैनल या अखबार या गोलोकवासी कह सकते हैं हम नहीं। 'यात्रा के अंतिम चरण में कहना ह—' अंतिम यात्रा पर नहीं। महायात्रा पर नहीं।

आकाशवाणी में भाषा की शुद्धता, सरलता तथा स्पष्टता का बहुत ध्यान रखा जाता है। आकाशवाणी का काम पंडितारू भाषा से नहीं चल सकता, दूसरी ओर उसका काम सड़क छाप भाषा से भी नहीं चल पाता है। हमें ऐसी भाषा लिखनी पड़ती है, जिसे पंडित से लेकर रिक्शा चलाने वाला भी आसानी से समझ सके। अखबार, पढ़ते वक्त आप शब्दकोष देख सकते हैं, लेकिन समाचार सुनते वक्त नहीं। समाचार सुनते समय आप दाढ़ी बना रहे होते हैं या पान की दुकान पर खड़े हो सकते हैं।

आकाशवाणी के समाचार के अपने मुहावरे हैं या 'सैट पैटर्न' है जो संवाददाता या संपादक इन्हें जितनी जल्दी रट लेता है वह उतना सफल संवाददाता या संपादक होता है। दो देशों के नेताओं की बातचीत के बारे में हमेशा खबर बनाई जाती है 'द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने', आपसी हितों पर विचार-विमर्श, 'आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का वचन दिया, इसी तरह' बंद या कर्फ्यू की सेट, बनी-बनाई खबरें होती हैं—“स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है! कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है।” 'सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं' आदि-आदि।

आकाशवाणी की हिंदी जितनी अज्ञेय, रघुवीर सहाय, मनोहरश्याम जोशी जैसे साहित्यकारों की बनाई हुई है, उतनी ही वह देवकीनंदन पाण्डेय, अशोक वाजपेयी, रामनुजप्रसाद सिंह की बनाई हुई है। कुछ साहित्यकारों को जैसे कुछ विशेष प्रिय होते हैं वैसे कुछ वाचकों को भी कुछ शब्द विशेष प्रिय होते हैं। वे उनकी जिह्वा पर चढ़ जाते हैं। आप कुछ भी लिखकर दे दीजिए वे वही पढ़ेंगे जो उन्हें पढ़ना होगा। उन्हें 'सुबह' पढ़ने में दिक्कत आती है— 'सवेरे' ठीक पढ़ लेंगे। कुछ को उर्दू शब्दों से लगाव होगा तो वे

*सहायक निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110002

‘अफसोस’ पढ़ेंगे—शोक व्यक्त किया नहीं। आप उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय लिखते रहिए—वे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के चक्कर लगाएंगे, तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी—अंग्रेजी हिज्जों के हिंदी उलथा करने से ‘ताड़का तीर्थ’ हो गए। इसी तरह आईजेक बेशेविस सिंगर (नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक) देहांत के बाद आकाशवाणी पर ‘गायक’ हो गए।

‘भाषा और वार्ता’ होने के बावजूद आज भी हिंदी के समाचार अंग्रेजी से पहले तैयार होते हैं और बाद में उसका अनुवाद होता है। अनुवाद के कारण कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा हिंदी दिवस पर हिंदी में संदेश देते थे—उसकी रिपोर्ट अंग्रेजी में फाईल की जाती थी और फिर उसकी हिंदी आकाशवाणी में की जाती थी। आज भी हिंदी दिवस पर गृहमंत्रि का संदेश इसी तरह प्रसारित होता है।

हमारे संवाददाता विदेश में बैठे भी और देश में बैठे भी गलत हिंदी बोल सकते हैं—लेकिन अंग्रेजी गलत नहीं बोल सकते । अंग्रेजी का सही-सही प्रयोग करना है—हिंदी तो उड़िया भाषी, तमिलभाषी, कन्नड़ भाषी, बंगलाभाषी संवाददाता गलत बोलना अपना अधिकार समझता है । अंग्रेजी तो उसने किसी स्कूल कॉलेज से सीखी होगी, लेकिन हिंदी वह अपनी बीबी से, या नौकरानी से भी सीख लेता है । अचानक मेरे पास दूर देश से या अपने देश से ही किसी संवाददाता का फोन आया—‘मिस’ करना या फलां शब्द की हिंदी क्या होगी? मैं कहता हूँ कि ‘कुछ नहीं’ तो कहेंगे—काहे के कवि हैं—जब इतनी हिंदी भी नहीं आती । हिंदी और अंग्रेजी की प्रकृति अलग है । हमारे अधिकांश अफसर जैसे पहले अंग्रेजी में सोचते हैं वैसे ही हमारे अधिकांश संवाददाता, संपादक, पत्रकार पहले अंग्रेजी में सोचते हैं—बाद में उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं । हाल में ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ मुंबई मुठभेड़ में मारे गए—अब ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ की हिंदी क्या होगी? मुठभेड़ विशेषज्ञ । अंडरवर्ल्ड डॉन या ‘माफिया’ जैसे कई शब्द अंग्रेजी के ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं । कुछ समय पहले ‘पुलिस पेट्रोलिंग’ का पुलिस पेट्रोल छिड़क रही है, हो गया था । हमारे एक संवाददाता पेड़ लगाने की बजाए ‘झाड़ लगाए’ बोलते थे ।

बिहारी लोग 'गाड़ी' खुलेगी बोलेंगे-चलेंगी नहीं।
'स्थायी' को अस्थायी' बोलेंगे-एम को 'यम' बोलेंगे। इसी
तरह बंगाली, उडिया, असमिया अलग-अलग हिंदी बोलेंगे।

नारी शोषण—एक सामाजिक चिंतन

—डॉ रुक्मिणी तिवारी*

हिंदी विभागाध्यक्ष माधव महाविद्यालय

वैदिक युग में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे, या यूँ कहें कि वह पुरुष से भी ऊँचा स्थान रखती थी। वैदिक युग के पश्चात् उत्तर वैदिक काल से मध्यकालीन युग तक नारी की स्थिति में पतन होता गया। अरस्तु, प्लेटो, मिल्टन और रूसो जैसे विद्वानों ने भी महिलाओं को पुरुषों के समान स्वीकार नहीं किया था। भारत में भी उनकी पूर्ण स्वतंत्रता नष्ट हो चुकी थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-वध, कन्या-विक्रय, बहु विवाह और कु-प्रथाओं ने उनका जीना दूभर कर दिया था। विधवा विवाह समाप्त हो गए थे। महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी बन गया था। शिक्षा के द्वार भी उनके लिए बंद हो गए थे। आर्थिक दृष्टि से भी उनकी स्थिति बहुत खराब थी।

सामंती व्यवस्था में नारी एक वस्तु है, संपत्ति है, संभोग और संतान की इच्छा पूरी करने वाली मादा है। मध्ययुग में हर विजेता ने शत्रु राज्य की संपत्ति के साथ-साथ पशुओं, गुलामों और स्त्रियों को भी लूटा है। क्योंकि मूलतः वह भी संपत्ति ही है। पश्चिम सभ्यता से आयातित उपभोक्तावादी संस्कृति ने नारी को एक उपभोग्य वस्तु में बदल दिया है जिसने देह को भोगी जाने वाली वस्तु मानने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। नारी को मात्र देह प्रदर्शन की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान में तो कहना ही क्या? नारी का होना ही बोझ समझा जाता है।

पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था हमारे समाज पर लंबे समय तक मजबूती से छाई रही जिससे आज भी समाज की महिलाएं इन गली-सड़ी रूढ़ियों और कानूनों का दंश झेल रही हैं। शोषित होना और होते रहना औरतों को कवच पहनाकर मैदान में उतार दिया गया। महिलाओं की पीड़ाएं तमाम खांचे में बंट गई—कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ से शोषक का खांचा तो कहीं हिंदु एडप्शन एंड मेंटीनेंस एक्ट का खांचा। पर हर व्यवस्था में शोषित औरत ही हुई।

भावनात्मक हिंसा और भी गहरी चोट पहुंचाती है। पति की गालियां, पीहर के लिए कहे गए अपशब्द, दुश्चरित्र की

संज्ञा, अवहेलना, अन्य स्त्री-संसर्ग मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। महिलाएं प्राकृतिक रूप से इतनी भावुक और संवेदनशील होती हैं कि वह अपने दुश्मन को भी चोट पहुंचाने से पहले उस पर बार-बार विचार करती हैं। जबकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि हो रही है। दिन-प्रति-दिन यौनाचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यौनाचार तथा बलात्कार की इतनी अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। ससुराल वालों द्वारा विवाहित को तंग करने के मामलों में तथा कार्यालय सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है।

कामकाजी महिलाओं पारिवारिक दायित्वों के साथ अपनी व्यवसाय संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करती हैं, अपने दोनों दायित्वों का निर्वाह करते-करते व दोहरी भूमिका के दबाव से तनावग्रस्त भी होती हैं। राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान के अध्ययन के अनुसार स्वरोजगार वाली महिलाओं में से 40 प्रतिशत सेवाओं (गृह कार्य में सहायता) 30 प्रतिशत छोटी-मोटी दुकानदारी या साग-सब्जी बेचने का काम, 15 प्रतिशत उत्पादन और 8 प्रतिशत निर्माण कार्यों से जुड़ी हैं।

हमारे समाज में कुछ कुसंस्कारों ने अभी तक महिलाओं को पिंजरे में जकड़ रखा है। बेटियों को पराया धन मानने और उनके यहां का पानी तक नहीं पीने की धारणा सदियों से कायम है। आज हमारा समाज चाहे जितना भी विकसित हो गया हो लेकिन बेटियों के मामलों में हमारी सोच अभी भी आदिम युग की है। कहने को तो लोग अब कहने लगे हैं कि बेटे और बेटों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन व्यावहारिकता में वे बेटों को अभी भी पराया धन समझते हैं। बेटा चाहे जितना भी नालायक हो, माता-पिता को बोझ समझता हो और उनके साथ खराब व्यवहार ही क्यों न करता हो, माता-पिता अपने बेटे के साथ ही रहना चाहते हैं। बेटों को बोझ या पराया धन तथा बेटों को बुढ़ापे का सहारा माने जाने की परंपरागत धारणा के कारण तकरीबन हर माता-पिता की यही इच्छा होती है कि उसके एक बेटा जरूर हो। जबकि

*डी-6, साइट नं. एक, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, पो. आर.के. पुरी, ग्वालियर (म.प्र.)

बेटियों को बेटों की तुलना में माता-पिता से अधिक लगाव होता है। वे माता-पिता के प्रति ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ और सेवा-सुश्रुषा करने वाली होती हैं। वे माता-पिता को बेटों की तुलना में अधिक भावनात्मक सहारा भी दे सकती हैं। बेटों को पराया धन मानना आज के आधुनिक समाज में पिछड़ेपन की ही निशानी है।

वर्तमान समाज में बहुत सी अनर्गल और बर्बर परंपराएं हैं। भारतीय नारियों का जीवन आज उनके प्रति बढ़ते अपराधों के कारण असुरक्षित, अपमानित, पीड़ादायी एवं नारकीय बनता जा रहा है। देश में औरतों की समस्याएं सुनने, उन्हें सुलझाने और उनके हिंसक पतियों पर अंकुश लगाने के प्रति प्रायः उदासीनता ही बरती होती है। जब भी कोई औरत अपने खिलाफ हो रहे या हुए अत्याचारों पर मुंह खोलती है, उसे बदचलन, आवारा, बिगड़ी, कुल्टा बताकर मामला दबा दिया जाता है।

इस देश की स्त्रियों की समस्या का बुनियादी कारण जीवन में वह दोहरापन मापदंड है। एक ओर वह स्त्री को श्रद्धा घोषित करता है, दूसरी ओर उसके विकास को मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने की तमाम उपाय करता है। वर्ष में दो-दो बार बालिकाओं की नौ-नौ दिन तक पूजा करता है, लेकिन उनसे जन्म लेने और जीने का अधिकार छीनने की साजिश भी करता है। सिद्धांत के स्तर पर तमाम परिभाषाएं वह स्त्री के अनुकूल करता है। आचरण के स्तर पर स्त्रियों को उनका जायज अधिकार भी नहीं देना चाहता। यही कारण है कि स्त्रियों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने वाले अनेक कानूनों के बनाए जाने के बावजूद उनके विरुद्ध हिंसा और अपराध निरंतर बढ़ोतरी पर है। यह बढ़ोतरी कुछ प्रांतों या जिलों में नहीं बल्कि समूचे देश में देखी और महसूस की जाती है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात करते हैं और दूसरी ओर लड़कियों को जन्म से पूर्व ही मार रहे हैं।

वह नारी जिसको हर तरह से शोषित करने के बाद भी समाज एक मर्यादा देता रहा है। वह नारी जो हमारी कुल मर्यादा की प्रतीक है। वह नारी जो उच्छृंखलता से परे रह कर अपने कुल-परिवार को अपनी मधुर हंसी तथा ममता से सराबोर रखती है, छोटे-बड़े की सेवा करती है, जिसका शृंगार उसकी लज्जा का आभूषण है। आचरण के स्तर पर स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी इस समय समाज की सबसे बड़ी मांग है। समाज को तटस्थ हो कर विश्लेषण करना पड़ेगा कि स्त्रियों को उनका ठीक स्थान न देने के कारण इस देश को क्या और कितना नुकसान हुआ है।

मान-सम्मान, सपने सब कुछ ताक पर रखकर जिस निर्विकार भावना से औरतें जुटी रहती हैं, उसकी एवज में घर को पुरुषों को जो भले ही मुखिया होते हैं, भले ही पैसा-रुपया न दे पर थोड़ा सा सम्मान-अपनापन-स्वतंत्रता देना चाहिए। समय के साथ पुरुष को अब अपनी आदतों और सिद्धांतों में लचीलापन लाना चाहिए। पति और घर के सदस्यों को चाहिए कि पत्नी के इस दोहरे बोझ को समझें और सहयोग करें।

आज घर-घर में अशान्ति, अव्यवस्था, कलह-क्लेश का वातावरण फैला हुआ है। परिवार टूट रहे हैं, पति-पत्नी में तलाक लेने में वृद्धि हो रही है, आपस में सम्पत्ति को लेकर झगड़े अदालतों में हैं। उसका मूल कारण है नर-नारी में सामंजस्य का अभाव, नर-नारी एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का ठीक-ठीक पालन नहीं कर पा रहे हैं। पुरुष सोच में यदि तनिक लोच लाने की कोशिश की जाए तो औरतें कब चाहती हैं कि कैरियर या परिवार में से वे एक को ही चुनें। भारतीय नारी तो पूर्ण रूपेण समर्पणशील है, वह पतिव्रता बनी रहना चाहती है, वह पति से अतिरिक्त अपना अस्तित्व नहीं समझती, वह उसी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझती है। औरतें तो बाहें फैलाकर सारा जहां समेटने को आतुर ही रहती हैं, बस पुरुषों में थोड़ा सा दबाव कम करने का मादा पैदा हो जाए तो सफल औरतें भी सुखद पारिवारिक जीवन छोड़े बिना ही डटी रहें। पुरुषों की व्यावहारिकता में परिवर्तन आते ही महिलाएं स्वयं ही आगे बढ़ कर पूरा सहयोग देने को तैयार रहती हैं।

अब नए जमाने में भौतिकवाद एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से दुःखी एवं पीड़ित महिलाएं न्यायालयों में भी जाने लगी हैं, जब पति द्वारा पत्नी के साथ असहनीय यौन उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो पत्नी के लिए न्यायालय में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है।

सरकार और समाज दोनों ने नारियों के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाए हैं और नित्यप्रति उनकी सुरक्षा की दुहाई दी जा रही है। किन्तु स्थिति दिन-प्रति-दिन विपरीत ही होती जा रही है। बहुत से नियम सिद्धांत ही बनकर रह गए हैं और उन पर किए जाने वाले अत्याचारों की निरंतर वृद्धि होती जा रही है। यौनाचार तथा बलात्कार की इतनी अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या केवल कन्या के प्रति ही नहीं अपितु समाज के प्रति भी अपराध है। कन्या भ्रूण-हत्याओं का मुद्दा बेहद गंभीर है। इससे देश में लिंग अनुपात में असमानता आने से भविष्य में विकट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह हमारे समाज में नैतिक पतन का द्योतक है।

(क) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

माननीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती कांति सिंह जी की अध्यक्षता में पर्यटन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 25 नवम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन एनेक्सी के कमेटी रूम "ए" में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री, माननीय सांसदों, सचिव (पर्यटन) तथा मंत्रालय से जुड़े कार्यालयों के प्रमुख/प्रतिनिधियों, समिति के सरकारी सदस्यों एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक के प्रारम्भ में सचिव (पर्यटन) ने हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यों का स्वागत किया। पर्यटन मंत्रालय में हो रहे कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी दी।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री महोदया ने भी सभी का स्वागत किया तथा विलम्ब से हो रही हिंदी सलाहकार समिति को भविष्य में नियमित रूप से आयोजित करने का आश्वासन भी दिया।

इसके पश्चात् अपर सचिव (पर्यटन) ने पर्यटन मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हो रहे हिंदी के कार्यों पर विस्तृत रूप से जानकारी स्लाइड के माध्यम से दी। जिसे सभी सदस्यों ने सराहना की।

माननीय मंत्री महोदया ने सभी सदस्यों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले गैर-सरकारी सदस्य डा. वीरेन्द्र कुमार दुबे ने अपने सुझाव समिति के समक्ष रखे जो इस प्रकार हैं :- इनका सुझाव था कि पर्यटन मंत्रालय में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाए। समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। हिंदी प्रत्रिका का प्रकाशन किया जाए। हिंदी सलाहकार समिति की आगामी बैठक नए वर्ष के प्रथम माह में की जाए।

डा. परमानन्द पांचाल द्वारा दिए सुझाव इस प्रकार हैं :-

पर्यटन मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें विलम्ब से नहीं होनी चाहिए। चूंकि यह समिति सलाह देने के लिए बनाई गई है। अतः वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अवश्य की जानी चाहिए। डा. पांचाल ने समीक्षा करते हुए बधाई देते हुए कहा कि पर्यटन मंत्रालय की हिंदी कार्य की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। सभी अधिकारी/कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। नियम 8 (4) के अंतर्गत समय पर आदेश दिए जा रहे हैं। मंत्रालय में 8 अनुभागों को हिंदी में कार्य करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उत्तर-पूर्व के ब्रोशर भी हिंदी में हैं। ये सभी कार्य प्रशंसनीय हैं। मंत्रालय में मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए "राहुल सांकृत्यायन योजना" भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह बहुत पुरानी योजना है इसके लिए भी मंत्रालय बधाई का पात्र है। इस वर्ष श्री आलोक मेहता को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

इसके साथ-साथ डा. पांचाल ने जानना चाहा कि राष्ट्रीय केटरिंग एवं होटल प्रबंध परिषद् में प्रशिक्षण का माध्यम क्या है। प्रशिक्षण का माध्यम एवं प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में भी होनी चाहिए। उच्च अधिकारीगण हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करें और प्रेरित करें। सभी होटल प्रबंध संस्थानों में हिंदी संचार पत्र मंगाने चाहिए। विज्ञापन द्विभाषी रूप में दिए जाएं। क्षेत्र "क" और "ख" से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएं। क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, मुम्बई "पर्यटकों का स्वर्ग" नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए बधाई के पात्र हैं। "प्रोत्साहन योजना" अधिकारी वर्ग के लिए भी चलाई जाए। मंत्रालय में हिंदी में कार्य करने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाए। कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए राजभाषा विभाग से सहायता ली जा सकती है।

बैठक में चर्चा के दौरान सदस्य श्री आलोक मेहता द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए :-

(क) केवल हिंदी के प्रचार के लिए ही नहीं पर्यटन की दृष्टि से भी हिंदी में प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

- (ख) टी. वी. में प्रतिदिन एक कार्यक्रम हिंदी में पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिए आना चाहिए।
- (ग) हमें घरेलू पर्यटकों को और अधिक बढ़ाने के लिए भी विचार किया जाना चाहिए।
- (घ) होटलों में हिंदी की पत्रिकाएं, समाचार-पत्र उपलब्ध कराए जाएं।
- (ङ) बजट होटलों के बारे में ब्रोशर एवं वेबसाइट में जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- (च) विदेशी विश्वविद्यालयों में भी भारत के बारे में हिंदी में सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि विदेशी युवा भी हिंदी में रुचि ले रहे हैं।
- (छ) लेखकों के साथ-साथ प्रकाशकों को भी पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाए तो अधिक बेहतर होगा। श्री मेहता ने यह भी सुझाव दिया कि पुरस्कृत पुस्तकें भी पुस्तकालय के लिए खरीदी जाएं। इसका बजट भी बढ़ाया जाए।
- (ज) भारत के अहिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषी सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

चर्चा के दौरान श्री मंगतराम धस्माना ने पर्यटन मंत्रालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इस बात के लिए बधाई दी कि कभी-कभी सचिव (पर्यटन) भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन करते हैं। उन्होंने भी पर्यटन मंत्रालय के कार्य की सराहना की। मूल रूप से हिंदी पुस्तक लेखन पर पर्यटन मंत्रालय की "राहुल सांकृत्यायन योजना" के लिए पुनः बधाई दी तथा समिति को बताया कि श्री आलोक मेहता जो इस समिति के सदस्य हैं, को प्रथम पुरस्कार मिला है इनके अलावा इन्हें स्वयं भी विगत में पुरस्कार मिला है। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यटन मंत्रालय के पुस्तकालय के लिए "पर्यटन" विषय पर पुस्तकें खरीदी जाएं। विज्ञापन द्विभाषी रूप में दिए जाएं। कुछ कार्यालयों, जैसे गुवाहाटी, राष्ट्रीय परिषद् ग्वालियर आदि में एक भी हिंदी का पद नहीं है। इन कार्यालयों में कम से कम एक हिंदी अनुवादक का पद सृजित किया जाए ताकि राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन किया जा सके। भारत पर्यटन, दिल्ली और मुम्बई के कार्यालयों द्वारा भी नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें की जाएं। "पर्यटकों का स्वर्ग" नामक पत्रिका के लिए मुम्बई कार्यालय की सराहना की।

बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा के दौरान गैर सरकारी सदस्य श्री बालाशौरी रेड्डी ने मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन योजना के लिए बधाई दी। पर्यटन के माध्यम से विदेशी लोग भारत आते हैं उन्हें सांस्कृतिक विरासत की जानकारी हो सकती है। राजभाषा हिंदी 1950 में लागू हुई। 60 वर्ष पश्चात् भी इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। सभी पर्यटन केन्द्रों पर हिंदी में सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। पर्यटन स्थलों में हिंदी में पर्यटन संबंधी पुस्तिकाएं प्रकाशित कर बांटी जाएं। कम खर्च वाले होटल होने चाहिए। देश के उत्पादों का विज्ञापन हिंदी में तैयार कर वितरित किए जाएं। टीवी के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

भारत पर्यटन विकास निगम के श्री परवेज दीवान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने समिति को सूचित किया कि सभी होटलों में अनुरोध करने पर हिंदी समाचार-पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, सभी रेस्टोरेंटों और कॉफी हाउस में यह व्यवस्था कराई जाएगी। भारत पर्यटन विकास निगम में अधिकारी वर्ग के लिए अलग से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। क्षेत्र "क" और "ख" से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जा रहा है।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग ने इन्टरनेट पर फ्री सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए हैं जैसे "शुद्ध लेखन सॉफ्टवेयर", "डिक्टेशन सॉफ्टवेयर" तुरंत अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर आदि इस बारे में राजभाषा विभाग से जानकारी ली जा सकती है। राजभाषा विभाग द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

सचिव (पर्यटन) द्वारा ने आश्वासन दिया कि भविष्य में मंत्रालय द्वारा वर्ष में कम से कम 2 बैठकें की जाएंगी। सभी विज्ञापन द्विभाषी दिए जा रहे हैं। उच्च अधिकारी हिंदी में कार्य करने की पहल करेंगे।

माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि सभी सदस्यों के सुझाव बहुत अच्छे हैं। सभी पर्यटन स्थलों पर समेकित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री महोदया ने कहा कि यह बैठक इस लिए देर से हो रही है क्योंकि इसका गठन समय पर नहीं हो पाया। भविष्य में यह बैठक समय पर करने के प्रयास किए जाएंगे। पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिए बजट बहुत कम है उसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय में उच्च अधिकारियों द्वारा हिंदी का कामकाज और अधिक बढ़ाने का आश्वासन दिया। सभी को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

4 पूर्व रेलवे, 17, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 18.12.2008 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री रवीन्द्रनाथ वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

मुराधि एवं मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री कन्हैयालाल पाण्डेय ने बताया कि हिंदी प्रयोग-प्रसार को प्रेरित करने के लिए अनेक सृजनात्मक अनुष्ठान जैसे नाट्योत्सव/संगोष्ठियाँ/प्रतिस्पर्धायें सम्पन्न की जा रही है। इस बैठक से पूर्व एक हिंदी कार्य समीक्षा बैठक हुई जिसमें रेलवे के आंतरिक काम-काज में हिंदी का प्रयोग व्यवस्थित ढंग से बढ़ाने के लिए यह निर्णय हुआ है कि हिंदी में अधिकाधिक डिक्शन दिए जाएं। हिंदी/द्विभाषी टैम्पलेट्स की मदद से नोटिंग/पत्राचार की मात्रा निरन्तर बढ़ाई जाए तथा निर्धारित कानूनी दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करने के प्रति निर्णय लेने के हर स्तर पर सक्रियता बरती जाए।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति के रेलवे के संभावित निरीक्षण के संदर्भ में उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष एवं मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा इस समिति की प्रश्नावली का विधिवत् अध्ययन किया जाए तथा प्रश्नावली के बिंदुओं के अनुसार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी के व्यवस्थित प्रयोग-प्रसार के लिये अभियान छेड़ा जाए। साथ ही, इस समिति की प्रश्नावली को ठीक ढंग से भरे जाने के बारे में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाए, जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों।

मुराधि ने निम्नांकित क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें कार्यवाई अपेक्षित है :-

(क) राजभाषा नियम 1976, यथा संशोधित, 1987 के नियम 10(4) के तहत मण्डलों/कारखानों के अधिसूचित कार्यालयों/स्टेशनों पर हिंदी के प्रयोग-प्रसार में तेजी लाना।

(ख) नियम 8(4) के अंतर्गत कार्यालयों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजना।

(ग) विभागीय स्तर पर हिंदी कार्य की नियमित समीक्षा की दृष्टि से तिमाही विभागीय समीक्षा बैठकों का संबंधित प्रमुख/समन्वयक विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजन।

(घ) हिंदी, हिंदी आशुलिपी, हिंदी टंकण में प्रशिक्षित कार्मिकों के कौशल का उपयोग तथा इस बारे में उचित निगरानी।

(ङ) कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमित आयोजन।

(च) निरीक्षणों के दौरान जो कार्मिक बेहतर हिंदी कार्य करते हुए मिलें, उन्हें पुरस्कृत करना तथा हिंदी संपर्क अधिकारी द्वारा अनुशंसा किए जाने पर भी तात्कालिक पुरस्कार की व्यवस्था।

(छ) हावड़ा मण्डल के फूड प्लाजा का बोर्ड जो नियमानुसार नहीं है, तत्काल त्रिभाषी रूप में प्रदर्शित करना।

महाप्रबंधक एवं समिति अध्यक्ष ने मुख्य राजभाषा अधिकारी, प्रमुख विभागाध्यक्ष, मण्डलों, कारखानों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया, उन्होंने बैठक को समय से आयोजित करने के लिए हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि गीत-संगीत का कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह आदि इस बात का प्रमाण है कि रेलवे का राजभाषा विभाग हिंदी के प्रति मन से जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है।

वेबसाइट हिंदी में कर दिया गया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, समय-समय पर इसे द्विभाषी रूप में अद्यतन भी किया जाय।

विभागाध्यक्ष, मंडली, कारखानों से आए हुए अधिकारी अपनी ओर से हिंदी में कार्य करने वाले लोगों को उत्साहित करें एवं समय-समय पर कार्य का निरीक्षण भी करें। हिंदी काम के प्रति लोगों की रुचि जगाएं, उन्हें पुरस्कृत करें।

संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण को मद्दे नजर शेष बची खंड की मुहरों को निम्नानुसार पंक्ति दर पंक्ति द्विभाषी बनवा लिया जाए।

धारा 3(3) के कागजातों की गार्ड फाइल अद्यतन रखें। 5 सूत्रीय योजना में दर्शाए गए प्रलेख की प्रतिलिपि फाइल पर रखी जाए, ताकि ये फाइलें निरीक्षण के समय अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा सकें।

हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण में प्रशिक्षित अंग्रेजी आशुलिपिकों/टंककों के लिए पुनश्चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

हिंदी में मूल पत्राचार के लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई है परंतु मण्डलों/कारखानों में गिरावट आई है। यह ठीक नहीं है, हिंदी पत्राचार लगातार बढ़ते रहना चाहिए।

आसनसोल मण्डल हिंदी प्रशिक्षण में काफी पीछे हैं, कार्ययोजना बनाकर कर्मचारियों को शीघ्र प्रशिक्षित कराएं।

चैक-प्वाइंटों को सक्रिय रखें।

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 16 दिसम्बर, 2008 को 1.00 बजे दोपहर मुख्य आयकर आयुक्त श्री सुनील चोपड़ा की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई।

प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली की 67वीं बैठक में किए गए निर्णयों तथा उनके अनुपालन हेतु की जानी वाली कार्यवाही पर विचार किया गया। विशेष रूप से अमृतसर क्षेत्र में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

30-09-2008 को समाप्त तिमाही के बारे में अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त राजभाषा संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया गया, तथा इन्हें दूर किए जाने हेतु निदेश दिए गए। नवम्बर, 2008 में आयकर आयुक्त कार्यालयों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण की रिपोर्टें समिति को प्रस्तुत की गई तथा इनमें दिए गए सुझावों को कार्यान्वित किए जाने का अनुरोध किया गया।

समिति की 17 सितम्बर, 2008 को आयोजित बैठक में किए गए निर्णयों की समीक्षा की गई।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों को जोर देकर कहा कि हमें राजभाषा विभाग द्वारा

हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित 90 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करने हैं। सभी अधिकारी उपरोक्त सुझावों को लागू करने के साथ-साथ अपने-अपने स्तर पर भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्रवाई करें।

आयकर आयुक्त, पटियाला प्रभार, पटियाला

आयकर आयुक्त, पटियाला प्रभार, की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री जी.सी. नेगी, आयकर आयुक्त, पटियाला की अध्यक्षता में दिनांक 20-10-2008 को सायं 03.30 बजे आयोजित की गई।

पिछली बैठक में लिए गए निम्नलिखित निर्णयों से सदस्यों को अवगत कराया गया। चर्चा के बाद पुनः निर्णय लिया गया कि :-

1. सूचना पत्रों पर मोहरें व हस्ताक्षर हिंदी में किए जाएं।
2. निर्धारण संबंधी समस्त कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा है।
3. सभी प्रकार के अग्रेषण पत्र व पृष्ठांकन कार्य हिंदी में किया जाए।
4. अन्तर अनुभागीय नोटिंग हिंदी में की जाए और अग्रेषण संख्या हिंदी की लगाई जाए।
5. आई.टी.एन.एस. 150 पर निर्धारितियों के नाम व पते हिंदी में भरे जाएं।
6. निर्धारण आदेश भेजने के लिए हिंदी में मानक अग्रेषण पत्र/पृष्ठांकन हिंदी में बनवाया जाए।
7. अपीलीय आदेशों के अग्रेषण पत्र/पृष्ठांकन हिंदी में किए जाए।
8. कैप-1, कैप-2 इत्यादि/मासिक प्रगति रिपोर्ट/तिमाही प्रगति रिपोर्टों में पृष्ठांकन कार्य हिंदी में किया जाए।
9. छोटे-छोटे निर्धारण आदेश तथा भूल सुधार आदेश हिंदी में किए जा सकते हैं।
10. जन शिकायतों की पावती हिंदी में भेजी जाए।
11. रजिस्ट्रेशन और धारा 12-ए व 80-जी से संबंधित रिपोर्टों को अग्रेषित करने के लिए अग्रेषण पत्र हिंदी में बनाए जाएं।

12. न्यायिक व सतर्कता शाखा में सभी प्रकार की रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषण-पत्र हिंदी में ही भेजे जाएं।

13. स्थानांतरण एवं तैनाती आदेश हिंदी में ही जारी किए जाएं।

यह सूचित किया गया कि इन पर कार्रवाई करते हुए आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय में अपीलीय आदेशों के अग्रेषण-पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि उपर्युक्त कार्य हिंदी में करने के लिए सभी अधिकारी ठोस कदम उठाएं। उन्होंने निदेश दिया कि हिंदी और अंग्रेजी के प्रेषण रजिस्टर अलग-अलग बनाए जाएं।

बैठक में विभिन्न मदों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि :-

1. कम्प्यूटरों पर यूनिकोड फॉन्ट्स लोड करवा कर हिंदी टाइप का कार्य करवाया जाए।
2. रैंज कार्यालयों में हिंदी पत्राचार की मात्रा को बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए।
3. रबड़ की मोहरें, नामपट्ट आदि द्विभाषी अथवा केवल हिंदी में ही बनवाए जाएं, यह जिम्मेदारी इन्हें बनवाने वाले की होगी।
4. सभी कार्यालयों में हिंदी की तिमाही बैठकों का नियमित रूप में आयोजन करवाया जाए और उसके कार्यवृत्त भेजे जाएं।
5. सभी प्रकार के पत्रों/आदेशों/नोटिसों आदि पर अग्रेषण पत्र अथवा पृष्ठांकन हिंदी में ही किया जाए।
6. पावती तथा डिस्पैच रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी के अलग-अलग लगाए जाएं।
7. अधिकारी विभागीय बैठकों की तरह हिंदी की बैठकों में भी समय पर आया करें एवं इसमें लिए गए निर्णयों को गम्भीरता से लें।
8. मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा जारी जांच बिंदुओं पर कार्रवाई की जाए।
9. 142(1) व 143 (2) के नोटिस/मांग नोटिसों आदि पर लिखे जाने वाले पते पर नाम हिंदी में

लिखे जाएं तथा हिंदी की मोहर लगाकर हस्ताक्षर हिंदी में किए जाएं।

आयकर आयुक्त-II जालन्धर प्रभार

आयकर आयुक्त-II जालन्धर प्रभार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 04-11-2008 को श्री एस. के. आनन्द, आयकर आयुक्त-II जालन्धर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। श्री एस. के. आनन्द, आयकर आयुक्त-II जालन्धर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आशा व्यक्त की कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इसे अपनाने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आगामी बैठक में इसके अच्छे परिणाम सामने आने चाहिए। इस बैठक की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब सब अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करेंगे। इसमें संदेह नहीं है कि हम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सहज ही प्राप्त कर लेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव :- श्रीमती सी. चंद्रकांता संयुक्त आयकर आयुक्त रैंज-IV, जालन्धर ने बैठक में भाग ले रहे सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और उन्होंने विशेष रूप से श्री एस. के. आनन्द, आयकर आयुक्त-II जालन्धर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें।

परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय पश्चिमी क्षेत्र ए एम डी कॉम्प्लैक्स, प्रताप नगर सेक्टर 5 विस्तार बंबाला सांगानेर जयपुर

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 62 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 10-12-2008 (बुधवार) को किया गया।

सर्वप्रथम बैठक में हिंदी कार्यशाला के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पखनि/पक्षेत्र में दिनांक 23 व 24 दिसंबर, 2008 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें

कार्यालय के अनुभाग प्रभारियों की अनुशंसा से लगभग 30 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन किया जाएगा।

इसके साथ ही बैठक में हिंदी व्याख्यान माला के आयोजन पर भी चर्चा की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 22 दिसंबर, 2008 को एक दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया जाए जिसमें सामान्य अभिरुचि से संबंधित विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया जाए।

हिंदी कार्यशाला के आयोजन के साथ ही हिंदी कंप्यूटर कार्यशाला एवं फील्ड यूनिटों में हिंदी कार्यशाला के आयोजन पर भी विचार विमर्श किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हिंदी कंप्यूटर कार्यशाला के आयोजन के लिए फरवरी माह में मुख्यालय हैदराबाद से सहायक निदेशक (राजभाषा) को आमंत्रित किया जाए जिसमें हिंदी सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोगों जैसे एक्सेस, वर्ड, यूनिकोड का प्रयोग आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

फील्ड यूनिटों में हिंदी कार्यशाला के आयोजन के संबंध में निर्णय लिया गया कि फरवरी माह में ही आवासीय भूवैज्ञानिक शिविर खण्डेला में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

कार्यालय आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क होशंगाबाद रोड भोपाल

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त भोपाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30-9-2008 को समाप्त तिमाही की बैठक आयुक्त महोदया प्रवीण महाजन की अध्यक्षता में दिनांक 17-10-2008 को अपराहन में 03 बजे आयुक्तालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदया एवं समिति के सदस्यों के समक्ष पिछली तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया, समिति के सदस्यों द्वारा जिसकी पुष्टि की गई।

शाखा प्रभारियों द्वारा 1-7-2008 से 30-9-2008 तक की प्रस्तुत की गई तिमाही राजभाषा हिंदी प्रगति रिपोर्ट पर अध्यक्ष महोदया द्वारा संतोष व्यक्त किया गया व निर्देश दिए कि आगे भी वार्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी शाखा प्रभारी एवं प्रभागीय कार्यालय शत प्रतिशत कार्य हिंदी में ही करने को प्राथमिकता प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रभागीय कार्यालयों एवं मुख्यालय शाखा प्रभारियों द्वारा समय पर तिमाही राजभाषा हिंदी प्रगति रिपोर्ट हिंदी शाखा मुख्यालय को प्रस्तुत न करने को गम्भीरता से लेते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए तिमाही राजभाषा हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर अनिवार्य रूप से '5' तारीख तक हिंदी शाखा मुख्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान करे।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद

माह 01 अप्रैल, 2008 से 30 जून, 2008 तक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हिंदी प्रगति की तिमाही बैठक दिनांक 30-09-2008 को सांय 4.00 बजे से श्री के. जे. चौधरी, आयुक्त महोदय (विभागाध्यक्ष-पदेन) राजभाषा कार्यान्वयन समिति संरक्षक की अनुमति से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आयुक्तालय, गाजियाबाद के मण्डलों एवं शाखाओं से प्राप्त माह 01 अप्रैल, 2008 से 30 जून, 2008 तक की 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं की बिन्दुवार समीक्षा की गई। इन 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं के समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2008-09 के द्वारा निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष आयुक्तालय, गाजियाबाद में हिंदी में कार्य की प्रगति का प्रतिशत इस तिमाही 83.7 रहा है, जो कि पिछली तिमाही 81.25 प्रतिशत से 2.45 प्रतिशत अधिक रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए उपस्थित शाखा प्रभारियों एवं मंडल प्रभारियों को यह निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा शासकीय कार्य हिंदी में करने के निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते रहने चाहिए तथा जिन शाखाओं में हिंदी कार्य का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम या उनके पिछली तिमाही से कम हो गया है, वे अगली तिमाही में इसमें आवश्यक रूप से संतोषजनक सुधार करें। इस संबंध में संबंधित शाखा प्रभारियों/मंडल प्रभारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि अगली तिमाही में और भी बेहतर परिणाम दिया जाएगा तथा प्राप्त निर्देशों व सुझावों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार प्राप्त माह 1 अप्रैल, 2008 से 30 जून, 2008 तक की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं तथा अपने अधीनस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन करते हुए उन्हें निरन्तर प्रेरित करते रहें, जिससे अपेक्षित शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

**केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का
कार्यालय नं. 1, विल्लियम्स रोड,
कंटोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001**

16-9-2008 के सुबह 10.00 बजे श्री भीखू राम, आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्यालय, तिरुच्चि के 'बोर्डस कक्ष' में संपन्न केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुच्चि की 30-9-2008 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई।

पिछली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के निर्णयों पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गई।

अध्यक्ष महोदय ने न्याय निर्णयन एवं लेखा परीक्षा अनुभागों के अधीक्षकों को सभी रिपोर्टों के प्रावरण पत्रों को द्विभाषी बनाने का निदेश दिया। अपर आयुक्त ने उल्लेख किया कि मुख्य आयुक्त के कार्यालय को भेजे जा रहे अधिकतम पत्र द्विभाषी रूप में हैं। अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि आवधिक हिंदी रिपोर्टों में रिपोर्ट किया गया हिंदी/द्विभाषी पत्राचार का प्रतिशत कम है और इसका कारण प्रायः गलत रिपोर्टिंग हो सकता है। उन्होंने अनुभाग प्रधानों को तिमाही रिपोर्ट में सही आंकड़े देने का निर्देश दिया। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएं।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सामान्य भविष्य निधि मंजूरी आदेश/टिप्पणी आदेश का हिंदी भाग भी, जहां तक संभव हो, भरा जाए।

**पूर्व मध्य रेल कार्यालय, महाप्रबंधक
(राजभाषा), हाजीपुर**

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 23वीं बैठक दि. 19-9-08 को अपर महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर श्री केशव चंद्र की अध्यक्षता में महाप्रबंधक सम्मेलन कक्ष, हाजीपुर में संपन्न हुई।

स्वागत संबोधन :

(क) मुख्य राजभाषा अधिकारी का संबोधन :

मुख्य राजभाषा अधिकारी व मुख्य कार्मिक अधिकारी, श्री जे.एस.पी. सिंह ने उक्त अवसर पर बैठक में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि इस वर्ष हिंदी सप्ताह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य राजभाषा अधिकारी ने सभी अधिकारियों से सारी फाइलों व रजिस्ट्रों पर विषय हिंदी या द्विभाषी में होने, रबर की मुहरों का द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में होने, हिंदी नोटिंग पर हिंदी में ही नोटिंग लिखने, कंप्यूटर द्वारा अधिकतम कार्य हिंदी में करने और धारा 3(3) के कागजातों को द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में जारी करने को सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारीगण स्वयं हिंदी में कार्य कर कर्मचारियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में आशातीत सफलता प्राप्त हो सकेगी।

(ख) अध्यक्षीय संबोधन

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर महाप्रबंधक, श्री केशव चंद्र ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यद्यपि हम सब हिंदी क्षेत्र में हैं और सभी को हिंदी आती है बावजूद इसके हिंदी के प्रयोग-प्रसार हेतु अभी काफी काम किया जाना शेष है। यह बात जरूर है कि आरंभ में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। परंतु दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ने पर समस्याएं स्वतः समाप्त होती जाएंगी। श्री चंद्र ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि शब्दों के लिए अटकने की जरूरत नहीं है अपितु सरकारी कामकाज में सरल व आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। मौके पर उपस्थित विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 3(3) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं। रपट में जो आंकड़े दिखाए जाएं वह वास्तव में दिखना भी चाहिए। उन्होंने अधिकारीगणों को निर्देश दिया कि हिंदी की टिप्पणी पर हिंदी में ही लिखा करें। पास/पीटीओ हिंदी में ही बनाए जाएं। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रबर की मुहरें, नामपट्ट, सूचनापट्ट हिंदी-अंग्रेजी में हो। रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां हिंदी में ही लिखी जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को कहा कि अपनी-अपनी वेबसाइट को अद्यतन करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि वह

हिंदी-अंग्रेजी में हो। श्री चंद्र ने सभी अधिकारियों को हिंदी में काम करते हुए अपने अधीनस्थों के लिए प्रेरणास्रोत बनने का सुझाव दिया।

पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा), गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 18-12-2008 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक, श्री रण विजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 30-9-08 को समाप्त तिमाही अवधि में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्यालय स्थित सभी विभाग/विभागोत्तर कार्यालयों के राजभाषा संपर्क अधिकारी एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी को आमंत्रित किया गया।

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, श्री ईश्वर चंद्र मिश्र ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि समय-समय पर आयोजित इन बैठकों द्वारा हम अपने क्रियाकलापों का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि अपने निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा के प्रयोग संबंधी पैरा तथा विभागीय बैठकों की कार्यसूची में राजभाषा संबंधी मद अवश्य शामिल करें। विभागों में स्थापित कंप्यूटरों के माध्यम से निष्पादित होने वाले कार्यों में हिंदी प्रयोग की मात्रा बढ़ाई जाए। उन्होंने वेबसाइट को द्विभाषी तथा अद्यतन करने के लिए सभी राजभाषा संपर्क अधिकारियों से अनुरोध किया।

बैठक में अपने अध्यक्षीय संबोधन में मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री रण विजय सिंह ने सभी सदस्यों से कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के क्षेत्र में रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि हमारी त्रैमासिक पत्रिका “रेल रश्मि” के कलेवर में निरंतर सुधार हो रहा है। इस बार की पत्रिका पिछले अंकों की तुलना में बेहतर प्रकाशित हुई है। मैं आशा करता हूँ कि इसमें निरंतर सुधार होता रहेगा। उन्होंने कहा कि वेबसाइट में रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार ही सामग्री डाली जाए।

एन. टी. पी. सी. लि. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद

निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही बैठक का आयोजन

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15-12-2008 को किया गया था। इस बैठक में निदेशक (वित्त) श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव, निगम मुख्यालय के विभागाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालक निदेशकगण उपस्थित थे। इस बैठक में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने निगम में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की तथा व्यापक स्तर पर हिंदी में कार्यालयीन कार्य बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 12-9-2008 को निगम मुख्यालय के राजभाषा निरीक्षण के दौरान माननीय संसद सदस्यों ने हमारे निगम में राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना की तथा “राजभाषा ज्योति 2008” पत्रिका का विमोचन किया था। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने राजभाषा विभाग के प्रयासों की सराहना की तथा निदेश दिया। उक्त निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्यों को दिए गए आश्वासनों को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम के उच्च अधिकारी परियोजनाओं पर अपने दौरे के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी भी अवश्य प्राप्त करें। इससे राजभाषा कार्यान्वयन को सभी स्तरों पर बढ़ाने में सहयोग मिलेगा।

निदेशक (वित्त) श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव महोदय ने बैठक में कहा कि हिंदी में काम करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। निगम में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। बैठक के प्रारंभ में अपने स्वागत सम्बोधन में श्री दयाल माथुर, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) सभी का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय की व्यक्तिगत रुचि एवं निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप निगम में राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि निगम की नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की है। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई हैं, जिनमें अधिकाधिक कार्मिकों की भागीदारी अपेक्षित है।

चित्र समाचार

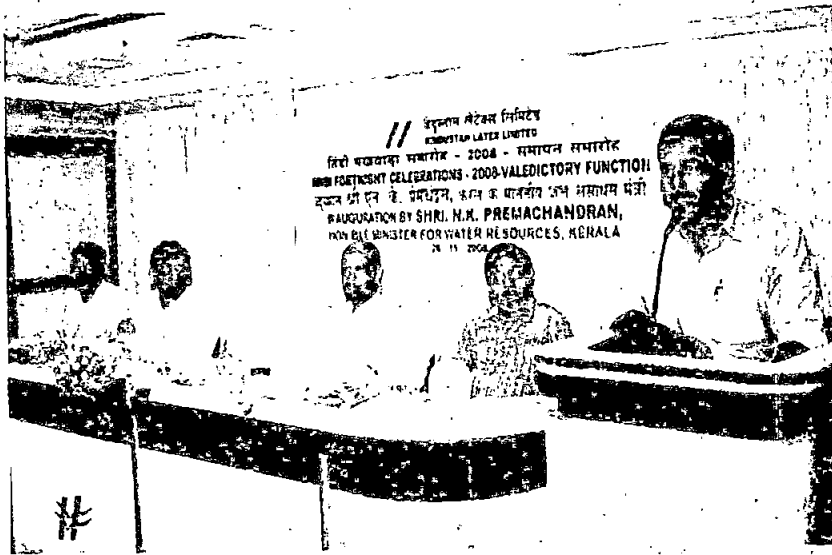
1. लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, एस. एस. वाहिनी, भा. ति. सी. पु., संबोली (हरियाणा) में आयोजित हिंदी कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि श्री श्याम महरोत्रा, उप महानिरीक्षक (प्रशा.) हिंदी कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए।



2. नराकास एलूरु के द्वितीय राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए आंध्रा बैंक जोनल के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पी. ए. राम प्रसाद और उप-प्रबंधक (रा.भा.) श्री पी. बी. के. एन. प्रसाद।

3. भारतीय सर्वेक्षण विभाग चण्डीगढ़ द्वारा आयोजित हिंदी दिवस वार्षिक समारोह-2008 में मेजर जनरल प्राण नाथ कौल, अपर महासर्वेक्षक उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र पुरस्कार प्रदान करते हुए।





4. हिंदुस्तान लेटेक्स लि. द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा - समारोह-2008 के समापन में श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, केरल के माननीय जल संसाधन मंत्री अपना वक्तव्य देते हुए।

+C + +

+C + +

5. नराकास बालाघाट की चलशील्ड वर्ष 2007-08 एवं प्रमाणपत्र प्राप्त करते श्री आर. के. ठाकरे, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बालाघाट इकाई।



+C + +

+C + +



+C + K+

6. कार्यकारी भविष्य निधि संगठन, कोयंबतूर द्वारा आयोजित हिंदी माह/महोत्सव पर संबोधित करते हुए श्री एन. ए. नायर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

7. एन. एच. पी. सी. चमेरा द्वारा आयोजित संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर संबोधित करते हुए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक डॉ. दंगल झाल्टे ।



8. आकाशवाणी चेन्नई द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करते हुए वी. वी. कुचरु, मुख्य अधिकारी (रा.भा.) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चेन्नई ।

9. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आयोजित "हिंदी दिवस" वार्षिक समारोह-2008 में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र और पंजाब एवं चण्डीगढ़ जी. डी. सी. द्वारा प्रकाशित पत्रिका "जागृति" अंक 8, हिमाचल प्रदेश "हिम शिखर" अंक 2 और हरियाणा की "दिव्य ज्योति" अंक 1 का विमोचन करते हुए अधिकारीगण ।





10. भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह समारोह में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री अरविन्द मायाराम (पदेन अपर सचिव, भारत सरकार) का स्वागत करते हुए डॉ. मनोरंजन दास, निदेशक (मां. सं.) ।

11. हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह-2008 का उद्घाटन करते हुए केरल के माननीय सांसद श्री पन्नियन रवींद्रन ।



12. दिनांक 15-9-2008 को आयोजित हिंदी समारोह में मेजर जनरल प्राण नाथ कौल, अपर महासर्वेक्षक, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र अध्यक्षीय भाषण देते हुए ।

13. पूर्व मध्य रेल मुख्यालय द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में अंतर्विभागीय राजभाषा शील्ड प्रदान करते हुए अपर महाप्रबंधक श्री केशव चंद्र । साथ में मुराधि श्री जे. एस. पी. सिंह व मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर श्री बी. के. सोनवाने ।



14. भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मान समारोह में बैठे अधिकारीगण ।

15. दक्षिण दूरसंचार परियोजन परिमंडल (बी. एस. एन. एल.) चेन्नई द्वारा आयोजित हिंदी बाल प्रतियोगिता में अधिकारी व कर्मचारीगण ।





16. महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय,
बी. एस. एन. एल. आलप्पुषा के
हिंदी समारोह का उद्घाटन।

17. नराकास कनिहा की त्रैमासिक
समीक्षा बैठक का दृश्य।



18. नाईपर के हिंदी कक्ष द्वारा लगाई
गई राजभाषा प्रदर्शनी की एक
झलक।

19. नराकास बीकानेर की बैठक का दृश्य ।



+C + +

+C + +



20. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान मध्य में रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक श्रीमती यू. जी. एटोनी, भा. र. ले. से., डॉ. विचार दास (पूर्व निदेशक) (दाएं) तथा श्री मोहन सिंह, उप निदेशक (रा.भा.) (बाएं) सरस्वती वंदना का श्रवण करते हुए ।

-C + +

+C + +

21. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण जयपुर द्वारा आयोजित राजभाषा पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित करते हुए मुख्य अतिथि श्री निरंजन आर्य संभागीय आयुक्त जयपुर साथ में हैं निदेशक विमान पत्तन ।



+C + +



22. न्यू इंडिया एश्योरेस कं. लि.
कोलकाता द्वारा आयोजित हिंदी
संगोष्ठी का एक दृश्य ।

23. मंडल रेल प्रबंधक राजकोट श्री
आर.पी. निबारिया, कार्यालय प्रमुखों
के स्मृति चिह्न प्रदान करते हुए ।



24. आकाशवाणी-रायपुर द्वारा हिंदी
दिवस के अवसर पर आयोजित
कवि गोष्ठी की एक झलक ।

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

कोर्टयम

कोर्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 17वीं बैठक 22 जनवरी 2009 को रबड़ बोर्ड मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। श्री साजन पीटर आई ए एस, अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड ने बैठक में अध्यक्षता की। डॉ. वी. बालकृष्णन, उप निदेशक (कार्या), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोची ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोर्टयम के सदस्य सचिव श्री जी. सुनील कुमार ने सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में श्री साजन पीटर का अध्यक्षीय भाषण में बधाई व शुभकामना देते हुए कहा कि हम सब मिलकर, हिंदी के प्रगामी प्रयोग में यह करके साबित करें कि हम सबकी यह कोर्टयम टोलीक किसी से कम नहीं। इस वास्ते आपकी मदद करना, हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है।

इसके लिए हर सदस्य कार्यालय के प्रधान को छमाही बैठक में जरूर आना चाहिए। उसके पहले छमाही प्रगति रिपोर्ट ठीक-ठीक भरकर यहाँ पहुँचा दें। इस प्रसंग में याद रखें, सत्यमेव जयते। इस रिपोर्ट में झूठे आँकड़े देना सख्त मना है। सत्य-सत्य बताइए। उच्च अधिकारी छोटी-छोटी टिप्पणियाँ नेमी आदेश-अनुदेश हिंदी में लिखकर अधीनस्थों को रास्ता दिखाएं। इसकी देखा-देखी करके बाकी अधिकारी और कर्मचारी भी हिंदी में काम करने लगेंगे। जी हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। प्रशासनिक माध्यम के रूप में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना हम सबका फर्ज है।

और एक बात है तीन-तीन। अर्थात् राजभाषा अधिनियम की धारा तीन की उपधारा तीन। इसके तहत आने वाले सभी कागजातों को हिंदी अंग्रेजी में द्विभाषी जारी करके शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करके रिपोर्ट दीजिए।

यदि आपका कार्यालय राजभाषा नियम दस-चार के तहत, अब तक अधिसूचित न हो तो तत्काल जरूरी कार्रवाई करके तदनुसार निष्पादन रिपोर्ट दीजिए।

आपके यहाँ के कंप्यूटरों में भी काम हिंदी में होना चाहिए। ऐसा करके रिपोर्ट दीजिए।

आपके यहाँ राजभाषा निरीक्षण खुद करके राजभाषा कार्यान्वयन को सचेत व सक्रिय करके सौ के सौ प्रतिशत सफल बनाइए और इस टोलीक को अखिल भारतीय स्तर पर सर्वप्रथम बनाइए। इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार यहाँ आना चाहिए। सिर्फ मुझे नहीं, यह आप सब के लिए गर्व की बात होगी। याद रखें, मेहनत का फल मीठा है।

शिलचर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलचर, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की 38वीं बैठक संयोजक कार्यालय-हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के अतिथि गृह में 28 नवंबर, 2008 को अपराह्न 3.00 बजे मिल के मुख्य अधिशासी एवं समिति के अध्यक्ष श्री मोहन झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहटी के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि “राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा विकास की आकांक्षा सभी के मन में है, जिसे बस सिर्फ कार्यान्वित करने हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। हिंदी की दो प्रमुख भूमिका “संपर्क भाषा” तथा “राजभाषा” के रूप में रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में हिंदी ने “संपर्क भाषा” के रूप में अपनी भूमिका निभाई और तभी यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी देश की ‘राजभाषा’ के रूप में काम करेगी।” आगे उन्होंने कहा कि “यदि एक सत्र में 90 प्रशिक्षणार्थी आ सकें तो शिलचर में भी हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खुल सकता है तथा ‘हिंदी प्राध्यापक’ की नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिए अपशिक्षित कार्मिकों की सूची पेश करना होगा। साथ ही किसी एक कार्यालय को कक्षा आदि की व्यवस्था भी करनी होगी।”

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री मोहन झा ने अपने विदेश प्रवास के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि “पेरिस में हम

20 लोगों का दल एक सार्वजनिक स्थान पर घूम रहे थे कि एक स्थानीय युवक आया तथा हिंदी में “नमस्कार” बोला। तत्पश्चात् उसने अपनी टूटी-फूटी हिंदी में ही अपनी बातें कहीं। स्पष्ट है कि हम सभी भारतीय उससे प्रभावित हुए तथा उससे कुछ-न-कुछ खरीदा। इसी प्रकार लंदन में एक युवती मिली, जो बड़े ध्यान से हमारी हिंदी में चल रहे वार्तालाप को सुन रही थी। वह युवती हालांकि आंध्र प्रदेश की थी, हमसे बोली ‘हिंदी सुनने में अच्छा लगता है।’ तो यह राजभाषा हिंदी हम भारतीयों की पहचान है। और बाहर निकलने पर ही इसके महत्व का पता भी चलता है।

“दरअसल अपनी सरलता और सहजता के कारण हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनती जा रही है। तथापि हमारे देश में काम काज की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने हेतु और अधिक तेजी लानी है। क्योंकि जन-भाषा ‘हिंदी’ में सरकारी कामकाज करने से इसका सीधा लाभ सामान्य-जन को मिलेगा।”

“संघ की राजभाषा नीति का आधार भले ही प्रेरणा और प्रोत्साहन है किन्तु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। इससे प्रशासन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और विकास की गति तेज होगी। हमारा विश्वास है कि कार्यालय प्रमुखों द्वारा दृढ़ इच्छा-शक्ति से उठाए गये कदम निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी को नई दिशा देंगे। इसके लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। हिंदी प्रशिक्षण के लिए बचे हुए कर्मचारियों का हिंदी भाषा प्रशिक्षण भारत सरकार की योजनानुसार पूरा कर लिया जाए। अपने-अपने कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशाला तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन करें। प्रत्येक तिमाही में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट आवश्यक रूप से भरकर राजभाषा विभाग गुवाहटी एवं समिति के कार्यालय को भिजवाएं। अपने-अपने कार्यालय के उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे फार्म, मोहर, नामपट्ट, साईन बोर्ड आदि जो द्विभाषी में न हों, शीघ्र ही द्विभाषी या आवश्यकता को देखते हुए त्रिभाषी में अवश्य बनवा लें।

तृश्शूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तृश्शूर की 41 वीं बैठक 24-10-2008 के 3.00 बजे अपराह्न एम एस एम इ-विकास संस्थान, तृश्शूर के निदेशक व समिति के अध्यक्ष श्री जी शणमुगनाथन की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

तदोपरांत एम एस एम इ-विकास संस्थान, तृश्शूर के निदेशक व समिति के अध्यक्ष श्री जी शणमुगनाथन ने अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी की अहमभूमिका पर जोर देते हुए, हिंदी में अधिकाधिक कार्य किए जाने के माध्यम से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सभी के अनन्य सहयोग के लिए आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्र की अनेकता में एकता को बनाए रखने में हिंदी की भूमिका पर जोर देते हुए अपने वैयक्तिक अनुभवों के प्रकाश में हिंदी सीखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस दिशा में सभी सदस्य अपने बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।

तिरुवनंतपुरम विश्वविद्यालय कालेज के सेवानिवृत्त हिंदी प्रोफेसर श्री गोविन्द शैर्णीय ने अपने संबोधन में मत प्रकट किया कि हिंदी भाषा को सीखने की इच्छा अगर हो, या हिंदी भाषा से प्रेम अगर हो तो अल्प समय में ही हिंदी सीखी जा सकती है। अपने संबोधन में मुख्यअतिथि महोदय ने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की ओर मुख्य अतिथि ने सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया तथा बताया कि उदाहरण स्वरूप कंप्यूटर का विकास वेगता से हो रहा है। तथा इसमें आँकड़े समय समय पर अद्यतन किए जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि तदनुसार भाषा के प्रति हमारी भावनाओं में परिवर्तन लाए जाएं। केंद्र सरकार के हिंदी कार्यान्वयन की ओर वित्तीय सहायता के क्रम में वहाँ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति व्यवहार में परिवर्तन पर मुख्य अतिथि महोदय ने बल दिया।

अपने संक्षिप्त संबोधन के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय ने 13-10-2008 से 17-10-2008 के दौरान आयोजित संयुक्त हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया संयुक्त हिंदी प्रतियोगिताओं

के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए निम्नांकित सदस्यों को शील्ड प्रदान किए गए ।

सिक्किम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गान्तोक की वर्ष 2008-09 की छमाही बैठक 21 नवम्बर को 11.00 बजे (पूर्वाह्न में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सेमिनार हॉल में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री दिनेश भगता, महालेखाकार सिक्किम ने की।

राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने विभिन्न कार्यालयों से पधारे अधिकारियों से मुख्य धारा का काम पूर्णतः हिंदी में करने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित सदस्यों (से हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाए तथा इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक कार्यालय नियमित रूप से हिंदी कार्यशाला का आयोजन करें। इन कार्यशालाओं में कार्यालयीन कामकाज का अभ्यास कार्य होने से हिंदी में काम करना सहज होगा।

श्री दिनेश भगता, अध्यक्ष नराकास एवं महालेखाकार, सिक्किम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बैठक में उपस्थिति पर संतोष जताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में नराकास के बैनर तले विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकेगा जिससे हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा।

कोयंबतूर

कोयंबतूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्द्ध-वार्षिक बैठक एवं हिंदी दिवस समारोह दि. 17 दिसंबर, 2008 को सुसंपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री एन. ए. नायर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने की।

समिति के अध्यक्ष श्री एन. ए. नायर जी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना हमारा दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति की दिशा में आनेवाली कठिनाइयों के संबंध में आपसी विचार-विमर्श के लिए एक संयुक्त मंच के रूप में

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशिष्ट भूमिका है । उन्होंने कहा कि कोयंबतूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपने उद्देश्य एवं कार्यों में काफी सक्रिय है एवं राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में सामयिक चेतना के साथ गतिशील है। समिति के सदस्य-कार्यालयों के उपयोगार्थ सदस्य-सचिव डॉ. सी. जय शंकर बाबू द्वारा बनाई गई राजभाषा साधन सी.डी. के द्वारा कंप्यूटरों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। कंप्यूटरों में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी समिति के द्वारा की गई है। हाल ही में समिति के द्वारा आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी कार्यशाला के संबंध में भी काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा बढ़ाने के लिए स्टॉफ सदस्यों के लिए उत्तर भारत के कार्यालयों में कार्य का अध्ययन करने हेतु अध्ययन यात्राओं की योजना बनाने के संबंध में प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा कि इससे हिंदी के साथ उनका संपर्क बढ़ जाएगा और उन्हें हिंदी में कार्य करने की अच्छी प्रेरणा भी मिल जाएगी ।

बैठक में उपस्थित हिंदी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री अशोक सक्सेना जी ने कहा कि हिंदी शिक्षण योजना की सेवाओं का उपयोग करते हुए सभी कार्यालयों के प्रधान अपने यहां प्रशिक्षण के लिए शेष सभी स्टॉफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिलवाएं। हिंदी में कार्य शुरू करने में कठिनाई महसूस हो तो अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी मिलाकर राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाए ।

भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रधान महाप्रबंधक श्री ए. शाजहान जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में गतिशीलता के कारण कोयंबतूर नगर स्थित सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति हासिल हुई है ।

सदस्य-सचिव डॉ. सी. जय शंकर बाबू ने बताया कि हर वर्ष मई तथा अक्टूबर महीनों में संपन्न होने वाली समिति की अर्द्ध-वार्षिक बैठकों में कार्यालय प्रधानों का उपस्थित होना तथा समीक्षार्थ राजभाषा कार्यान्वयन की अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट समिति को समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिंदी शिक्षण की नियमित कक्षाओं में किसी कारणवश किन्हीं स्टॉफ सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता तो उन्हें पत्राचार प्रशिक्षण अथवा राजभाषा विभाग के पोर्टल के माध्यम से चलाए जा रहे लीला प्रबोध प्रवीण एवं प्राज्ञ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कंप्यूटरों में हिंदी के प्रयोग बढ़ाने पर भी उन्होंने बल दिया।

बोंगाइगांव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बोंगाइगांव की 18वीं बैठक समिति के अध्यक्ष श्री ए. के. शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की अध्यक्षता में दिनांक 11 नवम्बर, 2008 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष श्री ए. के. शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति को पूरा करने के लिए सभी कार्यालय उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उन सभी कार्यालयों को बधाई दी है जिन्हें अपने कार्यालयों में अच्छा काम करने पर नगर राजभाषा शील्ड तथा सम्मान-पत्र से सम्मानित किया गया।

बैठक में अध्यक्ष श्री शर्मा ने वर्ष 2008 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्टतम कार्य करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय बोंगाइगांव को “नगर राजभाषा शील्ड” तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अन्य 8 (आठ) कार्यालयों को सराहना पत्र से सम्मानित किया।

बैठक में कार्यालयों की प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई। सदस्यों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया तथा कार्यालयों में अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया गया।

कोलकाता (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता की 46वीं बैठक दिनांक 31-10-2008 को पूर्वाह्न 11.30 बजे मर्चेन्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन कक्ष, 15बी,

हेमंत बसु सरणी, कोलकाता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयोजक बैंक युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री टी.एम. भसीन ने की।

समिति के अध्यक्ष तथा संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी के प्रचार- प्रसार की दिशा में काम करना गर्व का विषय समझा जाना चाहिए। सरकारी आदेश, निर्देशों का अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए। उन्होंने आमंत्रित अतिथियों द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को अनुरोध किया। उन्होंने यूनिकोड को अपनाने पर अमल करने की सलाह दी। यूको बैंक में यूनिकोड के प्रशिक्षण के शुभारंभ की भी उन्होंने चर्चा की और यूको बैंक से आवश्यक सहयोग मिलने की आशा व्यक्त की।

अमृतसर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर की वर्ष 2008-09 की द्वितीय बैठक मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर के मार्गदर्शन में श्री जी.आर. सूफी, आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 की अध्यक्षता में 03 फरवरी, 2009 को 3.00 बजे बाद दोपहर, होटल कुमार इंटरनैशनल, अमृतसर में आयोजित की गई। अमृतसर नगर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों से वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य प्रतिनिधियों ने काफी अधिक संख्या में इस बैठक में भाग लिया।

श्री जी.आर. सूफी, आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समिति की बैठक के दौरान प्रस्तुत रिपोर्टों तथा समीक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए टिप्पणी की कि अमृतसर नगर में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। विभिन्न कार्यस्थलों पर अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि अमृतसर में निःसंदेह राजभाषा हिंदी के प्रति अधिक जागरूकता है। बैठक में काफी अधिक संख्या में सदस्य कार्यालयों से वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के शामिल होने पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने राजभाषा हिंदी को हर-दिल-अजीज बनाए जाने हेतु और प्रयास किए जाने का अनुरोध किया।

चण्डीगढ़

नराकास की बैठक दिनांक 11-11-2008 को पंजाब किसान भवन, सैक्टर 35, चण्डीगढ़ में आयोजित हुई।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में, श्रीमती विनीता चोपड़ा ने कहा कि "मैं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर बैठक में उपस्थित हुए। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे ज्ञात होता है कि आप राजभाषा के प्रति जागरूक हैं और सजग हैं। आज तिमाही रिपोर्टों पर विस्तार से चर्चा हुई। कुछ कार्यालयों में अच्छे प्रयास हो रहे हैं, वे प्रशंसा के पात्र हैं। जहाँ कमी है, वे भी निराश न हों। लक्ष्यों को सामने रखकर निरंतर प्रयास करें। मेरा यह अनुभव है कि धारा 3(3) का कभी उल्लंघन न करें। नियम (5) अनिवार्य है अतः हिंदी में पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। मोहरें द्विभाषी ही बनाएं। वेतन बिल, सेवा पंजी में प्रविष्टियाँ, लिफाफों पर पते बड़ी आसानी से हिंदी में लिखे जा सकते हैं। ऐसा करने से लक्ष्य स्वयं ही प्राप्त होते जाएंगे। कुछ सदस्यों ने जो कठिनाई बताई है कुछ प्रयास करने पर वह भी आसानी से दूर हो सकती है। हमारी समिति एक श्रेष्ठ समिति है। सदस्य कार्यालयों में लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित करें। राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हमें आपस में ही तो प्रतियोगिता करनी है। समिति को अपना हर प्रकार का सहयोग अवश्य दें और अपने-अपने कार्यालयों में नियमों का पालन सुनिश्चित बनाएं।

नवीं मुंबई

नवीं मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 8वीं बैठक 28 नवंबर, 2008 को भारतीय कपास निगम लि. के सीबीडी बेलपुर स्थित कपास भवन में श्री सुभाष ग्रोवर, अध्यक्ष, नवीं मुंबई, नराकास तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लि. की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और कार्यालयों में उसके प्रभावी कार्यान्वयन करवाने के लिए राजभाषा अधिनियम-1963 और राजभाषा नियम 1976 बनाये गए। प्रति वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम जारी करते हुए हम सबको विविध लक्ष्यों का अनुपालन करने के लिए कहा जाता है। हमारी इस समिति में इस समय 67 कार्यालय सदस्य हैं। छमाही में होने वाली इन बैठकों में आपकी

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाती है। इस चर्चा का उद्देश्य तिमाही प्रगति रिपोर्ट की कमियों को दर्शाना नहीं है, बल्कि आपके कार्यालय में हिंदी कार्यान्वयन की प्रगति को आगे और बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश करना है। इस बैठक के लिए भी हमें 35 कार्यालयों से हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे खुशी है कि 2/4 कार्यालयों को छोड़कर अधिकतम कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की है। प्रायः सभी कार्यालयों में हिंदी प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए कुछ कार्यालयों में दिक्कतें हैं, जिसके लिए हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई के प्रतिनिधि मार्गदर्शन करेंगे। पिछली छमाही में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े/माह से संबंधित विविध कार्यक्रमों में सभी कार्यालय व्यस्त थे, इसलिए इस छमाही में नराकास की किसी गतिविधि का आयोजन नहीं रखा गया, परन्तु हमें अपनी गतिविधियों में सक्रियता लानी है।

पटियाला

पटियाला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 3-12-2008 को सायं 03.30 बजे आयकर भवन, पटियाला के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री जी. सी. नेगी, आयकर आयुक्त, पटियाला एवं अध्यक्ष, नराकास, पटियाला ने की।

बैठक में लगभग 60 कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/प्रतिनिधियों/पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री जी. सी. नेगी ने उपस्थित सदस्यों का बैठक में आने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि "डी. एम. डब्ल्यू.एस.बी.ओ.पी.एन.आई.एस. आदि कार्यालय हिंदी में अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकी कार्यालय भी उनसे आगे आने की कोशिश करें। शुरू में थोड़ा प्रयास करने होंगे, फिर कार्य आसानी से हिंदी से हिंदी में होता चला जाएगा। हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें जैसा सोचा जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। उम्मीद है कि आप हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हिंदी के प्रचार-प्रसार में आल इंडिया रेडियो का प्रस्ताव सराहनीय है। हमारे अंदर से यह भावना पैदा होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें। मातृभाषा में काम करना गर्व की बात है। जो कार्यालय बैठक में नहीं आए हैं वे भी बैठक में अवश्य आएँ। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हमारा संयुक्त प्रयास होना चाहिए ताकि

पटियाला की समिति सबसे आगे रहे। सभी के सकारात्मक सहयोग से निश्चय ही समिति की गतिविधियों में वृद्धि होगी। समिति के कार्यों के लिए सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।" उन्होंने आश्वासन दिया कि अध्यक्ष कार्यालय की ओर से सभी सदस्यों को अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा।

भंडारा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा की छः माही बैठक का आयोजन दिनांक 11-11-2008 को श्री अँथोनी एक्का, महाप्रबन्धक, दूरसंचार निगम लिमिटेड, भंडारा की अध्यक्षता में दूरसंचार भवन में किया गया जिसमें भंडारा स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों के लगभग 23 अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में दिनांक 4-6-2008 को संपन्न हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी की गई। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों के द्वारा पिछले गत छः माही (अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008) तक राजभाषा संबंधी किए गए कार्यों एवं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया गया। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अध्यक्ष महोदय ने उनकी सराहना की एवं जहां कमी नजर आई उन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

इस अवसर पर वर्ष 2007-08 के दौरान राजभाषा के उत्तम कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार-आयुध निर्माणी, भंडारा द्वितीय पुरस्कार-क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, भंडारा एवं तृतीय पुरस्कार आयकर कार्यालय, भंडारा को अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा कमलों द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त राजभाषा के उत्तम कार्यान्वयन के लिए बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र (केंद्रीय रेशम बोर्ड) प्रदर्शन सह तकनीक सेवा केंद्र, (केंद्रीय रेशम बोर्ड), भंडारा केंद्रीय उत्पादन शुल्क, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडीकेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, भंडारा को राजभाषा उत्तम कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

श्री अँथोनी एक्का ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भंडारा स्थित केंद्रीय कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों से राजभाषा संबंधी किए जा रहे कार्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए

प्रयासों की सराहना की एवं भविष्य में भी यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया।

बोकारो

बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 50वीं बैठक (वर्ष 2008-09 की द्वितीय बैठक) इस्पात भवन स्थित प्रबंध निदेशक सम्मेलन कक्ष में 23 दिसम्बर, 2008 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द किशोर झा कार्यकारी, प्रबन्ध निदेशक, बोकारो स्टील प्लांट ने की। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए सभी संगठनों को अगली बैठक तक अपने कार्यालय में उपलब्ध पी. सी. पर हिंदी फॉन्ट लोड कराने तथा कम से कम 90 प्रतिशत तक हिंदी पत्राचार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों/सुझावों के अनुपालन की स्थिति तथा विगत 6 माह में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यालयों में हुई प्रगति पर गहन विचार-विमर्श के साथ-साथ सभी कार्यालयों के तिमाही प्रगति प्रतिवेदन की व्यापक समीक्षा की गई। बोकारो स्टील प्लांट में पिछले छः माह में हुए कार्यों का व्यौरा देते हुए श्री सिंह ने बताया कि आलोच्य अवधि में 40 विभागों में हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित हुईं। 35 विभागों के हिंदी कार्य का निरीक्षण, 16 विभागों से हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन, प्लांट परिसर के महत्वपूर्ण होर्डिंग/बोर्डों का हिंदीकरण, कंप्यूटर पर हिंदी प्रशिक्षण आदि विवरण महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा कुल 107 विभागीय हिंदी अधिकारियों की बैठक अलग-अलग स्थलों पर आयोजित करके हिंदी की प्रगति के मार्ग की कठिनाइयों के समाधान का प्रयास किया गया।

बीकानेर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बीकानेर की ओर से प्रकाशित राजभाषा वार्षिक पत्रिका "संवाद" के प्रथमांक का विमोचन समिति के अध्यक्ष श्री आलोक रंजन मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर द्वारा दिनांक 29-12-2008 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में समिति की बैठक के दौरान किया गया। बीकानेर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बीमा कंपनियों, बैंकों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों को मिलाकर समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके

48 सदस्य हैं। इसकी वर्ष में दो बार छमाही बैठक होती है। बैठक में राजभाषा की प्रगति पर विचार विमर्श कर समीक्षा की जाती है।

समिति की बैठक में श्री आलोक रंजन ने कहा कि बीकानेर में मैं जुलाई, 2008 में आया और यहां रेलवे तथा नगर स्तर पर होने वाले हिंदी कार्य निःसंदेह प्रशंसा योग्य हैं। 48 में से दो एक कार्यालयों की दो चार मदों को छोड़कर सभी में हिंदी का कार्य हो रहा है। हमें अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले मूल पत्राचार तथा सांविधिक दस्तावेजों जो धारा 3(3) के तहत आते हैं में आने वाले वर्ष में शत-प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। नगर स्तर पर राजभाषा की प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन सदस्य कार्यालयों के पारस्परिक सहयोग से आगामी वर्ष में होता रहेगा।

श्री आलोक रंजन ने दिनांक 16-9-08 व 11-11-08 को नगर स्तरीय निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताओं जिसमें बीकानेर नगर के विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा बैंक-बीमा कंपनियों के 53 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया था के विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया।

देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 42 वीं बैठक दिनांक 4-12-2008 को अपराह्न 3.00 बजे बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में बैंक नोट मुद्रणालय के महाप्रबंधक श्री दिलीप वि. गोंडनाले की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

समीक्षा के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद सदस्यगण निर्धारित समय पर प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तथा बैठक के दौरान रिपोर्ट की प्रति देते हैं। यह स्थिति सहायनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक कार्यालयों द्वारा प्रगति रिपोर्ट में जानकारीयों गंभीरता पूर्वक नहीं देने से संबंधित कार्यालयों की सूचनाएं न केवल असंगत हो जाती हैं बल्कि हास्यप्रद स्थिति भी निर्मित हो जाती है। अध्यक्ष महोदय ने पुनः जोर देकर कहा कि तिमाही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह दायित्व है कि वे हस्ताक्षर करने से

पहले यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी, विवरण आदि सही है जिससे बैठकों के दौरान बार-बार स्पष्टीकरण न देना पड़े।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि रामलाल शर्मा ने नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि—राजभाषा कार्यान्वयन में दो तरह की कमियां नजर आती हैं, पहली कमी तो राजभाषा अधिनियम, नियम एवं नीति की जानकारी नहीं होना, दूसरी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की अरुचि। राजभाषा कार्यान्वयन हमारा वैधानिक दायित्व, व्यक्तिगत दायित्व है। नासमझी एक बार होती है यदि उसे बार-बार दोहराया जाए तो वह जानबूझकर किया गया कृत्य बन जाता है। अंग्रेजी की गुलामी ठीक नहीं है। कार्यान्वयन में मुश्किल आ सकती है। प्रत्येक मुश्किल हमारे लिए चुनौती है चुनौती के सामने समर्पण करें या उसका सामना? चुनौती हमारी क्षमताओं के विकास के लिए है।

डलहौजी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति डलहौजी की वर्ष 2008 की दूसरी छमाही बैठक दिनांक 28-11-2008 को प्रातः 11.00 बजे चमेरा जलविद्युत चरण-111 धरवला के करियां स्थित कैप ऑफिस के सम्मेलन कक्ष में नैन सिंह, कार्यपालक निदेशक क्षेत्र -11 एवं अध्यक्ष, नराकास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री सिंह ने कहा कि किसी भी देश की पहचान उसकी एवं संस्कृति से होती है इसलिए हमें अपनी भाषा हिंदी के चहुंमुखी विकास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बैठक में कुछ सदस्य कार्यालयों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में राजभाषा के प्रचार-प्रसार की विभिन्न मदों पर चर्चा होती है और कई सदस्य कार्यालयों के प्रमुख की अनुपस्थिति संवैधानिक दायित्व के विपरीत है। तत्पश्चात् बैठक में केंद्र सरकार के आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा की प्रगति की विस्तार जानकारी दी। क्षेत्र -11 की प्रगति रिपोर्ट करते हुए श्री दिनेश त्रिपाठी, प्रमुख (भ- विज्ञान) ने सभी सदस्यों के समक्ष कंप्यूटरीकृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से क्षेत्र -11 का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

(घ) कार्यशालाएं

भारी पानी संयंत्र, तालचेर, विक्रमपुर, अनगुल (उड़ीसा)

राजभाषा नियमों का अनुपालन करते हुए भारी पानी संयंत्र, तालचेर में दिनांक 6 सितंबर, 2008 को 17वीं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन समारोह प्रातः 10.30 बजे प्रशिक्षण कक्ष में किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री पी.आर. महान्ति, अध्यक्ष, राभाकास, भापासं, तालचेर ने की।

अध्यक्ष राभाकास, भापासं, तालचेर ने 17वीं हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन किया तथा अपने उद्बोधन में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यशाला का लाभ उठाते हुए अपने सरकारी कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करने का तथा राजभाषा हिंदी को उनका यथोचित स्थान दिलाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

इस कार्यशाला में विभिन्न अनुभागों से नामित 15 कर्मिकों ने भाग लिया।

समापन समारोह में इस कार्यशाला के प्रतिभागियों को श्री पी.आर. महान्ति, महाप्रबंधक कं करकमलों से अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश तथा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। सभी को संबोधित करते हुए अध्यक्ष, राभाकास, भापासं, तालचेर ने इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग करने तथा अपने सहकर्मियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। महाप्रबंधक महोदय ने इस अवसर पर यह भी बताया कि आप सभी एक निश्चय करें कि सप्ताह में एक या दो दिन आप सिर्फ हिंदी में ही काम करेंगे, जिससे आपके हिंदी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और राजभाषा हिंदी का सम्मान भी बढ़ेगा।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर

दिनांक 22-11-2008 को संस्थान के अधिकारी संवर्ग के पदधारियों के लिए एक पूर्णदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता संस्थान

के निदेशक प्रभारी, डॉ. एस.के. दास महोदय ने की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को इस कार्यशाला का लाभ उठाते हुए सरकारी कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करने तथा राजभाषा हिंदी को उनका यथोचित स्थान दिलाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस कार्यशाला में कुल 20 अधिकारीगण प्रशिक्षित किए गए। कार्यशाला दो सत्रों में आयोजित कर कुल 06 कक्षाएं संचालित की गईं।

इस अवसर पर डॉ. जी. के. मिश्रा, प्रचार्य, नवोदय विद्यालय, बहरमपुर (प.बं.) ने अपना उद्गार व्यक्त करते हुए यह कहा कि "हिंदी एक सरल एवं सहज भाषा है और सतत अभ्यास के जरिये इसे सहजतापूर्वक अपनाया जा सकता है"। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पदधारियों में हिंदी के प्रति व्याप्त झिझक को दूर करना है। तत्पश्चात्, उनके द्वारा कार्यशाला में राजभाषा नियम एवं अधिनियम तथा "टिप्पण-लेखन व आवतियों के निष्पादन की प्रक्रिया, पत्राचार के विविध स्वरूप एवं तत्संबंधी कार्रवाई" पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया।

इसके अतिरिक्त, द्वितीय सत्र के दौरान डॉ. अनिता बंसल, भारतीय थल सेना, बहरमपुर (प.बं.) द्वारा कक्षाओं का संचालन किया गया। उन्होंने अपनी कक्षाओं में "तकनीकी शब्दावली एवं उनके प्रयार्य तथा राजभाषा नीति एवं इसके अनुपालन जैसे विविध विषयों पर व्याख्यान देने के साथ-साथ उन विषयों को सहजतापूर्वक हिंदी में प्रस्तुत करने की सरल एवं सहज पद्धति पर प्रकाश डाला। सर्वशेष में उन्होंने उक्त विषयों से जुड़े विविध पहलुओं पर एक जांच परीक्षा का भी आयोजन किया जिसमें सभी प्रतिभागीगण ने उत्सुकता के साथ भाग लिया।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, निदेशक का
कार्यालय, केरल एवं लक्षद्वीप, भू-स्थानिक
आँकड़ा केंद्र, सी.जी.ओ. कोण्प्लेक्स पूम्कुलम,
वेल्लायणी-डाक, तिरुवनन्तपुरम-695522

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, केरल एवं लक्षद्वीप
भू-स्थानिक आँकड़ा केंद्र में दिनांक 23-10-2008 को

11.30 बजे, सी.पी.डब्ल्यू.डी. के सम्मेलन भवन से राजभाषा दिवस समारोह मनाया गया। श्री टी. संजीव कुमार, निदेशक महोदय ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

श्री टी. संजीव कुमार, निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी को राष्ट्र और भारतीयों की पहचान बताया, हिंदी के बढ़ावे के लिए सभी से हिंदी में दक्षता हासिल करने का अनुरोध किया। अगले वर्ष से पुरस्कार राशि बढ़ाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया।

तदुपरांत विशिष्ट अतिथि श्रीमती पी. गिरिजा, उपनिदेशक जनगणना विभाग, द्वारा 28 प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए गए। फिल्म प्रभाग के श्री. वेणुगोपालन, वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा सभी निर्णायकों को सम्मानित किया गया।

श्री. के. एल. जेयिस, अधीक्षक सर्वेक्षक ने अपने आशीर्चन से हिंदी भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, राजभाषा संपर्क भाषा और जनमानस के भाषा रूपी समुद्र में सभी भाषाओं को सम्मिलित करने की शुभकामनाएं की।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 6 फरवरी 2009, को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन भारी पानी संयंत्र के अतिथि गृह में स्थित सभागृह में किया गया। कार्यशाला में भारी पानी संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ नराकास सदस्य कार्यालयों से भी नामांकन प्राप्त किए गए जिसमें जिरकोनियम कार्यालय, सीएमएफआरआई, कोस्टगार्ड, सीआईएसएफ, आई.ओ.बी. इत्यादि कार्यालयों के प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यशाला का उद्घाटन भारी पानी संयंत्र के विशेष कार्याधिकारी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एस. परमसिवम ने किया। इस अवसर पर भारी पानी संयंत्र के राभाकास के अध्यक्ष श्री आई. सेनगुप्ता, सहायक कार्मिक अधिकारी श्री जी. नवीन कुमार भी उपस्थित थे। उद्घाटन के अवसर पर श्री परमसिवम ने कहा कि राजभाषा हिंदी को सीखना बहुत ही जरूरी है। इसे सीखने से हम भारत के किसी भी कोने में आसानी से जा सकते हैं। केंद्र सरकार राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु बेजोड़ प्रयत्न कर रही है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इसे सीखकर अपने रोज

के कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं लेकिन उनमें से हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश की एकता बनाए रखी है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई की हमारे कार्यालय में पाँच कर्मचारी अपना काम राजभाषा हिंदी में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी सीखने से भविष्य में यह संख्या अवश्य बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हिंदी एक संचार का साधन है जो भारत के कोने कोने में पहुँची हुई है।

आकाशवाणी, चेन्नई-4

आकाशवाणी चेन्नै में दि. 5-12-2008 को संयुक्त हिंदी कार्यशाला एवं राजभाषा संगोष्ठी आयोजित हुई। आकाशवाणी, चेन्नै एवं आकाशवाणी के तमिलनाडु स्थित अन्य केंद्रों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों ने इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में डॉ. एम.जी.आर. जानकी कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष, डॉ. वत्सला किरण ने हिंदी व्याकरण के प्रयोग में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को सोदारहण सहित समझाया तथा उन्हें हल करने का तरीका बताया। दूसरे सत्र में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक डॉ. वी. बालकृष्णन ने राजभाषा प्रबंधन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने भाषण में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयोगी सुझाव दिए।

उक्त दिन, अपराह्न के सत्र में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यशाला के प्रतिभागी इसमें भी उपस्थित थे। संगोष्ठी के लिए विषय रहा “राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति, समस्या एवं समाधान”। संगोष्ठी का शुभारंभ प्रार्थना से हुआ। श्रीमती कामाक्षी रामनाथन ने प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया। हिंदी अनुवादक श्रीमती आर. रमा ने आमंत्रित अतिथियों एवं उपस्थितों का स्वागत किया।

केंद्र निदेशक श्री के. श्रीनिवासराघवन ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और अपने भाषण में कहा कि आकाशवाणी के अन्य केंद्रों के कर्मचारियों को भी हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जाती है। उन्होंने अपील की कि राजभाषा कार्यान्वयन में सामने आ रही समस्याओं को हल करने के लिए संगोष्ठी में दिये जाने वाले सुझावों का लाभ उठाएं।

आकाशवाणी, कडपा केंद्र

हिंदी कार्यशाला दिनांक 24-9-08 को सुबह 10-30 बजे को अध्यक्ष महोदय श्री ए. मल्लेश्वर राव ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए यह बताया कि केंद्रीय सरकार ने हिंदी राजभाषा की विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का आरंभ किया। इसी के अंतर्गत हम हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन करते आ रहे हैं। आमंत्रित अतिथि वक्ता श्री कोम्मिसेट्टी मोहन, हिंदी साहित्य प्रेमी और अनुवाद कर्ता, कडपा, ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी राजभाषा नीति का प्रयोग, राजभाषा से संबंधित अनेक विषयों को पूर्ण विश्लेषण के साथ बताये हैं, सत्र के समापन में कार्यालयाध्यक्ष ने यह बताया कि हिंदी भाषा की वृद्धि के लिये और दैनिक कार्य में प्रयोग करने के लिए हर कर्मचारी उत्सुकता से आगे बढ़ना चाहिए।

आकाशवाणी, कटक केंद्र

आकाशवाणी, कटक केंद्र में दिनांक 26-11-2008 से 28-11-2008 तक तीन दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ओडिशा के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के अधिकारी/कर्मचारीगण प्रशिक्षार्थी के रूप में उपस्थित थे। आकाशवाणी, कटक के केंद्र निदेशक सुश्री संजीवनी सुधा पटनायक ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर हम हिंदी बोलना जानते हैं तो भारत के किसी भी कोने में जाने से हमें आसानी होती है। उन्होंने सभी प्रशिक्षार्थियों से आग्रह किया कि कार्यालयीन काम-काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें।

उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद कार्यशाला का प्रथम सत्र प्रारम्भ हुआ। इस सत्र का विषय था “मानक वर्तनी एवं देवनागरी लिपि”। इस विषय पर ओडिशा के जानेमाने हिंदी विद्वान तथा रेवंशा महाविद्यालय के सेवा निवृत्त रीडर डॉ. रघुनाथ महापात्र ने व्याख्यान दिया। उन्होंने उदाहरण पेश करते हुए इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। कार्यशाला के इस प्रथम दिवस के अपराह्न सत्र में आकाशवाणी, कटक के हिंदी अधिकारी श्री सुरेन्द्रनाथ सामल ने “राजभाषा नीति, नियम एवं अधिनियम” विषय पर सविस्तार चर्चा किया।

दूसरे दिवस के प्रथम सत्र में चर्चा के लिए विषय रखा गया था “सामान्य हिंदी व्याकरण”। इस विषय पर विशिष्ट

हिंदी विद्वान तथा हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कटक के प्राध्यापक डॉ. लक्ष्मीधर दाश ने सविस्तार प्रकाश डाला। उन्होंने हिंदी व्याकरण के विभिन्न पहलुओं को अत्यन्त आकर्षक ढंग से समझाया। इसी दिवस के अपराह्न सत्र का विषय रखा गया था “कार्यालयीन अनुवाद”। इस विषय पर मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर के सहायक निदेशक (राजभाषा), श्री प्रमोद कुमार सिंह ने व्याख्यान दिया। उन्होंने अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की एवं अभ्यास करवाया। यह सत्र अत्यन्त सफल रहा।

तीसरे दिवस के प्रथम सत्र का विषय रखा गया था “कार्यालयीन पत्राचार”। इस विषय पर हिंदी शिक्षण योजना, कटक के हिंदी प्राध्यापक श्री प्रदीप कुमार साहु ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यालयीन पत्राचार के विभिन्न मसौदे प्रस्तुत किए एवं प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास करवाया। यह सत्र अत्यन्त आकर्षक रहा।

एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-III, कोलकाता

माह दिसम्बर, 2008 की पहली हिंदी कार्यशाला दिनांक 12-12-2008 को आयोजित की गई, इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए इस कार्यालय के साथ-साथ इसके अधीन की पार स्टेजनों/परियोजनाओं/कार्यालयों से अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिभागी के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया जिसमें कुल 20 प्रतिभागी उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में व्याख्यान/अभ्यास कार्य के लिए डा. राम विनोद सिंह, केंद्र प्रभारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता तथा श्री विनोद कुमार त्रिपाठी कंप्यूटर विशेषज्ञ, इस्टर्न रेलवे, कोलकाता को आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला के पहले पूर्वाह्न सत्रों में डा. राम विनोद सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा के स्वरूप एवं शुद्ध हिंदी कैसे लिखें विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और प्रतिभागियों से वाक्य लेखन का अभ्यास कराया और जाँच के बाद पाई गई गलतियों का सुधार किया एवं उसकी विवेचना भी की। इस कार्यशाला के अपराह्न सत्रों में श्री विनोद कुमार त्रिपाठी ने कम्प्यूटर प्रचालन, कम्प्यूटर पर हिंदी टाइपलेखन एवं हिंदी साफ्टवेयरों के आधुनिक स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया और प्रतिभागियों को कम्प्यूटर पर हिंदी टाइपिंग का अभ्यास कराया। इसके

साथ ही साथ प्रतिभागियों को कंप्यूटरों पर टाइपिंग के अभ्यास के लिए सामग्रियाँ भी वितरित की गई। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उनके द्वारा लिखित पुस्तक "कंप्यूटर पर हिंदी कैसे" का वितरण किया जाए। इस प्रशिक्षण के दौरान 7 प्रतिभागियों ने कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग करना सीख लिया।

इस माह की दूसरी कार्यशाला दिनांक 17-12-2008 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला में व्याख्यान-अभ्यास कार्य के लिए श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (पूर्व), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, गुवाहाटी ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिंदी में पत्राचार के तरीके बतलाए और प्रतिभागियों से हिंदी पत्राचार का अभ्यास कराया और उसकी जाँच की गई। इस कार्यशाला के अपराह्न सत्र में श्री बी.पी. सिंह ने राजभाषा की वर्तमान स्थिति एवं दिशा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजभाषा का भविष्य आगे आने वाले समयों में काफी उज्ज्वल है। उन्होंने हिंदी की आवश्यकता को सतर्क बतलाते हुए कहा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हर प्रांत के लोगों को आपस में मिला सकती है। इतने व्यापक भाषा को अपनाने में हमें झिझक का अनुभव नहीं करना चाहिए बल्कि दिल से अपनाना चाहिए। उन्होंने हिंदी में पत्र लेखन का अभ्यास भी करवाया।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में दिनांक 6-11-2008 को वित्त-वर्ष 2008-09 की तीसरी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला संयंत्र के अधिकारी वर्ग के लिए आयोजित की गई थी, जिससे शीर्ष स्तर से ही हिंदी में काम काज का आरंभ हो तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को भी राजभाषा हिंदी में काम करने की प्रेरणा प्राप्त हो।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, संयंत्र के उप महाप्रबंधक श्री प्रकाश चंद्र जैन ने कहा कि राजभाषा हिंदी से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी को हिंदी पर आना ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा हिंदी संबंधी अपनी

जानकारी विस्तृत करनी चाहिए। केवल अंग्रेजी में सरकारी कागजात जारी करना नियम विरुद्ध है। धारा 3(3) जैसे नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। हिंदी हमेशा से आम जनता की भाषा रही है। इसलिए भारतीय गणतंत्र की इस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाना चाहिए। इससे हम अपनी विज्ञान संबंधी गतिविधियों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा पूरे देश से जुड़ सकते हैं, गाँव-गाँव तक पहुँच सकते हैं।

कार्यशाला में राजभाषा नीति-नियमों के विषय में विस्तार से बताने के अलावा कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने योग्य बनाने के उद्देश्य से सभी प्रतिभागियों को ISM-2000/यूनीकोड की जानकारी देने के साथ-साथ अभ्यास भी कराया गया। इसके अलावा, सभी से हिंदी में टिप्पण-लेखन, तकनीकी वाक्यों में तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्यायों का प्रयोग, आदि का अभ्यास भी कराया गया।

नराकास, चंडीगढ़

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चंडीगढ़ द्वारा सदस्य कार्यालयों के अनुवादकों के लिए सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (इमटैक) में दो दिवसीय अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 33 केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. मथुरादत्त पांडेय मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। इस अवसर पर इमटैक के निदेशक डॉ. गिरीश साहनी व प्रशासन नियंत्रक श्री स्वतंत्र कुमार सदानी भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में डॉ. साहनी ने सरल हिंदी में अनुवाद करने पर बल दिया ताकि नए अनुसंधानों की जानकारी आसानी से जन सामान्य तक पहुँच सके। डॉ. मथुरादत्त पांडेय ने अपने उद्घाटन व्याख्यान में विस्तार से अनुवाद के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अनुवाद करते समय परिवेश व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भाषा का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने अनुवाद में भाषा के प्रचलित स्वरूप को अपनाने पर भी बल दिया। कार्यशाला में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार शर्मा ने 'संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली व अन्य

रिपोर्ट', स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के श्री खुशीद मुहम्मद ने 'कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य' करने के संबंध में जानकारी दी। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के डॉ. सुभाष रस्तोगी ने व्यावहारिक अनुवाद पर रोचक व उपयोगी जानकारी दी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के श्री सुरेंद्र ने 'तनावमुक्त जीवन' विषय पर बहुत ही उपयोगी एवं रोचक व्याख्यान दिया। प्रतिभागियों ने भी अनुवाद और राजभाषा के संबंध में अपने अनुभव की जानकारी दी। समापन सत्र में श्री स्वतंत्र कुमार सदाना, प्रशासन नियंत्रक, इम्टैक ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि वे कार्यालयों में ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो सबको आसानी से समझ आ जाए।

पश्चिम रेलवे, कार्यालय-मुख्य कारखाना प्रबंधक, दाहोद

पश्चिम रेलवे के दाहोद कारखाना में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के उद्देश्य से 10 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में 26 कर्मचारियों (लिपिक वर्ग) ने भाग लिया। कार्यशाला के अंत में दिनांक 28-11-08 को कसौटी परीक्षा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया।

भारी पानी संयंत्र, कोटा

भारी पानी संयंत्र, कोटा के मल्टीपरपज हॉल में दिनांक 6 एवं 7 फरवरी, 2009 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में श्री वी.वी. पांडे, वरिष्ठ वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, मुंबई विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही श्री ए.एन. वर्मा, महाप्रबंधक, भापासंको, श्री डी.सी. श्रीवास्तव, उत्पादन प्रबंधक, श्री बी.पी. जोशी, प्रशासन अधिकारी, भापासंको एवं श्री महावीर शर्मा, उप प्रबंधक (राजभाषा), राजस्थान परमाणु बिजलीघर भी समारोह में उपस्थित थे। उद्घाटन भाषण में श्री ए.एन. वर्मा ने कहा कि हमारा संयंत्र हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों की झिझक को दूर करना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए और हिंदी कामकाज

से संबंधित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए।

आकाशवाणी अहमदाबाद

हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता करने के लिए इस तिमाही में दिनांक 29-12-08 को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 11 सदस्यों ने भाग लिया।

डॉ. नारंजा अरुण, वक्ता का स्वागत करते हुए सचिव ने सभी सदस्यों से उनका परिचय कराया तत्पश्चात् वक्ता ने बताया आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम एवं केन्द्र है जहां से सारे श्रोता उच्चारण वगैरह सीखते हैं और उससे प्रयोग में सुधार लाते हैं। जब हम किसी भाषा में कोई बात करना चाहते हैं तो उस बात के फीलिंग्स पहले ही हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं, फिर उन्हें बाहर लाकर सामने वाले को अवगत कराया जाता है।

वर्तनी में मात्रा, स्वर और व्यंजन पर अलग-अलग विस्तार से चर्चा कर के उनके उदाहरण दे कर समझाया तथा कार्यशाला में उपस्थित सदस्यों की समस्याओं का निवारण करते हुए अभ्यास करवाया।

आकाशवाणी नागपुर

आकाशवाणी, नागपुर में मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 को "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का मार्गदर्शन मुख्य अतिथि श्रीमती पूर्णिमा सुरडकर, हिंदी अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मध्य रेलवे, किंग्सवे, नागपुर ने किया। "राजभाषा हिंदी में टिप्पणी एवं पत्राचार का प्रयोग" विषय पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, हिंदी शब्दों के अभाव के कारण हम हिंदी में पत्र लिखना रोक देते हैं किन्तु उसी शब्द को यथास्थिति देवनागरी लिपि में लिखा जाए तो हमें हिंदी में पत्राचार करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। हम हिंदी में सोचना शुरू करेंगे तो हिंदी में लिखना अपने आप आ जायेगा।

एन एच पी सी लिमिटेड, कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-4), 74-75 दक्षिण मार्ग, सैक्टर-31ए, चंडीगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में 31 दिसम्बर, 2008 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का

आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री रमेश नारायण मिश्र, कार्यपालक निदेशक ने किया। श्री मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी भाषा बहुत ही सरल है। हिंदी को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा व पढ़ा जाता है। यदि उच्चारण सही हो तो हिंदी लिखने में कोई अशुद्धि हो ही नहीं सकती। हिंदी को आसानी से समझा जाता है। देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलती है, समझती है। हमारे अधिकतर व्यवहार हिंदी में ही पूरे होते हैं। हिंदी में कार्य करना हमारा संवैधानिक व नैतिक दायित्व है। मैं चाहता हूँ कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

कार्यशाला में श्री धर्मपाल गौतम, पूर्व उप निदेशक (राजभाषा) ने हिंदी वर्तनी पर व्याख्यान दिया और अधिकारियों व कर्मचारियों की कई शंकाओं का समाधान भी किया। श्री गौतम ने व्याख्यान के दौरान कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक, मुख्य अभियंता एवं वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) भी उपस्थित रहे।

कार्यशाला में श्री देश राज, सहायक राजभाषा अधिकारी ने प्रतिभागियों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रपत्र में दी जाने वाली जानकारी से अवगत करवाया। कार्यशाला में 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

भारतीय डाक विभाग कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, इन्दौर क्षेत्र, इन्दौर-452001

पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, इन्दौर में दिनांक 23-9-2008 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला कार्यालय में दिनांक 15 से 29 सितंबर, 2008 तक आयोजित हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की गई। इसका उद्देश्य राजभाषा कार्यान्वयन को और गति प्रदान करना तथा सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करना था। प्रमुख वक्ता कार्यालय के सहायक निदेशक (स्टाफ) श्री ए. के. तोमर थे। प्रमुख वक्ता श्री ए. के. तोमर ने इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी

सभी को दी। इसके अलावा हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया, साथ ही प्रमुख वक्ता ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों वाक्यों और टिप्पणियों पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को हिंदी में लिखने का कुछ अभ्यास भी कराया। इस कार्यशाला में कार्यालय के 50 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के समापन पर पूर्व में आयोजित हिंदी कार्यशाला के प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।

आर्डिनेंस फैक्टरी, मुरादनगर

दिनांक 15 दिसंबर 2008 से 24 दिसम्बर 2008 तक आयुध निर्माणी, मुरादनगर में कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें राजभाषा नीति की जानकारी देने के साथ-साथ मूल रूप से हिंदी में पत्र/टिप्पण एवं प्रारूप लेखन/आवेदन आदि लिखने की व्यावहारिक जानकारी दी गई तथा अभ्यास कराया गया। हिंदी में काम करने में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु मार्गदर्शन किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि कठिन/तकनीकी शब्द आने पर अटकों नहीं बल्कि उन्हें देवनागरी लिपि में लिख दें तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। विभिन्न सरकारी विषयों जैसे अनुशासनिक कार्य, बिल संबंधी कार्य, चिकित्सा संबंधी कार्य आदि हिंदी में किस तरह आसानी से किए जा सकते हैं इस संबंध में भी कर्मचारियों को अवगत कराया गया। राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक के सहयोग से विकसित किए गए नए सॉफ्टवेयरों तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी द्वारा की गई प्रगति का परिचय भी कर्मचारियों को राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई लघु फिल्म के माध्यम से दिया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों को तकनीकी क्षेत्र में हिंदी में कार्य करने की व हिंदी सीखने की अद्यतन स्थिति की जानकारी मिली जिससे वे अत्यन्त प्रेरित एवं प्रोत्साहित हुए।

भा.ति.सी.पु. बल महानिदेशालय

महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, एस.एस. वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस, सबोली

हरियाणा में बल की विभिन्न इकाइयों से आए 31 है. कां./सी.एम. के लिए 1-12-2008 से 04-12-2008 तक “चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला” आयोजित की गई।

श्री श्याम लाल, सूबेदार मेजर (रा.भा.) ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन से कार्मिकों की हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयां एवं झिझक दूर होगी। उन्होंने अवगत कराया कि इस कार्यशाला में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों जिनमें राजभाषा की संवैधानिक स्थिति तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों, हिंदी में टिप्पणी लेखन एवं उसका अभ्यास, राजभाषा संबंधी विभिन्न निरीक्षण-निरीक्षण प्रोफार्मा भरवाने का अभ्यास, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन/बैठक का आयोजन, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन, रबड़ की मोहरें/नामपट्ट संबंधी आदेश एवं डायरी/डिस्पैच रजिस्ट्रों का रखरखाव/पत्राचार की गणना, हिंदी संबंधी अंशकालिक/गहन/पत्राचार प्रशिक्षण, हिंदी में पत्राचार, मानक हिंदी वर्तनी एवं हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी आदि शामिल हैं, पर व्याख्यान के साथ-साथ संबंधित विषयों का अभ्यास भी करवाया गया। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें उत्साह और रुचि से भाग लेकर कार्यशाला को सफल बनाया। उन्होंने कार्यशाला की परीक्षा के परिणाम की घोषणा करते हुए समस्त प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी।

मुख्य अतिथि श्री श्याम मेहरोत्रा, उ.म.नि.(प्रशा) ने हिंदी कार्यशाला के “प्रमाणपत्र वितरण समारोह” में सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें हिंदी कार्यशाला में रुचिपूर्वक भाग लेने और इसके सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि महानिदेशालय स्तर पर बल के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य अतिथि ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध किया कि अपने दैनिक सरकारी कार्य में हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि आपने कार्यशाला में जो सीखा है उसे अपने सहकर्मियों को भी सिखाएं। उन्होंने यह भी

कहा कि अपने सहयोगियों को हिंदी में कार्य करने में सहायता दें और उन्हें हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें।

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 20 अगस्त, 2008 को एक दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 26 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रातः 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक 1½ घंटे के चार सत्र निर्धारित किए गए थे। इस कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए राजभाषा के विशेषज्ञ 03 विद्वानों को आमन्त्रित किया गया था।

उक्त कार्यशाला का उद्घाटन भाषण में श्रीमती यू.जी. एन्टोनी, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक ने हिंदी कार्यशाला के महत्व, आवश्यकता और रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से राजभाषा हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभ्यास की कमी की वजह से अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा में काम करने में संकोच होता है। इस प्रकार की कार्यशाला हमारे संकोच और झिझक को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बहुभाषी देश में एक संपर्क भाषा का होना आवश्यक है और हिंदी भाषा यह भूमिका बखूबी निभा रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी का यह सांविधानिक और नैतिक कर्तव्य है कि अपने कार्यालयीन कार्य में हम राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें आगे उन्होंने कहा कि यथा संभव सरल और बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करें।

इसके पश्चात् डा. विचार दास, पूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा संघ की राजभाषा नीति एवं पारिभाषिक शब्दावली विषय पर वक्तव्य के साथ प्रथम सत्र आरंभ हुआ। उन्होंने अपने सारगर्भित वक्तव्य में अधिकारियों/कर्मचारियों से राजभाषा हिंदी का सहज और सरल प्रयोग करने पर बल दिया और इस संबंध में उपयोगी सुझाव दिए। डा. विचार दास ने रेखांकित किया कि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक महोदया श्रीमती यू.जी. एन्टोनी की

मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी उन्होंने जिस प्रवाह से और जिस सरलता से हिंदी भाषा का सहज प्रयोग किया है वह हम सब के लिए प्रेरणा की बात है।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) के उपनिदेशक (राजभाषा), श्री मोहन सिंह ने कार्यशाला के दूसरे सत्र में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला तथा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया।

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री एन.एस. रावत ने तीसरे सत्र में अपने वक्तव्य में कार्यालयों में हिंदी संबंधी विभिन्न रिपोर्टों के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें भरने का अभ्यास करवाया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली के कार्यालय में राजभाषा हिंदी के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और यह कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सतर्क और सजग है।

‘कार्यालय में हिंदी का प्रयोग, टिप्पण और प्रारूप’ विषय पर चौथे सत्र में कार्यालय के हिंदी अधिकारी श्री टी. एल. दास ने व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर

पखनि/पक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 24-12-2008 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निदेशक महोदय श्री ललित कुमार नंदा ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने कहा कि हिंदी कार्यशाला का आयोजन राजभाषा से संबंधित कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यशालाओं द्वारा न केवल राजभाषा में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है बल्कि साथ ही हिंदी के प्रयोग में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण भी होता है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले

प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएँ भी दी एवं आशा व्यक्त की कि यह कार्यशाला सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए सार्थक सिद्ध होगी। क्षेत्रीय निदेशक महोदय के उद्घाटन भाषण के पश्चात् राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से श्री ओम प्रकाश यादव, वैज्ञानिक अधिकारी जी ने आमंत्रित विद्वानों का स्वागत किया।

तत्पश्चात् हिंदी कार्यशाला की शुरुआत की गई। कार्यशाला में दो व्याख्यान प्रस्तुत किए गए जिसमें पहला व्याख्यान बैंक ऑफ बड़ौदा की सेवा निवृत्त हिंदी अधिकारी श्रीमती विजया श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया। श्रीमती विजया श्रीवास्तव ने कार्यालयीन हिंदी की सामान्य त्रुटियाँ विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। अपने व्याख्यान में श्रीमती विजया श्रीवास्तव ने कार्यालय में प्रयोग की जा रही हिंदी की सामान्य त्रुटियों पर प्रकाश डाला एवं उपस्थित प्रशिक्षुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

श्रीमती विजया श्रीवास्तव के व्याख्यान के पश्चात् कार्यशाला के द्वितीय सत्र में श्री आर.के. शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), आयकर विभाग ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री शर्मा ने “कार्यालयीन पत्राचार” विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया।

अपने व्याख्यान में श्री आर.के. शर्मा ने कार्यालयीन पत्राचार के विभिन्न प्रकार एवं उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला साथ ही उन्होंने पत्राचार में होने वाली वर्तनी एवं व्याकरण की सामान्य अशुद्धियों पर प्रशिक्षुओं का ध्यान आकर्षित किया। व्याख्यान के पश्चात् श्री शर्मा ने प्रशिक्षुओं की सामान्य जिज्ञासाओं का समाधान भी प्रस्तुत किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बालाघाट (मप्र)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय-भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा श्री देबाशीष दास, वैज्ञानिक-डी, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बालाघाट की अध्यक्षता में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चालू वर्ष की द्वितीय समीक्षा बैठक दिनांक 21-01-2009 को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, कलेक्टर कार्यालय, परिसर, बालाघाट में श्री रामलाल शर्मा, उप निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य आतिथ्य में समपन्न हुई। दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष

महोदय द्वारा सर्वप्रथम बालाघाट में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि के उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए उनकी व्यस्त कार्यालयीन दिनचर्या से समय निकालकर आने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि यह हर्ष की बात है कि हम राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए एकजुट हो चुके हैं तथा राजभाषा कार्यान्वयन में अब हमें कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए एवं हिंदी में कामकाज करना हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। इस अवसर पर उन्होंने उदात्त चेतना के धनी श्री असित सिंह (भा.रा.से.) के कथन—“भाषा व्यवहार की वस्तु है। हिंदी हमारी सम्पर्क भाषा और राजभाषा है। राष्ट्रीय अस्मिता के लिए हिंदी जरूरी है” की याद भी दिलाई। मुख्य अतिथि श्री रामलाल शर्मा ने कहा कि उनके द्वारा बालाघाट के विभिन्न कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि कुछ कार्यालय धारा 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं हुए हैं तथा नामपट्ट में द्विभाषा का प्रयोग तो किया गया है, किन्तु हिंदी देवनागरी लिपि अंग्रेजी के नीचे लिखी गई है, जो कि राजभाषा नियमों का घोर उल्लंघन है, अतः सदस्य कार्यालय इस पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यदि आपके कार्यालय में कोई भी अहिंदी क्षेत्र के कर्मचारी हिंदी में प्रशिक्षित नहीं हो तो उन्हें राजभाषा विभाग द्वारा जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित करवाएं तथा राजभाषा हिंदी संबंधी अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in को देखा जा सकता है, जिससे विभिन्न नियमों/अधिनियमों के पालन में सहायता मिलेगी।

एन एच पी सी लिमिटेड मुख्यालय, सैक्टर-33, फरीदाबाद

निगम मुख्यालय में कर्मिकों को राजभाषा नीति की समुचित जानकारी देने और उन्हें हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में निगम मुख्यालय में दिनांक 21-11-2008 को एस-1 एवं एस-2 स्तर के कर्मिकों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम.एस. बाबू, महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) द्वारा किया गया। उन्होंने अपने

उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार परिवार में किसी समस्या के समाधान के लिए सभी सदस्य तत्पर रहते हैं उसी प्रकार राजभाषा हिंदी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें परिवार की तरह ही अपना-अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि हिंदी अपनी भाषा है फिर भी हमने इसे दिल से नहीं अपनाया है। किसी भी देश की प्रगति व उन्नति में भाषा का विशेष महत्व होता है।

अतः देश के विकास के लिए स्वभाषा और राष्ट्रभाषा की एकता के रूप में हिंदी भाषा को अपनाते हुए हिंदी में काम करना आवश्यक है। हमें छोटे-छोटे नोट, अग्रेषण पत्र तथा फाइलों पर नोटिंग हिंदी में ही करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस कार्यशाला में जो भी जानकारी दी जाएगी उससे आपको कार्यालयीन कार्य करने में अवश्य मदद मिलेगी।

कार्यशाला के प्रथम सत्र के शुरू होने से पूर्व डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कार्यशाला की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। डॉ. सिंह ने कहा कि हिंदी का कार्यसाधन ज्ञान रखने वाले कर्मिकों को कार्यशालाओं में हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कर्मिकों को कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के संबंध में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में भी बताया।

डॉ. सोना शर्मा, प्रबंधक (राजभाषा) ने सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने हिंदी कार्यशाला के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी कार्य को बढ़ाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते समय अटकना नहीं चाहिए हमें सरल भाषा का उपयोग करते हुए हिंदी कार्य को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में डॉ. एम.एल. मैत्रेय, पूर्व उप-निदेशक, राजभाषा विभाग ने प्रतिभागियों को राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन के विविध पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि उच्च स्तर के अधिकारी राजभाषा हिंदी में काम करने की पहल करेंगे तो उनके अधीनस्थों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि

भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को लगातार प्रयास करने चाहिए। कठिनाइयों से बिना घबराए एक राष्ट्रीय कर्तव्य और उद्देश्य को सामने रखकर राजभाषा हिंदी में निष्ठा से कार्य करना चाहिए। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में डॉ. विचार दास, पूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ने अपने व्याख्यान में प्रतिभागियों को हिंदी में टिप्पण-प्रारूपण तथा हिंदी में पत्राचार के संबंध में ज्ञानवर्धक जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए हिंदी में टिप्पण-प्रारूपण संबंधी उनकी शंकाओं का भी समाधान किया। कार्यशाला के भोजनावकाश के बाद के सत्र में श्री केवल कृष्ण, तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी व हिंदी विषय पर सत्र का संचालन करते हुए कहा कि कम्प्यूटर पर हिंदी में आसानी से काम किया जा सकता है। उन्होंने हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयरों के संबंध में अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी देते हुए कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा मंत्र एवं श्रुतलेख सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से अनुवाद एवं कम्प्यूटर पर बोल कर हिंदी में कार्य किया जाना सम्भव हुआ है। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर से उपस्थित प्रतिभागियों को अभ्यास कराया।

एन टी पी सी, दादरी

दादरी पावर प्रोजेक्ट में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को गतिशील करने की दृष्टि से एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला विभागों में नामित राजभाषा समन्वय अधिकारियों के लिए आयोजित की गई।

अपर महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) श्री एस के पटनायक ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि हिंदी हमें राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ती है और इसके प्रयोग से राष्ट्रीय गौरव बढ़ता है। श्री पटनायक ने कहा कि देश में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी राजभाषा के साथ ही संपर्क सेतु की मुख्य कड़ी है। उन्होंने हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु सभी प्रतिभागियों को प्रेरित किया।

अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री ए. चिदम्बरम ने हिंदी कार्यशाला के महत्व एवं राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर

प्रयोग की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि अपनी भाषा में मन की अनुभूतियों को सहजता से व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी राजभाषा हिंदी का सम्मान करें और इसे स्वाभिमान से अपनाएं। श्री चिदम्बरम ने बताया कि 2007-08 के दौरान दादरी कोयला स्टेशन ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में पूरे एनटीपीसी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमें राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में भी हरसंभव प्रयास करते हुए प्रथम स्थान प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहना होगा।

डॉ. (श्रीमती) अलका धनपत, सीनियर लेक्चरर, महात्मा गांधी संस्थान, मॉरीशस ने कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी का स्वरूप, मानक वर्तनी, पारिभाषिक शब्दावली और राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की दशा और दिशा जैसे बिन्दुओं पर सारगर्भित एवं रोचक व्याख्याओं से प्रतिभागियों को हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए उत्साहित किया। इस अवसर पर “सारांश” द्विभाषी सॉफ्टवेयर के निर्माता मैसर्स आर्यन ई-सॉफ्ट प्रा. लि. के इंजीनियर श्री गगन शर्मा ने “सारांश” सॉफ्टवेयर के यूजर फ्रेंडली प्रयोग एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

एन. एच. पी. सी. लिमिटेड, चमेरा पावर स्टेशन-II, करियां चंबा (हि. प्र.)

दिनांक 5-8-2008 से 6-8-2008 तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा चमेरा पावर स्टेशन-II, करियां में दो दिवसीय प्रशासनिक शब्दावली प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोग भारत वर्ष में शब्दावली के निर्माण लिए एकमात्र अधिकृत विभाग है जो कि विभिन्न कार्यालयों के लिए मानक शब्दावली विभिन्न विषयों की बनाता है जो देश के सभी कार्यालयों पर लागू होती है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पावर स्टेशन के मुख्य अभियंता प्रभारी श्री राजीव हस्तु ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कार्यालयों में प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य कार्यरत कर्मिकों के मध्य हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की रुचि पैदा करना तथा उनकी राजभाषा कार्यों संबंधी समस्याओं का निवारण करना है तथा एक समान

मानक शब्दों का प्रयोग करना ताकि एकरूपता आ सके । उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि कार्यालय के कार्यों में हिंदी नोटिंग एवं हिंदी पत्राचार को बढ़ावा दें तथा अपने कार्यालय को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें । आयोग के एम. पी. मीणा वैज्ञानिक अधिकारी ने इस पर विस्तार से चर्चा की । इस दो दिवसीय कार्यशाला में संकाय के रूप में देश के जाने माने भाषाविद एवं वैज्ञानिक क्रमशः श्री डी. डी. नौटियाल, वीर सिंह आर्य, डॉ. पंकज अनेजा, माणिक मृगेश, डॉ. देवेन्द्र तिवारी, तथा अपने-अपने व्याख्यानों से सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया । इस दो दिवसीय प्रशासनिक शब्दावली प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला के संयोजक डॉ. देवेन्द्र तिवारी थे ।

इस दो दिवसीय प्रशासनिक शब्दावली प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला कार्यक्रम क्षेत्र के दो परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के 75 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड पोस्ट बाक्स सं. 11 भंडारा 441904 (महाराष्ट्र)

केंद्रीय रेशम बोर्ड की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा के तत्वाधान में दिनांक 29-12-2008 को प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केंद्र भंडारा में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । डॉ एस. के. माथुर ने हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किए । उन्होंने सदन को सूचित किया कि केंद्रीय रेशम के कार्यालयों में विभिन्न राज्यों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण कार्यरत हैं उनके द्वारा राजकीय कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादन करने के लिए एक सरल एवं सशक्त भाषा में काम करना आवश्यक है तथा वो भाषा है—हिंदी । राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियमानुसार नियमित कार्यशालाओं के आयोजन से अधिकारियों/कर्मचारियों के राजभाषा में कार्य करने की क्षमता एवं गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार हुआ है । भंडारा स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालयों में पत्राचार 100 प्रतिशत हिंदी में किया जा रहा है एवं संपूर्ण लक्ष्यों की

प्राप्ति की जा रही है । डॉ एस. के. माथुर ने बताया कि यही कारण है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा की ओर से वर्ष 2007-2008 के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के भंडारा स्थित कार्यालयों को राजभाषा के उत्तम कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया है ।

श्री तेजवीर सिंह ने “प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग” विषय पर व्याख्यान दिया । तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों से संबंधित विभिन्न प्रारूपों पर चर्चा की गई एवं उन्हें सभी को परिचालित किया गया । इस अवसर पर श्री आर.एन. पराते एवं डॉ. आर. एस. कटियार, वैज्ञानिक-सी ने भी अपने विचार व्यक्त किए ।

कार्यालय वैज्ञानिक-डी, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड मोतीनगर, बालाघाट

दिनांक 26 दिसम्बर, 2008, को केंद्र के प्रभारी अधिकारी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री देबाशीष दास की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चालू वर्ष की तृतीय तिमाही की हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने वक्तव्य में कहा कि देवनागरी हमारे देश की पहचान है तथा इसकी यह विशेषता है कि आप जैसा बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे तथा समझेंगे, जबकि अंग्रेजी भाषा में आप काम करते समय ऐसा नहीं पाते हैं । तदुपरान्त उन्होंने यह भी कहा कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी भाषा में अपने शोध कार्य न करके बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि हमारे कृषकगण द्वारा दूसरी भाषा में लिखे गये बहुमूल्य शोध का सही-सही लाभ नहीं ले पाए । अतः हम अपने शोध में सामान्य कृषकों द्वारा समझी जाने वाली हिंदी भाषा के प्रयोग की आवश्यकता है ।

प्रत्यय, एकवचन-बहुवचन, शृद्ध-अशुद्ध शब्द का लेखन एवं संधि विच्छेद आदि का प्रशिक्षण दिया गया तथा अभ्यास करवाया गया तथा प्रश्न भी पूछे गए ।

(ड) हिंदी दिवस

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(सिविल लेखापरीक्षा), तमिलनाडु
एवं पुदुचेरी, चेन्नई-18

दिनांक 25-8-2008 से 2-9-2008 तक के हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे संगीत, निबंध लेखन, टिप्पण आलेखन, तकनीकी शब्दावली एवं अनुवाद, आशु, भाषण, टंकण और शब्द जाल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं के अलावा, एक पुस्तक प्रदर्शनी और कर्मचारियों को कंप्यूटरों में आसानी से काम करने हेतु कंप्यूटरों पर अपलोड किये गये साफ्टवेयर और अन्य प्रपत्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई।

दिनांक 16-9-2008 को अपराह्न 3 बजे हिंदी पखवाड़ा का समापन के रूप में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि मद्रास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापिका श्रीमती चिट्ठी अन्नपूर्णा थीं। उनके अनुसार राजभाषा हिंदी अब भी वही स्थिति में हैं जब उसे राजभाषा घोषित की गई। इसकी स्थिति में अभी कोई बदलाव आ सकता है जब विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं मंत्रालय/विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी स्वयं हिंदी में काम करना शुरू करें न कि इसके लिए नामित कर्मचारियों पर आश्रित रहें। सरकारी सेवा में कार्यरत सभी का कर्तव्य होगा कि वे राजभाषा हिंदी को अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करें और उसे अपना लें।

भारतीय डाक विभाग कार्यालय
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर पूर्व परिमंडल
शिलांग-793001

दिनांक 15 सितम्बर, 2008 से कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर पूर्व परिमंडल, शिलांग में हिंदी दिवस व पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्किल कार्यालय, निदेशक लेखा (डाक) डाक-तार औषधालय, अधिशासी

अभियंता कार्यालय एवं पोस्टल सिविल डिविजन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिंदी दिवस व पखवाड़ा-08 का शुभारंभ दिनांक 15 सितम्बर, 2008 को मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, स. चक्रवर्ती, उत्तर पूर्व परिमंडल शिलांग के उद्घाटन भाषण के साथ हुआ। उन्होंने दीप प्रज्वलन करके अपने उद्घाटन भाषण में कार्यालय में राजभाषा का उपयोग पर उपस्थित सभी से आग्रह किया।

राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान
नं. 8, बेल्लारी रोड, बेंगलूर-560 003

हिंदी सप्ताह 8 सितंबर, 2008 से 16 सितंबर, 2008 तक और हिंदी दिवस का आयोजन दिनांक: 16 सितंबर, 2008 को मनाया गया।

श्री वी. राजेन्द्र प्रसाद जी, द्वारा ईश्वर की प्रार्थना के साथ ही हिंदी सप्ताह/दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमती एम.जे. जयालक्ष्मी, सेवानिवृत्त राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बेंगलूर-03 जी ने अपने बहुमूल्य भाषण से सभी उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनको मुख्य अतिथि चुने जाने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने संस्थान के निदेशक, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारियों को राजभाषा से संबंधित दिए गए अपने योगदान को सभी के समक्ष पेश किया और कार्यालय की राजभाषा समिति द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। इनके बाद राजभाषा अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार चल्लु जी ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

हिंदी सप्ताह के दौरान दिनांक 16-09-2008 को हिंदी दिवस कार्यक्रम एवं पहली बार कार्यालय के स्थापना दिवस को हिंदी दिवस के साथ मनाया गया है। हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित की गई सभी प्रतियोगिताओं के सभी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आये सभी प्रतिभागियों को कार्यालय के निदेशक जी एवं मंच पर उपस्थित महानुभावों द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरण कराये गये।

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय
कार्यालय भविष्य निधि भवन, पो.बॉ
सं.-3875, डॉ. बालसुंदरम रोड,
कोयंबतूर-641018**

दि. 1 सितंबर, 2008 से दि. 30 सितंबर, 2008 तक हिंदी मासोत्सव का आयोजन किया गया। कोयंबतूर क्षेत्र में अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करते हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री एन. ए. नायर जी द्वारा अपील की गई। हिंदी मासोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदी प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमें प्रतिभागियों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों ने कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना भी आरंभ किया।

हिंदी माह के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दि. 25-9-2008 को अपराह्न 3 बजे आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री एन.ए. नायर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है। बहुभाषी भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका के आलोक में संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व सभी केंद्र सरकारी कार्यालयों पर है। इस दायित्व को हम पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कामकाज में गुणवत्ता एवं तेजी लाने में हमें आज कंप्यूटर बहुत बड़ा सहायक है। हिंदी कार्यान्वयन संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। इस दिशा में क्षेत्रीय कार्यालय कोयंबतूर की ओर से हम विशेष प्रगति हासिल कर चुके हैं। सभी अग्रेषण पत्र द्विभाषी रूप में बनाए जा चुके हैं। चेक अग्रेषण-पत्र तथा वेतनपत्रों का भी द्विभाषीकरण हो चुका है। इनके अलावा मानक मसौदों की सी.डी. (A Compact Disc of Bilingual Standard Draft) तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यालयों के उपयोगार्थ राजभाषा साधन सी.डी. (A CD of Official Language Resources) भी हमने बनाया है। इनकी प्रशंसा संसदीय राजभाषा समिति तथा हमारे मुख्यालय ने भी की है।

**मुख्य आयकर आयुक्त (सं.नि.प्रा.) कार्यालय,
पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी**

गुवाहाटी में दिनांक 14-10-2008 से 22-09-2008 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। दिनांक 14-09-2008 को 3.00 बजे (अपराह्न) में हिंदी दिवस/सप्ताह का उद्घाटन श्री पी.के. देव वर्मन, भा.रा.से. आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-1, गुवाहाटी ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। इस अवसर पर श्री शेष मणि शुक्ल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष सहित वहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्वागत किया तथा माननीय गृह मंत्री जी के संदेश का वाचन किया। उन्होंने राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर संक्षिप्त प्रकाश डाला और सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की भी घोषणा की। दिनांक 17 अक्टूबर, 08 को श्री विनीत सहाय, भा.रा.से., मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी), पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी की अध्यक्षता में आडिटोरियम हाल, 9वाँ तल, नया आयकर भवन, गुवाहाटी में हिंदी सप्ताह का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

**मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कर्नाटक सर्किल
बेंगलूर -560216**

दिनांक 15-09-2008 से 29-09-2008 तक हिंदी पखवाड़ा अतीव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिनांक 15-09-2008 को हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया गया और हिंदी दिवस -2008 के सिलसिले में डाक निदेशालय से प्राप्त संदेश, सभी अधिकारियों/पदधारियों के समक्ष पढ़ा गया। पखवाड़े के दौरान पदधारियों को कार्यालयीन कामकाज के दौरान राजभाषा हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान अधिकारियों/पदधारियों के लिए विविध हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

श्री एम.पी.राजन, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, कर्नाटक डाक सर्किल एवं पदेन अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सर्किल कार्यालय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उद्गार प्रकट किए जिसमें उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि हिंदी, सभी भारतीयों चाहे वे किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के हों, के दिलों को जोड़ने वाली भाषा है; यह सरल भाषा है जिसमें थोड़ी सी रुचि लेने पर हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। सभी को हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने का अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार हम सब

डाक प्रचालन सेवाओं के द्वारा जन-जन में मशहूर हैं उसी प्रकार राजभाषा हिंदी में कार्य करने पर सराहना और पुरस्कार प्रदान करने हेतु अनेक मंच हैं, जिनके सदस्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ बैंक व सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम आदि होते हैं। यदि हम सब मिलजुलकर सम्मिलित प्रयास करें तो राजभाषा हिंदी में कार्यालयीन कार्य करके उन मंचों द्वारा पुरस्कार प्राप्त करके प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल हमें दृढ़निश्चय करके राजभाषा हिंदी में कार्य करने की पहल करनी है। इस प्रकार उन्होंने अधिकारियों/पदधारियों को अपने-अपने कार्यालयीन कार्यों के संपादन में राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु प्रेरणा दी।

आकाशवाणी : तृश्शूर केंद्र

आकाशवाणी, तृश्शूर केंद्र में दि. 15-09-08 से 29-09-08 तक हिंदी दिवस/पखवाड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अधिकाधिक काम हिंदी में करने का प्रयास किया। समारोह के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी सुलेखन, (श्रेणी घ कर्मचारियों के लिए अलग) टिप्पण एवं आलेखन, अनुवाद, हिंदी फिल्मी गीत, हिंदी भाषण, हिंदी कविता पाठ, हिंदी शब्द शक्ति आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दो सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह दि. 29-09-08 को संपन्न हुआ। केंद्र में आयोजित भव्य समारोह में जाने माने गाँधीवादी विचारक डॉ. के. के. राहुलन ने समापन समारोह का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने हिंदी भाषा के राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गाँधीवादी की कार्य पद्धति में हिंदी प्रचार को प्रमुख स्थान मिला था। गाँधीजी यह मानते थे कि हिंदी भारत की एकता का साधन है और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हिंदी प्रचार आंदोलन को भी मुख्य स्थान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी राष्ट्रीयता एवं स्वाभिमान का चिह्न है और इसी कारण से राम मनोहर लोहिया जैसे महान अंग्रेजी विद्वानों ने हिंदी में भाषण देना पसंद किया।

समारोह में श्रीमती एम. गौरी केंद्र अभियंता अध्यक्ष रही। जहाँ तक संभव हो सरकारी कामकाज हिंदी में करने की उन्होंने कर्मचारियों से अपील की।

हिंदी पखवाड़ा समारोह के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि डॉ. के. के. राहुलन ने पुरस्कार वितरण किया।

आकाशवाणी : डिब्रूगढ़ केंद्र

हिंदी सप्ताह का आयोजन बड़े धूम-धाम से दिनांक 8 से 14 सितंबर तक किया गया। हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 12 सितंबर को आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ के सभा कक्ष में किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री उत्पल भट्टाचार्य, सहायक केंद्र अभियंता ने किया।

मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में राजभाषा हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा कि केंद्र में इस प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन से निश्चित तौर पर कार्यालय में हिंदी में काम करने का वातावरण पैदा होता है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को भाग लेना चाहिए क्योंकि राजभाषा हिंदी को उसका समुचित स्थान दिलाने के लिए हम सबको सच्चे दिल से प्रयासशील होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण के प्रारम्भ में सभी कर्मचारियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हिंदी सप्ताह एवं समारोह को सफल बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने केंद्र के सभी कर्मचारियों को अपने अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रयत्नशील होने के लिए अनुरोध किया।

दूरदर्शन केंद्र : तिरुवनंतपुरम

दिनांक 15 सितंबर, 2008 के 29 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र के मुख्य द्वार तथा अंदर में हिंदी पखवाड़ा का बैनर लगाया गया। हिंदी के प्रति कर्मचारियों का रुझान बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सभी वर्ग व अनुभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया। सुंदर लिखावट प्रतियोगिता सिर्फ वर्ग 'घ' कर्मचारियों के लिए रखा गया। कर्मचारियों ने इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

इस केंद्र के अधीक्षण अभियंता श्री सी.बी. पिल्लै की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा समारोह का समापन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अध्यक्षीय भाषण में अध्यक्ष महोदय ने सभी पदधारियों को संबोधित कर कहा कि वे अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करने का प्रयास करें। मुख्य अतिथि ने कर्मचारियों को फाइलों में हिंदी में काम करने की सलाह दी। उन्होंने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के कई तर्क प्रस्तुत किए। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के मूल्यांकन पर भी जोर दिया।

आकाशवाणी : विजयवाड़ा

दिनांक 18-9-2008 को हिंदी दिवस का आयोजन बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। आकाशवाणी महानिदेशालय से जारी अनुदेशों के अनुपालन में हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने और उसका प्रचार-प्रचार बढ़ाने के उद्देश्य से और अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना दैनिक कार्यालयी कार्य अधिक से अधिक हिंदी में निष्पादन करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 60 विजेताओं को सहायक केंद्र अभियंता श्री. आई.वी. राव द्वारा प्रमाणपत्र वितरित किए गए। केंद्र निदेशक ने अपने वक्तव्य में कहा कि 14 सितंबर, 1949 में हिंदी को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं।

दूरदर्शन केंद्र : गुवाहाटी

दिनांक 03 सितम्बर, से 17 सितम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान, हिंदी पखवाड़े तथा 15 सितम्बर, 2008 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयोजन से पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। केंद्र के कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिताओं के अवसर पर श्री राम नारायण सरोज, उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वोत्तर ने कहा कि कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है जिस उद्देश्य की संविधान में अपेक्षा की गई है।

दिनांक 18, सितम्बर, 2008 को पखवाड़े के समापन समारोह का आयोजन किया गया। गुवाहाटी रिफाइनरी के

उप महाप्रबंधक और प्रख्यात डा. भूपेन्द्र प्रसाद शर्मा को मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। डा. शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों से मेरा अपना अनुभव रहा है कि पूर्वोत्तर में हिंदी का विकास तेज गति से हो रहा है।

आकाशवाणी : विशाखापट्टणम

आकाशवाणी केंद्र, विशाखापट्टणम में दिनांक 14-09-2008 को हिंदी दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया और इस वर्ष कुछ अनिवार्य कारणों से हिंदी पखवाड़ा दिनांक 03-11-2008 से 17-11-2008 तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान कुछ हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

दिनांक 14-09-2008 को हिंदी दिवस समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। केंद्र निदेशक श्रीमती प्रयाग वेदवती जी ने अपने भाषण में राजभाषा हिंदी भाषा के महत्व के बारे में समझाते हुए कहा कि राजभाषा प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय भावनात्मक एकता एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा हमारे देश में विभिन्न भाषा-भाषियों को एक सूत्र में बांधने का काम बखूबी निभा रही है। यह हमारी संस्कृति की संवाहिका भी है अतः सभी इसे पूरे मन से सीखें और उसका प्रयोग करें उनके पश्चात् अधीक्षण अभियंता महोदय ने की सराहना की कि इस छोटे से कार्यालय में हिंदी का सिर्फ बोलचाल की भाषा के रूप में ही नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने उन कर्मचारियों की काफी तारीफ की जो अपने कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं।

दूरदर्शन केंद्र : हैदराबाद

दिनांक 17-1-2008 से दिनांक 24-11-2008 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में दिनांक 17-11-08 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी अनुभागों के 24 कर्मचारियों ने भाग लिया और उन्हें कार्यालय के दैनिक कार्य में सुलभता हेतु भी अभ्यास करवाया गया।

दिनांक 20-11-08 से 25-11-08 तक कुछ प्रतियोगिताएँ रखी गईं। जिसमें कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। हिंदी सप्ताह का समापन समारोह दिनांक 28-11-08 को शाम 4.00 बजे आयोजित किया गया।

इस समारोह की अध्यक्षता केंद्र के निदेशक डॉ. पी मधुसुदन राव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

सहायक केंद्र निदेशक श्री इम्तियाज अली ने अपने भाषण में कहा कि हमारे कार्यालय में लगभग सभी लोग हिंदी जानते हैं हिंदी में बात एवं पढ़ लिख सकते हैं क्यों ना उनकी मातृ भाषा कुछ भी हो। सभी हिंदी का ज्ञान रखते हैं लेकिन हिंदी के प्रयोग से घबराते हैं इस घबराहट को दूर करने के लिए छः माह में एक बार दो दिनों की कार्यशाला कार्यालय में ही रखी जाए और प्रशिक्षणार्थियों से कुछ अभ्यास भी करवाया जाए तो हिंदी के प्रति जो डर उनके दिल में है वह दूर हो जाएगा और कर्मचारी अधिक से अधिक अपना कार्यालय का कार्य हिंदी में कर पाएंगे। इसके बाद कार्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में हिंदी अधिकारी ने जानकारी दी और विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सात्वना पुरस्कार निदेशक महोदय तथा अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमारे कार्यालय में सभी कर्मचारी केवल हिंदी सप्ताह के समय ही अपनी रुचि दिखाते हैं और उसी समय पता चलता है कि लगभग सभी कर्मचारी हिंदी लिखना बोलना जानते हैं। हिंदी में कार्य भी कर सकते हैं लेकिन वे हिंदी में कार्य करने के लिए केवल डरते हैं। धीरे-धीरे कार्यशालाओं में यदि प्रशिक्षित किया जाए तो उनका डर एवं झिझक भी दूर होगी और वे अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करेंगे।

इसके बाद सुश्री गायत्री देवी, हिंदी अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।

आकाशवाणी : कोलकाता

15 सितम्बर से 29 सितम्बर, 08 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न उत्साहवर्धक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिनांक 15-9-08 को हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। दिनांक 18, 19, 22, 23 एवं 24 सितम्बर, 08 को क्रमशः हिंदी निबंध लेखन, हिंदी आशु-भाषण, हिंदी टिप्पण/आलेखन एवं अनुवाद, हिंदी लेखन एवं वाचन, श्रुति लेखन, संस्मरण, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपर्युक्त सभी प्रतियोगिताओं में केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दिनांक 29 सितंबर, 08 को हिंदी पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

केंद्रीय रेशम उत्पादन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प.ब.)

दिनांक 15-09-2008 से 29-09-2008 तक हिंदी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों/पदधारियों को राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेरित व प्रोत्साहित करने तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से संस्थान में दिनांक 15-09-2008 से प्रारंभ कर 27-09-2008 तक विविध प्रतियोगिताएं जैसे कि टिप्पण व आलेखन, शब्दावली, निबंध, सुलेख एवं श्रुतलेखन, प्रश्नोत्तरी (क्वीज) कविता आवृत्ति, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, तात्क्षणिक भाषण एवं समूह 'घ' वर्ग के पदधारियों के लिए भी एक वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रत्येक प्रतियोगिताओं (कुल 9) के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सात्वना पुरस्कार प्रदान करने के साथ-साथ वर्ष 2007-08 के दौरान राजभाषा हिंदी में मूल रूप से सरकारी कामकाज निष्पादित करने हेतु कुल 26 पदधारियों को प्रोत्साहन स्वरूप नकद राशि प्रदान कर उन्हें राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेरित व प्रोत्साहित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा अपने अभिभाषण में यह उद्गार व्यक्त किया गया कि आज हिंदी ज्ञान-विज्ञान की भाषा बन चुकी है तथा जनसंपर्क के मामले में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ इसकी पहुंच समाज के सभी क्षेत्रों तथा वर्गों के लोगों में है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी मातृभाषा के साथ-साथ राजभाषा हिंदी को अवश्य सीखना तथा अपनाना चाहिए। उनके द्वारा विदेश का हवाला देते हुए यह कहा गया कि अब तो यू.एन.ओ. में भी इसकी आवाज गूंज रही है एवं विदेशी भी हिंदी सीखने व पढ़ने के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तथा इसमें रुचि ले रहे हैं।

श्री एस. के. चुघ, विशिष्ट अतिथि ने कहा कि हिंदी अपने आप में समृद्ध तथा एक ओजपूर्ण भाषा होने के साथ-साथ पूरे भारतवासियों को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम सभी राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाएं तथा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में इसे उचित स्थान और मर्यादा प्रदान करें।

संस्थान के निदेशक डॉ. ए. के. बाजपेयी महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति का संवाहक है। हमें हिंदी के प्रति अनुराग रखना चाहिए तथा अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में भी निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा, उनके द्वारा यह भी उद्गार व्यक्त किया गया कि संस्थान के अधिकारीगण को हिंदी के प्रयोग में झिझक छोड़कर आगे आना चाहिए जिससे कि स्टाफ को भी हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिले।

एम एस एम इ-विकास संस्थान, तृशूर

15-9-2008 से 29-9-2008 तक के दौरान हिंदी पखवाड़ा 2008 का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएँ एवं 17-9-2008 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिंदी में काम करने की ओर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित करने के साथ-साथ उस के लिए समुचित वातावरण की सृष्टि करना इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी पखवाड़ा समारोह 2008 का औपचारिक उद्घाटन 15-9-2008 के 10.30 बजे प्रातः संस्थान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक निदेशक (सां) श्री एन एन रेजी द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने राजभाषा हिंदी का सरकारी कामकाज में दैनिक प्रयोग पर जोर देते हुए आग्रह किया कि पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में सभी अधिकारी/कर्मचारी उत्साहपूर्वक भाग लें।

राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

डॉ. एन सीतारामा, निदेशक, राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र ने 15 सितंबर 2008 को “छोटे शब्दों एवं पदों का हिंदी अनुवाद” नामक प्रतियोगिता के सहभागियों को प्रश्न-पत्र वितरित करके, 15-20 सितंबर 2008 के दौरान मनाए गए हिंदी सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। इस सप्ताह के दौरान हिंदी में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसके अन्तर्गत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने यथासंभव छोटी-छोटी टिप्पणियाँ हिंदी में लिखकर, हस्ताक्षर भी हिंदी में किए। उक्त समारोह के दौरान-छोटे शब्दों एवं पदों का हिंदी अनुवाद, निबंध-लेखन (विषय: जल संचयन एवं

कृषि), प्रश्नोत्तरी, टिप्पण एवं आलेखन, वाद-विवाद (विषय: परमाणु ऊर्जा संधि), हिंदी पाठ का वाचन, तथा हिंदी में पोस्टर प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिनमें वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक, शोध अध्येता आदि सभी वर्ग के पदाधिकारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया।

संस्थान के ज्वार सभागार में 20 सितंबर 2008 को उक्त सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। डॉ. एन सीतारामा, निदेशक, राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र ने हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार एवं प्रतियोगिता के निर्णायकों को स्मृति-चिह्न प्रदान किए। पुरस्कार वितरण समारोह के पश्चात् उन्होंने बताया कि हिंदी हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि केंद्रीय कार्यालयीन क्षेत्रों में तो हिंदी राजभाषा के रूप में अनिवार्य है, परंतु जन-सामान्य क्षेत्रों, में जन-संपर्क हेतु यह एक आवश्यकता भी है और जिसे कभी-भी नकारा नहीं जा सकता। अतः हमें इसके प्रयोग में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए तथा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु, हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए और यह हमारा दायित्व भी है।

सेल, इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर

15 सितंबर, 2008 से 29 सितंबर, 2008 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) श्री मिहिर कुमार राउत ने सभी का स्वागत करते हुए राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस्को स्टील प्लांट के प्रबंध निदेशक श्री शिव प्रसाद राव ने 15 सितम्बर, 2008 को सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राजभाषा पखवाड़े का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्गार में राजभाषा हिंदी के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान रही है। कोई भी संस्कृति अपनी भाषा में जीवित रह सकती है।

पखवाड़े के दौरान कर्मियों के लिए हिंदी टिप्पण व प्रारूप लेखन, हिंदी टंकण, हिन्दी सुलेखन प्रतियोगिता व कर्मियों के बच्चों के लिए अलग-अलग हिंदी व अहिंदी भाषी वर्गों में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें कर्मियों तथा उनके स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए 56 प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कारों का वितरण प्रबंध निदेशक श्री शिव प्रसाद राव, कार्यपालक निदेशक (सामग्री व विपणन) श्री पी. के. दत्ता, कार्यपालक निदेशक (परियोजना) श्री सूर्य प्रकाश तथा कार्यपालक निदेशक (कोयला खान) श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा किया गया।

दूरसंचार जिला महाप्रबंधक का कार्यालय, आलप्पुषा-688 011

महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, बी. एस. एन. एल. आलप्पुषा में पूरे पन्द्रह दिनों के विभिन्न कार्यक्रम सहित हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सामरोह का विस्तृत प्रचार के लिए आलप्पुषा एस. डी. सी. ए. के सभी मंडल कार्यालयों में त्रिभाषी बानर प्रदर्शित किए गए। 13 सितंबर 2008 को श्री एन. के. सुकुमारन, उप महाप्रबंधक (प्र.) द्वारा पखवाड़े का उद्घाटन किया गया। इसके दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, ग्राहक सेवाएं एवं विपणन के विषय पर सेमिनार, स्पाॅकन हिंदी क्लास आदि आयोजित किए गए। 29-09-2008 को समापन समारोह में श्री. टी. नटराजन, महाप्रबंधक ने अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि श्रीमती वसुंधरा कम्मत्त सेवा निवृत्त हिंदी प्रोफसर ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह में कर्मचारियों और उनके बच्चों द्वारा विविध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

कछाड़ पेपर मिल

कछाड़ पेपर मिल में पूरे सितंबर माह को "हिंदी माह समारोह" के रूप में मनाया गया। मिल के निगम मुख्यालय कोलकाता स्थित कार्यालय में उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम के साथ शुरुआत हुई। मिल कर्मचारियों, उनके बच्चों और महिलाओं के लिए भी हिंदी की अनेक प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 15 सितंबर अर्थात् सोमवार को "हिंदी दिवस-सह-पुरस्कार वितरण समारोह" का आयोजन प्रशासनिक भवन स्थित प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में समारोह के मुख्य अतिथि एवं मिल के कार्यकारी मुख्य अधिशासी एवं महाप्रबंधक (प्र. व अ.) श्री टी रंगे गौड़ा ने कहा कि कछाड़ पेपर मिल में हिंदी की गति अत्यंत प्रगतिशील रही है। नगर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कार्यालय के रूप में मिल के द्वारा बराक घाटी में प्रशंसनीय कार्य किया गया है। कागज उत्पादन के साथ साथ हिंदी के मामले में भी हमारी उपलब्धि उल्लेखनीय रही है। हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें टीम वर्क के रूप में काम करते रहें, यही कामना है। इस समय राजभाषा हिंदी राष्ट्रीयता की सीमाओं को पारकर अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप ले चुकी है। मीडिया की भाषा के रूप में यह संपर्क भाषा की तरह काम करने लगी है। निःसंदेह यह शुभ सूचक है। इस अवसर पर मेरा संदेश यही है कि आप राजभाषा हिंदी का सम्मान करने के साथ-साथ सरल हिंदी को व्यवहार में लाएं।

दूरसंचार : विजयवाड़ा

महाप्रबंधक, दूरसंचार का कार्यालय, बी.एस.एन.एल. भवन, विजयवाड़ा में दि. 01-09-08 से 15-09-08 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पहली तारीख को सुबह 11.00 बजे इस पखवाड़े का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। सभा की अध्यक्षता श्री जॉन क्रिसोस्तम, म. प्र. ने की।

अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी दिवस के सुअवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि हिंदी सीखना आज हम सबके लिए आवश्यक है। भारत की वाणी हिंदी केवल राजभाषा या राष्ट्रभाषा ही नहीं संपर्क भाषा भी है। इसलिए अगर हम हिंदी में बात कर सकते हैं तो बिना भाषा समस्या के, पूरे भारत घूम कर आ सकते हैं। हर रोज हर कर्मचारी कम-से-कम एक पत्र हिंदी में जारी करने का और 3 या 4 टिप्पणी हिंदी में लिखने का सुझाव दिया। बाद में उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हार्दिक बधाई दी।

महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, बी. एस. एन. एल., दावणगेरे (कर्नाटका)

दिनांक: 01 सितंबर 08 से 15 सितंबर 08 तक हिंदी पखवाड़ा 2008 मनाया गया। इस सिलसिले में बी. एस. एन. एल. के कर्मचारी-वर्ग के लिए हिंदी में 9 विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

पखवाड़े के अंतिम दिवस को हिंदी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह के रूप में महाप्रबंधक श्री ज्योति शंकर एस. जी. की अध्यक्षता में दिनांक 20-09-2008 को कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया। मुख्य

अतिथि के रूप में स्थानीय ए. वी. के. महिला कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका सुश्री एम. आर. रेखा जी अपने भाषण में हिंदी की महानता आदि के बारे में बताते हुए सुनाई कि अब हिंदी विश्व भाषा बन रही है। समारोह के अध्यक्ष श्री ज्योति शंकर एस. जी. ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी एक मीठी भाषा है। इसे प्यार से अपनाने को कहते हुए कर्मचारी-वर्ग अपने दैनंदिन कामकाज में इसका अधिक प्रयोग करे।

मुख्य महाप्रबंधक, दक्षिण दूरसंचार परियोजना चेन्नई

हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन समारोह दिनांक 27-09-2008 को श्री पी. आर. अनंतन, अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति/मुख्य महाप्रबंधक परियोजना चेन्नई की अध्यक्षता में मनाया गया। इस समारोह में सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

श्री एस. पार्थिवन उप महाप्रबंधक (प्र.) व मुख्य राजभाषा अधिकारी ने स्वागत भाषण में सबका स्वागत किया और विश्व भर में हिंदी भाषा के तेज रफ्तार से बढ़ते चरणों पर प्रकाश डालते हुए उसी बात को कई सुंदर उदाहरणों सहित समझाया।

श्री एन. कल्याण सागर, महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) व उप मुख्य राजभाषा अधिकारी ने अपने विशेष भाषण में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के पहलुओं एवं उसके महत्व पर जोर देते हुए सभी से विनती की कि कार्यालय में इस पक्ष पर पूरी तरह से सहयोग दें।

इस अवसर पर श्री पी. आर. अनंतन, अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति/मुख्य महाप्रबंधक परियोजना चेन्नई महोदय ने अपने कर कमलों से बाल बच्चों एवं सभी पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया और सभी को बधाई देते हुए राजभाषा हिंदी के महत्व को समझाते हुए हिंदी में कार्य करने का भरसक प्रयत्न करने का सानुरोध किया।

हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड 75सी, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016

निगम द्वारा पूरा सितंबर माह राजभाषा माह पालन के रूप में मनाया गया। पहली सितंबर को भारतीय भाषा परिषद् कोलकाता के सभागार में राजभाषा माह उद्घाटन एवं

कोलकाता महानगर हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि हिंदी पत्रकारिता के मेरूदण्ड सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा कि जिस भाषा में देश के जन-जन को जोड़ने की क्षमता हो वह भाषा की शक्ति है। उन्होंने अनेक दृष्टान्त देकर हिंदी महत्व को उजागर किया।

श्री रजी फिलिप, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि स्वाभिमानी व्यक्ति सम्मिलित रूप से जनसाधारण की मानसिकता को बदलने का प्रयास करे और उनमें राष्ट्रीय भावना एवं स्वदेशी भावना को जागृत करे ताकि हम सब एक स्वर से यह कह सकें कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।

मुख्य अतिथि श्रीमती महावेता देवी ने हिंदुस्तान पेपर संदेश के हिंदी विशेषांक 'प्रगति' का लोकार्पण किया। साथ ही, इस अवसर पर लगाई गई 'राजभाषा प्रदर्शनी' का भी उन्होंने उद्घाटन किया।

हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, लेटेक्स भवन, पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम-695012

हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2008 को कंपनी के पेरूरकडा फैक्टरी के जवाहरलाल नेहरू जन्मशताब्दि कल्याण केंद्र में सम्पन्न हुआ। समारोह का उद्घाटन सम्माननीय सांसद श्री पन्नयन रवींद्रन द्वारा भद्रदीप प्रज्वलित करके किया गया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में भारत की संस्कृति को कायम रखने में हिंदी भाषा की प्रमुखता को व्यक्त किया और यह भी जोड़ा कि सरकारी कामकाज में हिंदी को अमल करना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में लेटेक्स का योगदान साराहनीय है।

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. अय्यप्पन ने समारोह में अध्यक्ष की भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदी कार्यान्वयन के लिए कंपनी में लगायी गई विविध योजनाओं पर दृष्टि डाली, और जोर दिया कि सब लोग पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ हिंदी में काम करेंगे तो कंपनी के हिंदी कार्यान्वयन में और भी बढ़ावा मिलेगा। डॉ. सी. जे.

प्रसन्नकुमारी, हिंदी विभागाध्यक्ष, विमन्स कॉलेज, तिरुवनंतपुरम ने अपने आशीर्वाद भाषण में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी की भूमिका एवं उसको बढ़ावा देने की आवश्यकताओं पर नज़र डाली। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में लैटेक्स अपना अलग स्थान रखता है।

एनएचपीसी लि. की क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-III, सैक्टर-5, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता

दिनांक 01-09-2008 से 15-09-2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन हर्षोल्लासमय वातावरण में किया गया। इस पखवाड़े को भाषायी सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता एवं राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता के रूप में मनाया गया।

इस पखवाड़े का उद्घाटन समारोह दिनांक 01-09-2008 को मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुभाष रॉय, कार्यपालक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-III, कोलकाता ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी अपनी सरलता के कारण सम्पर्क भाषा के रूप में अपना स्थान बनाया है और आज प्रत्येक राज्यों में प्रयोग में लायी जा रही है, यह हिंदी की सबसे बड़ी सफलता है। राजभाषा के प्रयोग के बारे में भारत सरकार की मंशा है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों में राजभाषा में काम बड़े। सरकार की इस मंशा को पूरा करने में हम सब के योगदान की जरूरत है। विशेष अतिथि के रूप में श्री प्रियंकर पालीवाल, प्रसिद्ध साहित्यकार, कोलकाता ने अपने संबोधन में राजभाषा, राष्ट्रभाषा व सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग एवं उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। आगे उन्होंने हिंदी के भू-मंडलीयकरण एवं व्यावसायिक स्वरूप को विभिन्न संदर्भों के माध्यम से संपुष्ट किया। उन्होंने हिंदी के व्यापक प्रयोग की अनिवार्यता पर बल देते हुए कहा कि हिंदी भारतीय जन-मानस के हृदय को अभिव्यक्त करने वाली भाषा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2008 तक 'राजभाषा माह' के रूप में मनाया

गया। इस दौरान हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी टिप्पण-लेखन, वाक्, निबंध एवं हिंदी अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं में अधिकारी एवं कर्मचारीगण बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ भाग लिए।

दिनांक 30-10-2008 को 'राजभाषा माह' का समापन समारोह बड़े ही उल्लास-पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्यक्रम में अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ भाग लिए।

राजभाषा माह का समापन समारोह कार्यालय के परिसर के मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, जनपथ यूनिट भुवनेश्वर, उड़ीसा

15 सितंबर, 2008 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में डॉ. पी. सी. महापात्र, चिकित्सा निर्देशी ने अपने भाषण में हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अहिंदी प्रदेश में हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कर्मचारी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं तथा कर्मचारियों का हिंदी के प्रति गहरा लगाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। श्री रमेन साईकिया, क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा "मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप आज से कुछ न कुछ हिंदी में जरूर लिखेंगे तथा राजभाषा का सम्मान करेंगे उसके महत्व को बरकरार रखेंगे। इससे माननीय महानिदेशक की अपील का भी अनुपालन सुनिश्चित होगा।" उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त की कि वाक् प्रतियोगिता में हिंदी एवं हिंदीतर भाषी प्रतियोगिताओं ने भाग लिया परन्तु तीनों विजयी प्रतिभागी हिंदीतर भाषी ही हुए।

समारोह की रूपरेखा एवं महत्व बताते हुए प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री आर. एन. बेहेरा जी ने कहा कि-राजभाषा नीति को बढ़ावा देना हम सबका कर्तव्य है, उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सभी अपने सरकारी काम में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा उन्होंने निगम द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी तथा सभी को उनमें भाग लेने हेतु आह्वान किया।

**उप क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा
निगम 14-20-27, पदमनाभा बिल्डिंग,
गांधीनगर, विजयवाड़ा**

1 सितम्बर से 14 सितम्बर 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया हिंदी निबंध/हिंदी वाक/हिंदी टिप्पणी आलेखन/हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए हिंदी और हिंदीतर दो समूह बनाए गए।

दिनांक 16-09-2008 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष, श्री आर. एस. राव, संयुक्त निदेशक महोदय ने अपने भाषण में हिंदी की उपयोगिता और आवश्यकता की विस्तृत रूप से व्याख्या की और सभी से ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करने के लिए अनुरोध किया। श्री एन. केशवाचार्युलु, सहायक ने महा निदेशक, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के संदेश को पढ़कर सुनाया।

तदुपरान्त श्री कोण्डरु येसु, सहायक निदेशक, ने अपने भाषण में हिंदी की सरलता और उपयोगिता के बारे में विस्तार रूप से समझाया। श्री बि. उमाकान्त, सहायक निदेशक, ने हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस को सम्मानजनक ढंग मनाए जाने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई दी।

**उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा
निगम, 1897, पंचदीप काम्पलेक्स, त्रिची
मार्ग, रामनाथपुरम कोयम्बतूर-641045**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बतूर में 01 सितम्बर से 15 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान चार हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन के दौरान मुख्य अतिथि प्रो. एन. नारायण रेड्डी, ने कहा कि हिंदी पहले जनभाषा थी फिर संपर्क भाषा बनी और बाद में इसे भारत सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया।

हिंदी को राजभाषा बनाने का कारण था कि अधिक, संख्या में लोग इस भाषा को बोलते, समझते और लिख पाते

हैं। 14 सितम्बर, 1949 को भारत की राजभाषा को लेकर जितना बहस हमारे संविधान सभा में हुआ वैसा विश्व के किसी देश में नहीं हुआ। मुख्य अतिथि ने सुझाव दिया कि हिंदी का एक समन्वित शब्दकोश बनाया जाए जिसमें भारत की अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द हों। इससे हिंदीतर भाषा-भाषी से अपनत्व का अनुभव करेंगे और भाषा को बेहतर समझ पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी दिवस या पखवाड़े के दौरान लोग इस भाषा की तारीफ करते हैं परन्तु बाद में कार्यालयी कामकाज में इसके प्रयोग से चूक जाते हैं। इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल डिगारू (असम) दिनांक 15 सितम्बर 2008, से 29 सितम्बर, 2008 तक केंद्रीय विद्यालय डिगारू में हिंदी पखवाड़ा समारोह अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया गया।

विद्यालय के प्राचार्य श्री घनश्याम दास ने 15 सितंबर को हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। उद्घाटन दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षकों व छात्रों ने प्रस्तुत किए। अपने उद्घाटन भाषण में प्राचार्य जी ने सभी छात्रों एवं कर्मचारियों से हिंदी के प्रचार-प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की।

पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक प्रतियोगिताओं जैसे-भाषण, वाद-विवाद, नारा-लेखन, गीत-गायन, कविता लेखन, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण, लघु-नाटिका आदि का भी आयोजन किया गया। कार्यालयी कर्मचारियों के लिए भी कई प्रतियोगिताएं अलग से आयोजित की गईं।

इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

**उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय, भारतीय
सर्वेक्षण विभाग, सैक्टर-32ए,
चण्डीगढ़-160030**

मेजर जनरल प्राण नाथ कौल, अपर महासर्वेक्षक, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अध्यक्षता में चण्डीगढ़ स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सभी कार्यालयों द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 15-09-2008 को कार्यालय

परिसर में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व दिनांक 01-09-2008 से 15-09-2009 तक हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया जिसमें हिंदी में अधिक से अधिक कार्य किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

पुरस्कार वितरण के उपरान्त मेजर जनरल प्राण नाथ कौल ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि चण्डीगढ़ में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय की गतिविधियों में अत्यन्त रुचि से भाग लेते हैं। यह उनके अपने राष्ट्र व राजभाषा के प्रति प्रेम व आदर की भावना को प्रकट करता है।

हर भाषा समय के साथ-साथ अपना रंगरूप बदलती रहती है—भाषा को अपनी राह पर चलते रहने की आजादी होनी चाहिए जो अन्ततः उसे समृद्धि ही देती है, इसी से किसी भी भाषा का शब्द भण्डार बढ़ता और विकसित होता है। टी.वी. में इतने सारे हिंदी चैनल, इतने सारे हिंदी में प्रकाशित अखबार और देश-विदेश में हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता—यह सभी हिंदी के विकास में अपना-अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी राजभाषा व राष्ट्रभाषा हिंदी इतनी समर्थ है कि एक दिन यह पूरे विश्व के पटलचित्र पर हमारे देश की पहचान बनेगी।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, के मुरगांव बेस, गोवा

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के मुरगांव बेस पर इस वर्ष 15 से 30 सितंबर 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े का विधिवत शुभारंभ दिनांक 15 सितंबर 2008 को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रिक एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी श्री एन एस दलवी ने पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलित कर दिया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

15 दिवसीय हिंदी पखवाड़े का समापन 30 सितंबर, 2008 को राष्ट्रीय समुद्रीविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक एफ डॉ जेड ए अंसारी के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

मुख्य अतिथि डॉ अंसारी ने संस्थान की कार्य-प्रणाली की प्रशंसा करते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि हिंदी के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए सभी का सामुहिक सहयोग जरूरी है। उन्होंने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित

विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यालय में वर्षभर हिंदीभर हिंदी में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। डॉ एम ई जॉन, क्षेत्रीय निदेशक ने इस अवसर पर कहा कि आज पखवाड़ा जरूर समाप्त हुआ है लेकिन राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए वर्षभर कार्य करना पड़ेगा।

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, गुजरात डाक सर्किल कार्यालय, अहमदाबाद

15-09-2008 से 29-09-2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 15 सितंबर, 2008 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें माननीय गृहमंत्री, मंत्रीमंडल सचिव महोदय और डाक विभाग की सचिव महोदया का संदेश पढ़कर सुनाया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं के विषय में जानकारी दी गई। सर्किल कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित 7 प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया।

दिनांक 29-09-2008 को आयोजित पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरण समारोह में ले. कर्नल श्री डी. एस. चौहान पोस्टमास्टर जनरल महोदय ने अपने कर कमलों से सफल प्रतिभागी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान करके प्रोत्साहति किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सरकारी कामकाज में हिंदी को अधिक से अधिक अपनाकर राजभाषा हिंदी के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा-पूरा प्रयास करने के लिए सलाह देते हुए आगे कहा कि हिंदी के प्रयोग को हिंदी पखवाड़े तक ही सीमित न रख कर इसे दैनिक अपने सरकारी कामकाज में आवश्यक रूप से स्वयं प्रयोग में लाए और अन्य सहकर्मियों को भी अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें।

मुख्यालय 752 सीमा सड़क कृतिक बल द्वारा 99 सेना डाकघर

मुख्यालय परिसर में 01 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2008 तक हिंदी दिवस/पखवाड़े का सफल आयोजन किया गया है।

इस दौरान सभी अधिकारियों एवं कर्मिकों ने अपने अधिकतम कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन हिंदी में किया और इस वृत्ति को जारी रखने की शपथ ली। इसी अवधि में हिंदी आलेखन एवं निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता, हिंदी भाषण प्रतियोगिता और हिंदी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों में से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 23 कर्मियों को समुचित प्रमाण-पत्र के साथ-साथ नकद सात्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कर्मिकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण-पत्र और उचित नगद पुरस्कार भी दिए गए। इसी दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई।

पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री डी. भट्टाचार्य, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) एफ एस कमाण्डर कृतिक बल ने सभी अधिकारियों/कर्मिकों का प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेने तथा हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

**क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
गोवा पंचदीप भवन, ई डी. सी. प्लॉट नं. 23,
पाटो, पणजी गोवा-403001**

क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गोवा में दिनांक 14 सितंबर, 2008 से 28 सितंबर, 2008 तक की अवधि में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया।

हिंदी दिवस के सुअवसर पर 15 सितंबर 2008 को उल्लासपूर्ण एवं हिंदीमय वातावरण में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। श्री एस. एम. मोहिदीन, क्षेत्रीय निदेशक जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की एवं अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी सम्पर्क भाषा के रूप में बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। सभी कर्मचारियों को कार्यालयी कामकाज में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए तथा राजभाषा के प्रसार के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए।

**उप क्षेत्रीय कार्यालय थाने, कर्मचारी राज्य
बीमा निगम अस्पताल परिसर, वागले इस्टेट,
थाने-400604**

निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय थाने में संयुक्त निदेशक (प्रभारी) श्री संजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में "हिंदी दिवस समारोह" धूमधाम से मनाया गया।

मुख्य अतिथि श्रीमती वैसाली दयाल ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि मुश्किल या कठिन हिंदी शब्दप्रयोग न करते हुए कार्यालयीन कामकाज हिंदी भाषा में करें। जहां कठिनाईयाँ महसूस होंगी वहाँ अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण का प्रयोग देवनागरी में करें। इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। हिंदी में कार्य करने के लिए हिंदी शब्दावली, कार्यालयीन सहायिका जैसे पुस्तकों का इस्तेमाल करें और हिंदी में काम करने की कोशिश करें।

श्री संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक (प्रभारी) ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले स्पर्धकों की संख्या एवं हिंदी दिवस समारोह में उपस्थितियों की गणना देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों से आवाहन किया कि वे अपना कार्य हिंदी में करने की कोशिश करें, संभव हो सके वहाँ हिंदी का प्रयोग करें ताकि धीरे-धीरे हिंदी में कार्य करने की प्रतिशतता बढ़ती जाएगी। अधिकारी एवं कर्मचारीगण अपना हस्ताक्षर हिंदी में करें। टिप्पण/आलेखन जैसे कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। हिंदी भाषा इतनी सुंदर एवं सरल है कि वह एक दूसरे से संपर्क जुड़ाने में सहायता करती है।

**क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद**

दिनांक 15-09-2008 को अपराह्न में हिंदी दिवस समारोह बहुत ही उत्साह एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता निगम के अपर आयुक्त व क्षेत्रीय निदेशक श्री ए. चाक्कलिंगम ने की।

मुख्य अतिथि श्री एस. एस. नायर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि आज हिंदी जन सामान्य की भाषा बन गई है। समाचार पत्र एवं मीडिया ने भी इस भाषा को पूरी तरह से अपना लिया है। आज देश-विदेश में भी हिंदी का बोलबाला बढ़ रहा है। लेकिन इसे हमें ज्यादा से ज्यादा कार्यालयीन व्यवहार में अपनाना है।

समारोह के अध्यक्ष अपर आयुक्त व क्षेत्रीय निदेशक श्री ए चोक्कलिंगम ने हिंदी में अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि हिंदी एक बहुत सरल भाषा है इसीलिए यह बहुत कम प्रयास से ही आसानी से समझ में आ जाती है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम 11-ए एक्स, शास्त्री नगर, जम्मू

दिनांक 1 सितंबर से 14 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया । 15 सितंबर 2008 को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान कार्यालय में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं । हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता, क्षेत्रीय निदेशक श्री के. एस. धालीवाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी दिवस की प्रासंगिकता एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने अपने समस्त कर्मचारियों से अधिक से अधिक काम हिंदी में करने की अपील की । हिंदी की महत्ता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनाती है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बढ़ते प्रभावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के लिए एक अलग सेल (Cell) बनाया गया है। इस अवसर पर सहायक निदेशक श्री सिन्दो राम ने भी अपने मूल विचार रखे ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा हवाई अड्डा

हिंदी पखवाड़े का आयोजन 15 से 30 सितंबर, 2008 तक किया गया । हिंदी पखवाड़े के दौरान भाषण, निबंध, टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन, टंकण, अनुवाद, श्रुतिलेखन एवं कविता पाठ प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं । जिनमें ज्यादातर अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

15 सितंबर, 2008 को प्रातः 10.00 बजे हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। डॉ. वी. पी. मिश्रा, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय-2, शांतिनगर वास्को, गोवा मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी के कार्यान्वयन में ईमानदारी, निष्ठा एवं समर्पण की आवश्यकता है। श्री डी. पाल माणिक्कम् विमानपत्तन निदेशक, गोवा ने अपने संबोधन में कहा कि इस अवसर पर हिंदी में सरकारी

कामकाज करने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह दी कि वे संविधान का आदर करते हुए हिंदी में ही सरकारी कामकाज करें। उन्होंने सभी कर्मियों से अपील की कि पखवाड़े के दौरान विभागीय कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें और इसे पखवाड़े के बाद भी कायम रखें ।

30 सितंबर, 2008 को डॉ. आर. वी. गांवकर, प्राचार्य, चोगले महाविद्यालय, मडगांव, गोवा मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया । उन्होंने अपने संबोधन में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी एवं मीडिया, विज्ञापन एवं सिनेमा द्वारा हिंदी प्रचार-प्रसार की सुखद स्थिति पर प्रसन्नता प्रकट की । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से पढ़ कर निकलने वाली आज की युवा पीढ़ी में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी ।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास पत्तन कार्यालय, प्रशासन भवन, शेवा, नवी मुंबई-400707

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में हिंदी दिवस के अवसर, पर दि. 15 सितंबर, 2008 से दि. 29 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिंदी की कुल 13 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विजेता रहे 56 कर्मचारियों व उनके परिवारजनों को 1 अक्टूबर, 2008 को आयोजित कार्यक्रम में पत्तन के अध्यक्ष, श्री एस. शहजाद हुसैन द्वारा इसके अतिरिक्त पत्तन न्यास में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए सतर्कता अनुभाग, जनेप अस्पताल और अभियांत्रिकी सेवा अनुभाग को शील्ड देकर सम्मानित किया गया । साथ ही उन 6 हिंदी सम्पर्क अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया गया जिनके विभाग/अनुभाग में राजभाषा कार्यान्वयन का प्रतिशत जनेप न्यास के औसत पत्राचार से अधिक था। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पत्तन के अध्यक्ष श्री एस. शहजाद हुसैन ने कहा कि कोई भी भाषा समाज को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। साथ ही नई-नई भाषाओं को सीखने से मनुष्य के व्यक्तित्व और उसकी क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए लोग हिंदी भाषा को अपनाने में कतराएँ नहीं बल्कि खुले-हृदय से उसे स्वीकार करें ।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-द-गामा, गोवा

दिनांक 12 सितंबर, 2008 से हिंदी माह का आयोजन किया गया। हिंदी को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से हिंदी शब्द लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण तथा आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी भक्तिगीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त वैयक्तिक सचिवों, सहायक वैयक्तिक सचिवों, आशुलिपिकों तथा कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय प्रयोजनमूलक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया ताकि वो अपना कार्यालयीन कामकाज हिंदी में कर सकने में समर्थ हो। प्रतिभागियों को हिंदी में टिप्पणी तथा आलेखन करते हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें संघ की राजभाषा नीति तथा तद्संबंधी जारी आदेशों तथा अनुदेशों से अवगत कराया गया। दिनांक 12 नवंबर, 2008 को हिंदी माह का समापन समारोह गोशिलि में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार तथा प्रमाणपत्रों के साथ-साथ हिंदी प्राज्ञ परीक्षा में उत्तीर्ण 77 कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए। उत्पादन तथा आयोजना विभाग को हिंदी के प्रगतिगत प्रयोग को और आगे बढ़ाने हेतु रोलिंग शील्ड से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, केंद्रीय न्यायालयिक संस्थान, प्लॉट नं. 2, दक्षिण मार्ग, सैक्टर-36ए चंडीगढ़

01 से 14 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन राजभाषा के व्यापक प्रसार-प्रचार करने के संकल्प को दोहराते हुए तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा में और अधिक दक्षता हासिल करने के उद्देश्य से किया गया। विगत वर्षों की भांति डॉ. आर.एम. वर्मा, निदेशक के प्रोत्साहनपूर्वक आह्वान के फलस्वरूप हिंदी पखवाड़े की विशेषता यह रही कि हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में इस प्रयोगशाला के 50 अधिकारियों-कर्मचारियों, अनुसंधान अध्येताओं, अनुसंधान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा बारह हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया, जिससे संपूर्ण पखवाड़े के दौरान प्रयोगशाला परिसर में हिंदीमय वातावरण बना रहा। इस समय अवधि

के दौरान कार्यालय के अधिकतर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक हिंदी में किया गया।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर), एस.ए.एस. नगर (मोहाली)

10 से 24 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 10 विभिन्न प्रतियोगिताओं में 300 से ज्यादा कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता निभाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

24 सितंबर को आयोजित हिंदी पखवाड़ा के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री कंचन प्रसाद, निदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, चंडीगढ़ ने कहा कि आज सभी लोग हिंदी के महत्व को बाखूबी समझने लगे हैं। ये हमारी संस्कृति और समाज की एकता की कड़ी है। सभी लोगों को आगे आकर हिंदी का सम्मान करते हुये इसके प्रचार-प्रसार में सहभागिता निभानी चाहिए।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रमेश विनायक, एसोसियेट एडिटर, इंडिया टुडे अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए हमें बढ़-चढ़ कर हिंदी के कार्यक्रम आयोजित करवाने चाहिए ताकि आम लोग इसके महत्व को जान सकें और अपने दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। श्री विनायक ने आगे कहा कि हमें हिंदी का प्रयोग और प्रचार-प्रसार करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अतः हमें अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व होना चाहिए।

बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड पोस्ट बॉक्स सं. : 11 भंडारा-441904 (महाराष्ट्र)

दिनांक 15-09-2008 से 29-09-2008 तक “हिंदी पखवाड़ा” मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड के भंडारा स्थित कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्पर्धाएं जैसे-तकनीकी शब्दावली, निबंध एवं सरल हिंदी टिप्पण रखी गई। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दिनांक 29-09-2008 को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महान विभूति प्रोफेसर, मोहन कान्त गौतम, युरोपियन युनिवरसिटी ऑफ ईस्ट एंड

वेस्ट, नेदरलैंड के कुलपति एवं अध्यक्ष द्वारा प्रदान किए गए ।

प्रोफेसर गौतम ने भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली एवं प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने अपने मुख्य अतिथि भाषण में कहा कि मैं नेदरलैंड जा कर इस प्रकार के हिंदी प्रोत्साहन कार्यक्रमों को चालू करवाने का प्रयास करूंगा । उन्होंने नेदरलैंड में हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्यक्रमों एवं इसके प्रचार-प्रसार हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों एवं अपने अनुमानों को व्यक्त किया ।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नाशिकरोड

दिनांक 15-9-2008 से 30-9-2008 तक हिंदी पखवाड़ा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया । जिसमें सभी स्तर के कर्मचारियों एवं कामगारों ने भाग लिया । पखवाड़े के आरम्भ में दिनांक 15 सितंबर, 2008 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की क्रमशः 100वीं बैठक का आयोजन किया गया जिसमें माननीय वित्त मंत्रीजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारत प्रतिभूति मुद्रण निगम लिमिटेड मुख्यालय और महाप्रबंधक भा.प्र.मु. के संदेश और अपील पढ़ी गई तथा भा.प्र.मु. में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई । मुद्रणालय में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए उत्साहजनक वातावरण रहा और अधिकांश कर्मचारी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित हुए । इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

आकाशवाणी, धारवाड़

आकाशवाणी धारवाड़ में दिनांक 15-9-2008 से 29-9-2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस संदर्भ में हिंदी अनुवाद, हिंदी आशुभाषण, हिंदी टिप्पणी एवं पत्राचार, घ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हिंदी वाचन एवं शब्द लेखन, हिंदी अंताक्षरी तथा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया । इन प्रतियोगिताओं में कार्यालय के अधिकांश कर्मचारी/अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । दिनांक 29-9-2008 अपराह्न 4.00 बजे केंद्र में मुख्य समारोह आयोजित किया गया ।

अधीक्षक अभियंता महादेय श्री सुरेश नायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में हिंदी का कार्य उत्साह से किया जा रहा है और उन्होंने पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध किया कि वे प्रतिदिन के कार्य में हिंदी का प्रयोग

करें । मुख्य अतिथि महोदय डॉ. प्रभा भट्ट ने सभा को संबोधित करते हुए हिंदी भाषा के महत्त्व और उसकी सरलता पर प्रकाश डाला । सहायक केंद्र निदेशक महोदय ने हिंदी पखवाड़े में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को बधाई दी और वर्ष भर सक्रिय रहने के लिए सलाह दी ।

आकाशवाणी, अकोला

दि. 15 सितम्बर, 2008 से दि. 30 सितम्बर, 2008 के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया । हिंदी दिवस/पखवाड़ा 2008 का उद्घाटन तथा मुख्य कार्यक्रम दि. 15-09-08 को सम्पन्न हुआ । इस हिंदी दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत संचार निगम लिमिटेड, अकोला के मंडल अधिकारी श्री अंशोक नेमा उपस्थित थे । हिंदी पखवाड़ा के दौरान कार्यालय के कर्मचारियों के लिये विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । कार्यालय के अधिक से अधिक कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया । हिंदी दिवस/पखवाड़ा का समापन समारोह दि. 30-9-2008 को सम्पन्न हुआ इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नवभारत हिंदी समाचारपत्र के अकोला जिला प्रतिनिधि श्री दिनेश शुक्ल के करकमलों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद एवं प्रमाणपत्र द्वारा पुरस्कृत किया गया । मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी के प्रसार में आकाशवाणी, अकोला ने विशेष ध्यान दिया है और इस कार्यालय द्वारा किए जा रहे हिंदी कार्य की प्रशंसा की ।

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली के कार्यालय में 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । हिंदी पखवाड़े के अंत में मुख्य समारोह 15 सितम्बर, 2008 के अपराह्न में आयोजित किए गए इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक महोदय श्रीमती यू.जी. एन्टोनी, भार.ले.से. ने की ।

प्रधान नियंत्रक महोदय के कर पल्लवों से प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए । अंत में मुख्य अतिथि प्रो. सूरज भान सिंह ने सहज, सरल और प्रभावी वक्तव्य से सभी को ज्ञान के सागर में सराबोर कर दिया । श्रीमती एन्टोनी जैसे वरिष्ठ

एवं हिंदी प्रेमी अधिकारियों को सबके लिए प्रेरणास्रोत बताया । उन्होंने पखवाड़े के सफल संचालन के लिए कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की सराहना की और इस उत्साह को बनाए रखने का अनुरोध किया ।

पुरस्कार वितरण के बाद माननीय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक श्रीमती एन्टोनी ने समारोह को सम्बोधित किया । उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मिकों को बधाई देने के साथ-साथ इस प्रयास को बनाए रखने पर बल दिया । उन्होंने अन्य कर्मिकों को भी प्रोत्साहित किया कि भविष्य में उन्हें भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रयास करने चाहिए । श्रीमती एन्टोनी ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की कि हमें अपने अन्य दायित्वों के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को गंभीरता से लेना चाहिए, यह बात स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके विशेषतः कम्प्यूटर में हिंदी का प्रयोग करके राष्ट्र के गौरव में भागीदार बनें प्रधान नियंत्रक महोदया हिंदीतर भाषी होते हुए भी उनकी प्रवाहपूर्ण और स्वाभाविक हिंदी सुनकर समारोह में उपस्थित सभी लोग बहुत प्रभावित हुए ।

पोत परिवहन विभाग

दिनांक 15-9-2008 से 29-9-2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । पखवाड़े का शुभारम्भ दिनांक 15-9-2008 को किया गया । इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया ।

दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 को सचिव (पोत परिवहन) श्री ए.पी.वी. नारायण शर्मा द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए । नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रमाण-पत्र भी दिए गए ।

इस अवसर पर सचिव (पोत परिवहन) ने अपने उद्बोधन में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से सरल हिंदी का प्रयोग करने का अनुरोध किया ताकि हिंदी से इतर भाषा-भाषी उसे अच्छी तरह समझ कर प्रयोग में ला सकें ।

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा औषध निर्माण विभाग

सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया । हिंदी पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ।

प्रतियोगिताएं हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वर्ग में आयोजित की गईं जिनमें दोनों विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने अत्यन्त उत्साह से भाग लिया । उत्कृष्ट प्रतिभागियों को दिनांक 4 नवम्बर, 2008 को आयोजित समापन समारोह में सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) के कर-कमलों से प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । समारोह में सचिव (औषध निर्माण विभाग) ने सभी से अधिकाधिक सरकारी कार्य सरल तथा सुबोध हिंदी में करने का अनुरोध किया ।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

15 सितंबर, 2008 को हिंदी दिवस मनाया गया और इसी दिन से हिंदी माह का आयोजन भी किया गया । हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय गृह मंत्री जी के हिंदी दिवस के अवसर पर दिए गए संदेश को पढ़ा गया तथा हिंदी माह के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के लिए एक दिन की हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें उप निदेशक (रा.भा.), श्री डी.डी. तिवारी द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, नियम, संकल्प आदि सहित विभिन्न संवैधानिक उपबंधों से अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया गया । इस अवसर पर विभाग के सहायक निदेशक (रा.भा.), श्री परमानन्द आर्य ने हिंदी माह के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में प्रतियोगियों को जानकारी दी ।

हिंदी माह के दौरान कुल 13 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें हिंदी में टिप्पण और मसौदा लेखन, निबंध, भारत में जल प्रबंधन की आवश्यकता-विषय पर एक राजभाषा संगोष्ठी, आशुभाषण, हिंदी कविता, अहिंदीभाषियों के लिए हिंदी सामान्य ज्ञान एवं व्यवहार, हिंदी प्रश्नावली और अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए अलग-अलग श्रुतलेख/सुलेख की प्रतियोगिताएं शामिल थीं । इन प्रतियोगिताओं के अलावा इस वर्ष फाइलों में सर्वाधिक हिंदी टिप्पण तथा मसौदा लेखन प्रतियोगिता, कम्प्यूटर पर हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता, हिंदी कथा विस्तार और हिंदी कविता विस्तार 4 नई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं । इन सभी

प्रतियोगिताओं में कुल 6 अधिकारियों और 40 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिंदी समापन समारोह के तौर पर 15 अक्टूबर, 2008 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें विभाग की सचिव श्रीमती सुषमा नाथ के कर कमलों से विजेताओं को उक्त नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए।

अन्तरिक्ष विभाग

सितंबर 15, 2007 से सितंबर, 30, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 230 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए पाँच-पाँच पुरस्कार प्रदान किये गये। इन प्रतियोगिताओं में कुल 110 प्रतिभागियों ने पुरस्कार प्राप्त किए।

इस वर्ष से एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, जिसमें सितम्बर माह (हिंदी माह) के दौरान हिंदी में किए गए दैनन्दिन कार्य के लिए कार्य की गुणवत्ता के आधार पर कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 30-9-2008 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह का आयोजन किया गया। विशेष सचिव श्री एस. वी. रंगनाथ ने अपने कर-कमलों से विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र वितरित किए और अपना संतोष व्यक्त करते हुए विजेताओं को बधाई दी।

पूर्ति प्रभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

दिनांक 15-9-2008 से 29-9-2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। दिनांक 29-9-2008 को हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष के दौरान चल रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं-सरकारी कामकाज मूलरूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना, हिंदी में डिक्टेशन देने की प्रोत्साहन योजना तथा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा हिंदी वर्तनी प्रतियोगिता, कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण व दक्षता प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। अपने स्वागत भाषण में श्री टेकचंद मंगला, उपनिदेशक (रा.भा.) ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करते हुए विभाग में हिंदी में किए जा रहे कर्षो/कार्यकलापों का सक्षेप में ब्यौरा

प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अपने संदेश में विभाग में संयुक्त सचिव श्रीमती भारती सिवस्वामी सिहाग ने कहा कि सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। कंप्यूटरों पर भी द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग कुछ अधिक बढ़ा है किन्तु विधिक/तकनीकी कार्यों में यह अपेक्षाकृत कम है। हमें निराश नहीं होना चाहिए और भाषा के इस रथ को मनसा, वाचा, कर्मणा की भावना से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया कि सभी मिलकर राजभाषा संबंधी संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सात्विक प्रयास करें। उपसचिव (पूर्ति) श्रीमती इन्दिरा मूर्ति ने समारोह में अपने संबोधन में पुरस्कारों के विजेताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे भी आगे से बड़ी संख्या में इन प्रतियोगिताओं में प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लें।

खान सुरक्षा महानिदेशालय उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर तिरुपति हाऊस, 60 बोहरा गणेश रोड, उदयपुर-313001 (राजस्थान)

दिनांक 1-9-2008 से 15-9-2008 तक हिंदी पखवाड़ा पूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया। पखवाड़े के दौरान सभी कार्य हिंदी में करने की अपील जारी की गई तथा हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाईयों पर विचार किया गया। हिंदी पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय हिंदी अनुभाग, प्रथम तल, नार्थ विंग, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

15 से 29 सितंबर 2008 की अवधि के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पूरे पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं प्रश्नमंच का आयोजन आदि किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के नियमों, अधिनियमों की विस्तृत

जानकारी देने के उद्देश्य से एक प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राजभाषा हिंदी, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, जनगणना, बहुउद्देशीय पहचान पत्र और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए।

भारतीय डाक विभाग, कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, इन्दौर क्षेत्र, इन्दौर-452001

दिनांक 15-9-2008 से 29-9-2008 तक हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। दिनांक 15-9-2008 को हिंदी दिवस के अवसर पर सहायक निदेशक (स्टाफ) श्री ए. के. तोमर ने मां सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्ज्वलित किया। दिनांक 29-09-2008 को हिंदी पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में हिंदी अनुवादक श्री पी. एस. कोटवाला ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा हिंदी कार्यशाला के संबंध में विस्तृत जानकारी सभी को दी। हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी निबंध लेखन, पत्र व टिप्पणी लेखन हिंदी निबंध लेखन (वर्ग घ हेतु) तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यालय के कर्मचारियों ने इन हिंदी प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को मिला इसमें कुल 27 कर्मचारियों ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के 16 विजेताओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, परिमंडल कार्यालय, भोपाल के सहायक पोस्टमास्टर जनरल (स्टाफ) श्री सी.डी. मंदसौरवाले ने नकद पुरस्कार से सम्मानित किया।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

दिनांक 1 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में, अकादमी स्टाफ एवं अकादमी से संबद्ध इकाइयों के स्टाफ के लिए हिंदीतर भाषियों हेतु हिंदी भाषा की जानकारी, कार्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी (समूह 'घ'), राजभाषा नीति से संबंधित सामान्य ज्ञान, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी निबंध लेखन तथा हिंदी काव्य रचना प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को दिनांक 16 सितम्बर, 2008 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कृत किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि अकादमी के संयुक्त निदेशक, श्री पद्मवीर सिंह थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजभाषा प्रभारी, श्री दुष्यंत नरियाला, उप निदेशक वरिष्ठ ने की।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून-248005

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के राजभाषा अनुभाग द्वारा समय-समय पर हिंदी कार्यालयों/राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन, देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यान, स्तरीय हिंदी पत्रिका 'विकल्प' के अनेकानेक महत्वपूर्ण विशेषांकों के प्रकाशन के अतिरिक्त हिंदी माह में निबंध, अनुवाद एवं शब्दावली, टिप्पण एवं आलेख, हस्ताक्षर, आशु-भाषण, कविता एवं सुलेख आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन के क्रम में लवराज कुमार प्रेक्षागृह में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लखनऊ से प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं समालोचक प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित समारोह के अध्यक्ष तथा दिल्ली से आए प्रख्यात अनुवाद विशेषज्ञ डॉ. पूरन चंद टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

डॉ. पूरन चंद टंडन ने हिंदी के अनुप्रयोग पक्ष पर प्रकाश डालते हुए हिंदी को व्यवसाय से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

समारोह के अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 60वें वर्ष को राजभाषा की कौस्तुभ जयंती बताया और हिंदी माह जैसे आयोजनों के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका समुचित अनुपालन करना हमारा सांविधानिक कर्तव्य भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी। यह हिंदी की प्रगति पर चर्चा का समय और आत्म-साक्षात्कार की वेला है। इंटरनेट और कंप्यूटर के युग में अंग्रेजी के अधिक सुविधाजनक होते हुए भी हिंदी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रथमतः यह सांविधानिक व्यवस्था है और दूसरे, हिंदी के बिना इस भारी भू-भाग पर संपर्क-सूत्र नहीं बनाया जा सकता और यह जनसंपर्क प्रजातंत्र का आधार है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, परवाणू

1 से 14 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। दिनांक 15-09-2008 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन बड़े उत्साहपूर्वक किया गया। श्री पी.के. एन. नम्बूद्री, क्षेत्रीय निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी हमारी संघ की राजभाषा है और यह पूरे देश की संपर्क भाषा है। उन्होंने कहा कि निगम कर्मचारियों को हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों के लिए नामित किया जाता है और सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। श्री नम्बूद्री ने कहा कि कार्यालयीन कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाये जाने संबंधी सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।

एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दादरी

एनटीपीसी दादरी में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने एवं कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का उपयुक्त वातावरण बनाने की दृष्टि से 14 सितंबर, 2008 को हिंदी दिवस समारोह भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया।

महाप्रबंधक श्री एस. एन. गांगुली ने राजभाषा हिंदी के महत्व का उल्लेख करते हुए हिंदी को सामासिक संस्कृति की संवाहिका बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रयोग से मौलिक चिंतन और आत्म विश्वास बढ़ता है। महाप्रबंधक श्री गांगुली ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग और प्रचार-प्रसार को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह को शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने 01 से 15 सितंबर, 2008 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े की प्रतियोगिताओं के सफल विजेताओं को पुरस्कृत किया। महाप्रबंधक महोदय द्वारा हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ पर सभी कर्मचारियों एवं टाउनशिपवासियों के लिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए "अपील" जारी की गई।

बैंक ऑफ इंडिया

आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली अंचल:
'जीवन भारती', लेवल-5, टावर-1, 124,
कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

दिनांक 15 अगस्त से 14 सितंबर, 2008 तक हमारे अंचल में 'हिंदी माह' का आयोजन किया गया। इस दौरान

विविध प्रतियोगिताओं यथा सहायक महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधकों हेतु हिंदी में नोटिंग एवं टिप्पण प्रतियोगिता, अंचल के शाखा प्रबंधकों हेतु हिंदी निबंध प्रतियोगिता एवं राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी वाक्य निर्माण प्रतियोगिता हिंदी पत्र लेखन एवं टिप्पण प्रतियोगिता (अधिकारियों हेतु), हिंदी चित्र कहानी प्रतियोगिता, राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी समाचार वाचन प्रतियोगिता, प्रश्न मंच एवं हिंदी में स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

आंचलिक कार्यालय परिसर में दिनांक 15 सितंबर, 2008 को 'हिंदी दिवस' का आयोजन किया गया। आंचलिक प्रबंधक एवं महाप्रबंधक श्री गिरीश तिवारी एवं उप महाप्रबंधक श्री आर.के. भाटिया ने 'हिंदी माह' के दौरान हमारे अंचल में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये।

बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

दिनांक 20 सितंबर 2008 को बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, लंका के सभा कक्ष में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष, बैंक ऑफ बड़ौदा, वाराणसी क्षेत्र के सहायक महाप्रबंधक श्री अरुण मिश्र ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा सितंबर मास को हिंदी मास के रूप में मना रहा है। इस दौरान बैंक में राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों एवं उसमें वृद्धि हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी भी उन्होंने दी। बैंक ऑफ बड़ौदा को राजभाषा के प्रयोग में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार इंदिरा गांधी शील्ड मिलने की सूचना देते हुए सहायक महाप्रबंधक ने सभी स्टाफ सदस्यों को बधाई दी एवं हिंदी के प्रति अपने उत्साह को बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि डॉ. जितेंद्रनाथ मिश्र ने हिंदी के ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की हिंदी एवं बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रणी बैंक की छवि का उल्लेख किया। उन्होंने हिंदी को अनुवाद के माध्यम से उपयोग न कर उसके मौलिक रूप में प्रयोग पर बल दिया।

(च) विश्व हिंदी दिवस

विश्व हिंदी दिवस की संक्षिप्त जानकारी

10 जनवरी, 1975 को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के तत्वाधान में कानपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस दिन की स्मृति में वर्ष 2006 से 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना तय हुआ था।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 जनवरी, 2009 को विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। फिजी गणराज्य के राजदूत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

दिसंबर 2008 में केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा तथा दिल्ली, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों के लिए मंत्रालय ने एक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की थी। प्रतियोगिता के विजेताओं को इस समारोह में नगद पुरस्कार व पुस्तकें वितरित की गईं। भारत में रह कर हिंदी सीख रहे चार विदेशी विद्यार्थियों ने इस समारोह को हिंदी में संबोधित भी किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के सहयोग से इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। विख्यात कवि डॉ. उदय प्रताप सिंह, (पूर्व सांसद), डॉ. शेरजंग गर्ग, श्री सुरेन्द्र शर्मा, डॉ. रमा सिंह, डॉ. सविता असीम, श्री विनय विश्वास ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

बहुत बड़ी संख्या में विदेश स्थित भारतीय मिशन जैसे कि कैण्डी (श्री लंका) न्यूयॉर्क (अमरीका), वाटला (पोलैंड), ओसाका-कोबे (जापान) पारामारिबो (सूरीनाम), पोर्ट ऑफ स्पेन, (ट्रिनिडाड एवं टोबैगो), ज़गरेब (क्रोएशिया), किंगस्टन (जमैका), ताशकंद (उज़बेकिस्तान), अश्गाबात (तुर्कमेनिस्तान), तेल-अबीब (इसरायल), गैबोरोन (बोत्सवाना), हनोई (वियतनाम), ओटावा (कनाडा), लंदन (यू.के.) इत्यादि देशों में विश्व हिंदी दिवस समारोह आयोजित किए गए। कहीं कहीं हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ा रहे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए।

विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने और विदेश स्थित अपने मिशनों के माध्यमों से नई-नई पहलें और विश्वभर में उपलब्ध अवसरों का भरपूर उपयोग करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से व्यक्त की। देश विदेश में इस समारोह के आयोजन से विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार को एक नई दिशा मिली है। बहुत से देश जहां हिंदी की कोई पहचान नहीं थी अब विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ने एवं पढ़ाने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं।

**न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.,
कैगा बिजली उत्पादन केन्द्र एवं कैगा
परियोजना 3 व 4, डाक कैगा, जिला :
उत्तर कन्नड़, कर्नाटक-581400**

कैगा बिजली उत्पादन केंद्र 1 से 4 में 9 जनवरी, 2009 को 'विश्व हिंदी दिवस' मनाया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन श्री वी. वी. सनतकुमार, स्थल निदेशक, कैगा बिजली उत्पादन केंद्र 1 से 4 के ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया।

उद्घाटन के उपरान्त श्री रमेश रं. थोरात, अपर महा-प्रबंधक (मा. सं) ने अतिथियों को स्वागत करते हुए 'विश्व हिंदी दिवस' के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी कि हिंदी के वैश्विक प्रचार-प्रसार से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर विचार करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों की एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था, तत्पश्चात् वर्ष 1999 तक छः विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस, दिल्ली, त्रिनिदाद, लंदन आदि में आयोजित किए गए सातवां सम्मेलन वर्ष 2003 में सूरीनाम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे वर्ष 2005 में स्वीकार कर लिया गया। 10 जनवरी की तारीख का चयन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की तारीख को महत्व देते हुए किया गया था।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय अंतरिक्ष और

परमाणु विभागों की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक में लिया गया।

**अंतरिक्ष विभाग, मुख्य नियंत्रण सुविधा
पी.बी. नं. 66, हासन-573201**

मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में सोमवार दिनांक 12-01-2009 को विश्व हिंदी दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य नियंत्रण सुविधा के तकनीकी वर्ग तथा प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हिंदी गीत पहचानों और जोड़े बनाओं प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रशासनिक वर्ग में 10 टीमों ने तथा तकनीकी वर्ग से 8 टीमों ने भाग लिया, प्रत्येक टीम में दो प्रतियोगी शामिल थे। इस प्रकार, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में कुल 36 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। दोनों ही वर्गों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा दो सांत्वना पुरस्कार, इस प्रकार पांच-पांच पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण डॉ. सी. जी. पाटिल, निदेशक, एम.सी.एफ. द्वारा किया गया। तत्पश्चात् श्री अविनाश एम, वैज्ञानिक/अभियंता-एस.सी., श्री अन्नेगौडा, वरिष्ठ सहायक एवं स्टॉफ साइड-जे.सी.एम, श्रीमती बी.ए. शांभवी, निजी सहायक ने राजभाषा के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए और श्री विपिन अग्रवाल, वैज्ञानिक/अभियंता-एस.सी. ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से 'अंगुली की फिसलन' नामक हास्य कविता प्रस्तुत की, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा।

श्रीमती सरला, हिंदी अधिकारी, एम.सी.एफ. ने संपूर्ण कार्यक्रम का सफल संयोजन एवं संचालन किया।

सूचना

भारत सरकार के कार्यालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से अनुरोध है कि 10 जनवरी को "विश्व हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाए। "विश्व हिंदी दिवस" की रिपोर्ट "राजभाषा भारती" में प्रकाशनार्थ प्रेषित करें।

—संपादक

हिंदी के बढ़ते चरण

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन शिलवासा में राजभाषा संबंधी विकासशील गतिविधियाँ

(1) पत्राचार में हिंदी का प्रयोग

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली को वर्ग 'ग' में वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2007-2008 में 'ग' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय/विभागों/केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि (निगमों, उपक्रमों, बैंकों सहित) से 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि को भेजे जाने वाले पत्रादि के लिए 55% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दिनांक 01-04-2008 से 30-09-2008

	क्षेत्र 'क'	क्षेत्र 'ख'	क्षेत्र 'ग'
'ग' क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य	55%	55%	55%
संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन में मूल पत्राचार (क्षेत्र 'ग') में जो लक्ष्य प्राप्त किया।	75.74%	79.35%	82.56%

(2) माननीय प्रशासक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन :

इस समिति की पिछली बैठक प्रभारी अध्यक्ष श्री सूर्यप्रकाश दीक्षित, माननीय आयुक्त (वेट)/सचिव (राजभाषा), दमण दीव और दादरा और नगर हवेली की अध्यक्षता में दिनांक 29-08-2008 को हुई। बैठक में दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा संघ के काम-काज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रशासन में राजभाषा कार्यान्वयन

समिति की बैठकों तीन महीने में एक बार नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं।

(3) आयुक्त (वेट)/सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन :

इस समिति की वर्ष में दो बार बैठकों होनी अपेक्षित हैं। इन बैठकों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जाता है। दिनांक 29-8-2008 को संघ क्षेत्र के स्तर पर गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक माननीय आयुक्त (वेट) तथा प्रभारी अध्यक्ष (नराकास) श्री सूर्य प्रकाश दीक्षित की अध्यक्षता में जिसमें दिनांक 1-4-2008 से 30-9-2008 तक की छ:माही हिंदी प्रगति प्रतिवेदन पर समीक्षा एवं नए प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

(4) हिंदी कार्यशालाएँ :-

(1) संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के राजभाषा विभाग, सिलवासा द्वारा दो अर्ध दिवसीय हिंदी कार्यशाला।

सिलवासा, दिनांक 13-03-2008, संघ लोक दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के राजभाषा विभाग, सिलवासा द्वारा कर्मचारी वर्ग हेतु दिनांक 13-03-2008 से 14-03-2008 तक हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन की दो अर्ध दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन सचिवालय के सभा-गृह, सिलवासा पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री एस.बी. पटियाल, सहायक निदेशक (राजभाषा) के स्वागत अभिभाषण द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हिंदी कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। श्री ए.डी. निकम, माननीय उप-वन संरक्षक ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कर्मचारीगण को हिंदी के प्रति प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी

होगी। हिंदी में अधिकाधिक काम करने का प्रयास करें। हिंदी को ज्यादा व्यवहार में लाएं। हिंदी में काम करने में जो कठिनाईया या हिचकचाहट होती है, उन्हें इन हिंदी कार्यशालाओं द्वारा दूर किया जा सकता है। इस प्रशासन में बहुत से कर्मचारी हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप सभी हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए अपना दायित्व समझें और नराकास, सिलवासा को पिछले नौ पुरस्कारों को प्राप्त करने की इस श्रृंखला को नियमित रखें। इसके पश्चात् श्री एस.बी. पटियाल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने हिंदी कार्यशाला का-संचालन करते हुए राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राष्ट्रपति का आदेश, 1960, राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों से संबंधित व्याख्यान दिए। इस कार्यशाला में प्रशासन के विभिन्न विभागों के 36 कर्मचारीगण ने भाग लिया।

(2) दिनांक 5-6-2008 को अधिकारी वर्ग हेतु एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुई

सिलवासा, दिनांक 5-6-2008 को संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के विभाग द्वारा टारुन हॉल, सिलवासा पर अधिकारी वर्ग हेतु एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में केंद्र सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी उपक्रमों और भारत सरकार के प्रतिष्ठानों तथा प्रशासन के विभिन्न विभागों के 50 अधिकारियों ने भाग लिया। श्री एस.बी. पटियाल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अपने स्वागत अभिभाषण में दादरा नगर हवेली में हिंदी में हो रहे काम-काज की प्रगति रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हुए हिंदी कार्यशाला के उद्देश के बारे में प्रकाश डाला। इसके पश्चात् श्री सूर्यप्रकाश दीक्षित, माननीय आयुक्त (मूल्य वर्धित कर)/सचिव (राजभाषा) ने अपने 'अध्यक्षीय अभिभाषण में सभी अधिकारियों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहित करते हुये कहा कि ज्ञान एक ऐसा धन है वो कभी कम नहीं होगा। राष्ट्रभाषा का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमें जीवन में सतत सहायता प्राप्त करता है। इसलिए असीमित ज्ञान का महासागर है। इसलिए जो हमारी क्षमता है उसे अधिक से अधिक पाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी इस कार्यशाला में दिये जाने वाले व्याख्यानों का लाभ लेते हुये अपने-अपने विभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास

करें।' इसके पश्चात् डॉ. वेद प्रकाश दूबे, उप-निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने हिंदी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए जिन विषयों पर कुशल मार्गदर्शन देते हुये व्याख्यान दिये वो इस प्रकार है :- राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध एवं राजभाषा नीति का परिचय, राष्ट्रपति का आदेश, 1960 एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 का परिचय, राजभाषा संकल्प, 1968 एवं वार्षिक कार्यक्रम 2007-2008 का परिचय, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट और संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के सातवें खंड में की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग। इसके पश्चात् श्री ए.डी. निकम, उप-वन संरक्षक ने आज की हिंदी कार्यशाला पर अपना अनुभव प्रस्तुत करते हुये व्याख्यानों की सराहना की और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पर्यावरण संबंधी विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ-साथ श्री पी.एस. बरडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला पंचायत), श्री चाटे, उप-मंडलीय भूमि संरक्षक अधिकारी, श्री के.पी. शर्मा सहायक निदेशक, एस.आई.एस.आई. मसाट, डॉ. मून, पशुपालन अधिकारी (जिला पंचायत) और अनेक अधिकारियों ने इस कार्यशाला के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किये। कार्यक्रम के अंत में श्री एस.बी. पटियाल, सहायक निदेशक ने सभी का आभार व्यक्त किया।

(5) 'संयुक्त हिंदी पखवाड़ा' समारोह की एक झलक

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की राजभाषा नीतियों का अनुपालन करते हुए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलवासा द्वारा हिंदी के प्रचार व प्रसार करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 16-09-2008 से 26-09-2008 तक 'संयुक्त हिंदी पखवाड़ा' तथा दिनांक 16-09-2008 को 'हिंदी दिवस' एवं 'संयुक्त हिंदी पखवाड़ा' के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

(1) देना बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित 'हिंदी निबंध प्रतियोगिता'

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 16-09-2008 को 'संयुक्त हिंदी पखवाड़ा' का उद्घाटन समारोह तथा इसके अंतर्गत देना बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा

प्रायोजित 'हिंदी निबंध प्रतियोगिता' का आयोजन किया जिसके तहत केंद्रीय सरकार के कार्यालय/राष्ट्रीयकृत बैंक/सरकारी उपक्रम तथा दादरा नगर हवेली प्रशासन के लगभग 41 अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी वर्गों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के करीब 28 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि श्री सत्य गोपाल, माननीय प्रशासक, समाहर्ता श्री ए.के. सिंह, सचिव (राजभाषा) श्री एस.पी. दीक्षित तथा देना बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रकाश यादव एवं भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक श्री योगेश यादव एवं सहायक प्रबंधक श्रीमती धरितरी आर. पति विशेष रूप से उपस्थित थे।

(2) न्यू इंडिया इश्योरेंस कं. लि., सिलवासा द्वारा प्रायोजित 'हिंदी टंकण/कंप्यूटर प्रतियोगिता'।

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 17-09-2008 को न्यू इंडिया इश्योरेंस कं. लि., सिलवासा द्वारा प्रायोजित 'हिंदी टंकण/कंप्यूटर प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिताओं में 26 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जिसमें 08 विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में न्यू इंडिया इश्योरेंस कं. लि., सिलवासा के वरिष्ठ प्रबंधक श्री कुमार जगदीशन तथा सहायक श्री जगदीश कलगुडे अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

(3) बामन लॉरी एण्ड कं.लि., सायली द्वारा प्रायोजित 'हिंदी प्रश्नमंच प्रतियोगिता'।

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 18-09-2008 को बामन लॉरी एण्ड कं.लि., सायली द्वारा प्रायोजित 'हिंदी प्रश्नमंच प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिताओं में 33 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जिसमें 08 विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में मुख्य अतिथि के रूप में श्री ए.डी. निकम, उप-वन संरक्षक तथा सिलवासा सिक्वोरिटी लि. के प्रबंधक श्री बी.एम. तिवारी उपस्थित थे।

(4) युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस लि. सिलवासा द्वारा प्रायोजित 'हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता'।

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 18-9-2008 को युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस लि. सिलवासा द्वारा प्रायोजित 'हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया।

उक्त प्रतियोगिताओं में 60 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जिसमें 12 विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में मुख्य अतिथि के रूप में श्री ज्ञानन्समन्दन, माननीय पुलिस अधीक्षक तथा युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस लि. के वरिष्ठ प्रबंधक श्री एस. मेनगर उपस्थित थे।

(5) हिंदुस्तान पेट्रोलियम लि. एवं इंडियन ऑयल लि. द्वारा प्रायोजित 'हिंदी वाक प्रतियोगिता'।

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 19-09-2008 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम लि. एवं इंडियन ऑयल लि. द्वारा प्रायोजित 'हिंदी वाक प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया जिसमें श्री ए.के. सिंह, माननीय समाहर्ता/जिलाधीश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा निवासी उप-समाहर्ता (खानवेल) श्री मनोज कुमार साहू, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लि. सिलवासा के मुख्य प्रबंधक श्री रामविचार यादव तथा वरिष्ठ अधिकारी श्री मुकेश कुमार एवं इंडियन ऑयल लि. के प्लॉट मेनेजर श्री पी. भास्कर तथा प्रबंधक श्री एन.जी. मेश्राम विशेष रूप से उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में लगभग 30 अधिकारियों/कर्मचारियों/गैर-सरकारी वर्गों ने भाग लिया जिनमें से कुल 11 विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

(6) केनरा बैंक तथा युनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित 'हिंदी काव्य-पाठ प्रतियोगिता'।

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 19-09-2008 को केनरा बैंक तथा युनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हिंदी काव्य-पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें श्री सूर्य प्रकाश दीक्षित, माननीय आयुक्त (वेट)/सचिव (राजभाषा) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा केनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक, श्री मुकेश कुमार एवं युनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक, श्री सी.आर. पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में लगभग 25 अधिकारियों/कर्मचारियों/गैर-सरकारी वर्गों ने भाग लिया जिनमें से 16 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

(7) बैंक ऑफ बड़ौदा, सिलवासा द्वारा प्रायोजित 'हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपलेखन प्रतियोगिता'।

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 22-09-2008 को बैंक ऑफ बड़ौदा, सिलवासा द्वारा प्रायोजित 'हिंदी

टिप्पण एवं प्रारूपलेखन प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि श्री जोन के., उप-सचिव वित्त उपस्थित थे तथा बैंक ऑफ बड़ौदा, के वरिष्ठ प्रबंधक, श्री एल. आर. मीणा तथा प्रबंधक श्री किशोर पाँचाल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में लगभग 35 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया और कुल 12 विजेता अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

(8) राजभाषा विभाग, सिलवासा द्वारा प्रायोजित 'हिंदी देश भक्ति गीत प्रतियोगिता'

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 23-09-2008 को राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित 'हिंदी देश भक्ति गीत प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया इस प्रतियोगिता में श्री सूर्य प्रकाश दीक्षित, माननीय आयुक्त (वेट)/सचिव (राजभाषा) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में कुल 20 अधिकारियों/कर्मचारियों/गैर-सरकारी वर्ग के समूहों ने भाग लिया और लगभग 16 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया।

(9) भारतीय दूर संचार निगम एवं डाक व तार विभाग, सिलवासा द्वारा प्रायोजित हिंदी 'हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता'

नराकास, सिलवासा द्वारा दिनांक 24-09-2008 को भारतीय दूर संचार निगम एवं डाक व तार विभाग, सिलवासा द्वारा प्रायोजित हिंदी 'हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भारतीय दूर संचार निगम के मण्डलीय अभियंता श्री एम.एन. कृष्णमूर्ति डाक व तार विभाग, सिलवासा के पोस्ट मास्टर श्री एम.एस. सोलंकी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में कुल 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और करीब 12 विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किये गये।

(10) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 'संयुक्त हिंदी पखवाड़ा' का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ

दिनांक 26-09-2008 को संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के राजभाषा विभाग एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयुक्त तत्वाधान में 'संयुक्त हिंदी पखवाड़ा' का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह टाऊनहॉल, सिलवासा पर बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ।

(6) राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी पत्रिका 'आकांक्षा' का प्रकाशन

हिंदी के उत्तरोत्तर विकास तथा हिंदी के प्रचार व प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के राजभाषा विभाग द्वारा विभागीय प्रगति रिपोर्ट, विभिन्न विभागीय गतिविधियाँ, लेख, कविताएँ आदि को सम्मिलित करते हुए हिंदी पत्रिका 'आकांक्षा' के 11वें अंक को प्रकाशित किया गया है। इस पत्रिका की 1000 प्रतियाँ प्रकाशित की गईं और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों, संघ प्रदेश दमण दीव और दादरा एवं नगर हवेली प्रशासनों, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को वितरित की गई है।

(7) पुरस्कार :

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलवासा को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नियमित रूप से पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में आयोजित निम्नानुसार हैं :-

1998	—	द्वितीय	—	भोपाल
1999	—	प्रथम	—	नई दिल्ली
2000	—	द्वितीय	—	नई दिल्ली
2001	—	तृतीय	—	मुम्बई
2002	—	प्रथम	—	द्वारका (गुजरात)
2003	—	प्रथम	—	नागपुर
2004	—	प्रथम	—	नई मुंबई (नेवीनगर)
2005	—	प्रथम	—	जयपुर (राजस्थान)
2006	—	प्रथम	—	गोवा

(8) भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा नराकास, सिलवासा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित।

माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री माणिकराव एच. गावित द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए

श्री पी.के. गुप्ता (भा.प्र.से.) विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष (नराकास) दमण दीव और दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा की नराकास को नवमी बार प्रथम एवं नराकास दमण को द्वितीय पुरस्कार से आयोजित राजभाषा सम्मेलन, गोवा में सम्मानित किया गया ।

(9) हिंदी विकास समिति द्वारा आयोजित दूधनी पटेलाद में हिंदी विकास सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न।

सिलवासा, दिनांक 6-8-2008 को संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के राजभाषा विभाग, सिलवासा एवं हिंदी विकास समिति, सिलवासा द्वारा 'हिंदी विकास सम्मेलन तथा पुरस्कार वितरण समारोह' का कम्युनिटी हॉल, दूधनी में आयोजन किया गया । कार्यक्रम का शुभारंभ अंधजन मण्डल, खरडपाड़ा के छात्रों द्वारा 'वन्देमातरम्' एवं बालभवन के विद्यालय के छात्रों द्वारा 'प्रार्थना (नृत्य)' से किया गया । श्री ब्रजभूषण, अध्यक्ष, हिंदी शिक्षक समिति ने अपने स्वागत प्रवचन में बताया की राजभाषा विभाग ने वर्ष, 2004 में हिंदी विकास समिति का गठन किया गया था । उसका उद्देश्य यह था कि सिलवासा से हटकर गांव-गांव में जा कर आम जनता से हिंदी के प्रचार व प्रचार को बढ़ावा दिया जाए । जिससे आम जनता प्रशासन के साथ हिंदी का पत्राचार करने के लिए जुड़े। इसको ध्यान में रखते हुए आज दूधनी पटेलाद में यह विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्षा जिला पंचायत श्रीमती उर्मिला बहेन एन. पटेल तथा अन्य ने संयुक्त रूप से दिये प्रज्वलित करके हिंदी विकास सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके पश्चात् दूधनी पटेलाद में हिंदी को बढ़ावा देने से संबंधित वहां के स्थानीय जन प्रतिनिधियों/समाजसेवकों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए । सर्व-प्रथम पूर्व सांसद श्री रामजीभाई पी. माहला ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इस प्रशासन का राजभाषा विभाग हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और उसी कड़ी में जो अभी हिंदी विकास समिति बनाई गई है वो भी हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में आज दूधनी पटेलाद ने हिंदी विकास सम्मेलन का आयोजन किया । इसके लिए राजभाषा विभाग, सिलवासा और हिंदी विकास समिति को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी । समारवाणी के सरपंच श्री रमेशभाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब आम जनता और प्रशासन को आपसी पत्राचार में अंग्रेजी की जगह हिंदी/गुजराती

में पत्राचार के लिए प्रयास करना चाहिए और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिस प्रकार सिलवासा में केवल नेटवर्क के माध्यम द्वारा किसी भी कार्यक्रम को टेलिविजन पर दिखाया जाता है उसी प्रकार ऐसी व्यवस्था दूधनी पटेलाद में भी प्रशासन को करानी चाहिए । इसके पश्चात् पूर्व सरपंच/उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री बापुभाई एन. दोडिया, ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिस प्रकार सिलवासा में बच्चों को सुविधाएं दी जाए उसी प्रकार दुरवर्ती क्षेत्रों के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में भी वैसी मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिसे यहां के विद्यार्थियों का स्तर बढ़ सके इसके पश्चात् दूधनी पटेलाद के सरपंच श्री महेशभाई खुलात ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे दूधनी पटेलाद में राजभाषा विभाग और हिंदी विकास समिति द्वारा हिंदी विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें हमारे दूधनी पटेलाद के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए हिंदी देशभक्ति/हिंदी वाक, हिंदी काव्य, तथा हिंदी सलोगन की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान किया । मैं राजभाषा विभाग एवं हिंदी विकास समिति को इस कार्यक्रम की सफलता हेतु अपनी शुभ-कामनाएं दी । इसके पश्चात् हिंदी विकास समिति के अध्यक्ष श्री संतोष पाण्डेय और श्री धर्मेंश ठाकोर एवं श्री बृजभूषण ने क्रमशः अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि हिंदी के विकास के लिए हमने जो कदम उठाया है उसे हम सभी मिलकर इस संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में हिंदी को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिसे आम जनता मीडिया और प्रशासन से सीधे जुड़ सके दादरा नगर हवेली में डी.एन.एच. न्यूस चैनल, सुधर्शन चैनल, यू.टी. न्यूस चैनल तथा हिंदी के स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा हिंदी को दादरा नगर हवेली के कोने-कोने तक पहुंचाया है। इसके पश्चात् श्री एस.बी. पटियाल ने अपने प्रवचन में हिंदी विकास सम्मेलन के भव्य आयोजन को देखकर अपनी खुशी प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी विकास समिति गांव-गांव में जाकर हिंदी के इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी को जन-जन पहुंचाने का बीड़ा उठाया जिसके लिए हमें सफलता भी प्राप्त हो रही है आज जिन विद्यार्थियों द्वारा हिंदी देशभक्ति, हिंदी वाक, हिंदी काव्य, तथा हिंदी स्लोगन की प्रतियोगिता में बिना साधन हिस्सा लेकर दूधनी पटेलाद का गौरव बढ़ाया उन सभी को अपनी हार्दिक बधाई दी ।

सम्मेलन/संगोष्ठी

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक 28 फरवरी, 2009, को वडोदरा इंडियन ऑयल रिफाइनरी सभागार में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों का एक दिवसीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि प्रो. रमेश के. गोयल, कुलपति, सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा ने दीप प्रज्जलित से शुभारंभ करते हुए कहा कि किसी भी देश की एकता और अखंडता तथा सभी प्रांतों की जनता को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक सम्पर्क भाषा का होना जरूरी है और राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं सुविधा की दृष्टि से हिंदी उपयुक्त सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ तभी प्रभावी बन सकेंगी जब आम जनता उनसे लाभान्वित होगी। इसके लिए आवश्यक है कि शासन का काम-काज आम जनता की भाषा में निष्पादित किया जाए। शासन के कार्यक्रमों की सफलता या विफलता, शासन की अपनी छवि, सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि उन्हें जनता का कितना सहयोग मिलता है। इन सारी बातों में भाषा की अहम भूमिका होती है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का व्यापक प्रसार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हिंदी हमारे देश की जन-भाषा है। विकास की किसी भी योजना का और उसके संबंध में भारत सरकार की नीति का जनता के सामने सही रूप में पेश किया जाना और जनता का उसमें सहयोग, इस बात पर निर्भर है कि ये बातें जनता तक किस भाषा में पहुंच रही हैं। इसी उद्देश्य के लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है और उसे सीखना, उसमें काम करना भी जरूरी हो जाता है। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। हर क्षेत्र में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना जरूरी हो गया है। हिंदी को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उसका प्रयोग करते समय यह सावधानी अवश्य

रखी जानी चाहिए कि सरल और सुबोध शब्दों का प्रयोग हो तथा स्थानीय भाषा के अधिकांश प्रचलित शब्द भी अपना लिए जाएं।

उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए देश में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित हैं। इन कार्यालयों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, वितीय संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान करने तथा हिंदी कार्य में सहायक साफ्टवेयरों के बारे में नवीनतम जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।

डॉ. प्रदीप कुमार, सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है। राजभाषा हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हम सब पर राजभाषा हिंदी के विकास और प्रयोग-प्रसार का दायित्व सौंपा है। यह कार्य सरकारी तंत्र में कार्यरत सभी के सहयोग और सद्भावना से ही संभव है। प्रयोग में लाने से ही भाषा समृद्ध होगी, उसका शब्द भंडार प्रचलित होगा और उसका स्वरूप निखरेगा परिणामस्वरूप वह हमारे ज्ञान और विचारों को आसानी से प्रकट कर पाएगी। सरकार को पुरस्कार योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में संघ के राजकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीवगांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार तथा क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा हिंदी में श्रुतलेखन तथा नोटिंग/ट्राफिंग के लिए भी नकद राशि देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। संघ सरकार राजभाषा विभाग सरकारी कार्यालयों आदि में हिंदी का प्रयोग तथा प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से

प्रयत्नशील है। विभाग के अधीन कार्यरत केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अपने केंद्रों के माध्यम से हिंदी में प्रशिक्षण दे रहा है। विभाग के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो भी अनुवाद कार्य और अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर राजभाषा हिंदी की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी में काम करने के लिए विभाग ने लीला, मंत्र राजभाषा, श्रुतलेखन राजभाषा वाचांतर, राजभाषा साफ्टवेयर बनवाए हैं साथ ही में ई-महाशब्दकोश भी अब उपलब्ध हैं।

विशेष अतिथि के रूप में श्री ए एस बासु, कार्यकारी निदेशक, गुजरात रिफाइनरी एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति वडोदरा ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस समिति की बैठकों में सदस्य कार्यालयों द्वारा की जा रही प्रगति के माध्यम से मुझे यह आभास है कि सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एक सोच और दृष्टि है जिसके फलस्वरूप सभी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारी एप्रोच केवल वैधानिक जरूरतों को पूरा करने की है। केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क की आयुक्त श्रीमती माला श्रीवास्तव तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री के. बी. वच्छराजानी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

इससे पूर्व अपने स्वागत सम्बोधन में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री डी. के. पाण्डेय ने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सम्मेलनों/समारोहों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें केन्द्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के अधिकारी भाग लेकर एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाते हैं। इससे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सत्र के अंत में इन्होंने अपने धन्यवाद ज्ञापन में सभी महानुभावों तथा विशेष रूप से इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, गुजरात रिफाइनरी का भी आभार प्रकट किया।

समारोह के तकनीकी सत्र में श्री वरूण कुमार साहू, निदेशक, गृह मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के लिए आपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्तर के स्थानीकरण पर उपयोगी जानकारी दी। कंप्यूटर पर हिंदी संबंधी सुविधाओं की जानकारी देने के लिए सी डेक, पुणे ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि लीला नामक साफ्टवेयर के उपयोग द्वारा 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन हिंदी

सीखी जा सकती है। श्रुतलेखन सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर के माइक में बोली गई हिंदी डिक्टेशन टेक्स्ट के रूप में रिकार्ड की जा सकती है। सी-डेक, पुणे द्वारा अंग्रेजी दस्तावेजों के हिंदी के अनुवाद के लिए मंत्रा सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा किए गए अनुवाद की शुद्धता बढ़ाने के लिए आगे कार्य किया जा रहा है। कंप्यूटर पर उपलब्ध हिंदी दस्तावेजों/सामग्री को बोलकर पढ़ने के लिए प्रवाचक हिंदी व अंग्रेजी का उच्चारण सहित शब्दकोष आदि अन्य महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयरों का विकास जारी है।

सम्मेलन स्थल पर कंप्यूटर पर हिंदी संबंधी सुविधाओं की तथा हिंदी पत्र पत्रिकाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसे सभी आगुन्तकों ने सराहा तथा नई जानकारी प्राप्त की। सत्र के अंत में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम) मुम्बई के उप निदेशक डॉ. एम.एल. गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली पर भव्य गोष्ठी सम्पन्न

बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में राजभाषा विभाग, संपर्क एवं प्रशासन के सक्रिय सहयोग से 18 नवम्बर, 2008 को इस्पात भवन के अधिशासी निदेशक (परियोजनाएँ) सम्मेलन कक्ष में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली पर एक भव्य एकदिवसीय गोष्ठी आयोजित हुई।

परिचर्चा के प्रथम सत्र में श्री उदय कांत सिंह ने भारत सरकार की राजभाषा नीति, अधिनियम, नियम के प्रावधानों तथा संसदीय राजभाषा समिति के गठन एवं स्वरूप के संबंध में प्रतिभागियों को सविस्तार जानकारी दी। इस विषय पर सभी प्रतिभागियों को मुद्रित हैण्ड आउट तथा संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली की प्रतियाँ भी वितरित की गई।

द्वितीय सत्र में राँची से पधारे श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा ने संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए उन्हें भरने का कौशल बतलाया तथा प्रतिभागियों से प्रश्नावली भरने का तत्काल अभ्यास भी करवाया। संबंधित विषय पर पूछे गए प्रश्नों एवं आशंकाओं का समाधान भी किया गया।

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

एलूरु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं राजभाषा शील्ड पुरस्कार वितरण समारोह

दि. 22-10-2008 को अपराह्न 3.00 बजे को महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, बी. एस. एन. एल. भवन, एलूरु में महाप्रबंधक, दूरसंचार, जिला एलूरु एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एल अनंतराम की अध्यक्षता में न.रा.का.स. की आठवीं बैठक एवं राजभाषा शील्ड पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए गए।

इस अवसर पर प्रथम स्थान पर पुरस्कार प्राप्त श्री के. वी. चौधरी उ.म.प्र. (प्रचालन), बी.एस.एन.एल. एलूरु ने बताया कि दिल और दिमाग से काम करने से सफलता जरूर मिलती है। श्री एल. अनंतराम जी हिंदी कार्यान्वयन में विशेष रूचि लेते हैं। आंध्र प्रदेश टेलीकाम सर्किल में अनंतराम जी ने चार बार प्रथम स्थान में राजभाषा शील्ड प्राप्त किया है। इसी प्रकार द्वितीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त आंध्र बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पी. ए. प्रसाद ने अपनी अनुक्रिया में बताया कि अगली बार आंध्र बैंक प्रथम स्थान में राजभाषा शील्ड प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा।

अरूवनकोर्ड के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र गृह राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर, राजभाषा पुरस्कारों का वितरण किया। श्रीमती वल्सला जी कुट्टी ने संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग अध्यक्षता की। डॉ. शकील अहमद ने अपने संदेश में कहा कि सभी भारतवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी के शब्द सभी भारतीय भाषाओं से मिलती जुलती हैं। श्रीमती वल्सला जी कुट्टी दो दिन के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सभी राजभाषा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्त्रोत रही।

पश्चिम रेलवे-राजकोट मंडल में हिंदी पखवाड़े के तहत पुरस्कार वितरण समारोह

दि. 7-11-08 को सायं 7.30 बजे श्री मुकेश कुमार-अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अमरेंद्र, राजकोट की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती सविता निबारिया -अध्यक्षा- परेमस सेवा समिति उपस्थित रही थी।

हिंदी पखवाड़े के तहत कर्मचारियों के लिए हिंदी वाक्, निबंध, कहानी विस्तार, गीत गायन, पारिभाषिक शब्दावली, टिप्पण आलेखन, कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण, भाषा शुद्धि, अनुवाद एवं अधिकारियों तथा परेमस सेवा समिति के सदस्यों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं और हिंदी में अधिकाधिक एवं प्रशंसनीय कार्य करने वालों एवं 20000 शब्दों की प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हैदराबाद द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को राजभाषा ट्राफी पुरस्कार

दिनांक 20-11-2008 को प्रातः 10.00 बजे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, हैदराबाद के सभागार में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), हैदराबाद-सिकंदराबाद की 28वीं अर्धवार्षिक बैठक तथा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वर्ष 2007-08 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा, निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को द्वितीय पुरस्कार के रूप में राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री के. एस. राजशेखर राव की अनुपस्थिति में मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विशिष्ट सेवा मेडल, अध्यक्ष, प्रबंध-निदेशक, बी.डी.एल. के कर-कमलों से श्री यू.एच.राव, क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को उक्त ट्राफी प्रदान की गई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम,

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को इससे पूर्व भी 7 बार राजभाषा शील्ड प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है।

इस दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में आयोजित हिंदी निबंध/ अनुवाद/ प्रश्न-मंच/ शब्दावली आदि प्रतियोगिताओं में क्रमशः श्री दिनेश सिंह, हिंदी अनुवादक/कु. जे.वि.मोहिनी, हिंदी अनुवादक/ श्री जवाहर ठाकुर और श्री एम. रमेश को प्रथम/द्वितीय/ तृतीय पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि इस बार हिंदी निबंध प्रतियोगिता के हिंदी/हिंदीतर वर्ग के प्रथम पुरस्कार निगम में कार्यरत श्री जवाहर ठाकुर, श्री एम. रमेश को ही प्राप्त हुए। इस प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम को कुल 6 पुरस्कार प्राप्त हुए।

आयकर विभाग, चण्डीगढ़

'आयकर विभाग, चण्डीगढ़' द्वारा केंद्रीय राजस्व भवन में 'वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। श्री पी. के. चोपड़ा मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, चण्डीगढ़ ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के सभी आयकर आयुक्त एवं आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त शामिल हुए। श्री चोपड़ा ने हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा शील्ड योजनाओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

अपने संबोधन में श्री पी. के. चोपड़ा ने कहा कि "हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रीय पहचान है, अतः हिंदी में काम करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी जिम्मेदारी भी है। सरकार ने हमारे लिए हिंदी में कार्य के लिए लक्ष्य रखे हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए।" उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे हिंदी में अपना अधिक से अधिक कार्य करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से पुरस्कार राशि में काफी वृद्धि की जा रही है जिससे अधिक से अधिक कर्मचारी इनमें भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे।

निर्माण महानिदेशालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

निर्माण महानिदेशालय में 1 सितंबर, 2008 से 30 सितंबर, 2008 तक हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास मनाया

गया। इस मास के दौरान कुल 6 प्रतियोगिताओं यथा टिप्पण और मसौदा लेखन, सरल अनुवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, टंकण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें निर्माण महानिदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 45 प्रतिभागी विजयी हुए जिन्हें एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

अधिकारियों की हिंदी में कार्य करने संबंधी झिझक एवं कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से दिनांक 18-8-2008 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। निर्माण महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31-10-2008 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अध्यक्ष महोदय के करकमलों से विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस वर्ष जिन्हें पुरस्कार नहीं मिले हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है वे हिंदी में काम करने में और अधिक रुचि लेंगे तो उन्हें अवश्य ईनाम मिलेगा।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई -400 707

देश में कंटेनर प्रहस्तन करने वाला प्रधान पत्तन जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, जो विश्व के प्रमुख कंटेनर प्रहस्तन पत्तनों में 24वें स्थान पर भी है, को वर्ष 2006-2007 का प्रतिष्ठित प्रथम इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ। पत्तन की ओर से जनेप न्यास के अध्यक्ष, श्री एस. शहजाद हुसैन, भा. प्र. से. ने 14 सितंबर, 2008 को हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा आयोजित किए गए एक शानदार समारोह में यह पुरस्कार भारत की महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल के करकमलों से प्राप्त किया। पत्तन को पिछले वर्ष 2005-06 का द्वितीय इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पत्तन को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पांच बार और मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा तीन बार पुरस्कृत किया जा चुका है।

देश की अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा वणिज्यिक प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने तथा देश के कंटेनरबंद कार्गो व्यापार के 60 प्रतिशत का प्रहस्तन करने के साथ-साथ पत्तन अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने, पत्तन के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा राष्ट्र की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है।

बड़ौदा राजभाषा पुरस्कार योजना में बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को तृतीय पुरस्कार

बैंक ऑफ बड़ौदा के विभिन्न अंचलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, के राजभाषा विभाग की ओर से, "बड़ौदा राजभाषा पुरस्कार योजना" शुरू की गई है। इसी योजना के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में, श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए, 'क' क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों में, वाराणसी क्षेत्र को, वर्ष 2007-08 का "बड़ौदा राजभाषा पुरस्कार योजना" का तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

दिनांक 22 नवंबर, 2008 को बड़ौदा कारपोरेट सेंटर, मुंबई में आयोजित पुरस्कार-वितरण समारोह में, बैंक ऑफ बड़ौदा, वाराणसी क्षेत्र की ओर से यह पुरस्कार, सहायक महाप्रबंधक, वाराणसी क्षेत्र, श्री अरूण मिश्र ने ग्रहण किया। बैंकिंग व्यवहार तथा कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा के बेहतर उपयोग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, वाराणसी क्षेत्र निरन्तर प्रयत्नशील है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), दक्षिण गोवा द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा पुरस्कृत

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा को वर्ष 2007-2008 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के सर्वोत्कृष्ट निष्पादन (केंद्र सरकार, उपक्रमों एवं बैंकों के कार्यालयों की श्रेणी में) करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), दक्षिण गोवा द्वारा दिनांक 15-10-2008 को आयोजित छमाही बैठक में विशेष राजभाषा रोलिंग शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

श्री प्रवीण अग्रवाल, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण गोवा व मुरगांव पत्तन न्यास, सडा, वास्को, गोवा द्वारा श्री डी. पॉल माणिकम्, विमानपत्तन निदेशक, एवं श्री इन्ताज अली, हिंदी अनुवादक भा वि प्रा, गोवा को शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित गणमान्य अतिथियों में रियर एडमिरल ए. के. हांडा अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को, गोवा प्रमुख थे। इस अवसर पर दक्षिण गोवा के विभिन्न कार्यालयों के अधिकांश कार्यालय प्रमुख एवं राजभाषा से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

21वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भिलाई इस्पात संयंत्र सहस्राब्दि राजभाषा शील्ड से सम्मानित

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 140वें जन्मदिन पर शिमला में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रभा राव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2007-2008 में राजभाषा के प्रचार व प्रसार में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये 'सेल', भिलाई इस्पात संयंत्र को 'सहस्राब्दि राजभाषा शील्ड सम्मान' से विभूषित किया। राष्ट्रीय हिंदी अकादमी, कोलकाता के तत्वावधान में शिमला (हिमाचल प्रदेश) में 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, 2008 तक आयोजित तीन-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भिलाई इस्पात संयंत्र के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव व उप महाप्रबंधक (सम्पर्क व प्रशासन) श्री दिलीप नन्नौर ने भिलाई इस्पात बिरादरी की ओर से यह सम्मान ग्रहण किया। महामहिम राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव ने श्री दिलीप नन्नौर को शॉल, स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये। भिलाई इस्पात संयंत्र में राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास एवं जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं में हिन्दी के सफल प्रयोगों के आधार पर भिलाई की प्रस्तुति को यह सम्मान प्राप्त हुआ।

इसी समारोह में भिलाई की राजभाषा पत्रिका 'भिलाई भाषा भारती' को देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी गृह समाचारिका घोषित करते हुए 'राष्ट्रीय राजभाषा पत्रिका शील्ड सम्मान' प्रदान किया गया जिसे पत्रिका के सम्पादक व भिलाई इस्पात संयंत्र के राजभाषा प्रमुख श्री अशोक सिंघई, ने मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल के करकमलों से ग्रहण किया। ■

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2009 में चलाए जाने वाले हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

जैसा कि आप जानते हैं कि केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है । पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को यथाशीघ्र हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में कौशल प्रदान करना है, ताकि वे वर्तमान द्विभाषिकता की स्थिति में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की टंकण और आशुलिपि में दक्षता प्राप्त कर सकें । संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में उनके अंग्रेजी टाइपिस्टों तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों को क्रमशः हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दिया जाना है ।

2. उपर्युक्त क्रम में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से अनुरोध है कि वे हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने ऐसे कर्मचारियों को नामित करने की कृपा करें, जिनकी सेवाएं वे द्विभाषिक टाइपिस्टों या आशुलिपिकों के रूप में लेना आवश्यक समझते हों ।

3. कंप्यूटरों पर प्रशिक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलूर और हैदराबाद स्थित गहन प्रशिक्षण केंद्रों पर टंकण एवं आशुलिपिकों को टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण के साथ-साथ कंप्यूटर पर शब्द संसाधन का भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अपने कार्यालयों में जाकर कंप्यूटर पर भी कार्य कर सकें ।

4. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अधीन कोलकाता, मुंबई, बेंगलूर तथा हैदराबाद में चार उप संस्थान हैं । हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय, नई दिल्ली के अतिरिक्त उपर्युक्त चारों उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं । इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है ।

5. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्णकालिक और निःशुल्क हैं, अर्थात् इनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है । इन पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं । इन गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ।

6. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंत में प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना के परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाती है । गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 16-8-2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/34/2007-रा.भा.(प्रशि.) के अनुसार संबंधित नियमों के अधीन विहित शर्तें पूरी करने पर हिंदी टंकण में 97 प्रतिशत, 95 प्रतिशत और 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा हिंदी आशुलिपि में 95 प्रतिशत, 92 प्रतिशत व 88 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कर्मचारी क्रमशः रु. 1200/- रु. 800/- और रु. 400/- के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में नकद पुरस्कार पाने के पात्र होते हैं । इस राशि का भुगतान कर्मचारियों के संबंधित कार्यालयों द्वारा वहन किया जाता है ।

7. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76-रा.भा. (घ) दिनांक 2-9-1976 के अनुसार हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विहित शर्तें पूरी करने पर हिंदी भाषी आशुलिपिक 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन तथा हिंदीतर भाषी आशुलिपिक (राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों) दो वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के पात्र होते हैं। राजपत्रित आशुलिपिकों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर अराजपत्रित कर्मचारी विहित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के पात्र होते हैं।

8. केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को प्रति कर्मचारी रु. 50 की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जाना है जो कि "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली को देय होना चाहिए।

9. नई दिल्ली स्थित संस्थान के मुख्यालय में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहराने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

10. इन पाठ्यक्रमों की अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :-

(क) हिंदी टंकण

- 1- सभी अवर श्रेणी लिपिकों एवं अंग्रेजी टंककों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- 2- उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और हिंदी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।
- 3- शैक्षिक योग्यता : ऐसे कर्मचारी जो हिंदी के साथ मिडिल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि उत्तीर्ण हों, इस प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं।

(ख) हिंदी आशुलिपि

- 1- सभी वर्ग के आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों, आदि के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- 2- कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/ टंकटों, जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, संबंधित कार्यालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र देने पर कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है को भी प्रवेश दिया जा सकता है।
- 3- शैक्षिक योग्यता : हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण की हो।

11. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलूर और मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

12. अनुरोध है कि अपने कार्यालय के कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक को भिजवा दें। कृपया उन्हीं कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें आपके द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके। पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि यदि आशुलिपि पाठ्यक्रम के लिए किसी अवर श्रेणी लिपिक को नामित किया जाता है तो संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।

13. पाठ्यक्रम में प्रवेश "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर दिया जाएगा।

14. कृपया इस कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्रों में अपने कार्यालय का पूरा पता तथा दूरभाष संख्या अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में सुविधा हो।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली और कोलकाता, मुंबई, बेंगलूर तथा हैदराबाद स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों में दिनांक 7-1-2009 से 17-12-2009 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी टाइपलेखन और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले
प्रशिक्षण कार्यक्रम

I- हिंदी टाइपलेखन

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्यदिवस	7-1-2009 से 5-3-2009	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण
2	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्यदिवस	6-3-2009 से 8-5-2009	संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज
3	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्यदिवस	3-6-2009 से 28-7-2009	रोड, (जे. एंड के.
4	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्यदिवस	24-8-2009 से 21-10-2009	हाऊस के सामने)
5	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्यदिवस	22-10-2009 से 17-12-2009	नई दिल्ली -11

II- हिंदी आशुलिपि

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	7-1-2009 से 8-5-2009	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण
2	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	24-8-2009 से 17-12-2009	संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज
				रोड, (जे. एंड के.
				हाऊस के सामने)
				नई दिल्ली -11

कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, तथा बेंगलूर में स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I- हिंदी टाइपलेखन

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्यदिवस	7-1-2009 से 5-3-2009
2	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्यदिवस	6-3-2009 से 8-5-2009
3	हिंदी टाइपलेखन	40 कार्यदिवस	3-6-2009 से 28-7-2009

II- हिंदी आशुलिपि

1	हिंदी आशुलिपि	40 कार्यदिवस	24-8-2009 से 17-12-2009
---	---------------	--------------	-------------------------

उप संस्थानों के पते

1. हिंदी शिक्षण योजना,
केंद्रीय सदन,
छठी मंजिल, "सी" विंग 601,
सैक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614
दूरभाष 27572705/27572706
फैक्स 27565417/27565417
2. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नं. 30, तीसरा तल,
कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001

3. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
द्वितीय तल, केंद्रीय सदन,
कोठी, सुल्तान बाजार,
हैदराबाद -500 095 (आं. प्र.)

4. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
बी-विंग, पांचवां तल,
केंद्रीय सदन,
17वां मेन रोड, दूसरा ब्लॉक,
कोरमंगला, बेंगलूर -560 034

**गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान
(हिंदी टंकण/कंप्यूटर/आशुलिपि गहन प्रशिक्षण केंद्र)**

कमरा नं.-423, तीसरा तल, 1, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन निगमों, सार्वजनिक क्षेत्रों, लोक उद्यमों, अभिकरणों आदि के कर्मचारियों के लिए दिनांक 7-1-2009 से 17-12-2009 तक चलाये जाने वाले हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों तथा अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है ।

2. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता द्वारा चलाये जाने वाले हिंदी टाइपलेखन एवं हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का वर्ष 2009 (कैलेण्डर वर्ष) का कार्यक्रम आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का नाम
1	हिंदी टाइपलेखन (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	7-1-2009 से 5-3-2009 तक	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान (हिंदी टंकण/आशु गहन प्रशिक्षण केंद्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नं.-423, तीसरा तल, 1, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001
2	हिंदी टाइपलेखन (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	6-3-2009 से 8-5-2009 तक	
3	हिंदी टाइपलेखन (कंप्यूटर पर)	40 कार्यदिवस	3-6-2009 से 28-7-2009 तक	
4	हिंदी आशुलिपि (टंकण कंप्यूटर पर)	80 कार्यदिवस	24-8-2009 से 17-12-2009 तक	

3. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निर्माकित कर्मचारी नामित किए जा सकते हैं :-

(क) प्रोबेशनर

(ख) उन स्थानों के कर्मचारी जहां हिंदी टंकण या आशुलिपि का कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है ।

(ग) शिफ्ट ड्यूटी पर काम करने वाले कर्मचारी ।

(घ) अन्य कर्मचारी जिनके लिए कार्यालय यह समझते हैं कि उनको पूर्णकालिक प्रशिक्षण देना लाभदायक होगा ।

4. ये पाठ्यक्रम पूर्णकालिक हैं और प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इन पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु वही है जो हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित है। प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थी प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम के अंत में प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना के परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाती है। सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं। केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अधिक अंक प्राप्त करते हैं (टाइपलेखन में 90 प्रतिशत या अधिक और आशुलिपि में 88 प्रतिशत या अधिक) संबंधित नियमों के अधीन विहित शर्तें पूरी करने पर अपने कार्यालयों द्वारा नकद पुरस्कार के पात्र होंगे।

5. केन्द्र सरकार के निगमों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को प्रति कर्मचारी 50 (पचास) रुपये की दर से परीक्षा शुल्क देना होता है। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जायेगा जोकि "उपनिदेशक परीक्षा, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली" के नाम से देय होगा।

6. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता में प्रशिक्षार्थियों के लिए भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

7. इन पाठ्यक्रमों के लिए अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :-

(क) हिंदी टाइपलेखन

1. सभी अवर श्रेणी लिपिकों एवं अंग्रेजी टंककों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
2. यू.डी.सी., हिंदी सहायकों एवं हिंदी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।
3. शैक्षणिक योग्यता :- हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हों। दिनांक 27-10-1980 के राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.-14016/17/88-रा.भा. (घ) के अनुसार हिंदी टंकण के प्रशिक्षण के लिए उन सभी कर्मचारियों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता हिंदी के साथ मिडिल अथवा समकक्ष परीक्षा जैसे प्रवीण आदि उत्तीर्ण हों, को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ख) हिंदी आशुलिपि

1. सभी वर्ग के आशुलिपिकों, पी. ए., सीनियर पी.ए. के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
2. कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर क्षणी लिपिकों/टाइपिस्टों, जो हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइप परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा संबंधित कार्यालय यह प्रमाण-पत्र दें कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है, को भी प्रवेश दिया जा सकता है।
3. शैक्षणिक योग्यता :- हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हों।

8. प्रशिक्षण क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके इसलिए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नामित किया जाये, जिन्हें निश्चित रूप से प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को लम्बी अवधि का अवकाश स्वीकृत करना संभव नहीं होगा। सत्र के दौरान कर्मचारियों को ऐसा स्थानान्तरण न किया जाए जिससे उसके प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी कर्मचारी को सत्र के मध्य से वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिभागियों के नाम पाठ्यक्रम आरंभ होने से कम-से-कम एक महीना पहले केंद्र के सहायक निदेशक, श्री जितेन्द्र प्रसाद को भिजवा दें एवं उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाये, पाठ्यक्रमों के लिए नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण आरम्भ होने के दिन प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होने के निर्देश भी दे दें परन्तु यदि किसी अवर श्रेणी लिपिक को आशुलिपिक पाठ्यक्रम के लिए नामित किया जाता है तो उनके प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने पर ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाये।

10. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर दिया जायेगा।

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती अंक 121 व 122 में छपे लेख काफी ज्ञानवर्धक, समसामायिक होने के साथ रोचक भी हैं। हिन्दी भाषा की मानकता पर लेख तथा प्रशिक्षण पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए लेख काफी विचारणीय एवं जिज्ञासा बढ़ाने वाले हैं।

—गणेश प्रसाद साहू

मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय, वै.गु.आ.मनि., रक्षा मंत्रालय, एच.ए.एल. डाकघर, हैदराबाद-500042

त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती राजभाषा कार्यान्वयन के प्रचार प्रसार में राजभाषा भारती एक अहम भूमिका निभा रही है। पत्रिका में संकलित राजभाषा गतिविधि सम्बन्धी जानकारीयों में उत्तरोत्तर प्रगति देखकर राजभाषा के विकास का सहज ही आँकलन किया जा सकता है। प्रस्तुत अंक को प्रशिक्षण विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर तथा उसमें संकलित सामग्रियों के माध्यम से विभिन्न बिन्दुओं पर व्याप्त शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करने का आपका प्रयास सराहनीय है। पत्रिका में संकलित अन्य सूचनाएं/जानकारीयां उच्चकोटि की एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका का यह स्वरूप आपके प्रयास का परिणाम है।

—आशिस बंधोपध्याय,

महाप्रबंधक,

नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय-3, मिडिलट स्ट्रीट, कोलकाता-700071

“राजभाषा भारती” अंक 122 रोचक लेखों के अलावा राजभाषा से संबंधित अधिनियम, कंप्यूटर प्रणाली, सरकारी आदेशों आदि का भी समावेश है। देश के विभिन्न शहरों में होने वाले समारोहों, संगोष्ठियों, कार्यशालाएं बैठकों, सम्मेलनों एवं अन्य गतिविधियों की सूचना विस्तारपूर्वक से दी हुई है। दिए गए चित्र भी सुन्दर हैं। आपकी त्रिका राजभाषा के क्षेत्र में “गागर में सागर” के समान है। बधाई एवं नववर्ष अभिनंदन।

शुभकामनाओं सहित।

—विजय कुमार तनेजा

मुख्य सलाहकार (श्रम कल्याण) (से.नि.) भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 27-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005

राजभाषा भारती के 120 व 122वें अंक का आवरण पृष्ठ आकर्षक व मनमोहक है। पत्रिका के 120वें अंक में “चिंतन”, “साहित्यकी”, पुरानी यादें-नये परिपेक्ष्य, “विश्व हिंदी दर्शन” में दी गयी रचनायें एवं केंद्रीय कार्यालयों की राजभाषा संबंधी गतिविधियों की सांगोपांग जानकारी मिली।

पत्रिका का 122वां अंक प्रशिक्षण विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार के विविध प्रशिक्षणों के बारे में लेख दिये गये हैं। हिंदी के बढ़ते चरण शीर्षक से तमिलनाडु के मदुरै की नराकास के प्रयासों से तमिल समाचार पत्रों में प्रकाशित राजभाषा की गतिविधियों की छाया प्रतियाँ दी गई हैं। पत्रिका में तमिलनाडु के कुछ नगरों के केंद्रीय कार्यालयों/बैंकों की नराकास के अध्यक्षों के पत्रिका के सहायक संपादक श्री शांति कुमार स्याल द्वारा राजभाषा के बारे में भेंटवार्ता हुई वह भी काफी सार्थक प्रयास है। इससे लगता है कि हिंदी भले ही धीमी गति से क्यों न हो किन्तु अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है।

पत्रिका को इतना उपादेय रूप देने के लिए लेखकगण व संपादक मंडल साधुवाद के पात्र हैं।

—गजानंद गुप्त

मंत्री

राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद “दुर्गा सदन”, 19-3-946, शमशीरगंज, हैदराबाद-500053 (आंध्र प्रदेश)

राजभाषा भारती के 120वें अंक (जनवरी-मार्च, 2008) में समाविष्ट सभी सामग्री पठनीय, ज्ञानवर्धक और उच्च स्तरीय है। विभिन्न स्तंभों तथा लेखों के माध्यम से नवीनतम, रोचक तथा शिक्षाप्रद जानकारीयां प्रदान की गई हैं। विशेष

रूप से चिंतन स्तम्भ के अन्तर्गत “हिंदी भाषा की मानकता”, “बाजार में हिंदी” तथा “पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग बनाम अनुवाद की दुरुहता” रचनाएं सूचनापरक होने के साथ-साथ पाठकों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करती हैं।

पत्रिका के सफल प्रकाशन प्रति शुभकामनाओं सहित।

—सुनील चौपड़ा

मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आयकर भवन, मकबूल रोड, अमृतसर-143001

“राजभाषा भारती” का 119वां अंक सारे भारत में राजभाषा की स्थिति की एक बानगी देता है। इसमें प्रकाशित सभी लेख निःसंदेह उच्चस्तरीय, रोचक तथा ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका का कलेवर राजभाषा के प्रचार-प्रसार के प्रयोजन को पूर्णतः सार्थक करता प्रतीत होता है। राजभाषा हिंदी की सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए यह पत्रिका एक दीप-स्तंभ के समान है जो हिंदी को सही दिशा एवं गति प्रदान करने की मुहिम में उनका निरन्तर मार्गदर्शन करती रहेगी।

—संतोष कुमार पाठक

सहायक प्रबंधक (राजभाषा)

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, प्रशासन भवन, शेवा, नवी मुंबई-400707

राजभाषा भारती पत्रिका नियमित रूप से प्राप्त हो रही है, इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। अपनी समसामयिक पत्रिकाओं की तुलना में इसने स्वयं को निःसंदेह श्रेष्ठतर ही सिद्ध किया है। चिंतन, साहित्यिकी, पुरानी यादें-नये परिप्रेक्ष्य में, विश्व हिंदी दर्शन, पत्रकारिता, संस्कृति, उदासीकरण, विविध तथा राजभाषा संबंधी गतिविधियों एवं अन्य स्थायी स्तंभों के साथ नियमित रूप से पत्रिका का प्रकाशन एवं उसके पाठकों तक प्रेषण, अत्यंत सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं।

—डॉ. श्याम नारायण मिश्र,

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी,

केंद्रीय इलेक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पिलानी-333031 (राज.)

राजभाषा भारती के जुलाई-सितम्बर, 2008 (प्रशिक्षण विशेषांक) बहुत अच्छा लगा। शुरू में ही दिए गए गृह मंत्री तथा गृह राज्य मंत्री के संदेश अच्छी प्रेरणा देते हैं। आपका सम्पादकीय भी प्रभावित करता है। सभी संकलित लेख उपयोगी, रोचक तथा ज्ञानवर्धक हैं। राजभाषा संबंधी गतिविधियों, कार्यशालाओं, नराकास बैठकों आदि के बारे में भी जानकारीयां मिलीं, जिनसे आभास मिलता है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में क्या हो रहा है।

—कृष्ण कुमार प्रोवर

पूर्व सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, एफ-बी/16, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027

“राजभाषा भारती” पत्रिका के 119वें अंक में सम्मिलित सभी रचनाएँ उत्तम और श्रेष्ठ हैं। श्री अरूण होता का लिखा हुआ लेख “भावात्मक एकता और हिंदी” पढ़ कर हिंदी भाषा के इतिहास का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। डॉ. राहुल का लिखा हुआ लेख “मानक हिंदी : स्वरूप एवं विशेषताएँ” में भाषा के मानकीकरण की पद्धति, स्वरूप तथा भाषा ज्ञान के बारे में बताया गया जो कि बहुत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है। इसके अलावा श्री राजीव कुमार द्वारा लिखा “राजभाषा हिंदी और विश्व हिंदी सम्मेलन” लेख में अब तक हुए पूरे आठ विश्व हिंदी सम्मेलनों से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई जिसे पढ़ कर ज्ञान में वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ विभिन्न विभागों की हिंदी दिवस/पखवाड़ा समारोहों की रिपोर्टों में राजभाषा संबंधी कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी दी गई है जिससे पता चलता है कि राजभाषा के कार्यान्वयन में आपकी पत्रिका सक्रिय भूमिका निभा रही है। सभी रचनाकार एवं संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं, पत्रिका के बहुमुखी विकास की शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

—रवि कुमार

सहायक निदेशक (राजभाषा),

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, “डी” ब्लॉक, नौवीं मंजिल, आयकर शिखर, ऐ.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004

“राजभाषा भारती” अंक 122 में राजभाषा कार्यान्वयन में हिंदी प्रशिक्षण की अध्यक्षता एक पुनरावलोकन प्रबंधकीय दक्षता में हिंदी की भूमिका, यूनिकोड-विश्वस्तरीय मानक उल्लेखनीय रचना है। सम्पूर्ण पत्रिका अपने आप में हिंदीमय है तथा विभिन्न विभागों से दिए जा रहे हिंदी प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर राजभाषा की सेवा कर रही है। सम्पादक मण्डल का कार्य प्रशंसनीय है तथा पत्रिका राजभाषा हिंदी में प्रचार-प्रसार में पूर्णतया सहायक है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हम मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं।

—सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,

हिंदी कक्ष, कार्यालय प्रधान महालेखाकार,

(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002



क-3-बडोदरा में आयोजित पश्चिम तथा मध्य क्षेत्रों का राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि-गण ।



क-4-हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता द्वारा आयोजित राजभाषा माह के हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती महाश्वेता देवी का सम्मान करते हुए श्री रजी फिलिप, अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक तथा हिंदी पत्रकारिता के मेरुदण्ड श्री कृष्ण बिहारी मिश्र ।

वार्षिक कार्यक्रम (2009-2010)

राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुपालन में राजभाषा हिंदी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। वर्ष 2009-10 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है।

सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है, किंतु अब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किंतु अभी भी बहुत सा काम अंग्रेजी में हो रहा है। लक्ष्य यह है कि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिंदी का ही प्रयोग हो। यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विशेष रूप से विचारणीय हैं :-

- यह जरूरी है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के सात खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए।
- कंप्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिंदी में काम को बढ़ाया जाए।
- संबंधित विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाकर उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।
- हिंदी, हिंदी टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण कार्य में तीव्रता लाएं ताकि तत्संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जा सके।
- राजभाषा कार्य से संबंधित अधिकारियों को विभाग के समस्त कार्यकलापों से परिचित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने दायित्व अधिक अच्छी तरह निभा पाएं।
- मंत्रालय/विभाग अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित करें।
- संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, किंतु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। जानबूझकर राजभाषा संबंधी आदेशों की अवहेलना के लिए मंत्रालय/विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं।

सचिव, भारत सरकार,
राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय

मार्च, 2009